वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा
2013-14

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

मो./डाकघर- जागृति विहार,बुर्ला

संबलपुर-768020(ओड़िशा)

वैवसाइट: www.mcl.gov.in

'दृष्टि'

"खदान से बाजार तक सर्वोत्तम सेवाओं
के द्वारा विश्व स्तर पर प्रमुख
ऊर्जा आपूर्तिकर्त्ता बनना "

'मिशन'

" सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को ध्यान
में रखते हुए योजनानुसार कोयला एवं कोयला उत्पाद
का प्रभावी एवं मितव्ययितापूर्वक
उत्पादन एवं विपणन"

गत पाँच वर्षों की वित्त संबंधी प्रमुख बातें						
विवरण	इकाई	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
कोयला उत्पादन	एमटी	110.440	107.89	103.12	100.28	104.08
कोयले का प्रेषण	एमटी	114.340	111.96	102.52	102.09	98.13
कोयले का विक्रय	₹करोड़	13165.61	13190.42	12068.60	9249.75	7466.56
पीबीटी	₹ करोड़	5429.08	6202.48	5463.69	4039.30	2950.58
पीएटी	₹ करोड़	3624.30	4212.44	3709.51	2609.32	1946.69
अंतरिम लाभांश	₹ करोड़	5983.16	1500.52	1006.56	400.02	500.00
प्रस्तावित लाभांश	₹ करोड़	-	1028.93	1219.99	1170.00	669.00
प्रतिधारित कमाई	₹ करोड़	3434.26	1209.03	1076.14	773.92	554.56
निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ	₹ करोड़	2788.58	2212.52	2048.05	2019.19	1589.69
निवल मूल्य	₹ करोड़	5563.42	8939.12	7674.42	6548.14	5769.60
दीघ अवधि ऋण	₹ करोड़	9.14	96.60	119.42	124.13	150.79
नियोजित पूँजी	₹ करोड़	14248.04	16208.23	14211.30	11704.47	5305.38
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	%	25%	26%	26%	22%	37%
मूल्य योग	₹ करोड़	9153.60	9206.31	8825.63	6945.30	5594.64
प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
प्रति शेयर बूक वैल्यु	₹	29846.53	47956.42	41171.58	35129.34	30952.64
प्रति शेयर लाभांश	₹	32098.34	13569.95	11944.95	8422.81	6271.43
प्रति शेयर कमाई	₹	19443.58	22598.82	19900.71	13998.43	10443.57

वर्ष 2013-14 में अकेले एमसीएल का कार्य निष्पादन

सकल मार्जिन/ सकल ब्लॉक	1.05
निवल लाभ/ निवल मूल्य(%)	0.65
सकल लाभ /नियोजित पूँजी (%)	0.38
सकल मार्जिन (₹ करोड़)	5713.15
निवल विक्रय(₹ करोड़)	9989.67
पीबीडीआईटी /कुल नियोजन(%)	0.26
निवल विक्रय द्वारा जुड़ा मूल्य(%)	0.96
वास्तविक रूप(वर्ष 2012-13 में प्रतिटन पर लागत का (%) उत्पादन लागत (₹./टी) में कमी)	536.70

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा परीक्षक	4
2.	नोटिस	7
3.	अध्यक्ष का अभिभाषण	8
4.	निदेशकों का प्रतिवेदन	14
5.	कार्पोरेट शासन प्रतिवेदन	95
6.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन	105
7.	भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार की टिप्पणी	111
8.	समझौता ज्ञापन मानदंडों के आधार पर कार्य निष्पादन प्रतिवेदन	114
9.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	115
10.	लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर प्रबंधन का जवाब	122
11.	31मार्च,2014 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र	131
12.	31मार्च,2014 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि विवरण	133
13.	तुलन पत्र एवं लाभ–हानि लेखा के अंश स्वरूप टिप्पणियां	134
14.	नगद प्रवाह का विवरण	187
15.	एमसीएल एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों की समेकित लेखा	189

वर्तमान प्रबंधन

(09.06.2014)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	श्री ए.एन.सहाय
कार्यकारी निदेशक	:	श्री ए.के.तिवारी निदेशक(तकनीकी/प्रचालन)
		श्री जे.पी.सिंह निदेशक(तक./यो.एवं परियो.)
		श्री पी.सी.पाणिग्राही निदेशक(कार्मिक)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	श्री एस.के.सिंह संयुक्त सचिव,कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
		श्री बी .के .सक्सेना निदेशक(विपणन), सीआईएल,कोलकाता
स्थायी आमंत्रित		श्री जी.डी.ब्रह्मा सीओएम, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
मुख्य वित्त अधिकारी	:	श्री एस.कन्नन
कंपनी सचिव	:	श्री ए. के. सिंह

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	श्री ए .एन .सहाय
कार्यकारी निदेशक	:	श्री ए. के. सिंह निदेशक(तक./यो.एवं परियो.) (17.06.2013 तक)
		श्री ए. के.तिवारी निदेशक(तकनीकी/प्रचालन)
		श्री के .बिस्वाल निदेशक (वित्त) (09.12.2013 तक)
		श्री जे.पी.सिंह निदेशक(तक./यो.एवं परियो.) (01.06.2013 से)
		श्री पी.सी.पाणिग्राही निदेशक (कार्मिक) (30.07.2013 से)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	श्री एस.के.सिंह संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
		श्री बी.के.सक्सेना निदेशक(विपणन), सीआईएल,कोलकाता
गैर-सरकारी अंशकालीन निदेशक	:	डॉ .ए के .रथ (27.04.2013 तक)
		श्री एम.बी.श्रीधरन (27.04.2013 तक)
		डॉ .अशोक कुमार (22.02.2014 तक)
		श्री अब्दुल कलाम (22.02.2014 तक)
स्थायी आमंत्रित	:	श्री जी. डी.ब्रह्मा, सीओएम, ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
मुख्य वित्त अधिकारी	:	श्री एस.कन्नन 24.12.2013 से
कंपनी सचिव	:	श्री ए .के .सिंह

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
यूको बैंक,
कैनरा बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
इंडियन ओवरसीज बैंक,
युनियन बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया,
आईसीआईसीआई बैंक,
आंध्रा बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा,
एक्सीस बैंक,
आईडीबीआई बैंक,
एचडीएफसी बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,
इलाहाबाद बैंक,
सिंडीकेट बैंक,
कार्पोरेशन बैंक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार,कटक

शाखा लेखा परीक्षक
मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर

लागत लेखा परीक्षक
मेसर्स निरान एंड कंपनी
लागत लेखाकार, भुवनेश्वर

शाखा लागत लेखा परीक्षक
मेसर्स मणि एंड कंपनी
लागत लेखाकार ,भुवनेश्वर

पंजीकृत कार्यालय
मो/.पो-.जागृति विहार,बुर्ला
संबलपुर- 768020 (ओड़िशा)
Website : www.mcl.gov.in

ମହାନଦୀ କୋଲ୍ ଫିଲଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड
Mahanadi Coalfields Limited
(A subsidiary of Coal India Limited)

Office of the Company Secretary
At/Po. Jagruti Vihar, Burla, MCL
Dist. Sambalpur – 768020 (Odisha)
CIN: U10102OR1992GOI003038
TeleFax No. 06632542977
Email id: cosecymcl@gmail.com
Website: www.mcl.gov.in

पत्रांक.सं. एमसीएल/एसबीपी/सीएस/एजीएम-22/2014/8002 Date : 03.06.2014

सूचना

22 वीं वार्षिक आम बैठक

सूचना दी जाती है महानदी कोलफील्डस लिमिटेड की 22 वीं वार्षिक आम बैठक इसके पंजीकृत कार्यालय, मो/.पोस्ट :जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020-में सोमवार दिनांक 9 जून 2014 ,को प्रात 11.00 :बजे निम्नलिखित कार्यों के उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाएगी ।

<u>सामान्य कार्य:</u>

1. 31 मार्च,2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना और उसे स्वीकार करना।
2. लाभांश की घोषणा करना।
3. संस्था की नियमावली की अनुच्छेद संख्या- 34 ई(iii) के अनुसार श्री शैलेश कुमार सिंह श्री बी .के .सक्सेना, निदेशक के स्थान पर, जो पुन :नियुक्ति के पात्र हैं, निदेशक नियुक्त करना।
4. बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयानुसार प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स, अधिकृत लेखाकार, भुवनेश्वर एवं शाखा लेखा परीक्षक मेसर्स एस.सी.एम.एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए नियुक्त किया गया था, के पारिश्रमिक की स्वीकृति देना ।

   "निदेशक मंडल के निर्णयानुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (1) 142 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि हों तो, उसके तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के कंपनी के लेखा की लेखापरीक्षा के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स, अधिकृत लेखाकार, भुवनेश्वर एवं शाखा लेखा परीक्षक मेसर्स एस.सी.एम .एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार के पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं जेबी खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति तथा भुगतान के लिए संकल्प लिया गया।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड
ह/-
(ए .के .सिंह)
कंपनी सचिव

<u>पंजीकृत कार्यालय:</u>
जागृति विहार,बुर्ला,संबलपुर- 768020

टिप्पणी:

1. बैठक में भाग लेने तथा अपने मतदान हेतु पात्र सदस्य अपने संस्थान पर बैठक में भाग लेकर मतदान देने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। उस प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 1956की धारा 101 (1)के प्रावधान के अनुसार अल्प अवधि की सूचना में बैठक बुलाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करें ।

अध्यक्ष का वक्तव्य

मित्रों,

ए . एन. सहाय

मुझे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 22वीं वार्षिक आम बैठक में आप का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। निदेशकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा और रिपोर्ट के साथ संयुक्त वर्ष 2013-14 के अंकेक्षित खाते पहले से ही आप को वितरित किए जा चुके हैं। आपकी अनुमति से, मैं यह मान लेना चाहता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कोयला 21वीं सदी में भी ऊर्जा परिदृश्य पर हावी है और भारत के कुल प्राथमिक ऊर्जा उत्पादन में 55% से अधिक का योगदान करता है। राष्ट्र एक कोयला उत्पादक के रूप में हम पर भरोसा करता है, अतः हम राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम खदान से बाजार तक की सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से कोयले के उत्पादन, ओबी, उत्पादकता, प्रेषण और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल में अन्य सभी भौतिक मापदंडों में समग्र उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करते हैं।

एमसीएल प्रदर्शन 2013-14 का अवलोकन:

आपकी कंपनी वर्ष 2013-14 के दौरान उल्लेखनीय प्रदर्शन करने में सक्षम रही है। यह तथ्य कि आपकी कंपनी ने हाल में विकास की बहुत मजबूत गति हासिल कर ली है, इस अवसर को बहुत खास बना देता है। कंपनी ने 110.440 लाख टन कोयला उत्पादन का रिकार्ड बनाया है और पिछले वर्ष की तुलना में 2.36% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि के दौरान एमसीएल से 114,34 मि.टन कोयला उठाव किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 2.13% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष के दौरान 96.03 एम.सीयूएम ओबी निकाला गया, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में 6.27% वृद्धि दर्शाई है।

देश में आर्थिक मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आर्थिक मंदी से आपकी कंपनी भी प्रभावित हुई थी। आपकी कंपनी ने आलोच्य वर्ष के लिए 13165.51 करोड़ रुपए की सकल बिक्री दर्ज की है और कर चुकाने के बाद 3624.30 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। आपकी कंपनी ने 1000.00 रुपए के अंकित मूल्य के प्रति शेयर के लिए पिछले वर्ष के दौरान प्रति इक्विटी शेयर 13,500.00 के लाभांश की तुलना में इस वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 32,098.35 रुपये के विशेष लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश के खाते में कुल बहिर्वाह 7000 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 5983.16 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में और सीआईएल को भुगतान किए गए लाभांश पर 1016.84 करोड़ रुपए का कर शामिल है।

समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान, प्रति मैनशिफ्ट आऊटपूट(ओएमएस) के अनुसार उत्पादकता में सुधार हुआ है। एमसीएल ने वर्ष 2012-13 के 16.07 टन की तुलना में 16.69 टन का ओएमएस हासिल किया है। यह विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि कोयले की बिक्री की प्राप्ति में निरंतर सुधार हुआ है 2013-14 के दौरान कुल प्राप्ति 13284.43 करोड़ रुपए थी, जो चालू वर्ष की सकल बिक्री पर 100.90% होता है।

1. परियोजना प्रोफाइल

एमसीएल में 48 स्वीकृत खनन परियोजनाएं हैं। 6147.33 करोड़ रुपये के स्वीकृत पूंजी परिव्यय के साथ इन स्वीकृत परियोजनाओं की अधिकतम उत्पादन क्षमता 202.81 एमटीवाई है, जिनमें से 33 परियोजनाओं को 2642.17 करोड़ रुपए के स्वीकृत पूंजी परिव्यय और 93.48 एमटीवाई की क्षमता के साथ पूरा किया गया है। पूरी की गई 33 परियोजनाओं में से, 2 (बालंडा ओसीपी और बसुंधरा पूर्व ओसीपी) समाप्त हो चुकी है। 3505.16.03 करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय के साथ 109.33 एमटीवाई की अंतिम क्षमता की 15 परियोजनाएं चल रही हैं। एक उन्नयनशील (आगे देखने वाली) कंपनी के रूप में, एमसीएल का मानना है कि इसे सीएचपी/सिलोज, आरएलएस, कंक्रीट परिवहन सड़क और रेलवे साइडिंग आदि की स्थापना कर अपनी बुनियादी संरचना के आधार को मजबूत करने की जरूरत है।

2. विविधीकरण

लाभ को अधिकतम करने और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा हमारे सभी हितधारकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए विविधीकरण और व्यापार के क्षितिज का विस्तार करने के हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूरी है। एमसीएल में परिवर्तन, हमारे संगठन और लोगों की दक्षताओं और क्षमताओं को संस्थागत करने, हमारे कारोबार के फैलाव और दक्षता का विस्तार करने और हमारे सभी हितधारकों के लिए मूल्य निर्मित करने तथा मूल्य सृजन के हमारे निरंतर पथ पर दोहन के अशेष अवसरों के लिए अपने आप को सुधारने से संबंधित है।

बसुंधरा, सुंदरगढ़ में कोयले के भंडार के लाभकारी उपयोग की दिशा में, आपकी कंपनी ने सुपर क्रिटिकल तकनीक के साथ 1600 (2X800) मेगावाट के कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की परिकल्पना की है। इस उद्देश्य के लिए गठित महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) ने बिजली संयंत्र की स्थापना की दिशा में कई मुकाम हासिल किए हैं। ईआईए अध्ययन पूरा हो चुका है और एमओसी द्वारा सिद्धांत के रूप में कोयला लिंकेज स्वीकार किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पहले ही बिजली परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए जल आवंटन के लिए ओडिशा सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) से संपर्क किया गया था। डब्ल्यूआरडी आवंटन के पहले चरण में, प्रस्तावित परियोजना के लिए 25 क्यूसेक जल उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है और शेष 25 क्यूसेक जल का आवंटन डब्ल्यूआरडी के विचाराधीन है। ईएमपी का प्रस्ताव सुनवाई और मंजूरी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना का अंतिम डीपीआर एफपीसीसी लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है। एमसीएल बोर्ड द्वारा पहले ही "सिद्धांत के रूप में" एमबीपीएल में 100% इक्विटी भागीदारी के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। बुधिपदार से वसुंधरा क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 220 किलोवाट विद्युत ट्रांसमीशन लाइन 2012-13 के दौरान चालू हो गई है, जिसने क्षेत्र को बिजली संकट से राहत दिलाई है। अब, वसुंधरा क्षेत्र में गर्जनबहल उप-स्टेशन से बिजली की अबाधित आपूर्ति हो रही है।

आपकी कंपनी ने ओड़िशा के राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ अधिशेष कोष के बेहतर उपयोग के लिए ओड़िशा राज्य में विद्युत ट्रांसमीशन कारोबार में कदम रखा है। तदनुसार, ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के साथ, नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनपीटीसीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति चिह्नित करने के लिए आपकी कंपनी 2014-15 की पहली तिमाही में आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर में 2 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रही है।

3. मूल्य द्वारा प्रबंधन

प्रक्रिया नवाचार और नई पहल किसी भी संगठन की सफलता के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। एमसीएल में हमने कोयले के उत्पादन से प्रेषण तक के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए हैं। एमसीएल संस्था निर्माण में अग्रणी है और जब सतह के खनन कर्मी या खरीद या अन्य ठेके के लिए टेंडर के ई-मोड की तैनाती करने की बात आती है तब यह कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों में विशेष दिखाई देती है। आपकी कंपनी असफल बोलीदाताओं /आपूर्तिकर्ताओं को बयाना राशि की ऑनलाइन स्वचालित वापसी शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि बयाना राशि (ईएमडी) की वापसी में देरी, आपूर्तिकर्ता/निविदादातओं के मनोबल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही थी 2013 के अक्टूबर के महीने में एक प्रणाली संचालित धन वापसी तंत्र आरंभ किया गया है। आपूर्तिकर्ताओं/ बोलीदाताओं को एक बार असफल घोषित किए जाने के बाद इस तंत्र द्वारा आपूर्तिकर्ताओं/ बोलीदाताओं को 65,68,214.00 रुपए की (15 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2014 तक) बयाना राशि स्वचालित रूप से वापस कर दी गई है।

3.1 उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता

एमसीएल ने अपनी पूरी मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किया है ताकि हर कीमत पर अपने ग्राहकों की संतुष्टि को बनाए रखा जा सके। खनन के परम्परागत तरीके को रणनीतिक रूप से नई प्रौद्योगिकियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, उच्च राख कोयले की किफायती धुलाई के आधार को बनाए रखने के लिए, वाशरीज (शोधनागारों) की स्थापना, प्रचालन और रख-रखाव के लिए एमसीएल ने गठन-प्रचालन और रखरखाव (बीओएम) के आधार पर 10.0 एमटीवाई प्रत्येक की 4 वाशरियों (शोधनागारों) यानी हिंगुलावाशरी, वसुंधरावाशरी, जगन्नाथवाशरी और लखनपुर में ईब वैली वाशरी स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह हमें अपने सम्मानीय उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता युक्त कोयले की आपूर्ति करने में सक्षम करेगा। सीएचपीज के माध्यम से कोयले की संभाल और धुलाई में प्रणालीगत परिवर्तन प्रत्याशित है और सिलोज रैकों में (-) 100मिमी कोयले के उचित मात्रा में तेज गति से लदान को सुनिश्चित करेंगे। कोयले के नमूनाकरण और जीसीवी निर्धारण के लिए 18 ऑटो बम कैलोरीमीटरों की खरीद के साथ बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया गया है।

वर्ष 2012-13 में, आपकी कंपनी की व्यापक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को 9001:2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ओएचएसएएस 18001:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली से मान्यता प्राप्त हुई है, जो सभी प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है। ये पद्धतियां प्रचलन में हैं और उत्कृष्टता की दिशा में योगदान कर रही हैं।

3.2 सुरक्षा

कंपनी की मुख्य क्षमताओं में से एक है 'सुरक्षित खनन', जिसे सुरक्षित तरीके और तकनीक के निरंतर व्यवहार के माध्यम से प्राप्त किया गया है । 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य के साथ, आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से हासिल किया जा सके, तैयारी करती है, योजना बनाती है और नियमित आधार पर अपने को सुसज्जित करती है तथा यह कर्मचारियों के अधिक उत्पादक बनने के लिए प्रेरक बल हो जाता है। वित्तीय वर्ष. 2013-14 के दौरान, घातक दुर्घटना का केवल एक मामला सूचित किया गया है। 'शून्य दुर्घटना' को प्राप्त करने के लिए कंपनी की ओर से किए जाने वाले गंभीर प्रयासों को दुर्घटनाओं में तेजी से आई कमी के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। इस दिशा में हमारे प्रयासों में अन्य बातों के साथ समुचित सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास उपलब्ध कराना और सुरक्षा से संबंधित अनुपालन की सख्त निगरानी शामिल हैं। आपकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए कठिन प्रयासरत है और किसी भी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों के साथ कभी समझौता नहीं करती।

इसके अलावा, खनन कार्य के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना पर काबू पाने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने सभी बचाव स्टेशनों को पूरी तरह से सुसज्जित किया है और पर्याप्त प्रशिक्षित बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षा और उत्पादकता को अलग नहीं किया जा सकता और यह कार्य स्थल पर उत्पादन और सुरक्षा के बीच एक अच्छा संतुलन कायम करने की कोशिश करती है।

3.3 निगमित प्रशासन(कार्पोरेट गवर्नेंस)

रिपोर्ट के अधीन वर्ष निगमित प्रशासन के संबंध में एक और उत्कृष्ट वर्ष रहा। डीपीई दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन को पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक रूप से प्रसारित और गहराई से निहित किया गया है। बोर्ड की सभी उपसमितियाँ जिन्हें विशिष्ट भूमिकाएं आवंटित की गई हैं, अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं और बोर्ड को आवश्यक समर्थन प्रदान कर रही हैं। तेजी से निर्णय लेने, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना से बोर्ड की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आपका बोर्ड कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके लिए अधिकतम संभव सीमा तक नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस विश्वास के साथ कि 'सुशासन' सफल कंपनियों की पहचान है, एमसीएल अपनी प्रणाली में कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने का प्रयास करती है।

3.4 दीर्घकालिक खनन

आपकी कंपनी इस क्षेत्र में एक 'ग्रीन चैंपियन" के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि बनाने के लिए कठिन प्रयास कर रही है। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि एमसीएल व्यवसायिक जिम्मेदारी की रिपोर्ट के रूप में जाने जाने वाले एक कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्ट के साथ सामने आने वाली भारत की पहली कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है।

इस साल कंपनी ने 'संसाधनों का दोहन प्रगति का दोहन" शीर्षक से अपनी दूसरी स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है। सर्वश्री ग्रीन इवानजेलिस्ट, बंगलौर द्वारा सक्षम यह रिपोर्ट विश्व स्तर पर स्वीकार किए जाने वाले जीआरआई 3.1 दिशा निर्देशों और जीआरआई के खनन और धातु क्षेत्र के पूरकों (एमएमएसएस) के अनुसार है, और अनुप्रयोग में बी स्तर के लिए जीआरआई की आवश्यकताओं की पुष्टि करती है।

रिपोर्ट में 20 से अधिक प्रमुख मानकों (सामाजिक, पर्यावरण, आर्थिक, मानव अधिकार, श्रम, इत्यादि पहलुओं को आवृत्त) के आंकड़ों को शामिल किया गया है और यह स्पष्ट रूप से अपने हितधारकों के प्रति एमसीएल की रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है और साथ ही यह भी दिखाती है कि यह आर्थिक प्रगति की अपनी राह पर कैसे पर्यावरण के मुद्दों और सामाजिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखते का इरादा रखती है।

सतत विकास (एसडी) के प्रति एमसीएल की दृढ़ प्रतिबद्धता फर्म की नींव को बदल रही है जो इसकी सभी गतिविधियों को चलाती है। एसडी पर डीपीई दिशा-निर्देशों को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और वर्षा जल संचयन, ऊर्जा संरक्षण, सौर विद्युत उत्पादन, गहन वनीकरण, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने की वजह से कार्बन पदचिह्न में कमी, आदि के माध्यम से कुछ चिंताजनक मुद्दों को संबोधित किया जा रहा है।

3.5 आर एंड आर

आपकी कंपनी अपनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए परियोजनाओं की वजह से प्रभावित/विस्थापित परिवारों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काफी प्रयास कर रही है और साथ ही सामाजिक विकास के साथ आर्थिक प्रगति के लिए भी प्रतिबद्ध है, जो इसकी आर एंड आर नीति में परिलक्षित होता है।

आपकी कंपनी ओडिशा राज्य की आर एवं आर नीति का पालन करती है और 2013-14 के दौरान 580 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा इसकी स्थापना के बाद से कुल 11445 लोगों को रोजगार दिया गया है। स्वस्थ सामुदायिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पक्की सड़कों, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, दैनिक बाजारों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों, पूजा स्थलों, आदि के साथ पुनर्वास बस्तियां स्थापित की गई हैं। एमसीएल सभी परिधीय ग्रामीणों को प्रति रोगी 2.00 रुपए के नाममात्र शुल्क पर अपने मौजूदा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में ओपीडी की सुविधा प्रदान करता है।

कंपनी ने पीएपी के लिए सहकारी समितियां, पुनर्वास के लिए अधिक मुआवजा, रोजगार के एवज में उच्च एकमुश्त राशि/वार्षिकी योजना जैसी कई नई योजनाएं भी शुरू की है

3.6 सीएसआर

एक कारपोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी, अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत है और 'समावेशी विकास' के राष्ट्रीय एजेंडे के समन्वयन में कॉर्पोरेट के आदर्श वाक्य 'परिवेश के साथ बढ़ने' की पुष्टि करती है। आपकी कंपनी का मानना है कि मेजबान समुदायों के साथ भरोसेमंद रिश्ता अधिक से अधिक संतुष्टि के साथ आपसी विकास की ओर ले जाता है। हर साल बजटीय आवंटन में वृद्धि के साथ बहु-गुणित की जा रही सीएसआर गतिविधियों के विस्तार के साथ एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी के रूप में एमसीएल का बेहतर ट्रैक रिकार्ड एक बार फिर से अच्छी तरह प्रमाणित हो रहा है।

एमसीएल, एक अच्छे कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, वर्ष 2010-11 से शुरू की गई अपनी स्पष्ट रूप से परिभाषित सीएसआर नीति के माध्यम से समाज के सबसे गरीब तबके के लाभार्थियों की अधिक संख्या को शामिल करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न कार्य आरंभ कर रही है।

अपनी स्थापना के बाद से, आपकी कंपनी ने जल आपूर्ति योजना, सार्वजनिक उपयोगिता सड़कों के निर्माण / मरम्मत, सामुदायिक केंद्रों, तट बांधों के निर्माण के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास, लड़कियों की शिक्षा, कमजोर वर्गों को प्रशिक्षण देने, बेरोजगार युवा/पीएपी के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण और निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा नियमित आधार पर मोबाइल चिकित्सा वैन के माध्यम से परिधीय गांवों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता देकर विभिन्न गतिविधियों को आरंभ किया है।

एमसीएल ने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, चर्चाएँ, सेमिनार आदि आयोजित करने के माध्यम से संवेदीकरण क्षमता निर्माण पर बल दिया है।

एमसीएल ने सीआईएल और एमसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर 111.48 करोड़ रुपये रुपये खर्च किए हैं। यह क़ानून के अनुसार 2% की अनिवार्य आवश्यकता के बदले कंपनी के 3,624.30 करोड़ रुपये के पीएटी का 3.08% होता है।

2013-14 में आरंभ की गई प्रमुख सीएसआर गतिविधियों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

- तालचेर यानी महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना जहाँ प्रति वर्ष 50 छात्रों को भर्ती लिया जा सके और 115 बिस्तरों के वर्तमान अस्पताल का 500 बिस्तरों वाले बहु-विशेषज्ञता (मल्टी स्पेशियलिटी) अस्पताल में रूपांतरण।
- बुर्ला के वीर सुरेन्द्र साइ प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला हॉस्टल में 1.69 करोड़ रुपये की लागत से, अतिरिक्त 2 मंजिलों का निर्माण।

- 2013 की गर्मियों के दौरान 5.89 करोड़ रुपये की लागत से 291 परिधीय गांवों व 18 नगर पालिका वार्डों में मोबाइल टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
- 26.9132 करोड़ रुपए की लागत से बालिंगा तपारिया रोड(ज़रीबी 2.24 किमी से 7 किलोमीटर पहले चरण में और ज़रीबी 7 किमी से15.70 किलोमीटर किमी दूसरे चरण में लिए और और ज़रीबी 15.70 किमी से 24.20 किमी तीसरे चरण में) को चौड़ा और मजबूत बनाने का काम चल रहा है।
- 4.79 लाख रुपए की लागत से सम्बलपुर विश्वविद्यालय के लिए 150 सीटों वाले महिला हॉस्टल का निर्माण।
- 5.00 करोड़ की लागत से बांध के हीराकुद की तरफ नेहरू पार्क से गांधी मीनार तक रोपवे परियोजना - जिला प्राधिकरण के माध्यम से।
- 14.76 करोड़ रुपए है की लागत से झारसुगुडा में स्टेडियम का निर्माण और 1.76 करोड़ रुपए की लागत से संतरी पोस्ट के साथ-साथ स्टेडियम की चारदीवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है- जिला प्राधिकरण के माध्यम से।
- जिला प्राधिकरण के माध्यम से 8.88 करोड़ रुपए की लागत से ब्रजराज नगर टाउन, झारसुगुदा की जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार।
- जिला प्राधिकरण के माध्यम से 7.20 करोड़ रुपए की लागत से झारसुगुदा टाउन में सामुदायिक केंद्र का निर्माण शुरू किया गया है।
- झारसुगुदा जिले के कोलाबिरा, लाइकेरिया, किरमिरा और झारसुगुदा ब्लॉक में, जिला प्राधिकरण के माध्यम से खेल, बिजली, संचार, पीने के पानी, शिक्षा, तालाबों की खुदाई, सामुदायिक उपयोगिता के निर्माण, वृक्षारोपण आदि के लिए 20.00 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य।
- जिला प्राधिकरण के माध्यम से 5.00 करोड़ रुपए की लागत से झारसुगुदा टाउन में एक नए बस स्टैंड का निर्माण।
- एमसीएल के सीएसआर खेल पहल के एक हिस्से के रूप में आईडीसीओ के साथ साझेदारी में 6.00 करोड़ रुपये की लागत से ओडिशा में हॉकी को बढ़ावा देना।
- एक 64 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए वीएसएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 4.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- उत्तराखंड राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास गतिविधियों के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5.00 करोड़ रुपए रुपये की वित्तीय सहायता।

4. अपेक्षा

हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार हम अपने संसाधनों और क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं उससे आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हमें और अधिक सफलता मिलेगी और लगातार ऐसा करने के द्वारा हम राष्ट्र की उम्मीद सहित अपने असंख्य हितधारकों की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं।

5. आभार

मैं कंपनी के सभी शेयरधारकों, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, सभी कर्मचारियों और उनकी यूनियनों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और मीडिया द्वारा समय पर समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

(ए. एन.सहाय)

अध्यक्ष- सह- प्रबंध निदेशक

सम्बलपुर

दिनांकः 03/6/14

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में
शेयरधारी,
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड,

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मंडल की तरफ से आपकी कंपनी की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपको कंपनी ने चहुंदिशा में उत्कृष्टता प्राप्त की है। उत्पादकता, कोयला उत्पादन, ओबी और प्रेषण में यह वर्ष भी सफल रहा।

2. संगठन

2.1 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड का कोयला भण्डार दो कोलफील्ड अर्थात तालचेर एवं ईब वैली में फैला हुआ है जिसमें सात छः (6) भूमिगत एवं सोलह (16) खुली परियोजनाओं सहित दस(10) कार्यरत क्षेत्र हैं। कार्यरत क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

क. तालचर कोलफील्ड

i) जगन्नाथ क्षेत्र
ii) भरतपुर क्षेत्र
iii) हिंगुला क्षेत्र
iv) लिंगराज क्षेत्र
v) कनिहा क्षेत्र
vi) तालचर क्षेत्र

ख. ईब कोलफील्ड

i) लखनपुर क्षेत्र
ii) ईब वैली क्षेत्र
iii) बासुंधरा-गर्जन बहाल क्षेत्र
iv) ओरिएंट क्षेत्र

2.2 इसके अतिरिक्त एमसीएल ने अभी हाल ही में तीन सहायक कंपनियों तथा एक संयुक्त उपक्रम की कंपनी की स्थापना की है जो इस प्रकार है:-

i) एमएनएच शक्ति लिमिटेड
ii) एमजेएसजे कोल लिमिटेड
iii) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एसपीवी)
iv) नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (जेवी)

3. कार्य निष्पादन की मुख्य विशेषताएं :

- कंपनी ने पिछले वर्ष की ₹ 13190.42 करोड़ की सकल बिक्री की तुलना में इस वर्ष ₹ 13165.51 करोड़ की बिक्री दर्ज की।
- पिछले वर्ष के 107.890 मिलियन टन कोयला उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 110.440 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया, पिछले वर्ष की तुलना में 2.36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- ओसी खदानों में प्रति मेनशिफ्ट आउटपुट (ओएमएस) यानी उत्पादकता 22.16 टन रही है जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.84 % अधिक है । भूमिगत खदानों को ओएमएस 0.84 टन है । वर्तमान वर्ष के लिए समग्र ओएमएस पिछले वर्ष के 16.07 टन की तुलना में 16.69 टन रहा है जो 3.86% की बढ़ोतरी को दर्शाता है।
- कम इ-ऑक्सन के चलते मूल्य में कमी हुई। वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ ₹ 5429.08 करोड़ है जबकि पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ 6202.48 करोड़ था, इसमें 12.47 % की नकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- कंपनी पिछले नौ वर्षों से सतत रूप से लाभांश का भुगतान कर रही है। ₹ 5983.16 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान इक्विटी शेयर केपिटल पर किया गया है। इस प्रकार से पिछले वर्ष में भुगतान किए गए लाभांश की तुलना में वर्तमान वर्ष में भुगतान किए गए लाभांश में ₹ 3453.71 करोड़ की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

4. उत्पादन कार्य-निष्पादन :

(क) पिछले वर्ष के लक्ष्य एवं उपलब्धि की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए एमसीएल का उत्पादन निष्पादन निम्नानुसार है :

(आंकडे मिलियन टन में)

एमसीएल का उत्पादन	2013-14		2012-13		लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि का %
(i) कोयला (मिलि.टन में)	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक		
खुली खदान	118.00	109.01	109.55	106.22	92.4	2.63
भूमिगत	2.00	1.43	2.45	1.68	71.6	-14.64
कुल(ओसी+यूजी)	120.00	110.440	112.00	107.895	92.0	2.36
(ii) ओबीआर (मि.क्यू.मीटर)	109.75	96.028	105.00	90.361	87.5	6.27

(ख) गत पॉच वर्षों (2013-14 सहित) में एमसीएल के उत्पादन का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :

(i) एमसीएल का कुल कोयला उत्पादन(ऑकड़े मिलियन टन में) :

वित्त वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि		लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %
			समूचा	प्रतिशत	
2009-10	109.3	104.08	7.74	8.04	95.2
2010-11	116.75	100.28	-3.80	-3.65	85.9
2011-12	106.0	103.12	2.84	2.83	97.3
2012-13	112.0	107.895	4.78	4.63	96.3
2013-14	120.0	110.440	2.55	2.36	92.0

(ii) सरफेस माइनर के द्वारा कोयला उत्पादन (ऑकड़े मिलियन टन में) :

वित्त वर्ष	उत्पादन	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि		कुल कोयला उत्पादन में सरफेस माइनर के हिस्से का %
		समूचा	प्रतिशत	
2009-10	50.52	6.32	14.3	48.5
2010-11	54.92	4.39	8.7	54.8
2011-12	59.13	4.21	7.7	57.3
2012-13	73.83	14.71	24.9	68.4
2013-14	86.46	12.63	17.1	78.3

(iii) एमसीएल में ओबी विस्थापन (ऑकड़े मिलियन घनमीटर में) :

वित्त वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि		लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %
			समूचा	प्रतिशत	
2009-10	86.00	66.07	14.22	27.43	76.8
2010-11	74.00	88.70	22.63	34.25	119.9
2011-12	100.00	85.67	-3.04	-3.42	85.7
2012-13	105.00	90.421	4.75	5.55	86.1
2013-14	109.75	96.03	5.61	6.20	87.5

ईसी की अनुपलब्धता कोयला उत्पादन एवं ओबी रिमुवल के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा इसका मुख्य कारण भूमि, आरएण्डआर तथा पर्यावरण/वन मंजूरी से संबंधित समस्याएं रही हैं। लखनपुर ओसीपी, (15 एमटीवाई से 20.0 एमटीवाई) के कारण कोयला उत्पादन सीमित रहा। लाजकुरा ओसीपी का उत्पादन बढ़ी क्षमता (2.5 एमटीवाई से 3.0 एमटीवाई उत्पादन), एसपीसीबी, भुवनेश्वर से प्रचालन की अनुमति मिलने में विलंब के कारण प्रभावित हुआ। भुवनेश्वरी ओसीपी का कोयला उत्पादन भी 20.0 एमटीवाई से 25.0 एमटीवाई की ईसी से पावती में विलंब के कारण प्रभावित हुआ। रामपुर कोयला-खान का उत्पादन सुरक्षा कारणों, तालचर खदान में कार्यकारी समस्याओं और नंदिरा खदान में प्रतिकूल भू-खदान स्थितियों के कारण दिनांक 27.6.2013 से बंद कर दिया गया। इन सभी कारणों से भूमिगत उत्पादन का नकारात्मक विकास हुआ। ओबी हटाने का लक्ष्य मुख्यत: नए सरकारी दिशा-निर्दोशों के कारण फरवरी / मार्च 2014 में विस्फोटों की कमी, भरतपुर ओसीपी में वानिकी अनुमति समस्या, ओबी लिंगराज ओसीपी के ओबी संविदा को अंतिम रुप देने में विलंब, ओबी डम्प स्लाईड के कारण 10/8/2013 से 09/11/2013 तक कुलडा ओसीपी के रूकना है।

विगत वर्ष का तुलना में 2013-14 में कोयला उत्पादन की समग्र वृद्धि 2.36% है और ओबीआर की 6.27% है, तथापि भूमिगत कोयला उत्पादन का उपरोक्त वर्णित कारणों से 14.64 % की नकारात्मक वृद्धि हुई।

5. उत्पादकता:

5.1 आपकी कंपनी ने भी उत्पादकता अर्थात आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस) की निम्नानुसार उपलब्धि प्राप्त की:

(ऑकड़े टन/मैनशिफ्ट में)

उत्पादकता (टन)	2013-14		2012-13	लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का %	गतवर्ष की तुलना में वृद्धि का %
	लक्ष्य एएपी	वास्तविक	वास्तविक		
खुली खदान	22.64	22.16	21.34	97.88	3.84
भुमिगत	1.08	0.84	0.97	77.78	-13.40
समग्र	16.87	16.69	16.07	98.93	3.86

5.2 वर्ष 14-2013 के दौरान प्रणाली क्षमता उपयोग 68.55 है।

6. एचईएमएम की संख्या एवं कार्य निष्पादन:

6.1 एचईएमएम की उपलब्धता एवं उपयोग हेतु सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि के साथ एचईएमएम की कुल संख्या का विवरण नीचे दिया गया है।

i. % उपलब्धता एवं उपयोगिता की उपलब्धि का प्रतिशत (ऑकड़े पूर्णांक में):

क्र.सं.	उपकरण	संख्या		उपलब्धता का %			उपयोगिता का %		
		31.03.14 को	31.03.13 को	अप्रैल,13 से मार्च,14 तक	अप्रैल,12 से मार्च, 13 तक	सीएमपीडीआईएल मानक	अप्रैल,13 से मार्च,14 तक	अप्रैल,12 से मार्च, 13 तक	सीएमपीडीआईएल मानक
1	ड्रैगलाईन	4	5	83	74	85	41	57	73
2	शॉवेल	87	79	71	75	80	35	37	58
3	डम्पर	363	385	71	75	67	28	26	50
4	डोजर	116	118	64	67	70	27	27	45
5	ड्रील	94	94	87	86	78	23	31	40
	कुल	**664**	**681**						

ii. कार्य घंटे की उपलब्धि :

क्र. सं.	उपकरण	कार्य घंटे	
		2013-14	2012-13
1	ड्रैगलाईन	15762	19042
2	शॉवेल	205866	214990
3	डम्पर	634669	665504
4	डोजर	208471	215920
5	ड्रील	91773	111173

iii. (क) पिछले वर्ष इसी अवधि में सोवेल, ड्रेगलाइन एवं डोजर की उपलब्धता में कमी आई है क्योंकि सोवेल एवं ड्रेगलाइन्स काफी पुरानी है। स्थापना के समय से ही उच्चतर क्षमता वाले बीई 1600 मॉडल के बीईएमएल सोवेल्स तथा प्रोमट्रेक्टर डोजर कम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में सोवेल, डम्पर एवं ड्रील के मामलों में उपयोगिता घटी है तथा इसका मुख्य कारण ओसीपी में भूमि की अनुपलब्धता, संचालन में कुशल व्यक्तियों की कमी तथा अनुरक्षण, गर्मियों एवं मानसून अवधियों के दौरान कार्य घंटों का प्रतिबंध रहा है ।

iv. *उपलब्धता तथा उपयोगिता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदम*

1. मुख्य एचईएमएम का समय पर सर्वे ऑफ तथा ऑफ सर्वे किए गए उपकरणों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए खरीद की कार्रवाई समय पर करना।
2. भूमि अधिग्रहण, कानून और सुव्यवस्था की समस्याओं पर एमसीएल प्रबंधन विभिन्न मंचों पर विचार करता है।
3. संचालन एवं अनुरक्षण के लिए विशेष तौर पर तकनीकी कौशल को बढ़ाने हेतु नए मॉडल के उपकरणों पर ओईएम द्वारा नियमित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
4. मानसून अवधि से पूर्व हाल सड़कों का रख-रखाव।
5. संचालकों के आराम के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए एचईएमएम, जिनकी खरीद की जा रही है, को वातानुकूलित केबिन में स्थापित किया गया है। जल्दी खराब होने वाले एचईएमएम को भी वातानुकूलित यंत्रों के साथ फिट किया जा रहा है।
6. उच्चतर उत्पादकता के लिए प्रोत्साहन स्कीम को लागू किया गया है।
7. एचईएमएम से प्रतिदिन उत्पादन तथा उनके कार्य घंटों का मुख्यालय स्तर पर गहन निरीक्षण किया जा रहा है।
8. लिंगराज, भरतपुर एवं बलराम ओसीपी में ओआईटीडीएस को लागू करना।
9. आपातकाल में प्रतिस्थापित करने के लिए सीडब्ल्यूएस में विभिन्न फ्लोट की सब-एसेम्बली जैसे इंजन, परिषण आदि का रख-रखाव।

v. एचईएमएम की खराबी की स्थिति :

उपकरण	संख्या		3 माह से अधिक समय तक खराबी	
	31.03.14 के अनुसार	31.03.13 के अनुसार	31.03.14 के अनुसार	31.03.13 के अनुसार
	4	5	0	0
	87	79	06	07
	363	385	64	40
	116	118	20	18
	94	94	05	16
	664	681	95	81

vi. कैंद्रीय कर्मशाला में लगाये गये उपकरण :

क्षेत्र	वर्ष	
	2013-14	2012-13
केंद्रीय कर्मशाला(तालचर)	01	00
केंद्रीय कर्मशाला(ईब वैली)	09	00
कुल	10	00

7. क्षमता उपयोग (खुली खदान परियोजनाएं)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के 01 अप्रैल पर आधारित क्षमता		गत वर्ष की तुलना में वृद्धि
		2013-14	2012-13	
1	विभागीय क्षमता(मिलियन क्यूबिक मीटर)	94.41	96.25	-1.91%
2	पद्धति क्षमता (मिलियन क्यूबिक मीटर)	235.18	203.91	15.33%
3	विभागीय उत्पादन(मिलियन क्यूबिक मीटर)	55.013	56.732	-3.03%
4	कुल उत्पादन (मिलियन क्यूबिक मीटर)	161.47	155.77	3.66%
5	विभागीय क्षमता की उपयोगिता	58%	59%	-1.00%
6	पद्धति क्षमता की उपयोगिता	68.66%	72.6%	-3.94%

8. विद्युत :

8.1 तालचर कोयला क्षेत्र : 31.0 एमवीए की करार मांग के साथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ ओड़िशा के नियंत्रण क्षेत्र के तहत ग्रीडको के अंगुल सब-स्टेशन से एक 11 किलोमीटर लंबी 132 केवी दोहरी सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन के जरिए नंदिरा के 3 X20 एमवीए, 132 / 33 केवी ग्रीड सब-स्टेशन को विद्युत प्राप्त होती है ।

8.2 ईब वैली कोयला क्षेत्र: 22.25 एमवीए की करार मांग के साथ वेस्को के नियंत्रण क्षेत्र के तहत ग्रीडकों के बुढ़ीपदर सब-स्टेशन से एक 19 किलोमीटर लंबी 132 केवी दोहरी सर्क्रिट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन के जरिए जोराबगा के 3 X 20 एमवीए, 132 / 33 केवी ग्रीड सब-स्टेशन को विद्युत प्राप्त होती है।

8.3 बसुन्धरा कोयला क्षेत्र : वेस्को के साथ 5 एमवीए की करार मांग के साथ 220 केवी के जरिए बसुन्धरा क्षेत्र को बुढीपदर सब –स्टेशन से विद्युत प्राप्त होती है । बसुन्धरा के 3/20 एमवीए,220/33 केवी सब–स्टेशन का एक ट्रांसफार्मर 22.11.2012 को चालू हुआ। द्वितीय ट्रांसफार्मर अगस्त 2014 तक लगाये जाने की संभावना है । ग्रीडको के बुढीपदर सब –स्टेशन (39 कि.मी) से बासुन्धरा सब-स्टेशन को जोड़नेवाली 220 केवी एकल सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन मेसर्स ओपीटीसीएल द्वारा जमा कार्य के आधार पर इरेक्ट तथा चार्ज की गई है।

8.4 विद्युत की उपलब्धता :

मदें	2013-14	2012-13
करार मांग(एमवीए)	59.650	59.65
सर्वाधिक मांग(एमवीए)	58.44	56.21
(वित्तीय वर्ष के दौरान एक माह में अधिकतम)		
ऊर्जा की खपत(मिलियन किलोवाट)	292.76	307.33
विशेष ऊर्जा खपत(किलोवाट/टन)	2.65	2.85
ऊर्जा बिल प्रदत्त (करोड़ रुपये में)	169.10	168.17

9. एमसीएल के बड़े भूमिगत उपकरणों की संख्या :

9.1 गतवर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान भूमिगत उपकरणों की संख्या एवं उनकी उपलब्धता इस प्रकार है:

क्र.सं.	उपकरणों के नाम	रोल में उपलब्ध सं.		2013-2014		2012-2013	
		2013-14	2012-13	उपलब्धता का %	उपयोगिता का %	उपलब्धता का %	उपयोगिता का %
1	वाईन्डर	6	6	83.33	65.12	83.33	69.00
2	हॉलेज(मेन)	29	29	93.10	65.12	93.10	69.00
3	एसडीएल *	19	21	74.67	25.35	78.25	25.90
4	एलएचडी *	29	32	64.78	35.20	73.22	45.68
5	मेन पंप	52	49	80.77	65.12	93.88	69.00
6	वेन्टीलेशन पंखा	12	13	91.67	65.12	100.00	69.00
7	बेल्ट कान्वेयर	71	79	88.73	65.12	98.7	69.00
8	ट्रांसफोर्मर्स(विद्युत)	79	84	79.75	65.12	97.6	69.00
9	लोकोमोटिव	5	5	100	65.12	80.0	69.00
10	कोल ड्रिल	102	89	71.57	65.12	78.65	69.00
11	माईन कार	60	76	83.33	65.12	85.0	69.00

वर्ष 2012-13 के लिए

वास्तविक भूमिगत उत्पादन – *16.78302* लाख टन
उत्पादन लक्ष्य – *24.500* लाख टन

$$\text{उपलब्धता का \%} = \frac{\text{उपलब्ध उपकरण}}{\text{रोल में उपकरण}} \times 100$$

वर्ष 2013-14 के लिए

वास्तविक भूमिगत उत्पादन –14.32679 लाख टन
भूमिगत उत्पादन लक्ष्य – *22.000* लाख टन

$$\text{उपयोगिता \%} = \frac{\text{वास्तविक उत्पादन}}{\text{लक्ष्य उत्पादन}} \times 100$$

सीआईएल के मानकों के तहत अपनाया गया फामूर्ला:

$$\text{उपलब्धता का \%} = \frac{\text{एच डब्लू + एच आई}}{\text{एचएस}} \times 100$$

जहाँ –
एचडब्लू – प्रतिवर्ष वास्तविक कार्यघंटे,
एचआई – प्रतिवर्ष अनुरक्षण घंटे एवं
एचएस- प्रतिवर्ष शिफ्ट घंटे ।

$$\text{उपयोगिता का \%} = \frac{\text{एचडब्लू}}{\text{एचएस}} \times 100$$

जहाँ –
एचडब्लू – प्रतिवर्ष वास्तविक कार्यघंटे, एवं
एचएस- प्रतिवर्ष शिफ्ट घंटे ।

9.2 कोल हैंडलिंग प्लांटों एवं वे-ब्रीजों की संख्या एवं उनका कार्य-संचालन:

2012 -13 के 17.014 मिलियन टन चूर्ण कोयले कोल के सीएचपी द्वारा प्रेषण की तुलना में 2013-14 वर्ष में 15.903मिलियन टन चूर्ण कोयले का प्रेषण हुआ।

	2013-2014		2012-2013	
	क्रशिंग क्षमता एमटीवाई में	सीएचपी द्वारा कोयले का प्रेषण(एमटीई)	क्रशिंग क्षमता एमटीवाई में	सीएचपी द्वारा कोयले का प्रेषण(एमटीई)
कोल हैंडलिंग प्लांट/फीडर ब्रेकर	41.50	15.903	41.50	17.014
संयंत्र की क्रशिंग क्षमता के उपयोग का %		38.32 %	41.00 %	

सीएचपी द्वारा चूर्ण कोयले के प्रेषण में कमी सर्फेस माइनर से चूर्ण कोयले की उपलब्धता के कारण है।

9.2.1 इन सीएचपीओं के संचालन कार्यस्थल:

बड़े सीएचपी:

सीएचपी का स्थान	क्षमता(एमटीवाई में)	सीएचपी का स्थान
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	2.0
भरतपुर	भरतपुर ओसीपी	3.5
कुल:		**5.50**

9.2.2 छोटे सीएचपी/फीडर ब्रेकर:

क्षेत्र	सीएचपी का स्थान	क्षमता(एमटीवाई में)
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	4.0
	अनंता ओसीपी	7.0
हिंगुला	हिंगुला ओसीपी	2.0
	बलराम ओसीपी	4.0
ईब वैली	लजकुरा ओसीपी	2.0
	समलेश्वरी ओसीपी	5.0
लखनपुर	बेलपहाड़ ओसीपी	2.0
लिंगराज	लिंगराज ओसीपी	7.0
बसुन्धरा	बसुन्धरा ओसीपी	1.0
	कुल्दा ओसीपी	2.0
कुल		**36.0**

भरतपुर साइडिंग और अनंता साइडिंग पर सीएचपी और साइलो लोडिंग व्यवस्था का निर्माण कार्य प्रगति में है। भरतपुर सीएचपी के अक्तूबर 2014 ,में स्थापित होने की आशा है। लिंगराज में एसआईएलओ लोडिंग व्यवस्था सहित कोयला संचालन सयंत्र हेतु निविदा कार्रवाई प्रगति पर है।

9.3 वे-ब्रीजों का विवरण:

क्र.सं.	वे-ब्रीजों के प्रकार	2013-14	2012-13
1	रोड वे-ब्रीज(इलैक्ट्रोनिक)	**113**	**77**
2	रेल वे-ब्रीज(इलैक्ट्रोनिक)	**32**	**32**
3	वर्ष के दौरान वजन का प्रतिशत(रेल द्वारा)	**99.02**	**98.77**
4	वर्ष के दौरान वजन का प्रतिशत(समग्र वजन)	**99.37**	**99.25**

उपभोक्ताओं को प्रेषित कुल कोयले में से 2012-13 के 99.25 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में 99.37 प्रतिशत का वजन किया गया जिसमें 0.121 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष रेल से होने वाले प्रेषण में वर्ष 2012-13 के 98.77 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2013-14 में 99.02 प्रतिशत कोयले का वजन किया गया जिसमें 0.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मापन की 100 % सुनिश्चितता के लिए 100 टी के 40 इन-मोशन रोड वे-ब्रिज का आर्डर दिया गया। आर्डर किए गए सभी 40 वे-ब्रिज प्राप्त हुए और 2013-14 के दौरान 29 वे-ब्रिज संचालित किए गए और शेष 11 वे-ब्रिज संचालन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ये वे-ब्रिज आरएफआईडी प्रणाली से सज्जित हैं।

- 29 इन-मोशन वे-ब्रिज 2013-14 में संचालित किए गए।
- एमसीएल मुख्यालय में वर्ष 2013-14 में संपोषणीय विकास हेतु सोलर पीवी परियोजना की स्थापना , चट्टानी भू-भाग,को समतल करने में विलंब होने के कारण ,पूर्ण नहीं हो सके और अब इसके 15 जून , 2014तक संचालित होने की आशा है।

10. पूंजीगत संरचना :

दिनांक 31.3.2014 के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹ 500 करोड़ बनी रही, जो प्रत्येक ₹ 100 की 2958200 समतुल्य शेयर एवं प्रत्येक ₹ 1000 की 2041800 के 10 प्रतिशत संचयी परिशोध्य प्राथमिक शेयर में विभाजित है ।

दिनांक 31.3.2014 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त समतुल्य शेयर पूँजी ₹ 186.40 करोड़ रुपये में अपरिवर्तित रही। समस्त समतुल्य शेयर पूँजी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं इसकी नॉमितों द्वारा नियंत्रित होती है ।

11. वित्तीय समीक्षा:

कंपनी ने पिछले वर्ष के कुल ₹ 13190.42 करोड़ के सकल कारोबार की तुलना में चालू वर्ष में अब तक के सर्वाधिक ₹ 13165.61 करोड़ का सकल रिकार्ड कारोबार किया है । गतवर्ष के ₹ 6202.48 करोड़ का कर पूर्व लाभ घटकर ₹ 5429.08 करोड़ हुआ है । वर्ष का कर पश्चात लाभ ₹ 3624.30 करोड़ है। वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2012-13
कुल लाभ (ह्रास एवं ब्याज के पूर्व)	5713.15	6447.97
घटाव : ह्रास(सामाजिक मद मूल्य ह्रास समेत)	269.18	240.52
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	14.89	4.97
कर पूर्व निवल लाभ	5429.08	6202.48
घटाव: आयकर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर दायिता	1804.78	1990.04
कर पश्चात निवल लाभ	3624.30	4212.44
घटाव : सामान्य आरक्षित में अंतरित	362.43	421.24
सीएसआर आरक्षित में अंतरित	53.95	51.56
दीर्घकालिक विकास में अंतरित	4.61	4.11
समतुल्य शेयर पर अंतरिम लाभांश	5983.16	1500.52
समतुल्य शेयर पर प्रस्तावित लाभांश	-	1028.93
लाभांश पर कर	1016.84	418.29
उपरोक्त विनियोग के पश्चात लाभ:	**-3796.69**	**787.79**

11.1 आरक्षित को स्थानांतरण:

चालू वर्ष के कर पश्चात लाभ के 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 362.43 करोड़ की राशि को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार वर्ष के दौरान सीएसआर आरक्षित में ₹ 53.95 करोड़ अंतरित किए हैं एवं वर्ष के दौरान उपगत वास्तविक खर्च (₹111.48 करोड़) को सीएसआर आरक्षित से सामान्य आरक्षित में अंतरित कर दिया गया है। कंपनी की दीर्घकालिक विकास आरक्षित नीति के अनुसार ₹ 4.61 करोड़ की राशि दीर्घकालिक विकास आरक्षित में अंतरित कर दी गई है और वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक खर्च (अर्थात ₹ 0.11 करोड़) के समकक्ष राशि को दीर्घकालिक विकास आरक्षित से सामान्य आरक्षित में अंतरित कर दिया गया है।

11.2 लाभांश:

निदेशकों ने चालू वर्ष के लिए प्रदत्त समतुल्य शेयर पूँजी के 3209.85 प्रतिशत (गतवर्ष 1357. 00प्रतिशत) ₹ 5983.16 करोड़ (अंतरिम लाभांश) के लिए आपके अनुमोदनार्थ सिफारिश की है।

लाभांश पर कुल भुगतान ₹ 7000.00 करोड़ होंगे जिसमें ₹ 5983. 16करोड़ लाभांश के रूप में एवं ₹ 1016. 84 करोड़ लाभांश के कर के रूप में होंगे।

11.3 अप्रतिभूति ऋण:

कोल इंडिया लिमिटेड एवं मेसर्स लिभेर फ्रांस एसए, फ्रांस को दिनांक 31.03.2014 को देय राशि ₹9.75 करोड़ थी, जिसमें से ₹9.75 करोड़ का ऋण स्थगित जमा पर चार हाइड्रोलिक शॉवेल की आपूर्ति से संबंधित है और आईबीआरडी तथा जेबीआई से संबंधित अप्रतिभूत ऋण 31.03.2014 को (पुनर्भुगतान के बाद निवल) शून्य है।

12. निवेश:

12.1 राज्य विद्युत बोर्डों से वर्ष 2003-04 के दौरान हुए त्रिपक्षीय समझौतों के तहत कंपनी को ₹344.32 करोड़ का 8.5प्रतिशत करमुक्त पावर बॉड (अनुद्धृत लंबी अवधि निवेश) दिनांक 30.9.2001 तक के बकाया के बदले तीन राज्य विद्युत बोर्डों) (एमएसईबी,टीएनईबी एवं डब्लूबीपीडीसीएल) से प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान ₹ 22.71 करोड़ (गतवर्ष ₹ 22.70 करोड़) का परिशोधन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 31.03.2014 को ₹ 45.40 करोड़ का बकाया रहा।

12.2 एमसीएल की अनुषंगी कंपनी एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड और एमबीपीएल के इक्विटी शेयर में गैर चालू निवेश क्रमशः ₹ 59.57 करोड़, ₹ 57.06 करोड़ एवं ₹. 0.05 करोड़ का है।

12.3 आईआरएफसी करमुक्त 2021 श्रृंखला के 7.55 प्रतिशत आरक्षित गैर-परिवर्तनीय 79 बांड, आईआरएफसी 8 प्रतिशत आरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड, आईआरएफसी करमुक्त आरक्षित गैर-परिवर्तनीय बांड, आरईसी के 7.22 प्रतिशत आरक्षित विमोचनीय करमुक्त बांड में 31.03.2014 को गैर-चालू निवेश क्रमशः ₹.200.00 करोड़, ₹108.75 करोड़, ₹ 499.95 करोड़ और ₹ 150.00 करोड़ था।

13. पूँजीगत व्यय:

पिछले वर्ष के ₹.531.56 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान₹ 876.84 करोड़ का पूँजीगत व्यय किया गया है।

14. विक्रय वसूली:

वर्ष 2013-14 के दौरान एमसीएल का सकल विक्रय कारोबार गतवर्ष 2012-13 के ₹.13190. 42 करोड़ की तुलना में ₹ .13165.61 करोड़ रहा ।

वर्ष 2013-14 के दौरान सकल विक्रय के 100.90 प्रतिशत अर्थात ₹ 13284.43 करोड़ की वसूली हुई।

15. राजकोष को भुगतान

आपकी कंपनी केंद्रीय तथा राज्य राजकोष का प्रमुख अंशदानकारी बनी रही।

पिछले वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष के दौरान रॉयल्टी, विक्रय कर, स्टोईंग उत्पाद शुल्क एवं प्रवेश कर आदि के बाबत कंपनी द्वारा किया गया भुगतान इस प्रकार रहा :

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2012-13
रॉयल्टी	1330.30	1225.06
विक्रय कर/ ओड़िशा वैट	499.22	520.40
स्टोईंग उत्पाद शुल्क	114.98	110.63
प्रवेश कर	62.19	71.95
स्वच्छ ऊर्जा सेस	578.15	602.04
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	548.00	685.87
कुल	**3132.84**	**3215.95**

16. परियोजना का निर्माण/ पूँजीगत परियोजनाएँ

16.1 योजना :

एमसीएल ने वर्ष **2013-14** के दौरान **120.00** मिलियन टन कोयले के उत्पादन की योजना बनाई है । वर्ष **2013-14** में आकलित पूँजीगत लागत ₹ 500 करोड़ होगी जिसका अधिकांश भाग हैवी अर्थ मूविंग मशीन (एचईएमएम) की खरीद, भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च होगा।

16.2 अनुसंधान एवं विकास

वर्ष के दौरान प्रारंभ दो अध्ययन की स्थिति इस प्रकार है: (i) एमसीएल मुख्यालय में संपोषणीय विकास हेतु सौर पीवी परियोजना की स्थापना: स्थापना कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि स्थल चट्टानी भूभाग है जिसे तैयार करने में विलंब हुआ (ii) भरतपुर ओसीपी में, जल में अम्लता का अध्ययन और औद्योगिक / घरेलू प्रयोग हेतु इसका शोधन : सीएमपीडीआईएल रांची ने इसका अध्ययन किया और जनवरी, 2014 में प्रस्तुत किया।

16.3 नवाचार पद्धतियां

वर्ष 2013-14 में तीन नवाचार पद्धतियां प्रारंभ की गईं (i) एमसीएल में परिवहन प्रणाली में सुधार हेतु अध्ययन-दोनों कोयलांचलों में अध्ययन किया गया और नवंबर,2013 में पूर्ण किया गया (ii) परियोजनाओं के खनन पद्धतियां क्षेत्र के मानचित्रों का डिजिटिकरण- चार ओसीपी अर्थात अनंता ओसीपी, लिंगराज ओसीपी और भुवनेश्वरी ओसीपी के मानचित्रों का डिजिटिकरण का कार्य वर्ष 2013-14 में पूर्ण हो गया (iii) तालचर और ईब कोयलांचल के रेल और सड़क नेटर्वक का

डिजिटिकरण (ट्रंक लाईन से विभिन्न साइडिंग)- दोनों कोयलांचलों का रेल और सड़क नेटर्वक का डिजिटिकरण वर्ष 2013-14 में पूर्ण हो गया।

16.4 परियोजना संकल्पना

वित्तीय वर्ष 2013-14 में सीएमपीडीआईएल ने निम्नलिखित परियोजना रिपोर्ट तैयार की (i) गोपालजी-कनिहा विस्तार ओसीपी 30 एमटीवाई (ii) कुल्डा विस्तार ओसीपी 15 एमटीवाई (iii) जगन्नाथ ओसीपी पुनर्गठन 6 एमटीवाई (iv) समलेश्वरी विस्तार ओसीपी 20 एमटीवाई (v) बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार ओसीपी 7 एमटीवाई। एक परियोजना रिपोर्ट अर्थात (i) सिआरमल ओसीपी को एमसीएल बोर्ड ने 07.03.2014 को हुई 156वीं बैठक में अनुमोदन किया।

16.5 परियोजना कार्यान्वयन

वर्ष 2013-14 में सिआरमल खुली खदान परियोजना का एमसीएल बोर्ड की भुवनेश्वर में 07/03/2014 को हुई बैठक में अनुमोदन हुआ। वर्ष 2013-14 में दो परियोजना पूर्ण हुई अर्थात लाजकुरा ओसीपी जिसका अनुमोदन 05/02/2014को हुई 155वीं बोर्ड की बैठक में हुआ था और समलेश्वरी ओसीपी जिसका एमसीएल के निदेशक मंडल ने 07/03/2014 को हुई 156वीं बैठक में अनुमोदन किया था। वर्ष 2013-14 में सीबीए की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचित कुल भूमि 665.40 हैक्टेयर है और कब्जे में ली गई कुल भूमि 341.456 हैक्टेयर है। एमसीएल का कुल पूंजीगत व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 876.84 करोड़ है जबकि लक्ष्य ₹ 500.00 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप 175.37 प्रतिशत की उपलब्धि हुई। सीआईएल ने वर्ष 2013-14 में सभी अनुषंगियों हेतु उद्यम जोखिम प्रबंधन कार्य का फरवरी, 2014 माह में ठेका दिया। वर्ष 2013-14 में सभी प्रतिवर्ष 2.0 एमटी से अधिक उत्पादन करने वाली ₹ 100.00 करोड़ से अधिक लागत की 14 परियोजनाएं थीं। मास्टर नियंत्रण नेटर्वक अप्रैल 2013 में पूर्ण हुआ।

वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित प्रमुख परियोजना कार्यकलाप/मील के पत्थर (एमओएसपीआई) परियोजनाएं प्रारंभ हुई और उनके निष्पादन निम्नानुसार हैः

- ग्राम बांकीबहाल कुल्डा पुनर्वास और पुनस्थापन वर्ष 2013-14 में पूर्ण नहीं हुआ।
- हिंगुला ओसीः सीबीए अधिनियम के अंतर्गत 665.41 हैक्टेयर भूमि हेतु धारा 11 (1) के अंतर्गत अधिसूचनाः अधिसूचना 17/4/2013 को क्षेत्र को भेजी गई।
- 18 एमटीवाई का भुवनेश्वरी ओसीपी कोयला उत्पादनः वर्ष13-14 में 24.447एमटी हुआ।
- कनिहा द्वारा एमजीआर के द्वारा 2 एमटीवाई का प्रेषण अक्टूबर में एमजीआर द्वारा 2 मि.टन से अधिक,2.333 मि.टन प्रेषण किया गया।
- वर्ष 2013-14 के दौरान(01.02.2014 को प्रस्ताव एडिशनल पीसीसीएफ(नोडल) ओडिशा सरकार,भुवनेश्वर के पास अगसारित किया गया था) तलाबीरा ओसीपी एमएनएच शक्ति (संयुक्त उद्यम) के लिए प्रथम चरण के (वन क्लीयरेंश/वानिकी अनुमति) की औपचारिकताऐं पूरी की गई।
- गोपाल प्रसाद ओसीपीः उत्कल-ए ब्लॉक की 410.22 हैक्टेयर भूमि की पूर्णता की सीबीए अधिनियम की 11(1) की अधिसूचना जो दिनांक 02.11.13 के एसओ संख्या 2314 में प्रकाशित हुई।
- अनंता ओसीः वर्ष 2013-14 में 224.730 हैक्टेयर वन भूमि की वानिकी चरण-1 वानिकी अनुमति प्राप्त नहीं हई।
- बलराम ओसीः ग्राम कलामछुई हेतु पुर्नवास व पुर्नस्थापन स्थल का विकास वर्ष 2013-14 के दौरान नहीं हुआ।

चालू परियोजनाओं के निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप/मील के पत्थर (एमओएसपीआई) के वर्ष 2013-14 के किए गए कार्यों और उनका निष्पादन निम्नानुसार हैः

- समलेश्वरी ओसी चरण-1 वानिकी अनुमति के अनुपालन की प्रस्तुति नवंबर, 2013 में प्राप्त हुईः प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली को 29.11.13 को भेजा गया।
- लिंगराज ओसी 20.00 एमटीवाई हेतु ईएमपी अनुमति के आवेदन की प्रस्तुति (सर्वाधिक मामलाः वर्ष 2013-14 में प्राप्त नही हुई)
- लाजकुरा ओसी विस्तारः 147.56 हैक्टेयर वन भूमि हेतु चरण-1 वानिकी अनुमति वर्ष 2013-14 में प्राप्त नही हुई।
- भरतपुर ओसीः चरण-11 वानिकी अनुमति 07.02.2013 को प्राप्त हुई।
- बेलपहाड़ ओसीपीः चरण-11 वानिकी अनुमति वर्ष 2013-14 में प्राप्त नही हुई।
- सफेस माईनर द्वारा कुल कोयला उत्पादन का प्रतिशतः सफेस माईनर ने कुल कोयला उत्पादन का 78.29% हासिल किया।
- भुवनेश्वरी ओसीपी में ग्राम नरहरिपुर का स्थानंतरणः फरवरी, 2014 तक 93.82% स्थांनातरित।
- नवीनीकृत/उन्नत किए गए रेलवे साइडिंग की संख्याः ईब वैली कोयलांचल की 8 साइडिंग का कार्य 2013-14 में पूर्ण हुआ।
- खदानों से साइडिंग तक सभी मौसमों में कोयला परिवहन कार्य हेतु ठेका देनाः वर्ष 2013-14 में तालचर कोयलांचल की विभिन्न परियोजनाओं में कोयला परिवहन सड़क में 22.58 किलोमीटर की कंक्रीट परत का ठेका दिया गया।

16.6 पूंजीगत परियोजनाएं/स्कीम

एमसीएल में 48 स्वीकृत खनन परियोजनाएं हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की अधिकतम उत्पादन क्षमता 202.81 एमटीवाई है। रुपए 6147.33 करोड़ के स्वीकृत पूंजी परिव्यय में से 33 पूर्ण हो गई है जिनकी क्षमता 93.48 एमटीवाई है और स्वीकृत पूंजी परिव्यय रुपए 2642. 17 करोड़ है। पूर्ण 33 परियोजनाओं में से 2 (बलांडा ओसीपी और बासुंधरा-पूर्व ओसीपी)खाली हो गई हैं। चालू परियोजनाएं 15 हैं जिनका पूंजी परिव्यय रुपए 3505.16 करोड़ है और क्षमता 109.33 एमटीवाई है।

16.7 पूर्ण परियोजनाओं की संख्या : 33

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूँजीगत परिव्यय (₹ करोड़ में)	पूर्ण होने की तिथि
तालचेर कोलफील्ड्स				
1.	अनंता ओ/सी	4.00	156.49	मार्च 1995
2.	अनंता ओ/सी विस्तार, चरण-I	1.50	46.99	मार्च 1997
3.	अनंता ओ/सी विस्तार, चरण-II	6.50	35.88	मार्च 2007
4.	बलंडा ओ/सी (रिक्त हुआ)	1.00	36.87	मार्च 1984
5.	बलराम ओ/सी (पहले कलिंग ओसीपी)	8.00	345.96	मार्च 2000
6.	भरतपुर ओ/सी	3.50	158.97 (आरसीई)	मार्च 1991

7.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण-I	1.50	48.02	मार्च 1998
8.	छेडिपदा ओ/सी	0.35	19.75	मार्च 2007
9.	हिंगुला-II ओ/सी	2.00	48.57	मार्च 2002
10.	हिंगुला-II ओ/सी विस्तार,चरण-I	2.00	89.78	मार्च 2009
11.	हिंगुला-II ओ/सी विस्तार,चरण-II	4.00	35.67	मार्च 2009
12.	जगन्नाथ ओ/सी,जगन्नाथ विस्तार	4.00	66.71/4.71	मार्च 1991
13.	जगन्नाथ ओ/सी विस्तार,चरण-II	2.00	4.95	मार्च 2008
14.	लिंगराज ओ/सी	5.00	229.84	मार्च 1998
15.	लिंगराज ओ/सी विस्तार, चरण-I	5.00	98.89	मार्च 2007
16.	लिंगराज ओ/सी विस्तार, चरण-II	3.00	2.18	मार्च 2008
17.	नंदिरा यूजी (वृद्धियुक्त)	0.33	17.95	मार्च 1995
उप जोड़ *(रिक्त खदानों के अलावे)*		**52.68**	**1411.31**	
ईब वैली कोलफील्ड्स				
18.	बेलपहाड़ ओ/सी	2.00	131.31 (आरसीई)	मार्च 1994
19.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार,चरण-I	1.50	35.47	मार्च 2007
20.	लजकुरा ओ/सी	1.00	38.98 (आरसीई)	मार्च 1991
21.	लखनपुर ओ/सी	5.00	221.51	मार्च 2000
22.	लजकुरा ओसीपी विस्तार,चरण-I	1.50	60.77 (आरसीई)	मार्च 2013
23.	लखनपुर ओ/सी विस्तार,चरण-I	5.00	98.74	मार्च 2010
24.	लखनपुर ओसीपी विस्तार,चरण-II	5.00	116.54	मार्च 2011
25.	लिलारी ओ/सी	0.80	19.78	मार्च 1992
26.	समलेश्वरी ओ/सी	3.00	126.85	मार्च 1996
27.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण-I	1.00	28.69	मार्च 2007
28.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण-II	1.00	13.38	मार्च 2007
29.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार, चरण-III	2.00	87.95	मार्च 2009
30.	बासुंधरा (पूर्व) ओ/सी *	5.00	27.82	मार्च 2013
31.	बासुंधरा (पश्चिम) ओ/सी	0.60	19.69	मार्च 1998
32.	बासुंधरा (पश्चिम) ओ/सी विस्तार	2.40	176.55	मार्च 2007
33.	बासुंधरा (पश्चिम)विस्तार चरण-I	4.60	46.52	मार्च 2011
उप जोड़ *(रिक्त खदानों के अलावे)*		**40.80**	**1230.86**	
कुल *(रिक्त खदानों के अलावे)*		**93.48**	**2642.17**	

16.8 चालू परियोजनाओं की संख्या : 15

क्र.सं	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूँजी (₹ करोड़ रु. में)	पीआर अनुमोदन की तिथि
तालचर कोलफील्ड्स				
1	अंनता ओसीपी विस्तार,चरण-III	3.00	207.28	31.08.2008
2	भरतपुर ओसीपी विस्तार,चरण-II	6.00	95.87	29.03.2003
3	भरतपुर ओसीपी विस्तार,चरण-III	9.00	131.39	12.02.2007
4	बलराम ओसीपी विस्तार	8.00 *	172.08	22.12.2007
5	भुवनेश्वरी ओसीपी	20.00	490.10	22.12.2007
6	# गोपाल प्रसाद ओसीपी,एमजेएसजे कोल लिमिटेड-जेवी कंपनी (एमसीएल का 60% शेयर)	15.00	395.87	09.02.2008
7	हिंगुला -II ओसीपी विस्तार,चरण-III	7.00	479.53	08.11.2008
8	लिंगराज ओसी विस्तार, चरण-III	3.00	52.25	06.02.2010
9	जगन्नाथ यू/जी	0.67	80.75	15.10.2001
10	कनिहा ओसीपी	10.00	457.77	22.12.2007
11	नटराज यू/जी	0.64	92.11	30.01.2001
12	तालचर(पश्चिम) यू/जी	0.52	85.08	18.02.2002
	उप-जोड़	**74.83**	**2740.08**	
ईब वैली कोलफील्ड्स				
13	कुल्दा ओसीपी	10.00	302.96	12.01.2005
14	तलबीरा ओसीपी, एमएनएच शक्ति लिमिटेड-संयुक्त उद्यम कंपनी (एमसीएल का 70% हिस्सा)	20.00	447.72	29.03.2008
15	बेलपहाड़ ओ/पी विस्तार, चरण-II	4.50	14.40	04.02.2011
	उप-जोड़	**34.50**	**765.08**	
	कुल (चालू संपत्तियां)	**109.33**	**3505.16**	
	कुल जोड़ *(रिक्त खदानों के अलावे)*	**202.81**	**6147.33**	

* यह मूल बलराम ओसी-(8.00 एमटीवाई) परियोजना का विस्तार है जिसमें अतिरिक्त क्षेत्र शामिल हैं । अतः क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी ।

16.9 वर्तमान पुरानी भूमिगत खानेः 06

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सीएमपीडीआईएल द्वारा आंकलित क्षमता एमटीवाई में (एमटी/वाईआर)	
		2012-13.	2013-14.
1	हिमगिर रामपुर कोयला-खदान	0.245	0.245
2	हीराखंड बुंदिया खदान	0.612	0.551
3	ओरियंट खदान-1 एवं 2	0.490	0.490
4	ओरियंट खदान-3	0.612	0.643
5	ओरियंट खदान 4	0.061	0.061
6	तालचर यू/जी	0.323	0.329

16.10 भावी परियोजनाएं : - 04

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिकतम क्षमता (एमटीवाई)	टिप्पणी
1.	बलराम विस्तार ओसीपी	15.00	एमसीएल बोर्ड द्वारा पीआर का 31.03.2012को सैद्वांतिक अनुरोध
2.	एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी	30.00	एमसीएल बोर्ड द्वारा पीआर का 05.12.2012 को सैद्वांतिक अनुरोध
3.	गर्जन बहाल ओसीपी	10.00	एमसीएल बोर्ड द्वारा पीआर का 05.12.2012 को सैद्वांतिक अनुरोध
4.	सिआरमल ओसीपी	40.00	एमसीएल बोर्ड द्वारा पीआर का 07.03.2014 को सैद्वांतिक अनुरोध

16.11 निम्नलिखित परियाजनाएं वर्ष 2013-14 में तैयार की गईः

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीवाई)	पूंजी (रुपए करोड़ों)	टिप्पणी
1.	गोपालजी – कानिहा विस्तार ओसीपी	30 एमटीवाई	विभागीय:2545.97 आउटसोर्सिंग :1116.62	एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्ट का अभी अनुरोध किया जान है
2.	कुल्डा विस्तार ओसीपी	15 एमटीवाई	विभागीय: 500.59 आउटसोर्सिंग :289.03	एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्ट का अभी अनुरोध किया जाना है
3.	जगन्नाथ ओसीपी पुनगर्ठन	6 एमटीवाई	विभागीय: 337.66 आउटसोर्सिंग :226.08	एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्ट का अभी अनुरोध किया जान है
4.	समलेश्वरी विस्तार ओसीपी	20 एमटीवाई	वार-I(विभागीय):4873.52 वार –II (आउटसोर्सिंग)	एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्ट का अभी

			:1115.21 वार -III(आंशिक ओबी आउटसोर्सिंग और शेष ओबी और कोयला विभाग): 1838.99	अनुरोध किया जान है
5.	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार ओसीपी	7 एमटीवाई	वार -I(विभागीय):479.15 वार -II(ओबी आउटसोर्सिंग व कोलया विभागीय) :335.69	एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्ट का अभी अनुरोध किया जान है

16.12 गैर-खनन परियोजनाएँ :

क. <u>एमसीएल में पूर्ण प्रमुख गैर -खनन परियोजनाए:</u>

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तिथि	स्वीकृत पूँजी (₹ करोड़ में)
1.	केंद्रीय कर्मशाला,ईब वैली	11/8/89	13.32
2.	बिजली आपूर्ति योजना,चरण-I,ईब वैली	22/8/91	33.35
3.	आंचलिक भंडार,ईब वैली	26/11/85	3.33
4.	प्रशिक्षण(उत्खनन) संस्थान,ईब वैली	13/7/89	5.25
5.	जलापूर्ति योजना, ईब वैली	19/7/91	4.83
6.	केंद्रीय अस्पताल,तालचर	8/5/87	14.28
7.	केंद्रीय कर्मशाला,तालचर	25/3/89	17.83
8.	एकीकृत दूरसंचार प्रणाली ,तालचर	26/4/91	2.90
9.	एकीकृत दूरसंचार प्रणाली,ईब वैली	26/4/91	2.37
10.	विद्युत आपूर्ति योजना , तालचर, चरण-1	25/3/89	19.98
11.	जलापूर्ति योजना,तालचर ,चरण-I	11/1/83	5.83
12.	केंद्रीय कर्मशाला, ईब वैली का विस्तार	22/3/00	21.37 (वृद्धियुक्त)
13.	कर्मशाला, ईब वैली का विस्तार	22/3/00	10.66 (वृद्धियुक्त)
14.	तालचर कोयलांचल के लिए एकीकृत जलापूर्ति योजना,चरण-II	06/05/91	7.88
15.	वर्तमान जगन्नाथ स्पर 3 एवं 4 को कलिंग सीपीपी से जोड़नेवाली रेलवे लाईन का निर्माण ।	13/11/98	11.18
16.	भरतपुर सीपीपी यार्ड के शेष पड़े रेलवे लाईन निर्माण कार्य एवं साउथ बलंडा कनेक्शन तथा साउथ बलंडा यार्ड का रिमोडेलिंग ।	13/11/98	13.81
17.	ईब वैली और तालचर कोयलांचल (2 पीआर) परियोजनाओं के लिए अरटेरियल रोड ।	02/03/90	17.80 +19.90
18.	बसुन्धरा क्षेत्र में सुन्दरगढ़ से दुदका चौक तक की सड़क को चौड़ा एवं मजबूत बनाना ।	22/02/99	31.33

ख . एमसीएल की महत्वपूर्ण कार्यशील गैर-खनन परियोजनाऍं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूँजीगत परिव्यय (₹ करोड़ में)
1.	बलिंगा-हिमगीर-बेलपहाड़ सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार।	42.32
2.	तालचर कोलफील्ड्स में 18 मीटर चौड़ी एवं 41.5 मीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण।	251.35
3.	सुन्दरगढ़ जिले में बंकीबहाल से भेडाबहाल तक (एसएच-10 पर) 4 लेन समर्पित कोयला कोरीडोर का निर्माण।	385.00
4.	लिंगराज ओसीपी की चैक पोस्ट से एनएच-200 तक 01 फ्लाईओवर व 01 आरओबी सहित 2.30 कि.मी. लंबी डाईवर्जन सड़क का निर्माण।	136.00
5.	तालचर में घंटपारा ग्राम के नजदीक लेवल क्रोसिंग पर आरओबी का निर्माण।	37.50
6.	बांकीबहाल से कनिहा रेलवे साइडिंग तक 2 लेन से 4 लेन तक सड़क को चौड़ा करना। लंबाई-27 कि.मी.	162.00
7.	साइडिंग की ओर जाने वाली, 5 वर्ष से अधिक पुरानी, खान परिसर के अंदर बासुंधरा गर्जनबहाल क्षेत्र में सभी सीटी सड़कों का कंक्रीट के साथ निर्माण किया जाना है।	22.96
8.	साइडिंग की ओर जाने वाली, 5 वर्ष से अधिक पुरानी, खान परिसर के अंदर ईब कोलफील्ड्स क्षेत्र में सभी सीटी सड़कों का कंक्रीट के साथ निर्माण किया जाना है।	94.22
9.	साइडिंग की ओर जाने वाली, 5 वर्ष से अधिक पुरानी, खान परिसर के अंदर तालचर क्षेत्र में सभी सीटी सड़कों का कंक्रीट के साथ निर्माण किया जाना है।	179.00
10.	लाजकुरा वेल्कम गेट से खान 3 जंक्शन तक 3.7 कि.मी. लंबी बाईपास सड़क का निर्माण।	35.56
11.	बूंदिया खान से एनएच 200 को जोड़ने वाली 12.54 कि.मी. लंबी सीटी सड़क का कंक्रीट निर्माण।	135.29
12.	अनंता स्पर साइडिंग V और VI पर 15 मि. टन प्रतिबर्ष के लिए साइलो व्यवस्था।	237.56
13.	लिंगराज ओसीपी पर 16 मि.टन प्रतिवर्ष के लिए साइलो लोडिंग व्यवस्था।	198.66
14.	बसुंधरा वाशरी (10 एमटीवाई) के लिए कुल्दा ओसीपी पर साइलो डिस्पैच का निर्माण।	35.96
15.	रेल आधारभूत परियोजना गोपालपुर ट्रेक,	469.68
16	उत्तर दिशा की ओर हिमगिर रेलवे साईडिंग पर द्वितीय रेलवे साइडिंग का निर्माण।	12.66

17	अनगुल स्टेशन से कलिंग सीपीपी तक रेलवे साइडिंग कार्य।	99.00
18	बीओएम (निर्मित'कार्यरत-अनुरक्षित) आधार पर बसुन्धरा वाशरी(10.00 एमटीवाई)	165.79
19	जगन्नाथ वाशरी (10.00 एमटीवाई) का बीओएम आधार पर निर्माण एवं स्थापना।	160.70
20	ईब वैली वाशरी) एमटीवाई (10 का निर्माण और बीओएम आधार पर प्रचालन।	181.00
21	हिंगुला वाशरी (10.00 एमटीवाई) का निर्माण और बीओएम आधार पर प्रचालन।	181.00
22	तालचर स्टेशन पर एनटीपीसी साइडिंग के जरिए वर्तमान लिंगराज ओसीपी से अस्थायी संबद्धता	12.52
23	तालचर और पाराद्वीप पत्तन के बीच स्वाचालित सिगनलिंग प्रणाली	63.23
24	पूर्वी कंपनी रेलवे द्वारा तालचर में पहुंच लाईन को दुगना करना	18.59
25	सिकंदराबाद रेलवे द्वारा एमसीएल के लखनपुर क्षेत्र में बीओसीएम 6 एवं 7 साइडिंग का विकास	27.16
	कुल	**3344.70**

16.13 विदेशी सहयोग : शून्य

16.14 आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी समावेश

क. उच्च क्षमता के एचईएमएम जैसे 10 घनमीटर एवं 20 घनमीटर शावल 100टी एवं 170 टी डम्पर्स, 770 एचपी डोजर्स इत्यादि की अभिकल्पना अभी हाल ही में संस्वीकृत परियोजना रिपोर्टों में की गई है।

ख. एमसीएल की विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं में सतत खनन को लागू जाने का प्रस्ताव है । एचबीआई खान में इसको लागू करने के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ग. एमसीएल सतही खानों में खानों को खोदने के लिए तथा कोयला प्राप्त करने के लिए विस्फोटरोधी प्रौद्योगिकी लागू करने में अग्रणी है। अब अधिभार (ओबी) को हटाने के लिए रिपर डोजर को लागू करने की अभिकल्पना की गई है।

घ. एमसीएल ने तालचेर भूमिगत खान की विशेषताओं का अध्ययन करने तथा इस पर पर्यावरण प्रभाव एवं बलंडा खुले उत्खनन में फ्लाईऐश भरने से भूमिगत जल पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भू-तकनीकी अध्ययन कार्य शुरू किया है।

ङ. तीव्र लोडिंग प्रणाली के साथ साइलो एमसीएल की सभी मुख्य खुली परियोजनाओं (ओसीपी) में लागू की जा रही है।

च. ईब कोलफील्ड में चार भूमिगत खानों में पहले ही मेनराइडिंग प्रणाली लागू कर दी गई है तथा इसे तालचर कोलफील्ड की अन्य खानों में भी लागू किया जाएगा।

छ. एमसीएल ने 10.00 एमटीवाई क्षमता की चार वाशरिज निर्मित करने की योजना बनाई है जिनमें दो तालचर कोलफील्ड, एक ईब वैली कोलफील्ड तथा एक ईब कोलफील्ड के बासुंधरा क्षेत्र में होगी। इन वाशरिज के निर्माण का कार्य बीओएम (निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण) आधार पर किया जाएगा। एमसीएल बोर्ड द्वारा इन सभी वाशरिज की तकनीकी आर्थिक संभावना रिपोर्टें अनुमोदित कर दी गई हैं।

16.15 सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए लंबित परियोजनाएँ: शून्य

16.16 वर्ष 2013-14 के दौरान भू-अधिग्रहण :

(ऑकड़े हेक्टेयर में)

क्षेत्र	काश्तकारी		सरकारी गैर-वन		वन भूमि		कुल अधिग्रहण	कुल कब्जा
	अधिग्रहण	कब्जा	अधिग्रहण	कब्जा	अधिग्रहण	कब्जा		
जगन्नाथ	0.000	31.000	0.000	0.000	0.000	8.000	0.000	39.000
हिंगुला	0.000	158.687	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	158.687
भरतपुर	370.843	0.000	159.425	0.000	68.498	0.000	598.766	0.000
लिंगराज	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
कनिहा	0.000	80.830	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80.830
ईब वैली	0.000	0.250	0.000	25.317	0.000	0.000	0.000	25.567
लखनपुर	0.000	31.162	0.000	0.000	0.000	5.265	0.000	36.427
बसुंधरा एवं गर्जनबहाल क्षेत्र	0.000	0.945	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.945
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
कुल	**370.843**	**302.874**	**159.425**	**25.317**	**68.498**	**13.265**	**598.766**	**341.456**

16.17 (बीओएम) आधार पर वाशरिज स्थापित, प्रचालित और अनुरक्षित रखने की स्थितिः

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उच्च ऐश वाले कोयले की कम लागत में धुलाई हेतु बीओएम आधार पर वाशरिज स्थापित करने संबंधी निर्णय के अनुसार एमसीएल ने बीओएम आधार पर 10.0 एमटीवाई क्षमता के साथ चार वाशरिज अर्थात बासुंधरा, ईब वैली, जगन्नाथ एवं हिंगुला वाशरिज स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:

क) हिंगुला वाशरीः

(i) सीआईएल द्वारा बोलीदाताओं की योग्याताओं का निर्धारण नवंबर 2010 में एकसमान केंद्रीयकृत योग्यताओं हेतु अनुरोध (सीसीआरएफक्यू)के आधार पर किया गया था।

(ii) अक्तूबर 2012 में खोली गयी आरएफपी बोली में प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(iii) मूल्य बोली सितंबर 2013 में खोली गयी।

(iv) निम्नतम बोलीदाता चिन्हित किया गया और एमसीएल बोर्ड ने नवंबर 2013 इसका अनुमोदन किया।

(v) पर्यावणीय और अन्य संविधिक अनुमति प्राप्त करने में एमसीएल को आवश्यक सहायता/समर्थन प्रदान करने हेतु "निम्नतम बोलीदाता" को दिसंबर 2013 में मंशा-पत्र दिया गया।

(vi) एमओईएफ ने हिंगुला वाशरी के लिए जनवरी 2014 में टीओआर जारी किया।

(vii) सीएमपीडीआई द्वारा तैयार किए गए मसौदा संविदा करार की एमसीएल जांच कर रहा है।

(viii) बोली के अनुसार, निम्नतम बोलीदाता को कार्य का ठेका पर्यावणीय अनुमति प्राप्त होने के बाद जारी किया जा सकता है।

(ख) बसुंधरा वाशरीः

i) बसुंधरा वाशरी के लिए अप्रैल 2013 में 5 बोलीदाता योग्य थे।
ii) आरएफपी बोली मई 2013 में जारी हुई।
iii) आरएफपी बोली में प्राप्त तीन प्रस्तावों के तकनीकी-वणिजियक भाग को सितंबर 2013 में खोला गया।
iv) मूल्य बोली मार्च 2014 में खोली गयी,वित्तीय मूल्यांकन प्रगति में है।
v) पर्यावणीय अनुमति के लिए प्रपत्र-1 एमओईएफ को नवंबर 2013 में प्रस्तुत किया गया।
vi) ईओआर के लिए ईएसी बैठक मार्च 2014 में निर्धारित है।

(ग) जगन्नाथ वाशरीः

i) जगन्नाथ वाशरी के लिए अप्रैल 2013 में 4 बोलीदाता योग्य थे।
ii) सीएमपीडीआई ने धुलाई परीक्षण करने के लिए जनवरी 2014 में भुवनेश्वरी ओसीपी के कोयले के नमूने एकत्रित किए।
iii) संपर्क खदान के कच्चे कोयले के नए धुलाई परीक्षण वाली संशोधित अवधारणा रिपोर्ट को वाशरी हेतु प्रस्तावित भूमि के प्रत्यक्ष कब्जे के बाद अंतिम रुप दिया जाना है।
iv) सीएमपीडीआई द्वारा तैयार किए गए ई-टैंडर प्रक्रिया में मसौदा आरएफपी दस्तावेज पर टिप्पणियां सीएमपीडीआई को समेकन हेतु फरवरी 2014 में भेजी गयी।

(घ) लखनपुर में ईब वैली वाशरीः

i) सीआईएल द्वारा बोलीदाताओं की योग्याताओं का निर्धारण नवंबर 2010 में एक समान केंद्रीयकृत योग्यताओं हेतु अनुरोध (सीसीआरएफक्यू)के आधार पर किया गया था।
ii) सीएमपीडीआई ने ईब वैली वाशरी की संपर्क खदानों के कच्चे कोयले के नमूनों का नया धुलाई परीक्षण करने का अनुरोध किया है।
iii) संपर्क खदानों के कच्चे कोयले के नए धुलाई परीक्षण करने और भूमि के प्रत्यक्ष कब्जे के बाद संशोधित अवधारणा रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रुप दिया जाएगा।

17. भू-गर्भीय अन्वेषण :

विवरण	2012-2013	2013-2014	
	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1. सीआईएल ब्लाकों में कुल ड्रीलिंग(मीटर में)	27800*	31000	11374.00

*वन अनुमति की अनुपलब्धता और कुछ गैर- सीआईएल/केपटिव ब्लॉकों में प्राथमिक ड्रिलिंग के कारण सीआईएल ब्लॉकों में लक्ष्य के अनुरूप ड्रिलिंग नहीं हो सकी।

18. पर्यावरण प्रबंधन

18.1 दीर्घकालिक विकास(एसडी):

"केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीयता" पर सार्वजनिक लोक उद्यम के 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार एमसीएल ने 2013-14 के समझौता ज्ञापन में शामिल निम्नलिखित परियोजनाएं की हैं :

18.1.1 एसडी पर प्रशिक्षण/कार्यशाला

संपोषणीयता विकास की अवधारणा और एमसीएल किस प्रकार एसडी के वांछित लक्ष्य प्राप्त कर सकती है, के प्रति कर्मचारियों को जागरुक करने हेतु एमसीएल में वर्ष के दौरान छह (06) एक दिवसीय संगोष्ठी/ कार्यशाला आयोजित की गई जिनमें 226 कार्यपालकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रमों का आयोजन (का) एमटीआई,एमसीएल,मुख्यालय (ख)एमईईटीआई, तालचर कोलफील्ड और (ग) बीटीआई, ईब वैली कोलफील्ड में किया गया

18.1.2 कार्बन फुटप्रिंट घटाने हेतु उत्पाद/सेवाएं/प्रक्रियाएः

18.1.2.1 पर्यावरण-अनुकुल सर्फेस माइनर के अंगीकरण के कारण कार्बन फुटप्रिंट में कमी:

एमसीएल ने वर्ष 2013-14 के दौरान कोयले के कुल 110.439 मिलियन टन उत्पादन में से सर्फेस माइनर के जरिए 86.46 मिलियन टन कोयला उत्पदित किया जो पर्यालरण-अनुकुल सर्फेस माइनर के जरिए कोयला उत्पादन 78.29 % है। सर्फेस माइनर कोयला उत्पादन में ज्योंकि ड्रिलिंग, विस्फोटन, चूर्ण प्रचालन पूर्ण रुप से समाप्त हो जाते है और राख में औसतन 4% की कमी आती है, परिणामी सीओ 2 की कमी को कंप्यूट किया गया है जो 10,00,82,540.8 किलोग्राम अथवा लगभग 1,000 लाख किलोग्राम आता है।

18.1.2.2 रक्षारोपण के कारण कार्बन फुटप्रिंट में कमी:

एमसीएल मुख्यालय और ओरियंट क्षेत्र में 90 वाट की 453 एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाई गयी हैं। जगन्नाथ क्षेत्र में 45 वाट की 60 स्ट्रीट लाईट लगाई गयी हैं। जगन्नांथ क्षेत्र, एमसीएल, मुख्यालय और ओरियंट क्षेत्र में 19 वाट की 5956 एलईडी टयूब लाईट लगाई गयी हैं। एमसीएल मुख्यालय में 10 वाट की 500 एलईडी टयूब लाईट लगाई गयी हैं। कुल बचत 1,39,319 यूनिट (किलोवाट) की हुई जिससे कार्बन फुट प्रिंट में लगभग 60 लाख केजी की कमी आयी।

18.1.2.3 एलईडी लैम्प लगाने के कारण कार्बन फुटप्रिंट में कमी:

एमसीएल में सत्यापित रिकार्ड के अनुसार अभी तक 47.9 लाख रक्षारोपण किए गए हैं। इसमें प्राकृतिक प्रक्रिया से पुनः लगे वृक्ष शामिल नहीं हैं। एक वृक्ष से 15 से 25 केजी/वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का अनुमान है और 20 केजी / वृक्ष/ के औसत अनुमान से सीओ$_2$ की कुल कमी 958 लाख केजी प्रति वर्ष होगी।

18.1.2.4 सीएचपी की इंडक्शन मोटर एवं फीडर ब्रेकर सर्किट के साथ एनर्जी सेवर सॉफ्ट स्टार्टर,विद्युत फैक्टर सुधार उपाय:

विद्युत फैक्टर सुधार उपाय के कार्यकलापों के अंतर्गत मार्च 2014 में 2x300 केवीकेआर विद्युत कैपेसिटर की आपूर्ति हुई और ओरियंट क्षेत्र के उपकेंद्रों में इनकी वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थापना की कार्रवाई की जाएगी।

एनर्जी सेवर सॉफ्ट स्टार्टर के कार्यकलापों के अंतर्गत बलराम ओसीपी के सीएचपी में मोटर हेतु 10 वीएफडी प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्ताव का अनुमोदन फरवरी 2014 में हुआ और टेंडर किया जा चुका है।

18.1.2.5 वर्षाजल संरक्षण-

तीन (03) परियोजनाएं प्रारंभ की गईः (1) ओरियंट क्षेत्र में वर्षाजल संरक्षण का कार्य 20.09.2013 को पूर्ण हुआ (2)ईब वैली क्षेत्र में वर्षाजल संरक्षण का कार्य 20.03.2014 को पूर्ण हुआ (3) सीडब्ल्यूएस (एक्स), तालचर में वर्षाजल संरक्षण का कार्य 25.10.2013 को पूर्ण हुआ।

18.1.3 बेहतर कार्पोरेट संपेषण कार्यनीति के अंगीकरण के जरिए प्रमुख पणधारकों की नियुक्ति के प्रयास किए गए और सफलता प्राप्त हुई।

18.1.3.1 ग्राहकों, वैंडरों, प्रमुख पणधारकों- ग्रामीणों के साथ अनेक बैठकें/परामर्श किए गए। बैठकें नियमित रुप में आयोजित की गई।निम्नलिखित बैठकों का ब्यौरा एमसीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

विवरण	प्रमुख पणधारकों के साथ हुई बैठकें/परामर्श			
	संविदाकार	वैंडर	ग्राहक	ग्रामीण
आयोजित बैठकों की संख्या	01	02	01	24

18.1.3.2 सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संपोषणीयता में कंपनी के निष्पादन के बारे में प्रमुख पणधारकों (ग्राहक, वैंडर और ग्रामीण आदि) के साथ प्रतिपुष्टि माध्यम बनाए गए है और इन्हें एमसीएल की वेबसाइट में तिमाही आधार पर लोड किया जाता है।

18.1.4 सीएसआर और संपोषणीयता पर वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन

एमसीएल कार्पोरेट संपोषणीयता रिर्पोट 2012-13, जिसे व्यापार उत्तरदायित्व लरिपोर्ठ भी कहा जाता है, के प्रथम प्रकाशन से भारत की पहली कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है।इस वर्ष कंपनी ने अपनी दूसरी संपोषणीयता रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक "संसाधनों का संवर्धन, उन्नति का संवर्धन" । इस रिपोर्ट को मेसर्स ग्रीन ईवंजलिस्ट, बंगलूरु ने जीआरआई 3.1 के वैश्विक स्वीकार्य दिशा-निदेशों और जीआरआई के खनन तथा घातु क्षेत्र अनुपुरक (एमएमएसएस) और अनुप्रयोग स्तर ख हेतु जीआरआई आवश्यकताओं की पुष्टि के अनुरुप पाया।

रिपोर्ट में 20 मुख्य मानदंडों (सामाजिक, पर्यावरण, आर्थिक, मानवाधिकार, श्रम, समाज आदि पक्ष) के आंकड़े शामिल है और स्पष्ट रुप से अपने पणधारकों के प्रति एमसीएल की कार्यनीतिक प्रतिबद्धता प्रर्दशित करती है और यह आर्थिक प्रगति के अपने पथ पर पर्यावरणीय मुद्दों और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह पर किस प्रकार केंद्रीत है। एमसीएल अब तीन बाटम लाइन (व्यक्ति, धरती, लाभ) पर वैश्विक विशाल संगठनों के समक्ष स्वयं को खड़ा करने में समर्थ है।

इस रिपोर्ट के विमोचन के जरिए एमसीएल को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने इस प्रकार की एक और रिपोर्ट 28 फरवरी 2014 तक प्रकाशित करने का जनादेश दिया है। इसके बाद एमसीएल अंर्तराष्ट्रीय दिशा-निदेशों के अनुरुप ऐसी रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी करता रहेगा।

वर्ष 2012-13 के सीएसआर और सुंपोषणीयता पर वार्षिक रिपोर्ट फरवरी 2014 तक प्रकाशित की गयी है । इस संबंध में कंपनी की वेबसाइट पर हर तिमाही में सूचना अध्यतन की जाती है।

सांविधिक अनुपालन-पर्यावरणीय अनुमति (ईसी):

सांविधिक अनुपालन – पर्यावरणीय अनुमति:

- ईआईए अधिसूचना 2006 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित) के अनुसार किसी खान के प्रचालन अथवा खान के फैलाव/विस्तार के लिए केंद्र सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय(एमओईएफ) से पूर्व पर्यावरण अनुमति लेना अनिवार्य है। तदनुसार, एमसीएल नियमित रूप से सभी खानों(नई और विस्तार) के लिए पर्यावरण अनुमति के लिए नियमित आवेदन कर रही है।

- बर्ष 2013-14 में ईएसी (थर्मल और कोयला खनन), पर्यावरण और वन मंत्रालय ने टीओआर/ईसी हेतु निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया और उनके परिणाम निम्नतालिका में दर्शाए गए हैं:-

क्रस.	परियोजना का नाम	स्थिति
1	भुवनेश्वरी ओसी विस्तार – (20 एमटीवाई से 25 एमटीवाई)	प्रपत्र–I में आवेदन और व्यहार्यता-पूर्व रिपोर्ट एमओईएफ को 25-07-2013 को प्रस्तुत की गयी। 03.10.13 और 25.11.13 को हुई ईएसी की बैठक में स्रोत की एपोर्स्नेट अध्ययन सहित विभिन्न ईसी शर्तों का अनुपालन वांछित था। एआरएआई, पूणे को अध्ययन हेतु कार्य आदेश दिया गया और आरओ, एमओईएफ, डीबीएसआर द्वारा सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके अलावा 20.01.14 को ईएसी की बैठक हुई और ईसी के अनुदान हेतु सिफारिश की गई। 25 एमटीवाई के लिए ईसी मंजूर की गई और एमओईएफ की वेबसाइट पर 19 फ़रवरी 2014 को अपलोड की गई।
2	लखनपुर ओसी विस्तार – (15 एमटीवाई से 18.75 एमटीवाई)	ईएसी की बैठक 25.11.13 और 20.01.14 को हुई- ईसी शर्तों और एमओईएफ, भुवनेश्वर के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुपालन रिपोर्ट का प्रमाणन। कार्रवाई कार्यक्रम सहित उपरोक्त सभी मुद्दों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ईएसी की समिति ने ईसी शर्तों के अनुपालन के संबंध में 23.02.14 को परियोजना का निरीक्षण किया जिसमें सभी मुद्दों पर सूक्ष्म चर्चा हुई, प्रस्तुती हुई, खदान स्थल, वृक्षारोपण स्थल, एमडीटीपी, ईटीपी स्थल, प्रस्तावित रेलवे साईडिंग जो परिवहन दूरी को 14 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक कम करेगी, उपसमिति को दर्शाया गया। इसके अलावा ईएसी की 28.02.14 को बैठक हुई और ईसी को अनुदान देने की सिफारिश की गई बैठक के कार्यवृत 20.03.2014 को अपलोड किए गए। ईसी पत्र की प्रतिक्षा हैं।

3	हिंगुला ओसी विस्तार – (12 एमटीवाई से 15एमटीवाई /20 एमटीवाई-सर्वाधिक) (विस्तार क्षेत्र में खनन प्रारंभ करने के लिए)	ईएसी द्वारा यथा अनुशंसित, पश्चिमी खान हेतु चरण-I ईसी की मंजूरी हेतु, जिसमें वनभूमि शामिल नही है, अनुपूरक टिप्पणी 17.01.2014 को एमओईएफ को प्रस्तुत की गई। विस्तार क्षेत्र में आने की तात्कालिकता के कारण हमने फरवरी व मार्च 2014 में हुई ईएसी बैठक में प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एमओईएफ को कहा, किन्तु ईएसी की बैठक में इसे नहीं रखा गया और ईएसी की अप्रैल 2014 की बैठक में इसे रखा गया।
4	समलेश्वरी ओसी विस्तार – (11 एमटीवाई) (विस्तार क्षेत्र में खनन प्रारंभ करने के लिए)	वर्तमान ईसी विद्यमान 826.76 हैक्टेयर खान पट्टा क्षेत्र से 11 एमटीवाई के लिए उपलब्ध है। ईएसी ने 928.264 हैक्टेयर के विस्तार क्षेत्र हेतु चरण-II की सिफारिश की बशर्ते की उसमें शामिल वनभूमि (21.866 हैक्टेयर) के चरण-I एफसी प्रस्तुत हो और तृतीय पक्ष स्वास्थय स्तर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत हो। 21.02.2014 को मंजूर चरण-I एफसीएमओईएफ को दिनांक 14.03.14 के पत्र संख्या 927 के द्वारा भेजी गयी जिसके साथ राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल, बुर्ला द्वारा तैयार की गयी स्वास्थ्य स्तर रिपोर्ट भी भेजी गयी।
5	तलाबीरा-I और III (20एमटीवाई /23 एमटीवाई- सर्वाधिक) (एमएनएच शक्ति)	दिनांक 09.01.13 को हुई ईएसी (टी व सी) ने विचार किया। वांछित अतिरिक्त जानकारी/सूचना ईएसी की 03.10.13 को हुई बैठक में प्रस्तुत की गयी। ईएसी बैठक 27.02.2014 कों आयोजन हुआ वांछित अन्य जानकारी दिनांक 10.01.2014 के पत्र द्वारा दी गयी। एनजीओ से प्राप्त शिकायत पर ईएसी ने मद-वार स्पष्टीकरण मांगा।
6	बलराम ओसी विस्तार – (8 एमटीवाई से 20 एमटीवाई)	ईएसी ने 24.05.2013 को पीओआर मंजूर किया। ईआईए-ईएमपी को सीएमपीडीआईएल तैयार कर रही है।आधारभूत आंकड़ा अर्जन 25 जनवरी 2014 को पूर्ण हुआ।
7	अनंता ओसी विस्तार – (12 एमटीवाई से 15 एमटीवाई) (विस्तार क्षेत्र में आने के लिए)	ईएसी ने चरण-I एफसी की प्रस्तुति और ईआईए अधिसूचना के उल्लंधन हेतु विधिक कार्रवाई के साक्ष्य के अध्याधीन ईसी की मंजूरी की सिफारिश की। बोर्ड संकल्प आदि को एमओईएफ को दिनांक 19.09.13 व 18.10.13 के पत्र द्वारा भेजे गए। एमओईएफ ने दिनांक 30.01.14 के पत्र संख्या जे-11015/397/2008-आईए। II (एम) द्वारा बंद किया और लंबित सूची से प्रस्ताव को बाहर कर दिया क्योंकि राज्य सरकार से एटीआर प्राप्त नहीं हुई। जिलाधीश, अंगुल को निदेशक, वन व पर्यावरण विभाग, पर्यावरण व विशेष सचिव, जीओओ के पत्र के साथ द्वारा उत्तर भेजा गया जिसके साथ दिनांक 05.03.14 के पत्र संख्या 4093 द्वारा उत्तर भेजा गया जिसमें पुनः सूचीबद्ध करने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

8	गोपाल प्रसाद ओसीपी विस्तार – (15 एमटीवाई) (एमजेएसजे)	अंतिम ईआईए/ईएमपी 29.10.2010 को प्रस्तुत की गई। ईएसी ने 23.11.10, 29.03.11, 25.11.13, 09.01.13 और 5.11.2013 को हई बैठक में मूल्यांकन किया। ईएसी द्वारा ईसी की मंजूरी की सिफारिश चरण-I एफसी की प्रस्तुती के अध्यधीन है।
9	लिंगराज ओसी विस्तार – (13 एमटीवाई से 20 एमटीवाई)	टीओआर की 24.01.2012 टीओआर आवेदन के अनुसार ईआईए/ईएमपी का मसौदा तैयार होने के बाद उसे पीएच के लिए 29.10.13 को ओएसपीसीबी को प्रस्तुत किया गया। पीएच 11 मार्च 2014 के लिए निर्धारित थी किन्तु समाचार पत्र में 11.03.14 के ओएसपीसीबी के विज्ञापन द्वारा स्थगित की गई। हमने टीओआर की वैधता एक वर्ष अर्थात 20.03.15 तक बढ़ाने के लिए एमओईएफ से अनुरोध किया है। पीएच के आम चुनाव के बाद होने की संभावना है।
10	एमबीपीएल (2x800 एमडब्ल्यू)	ईएसी बैठक 25.03.2014 को हुई। कार्यवृत्त की प्रतिक्षा है।
11	हिंगुला वाशरी (10 एमटीपीए)	ईएसी ने 13.12.2013 को विचार किया। टीओआर दिनांक 31.01.14 के पत्र द्वारा अनुमोदित। आधारभूत आंकड़ा अर्जन हेतु मेसर्स रिचर्डसन एंड क्रुरुडडास, चेन्नई को 5.03.14 को कार्य आदेश जारी किया गया। कार्य मार्च 2014 से प्रारंभ हुआ।
12	बसुंधरा वाशरी (10 एमटीपीए)	संशोधित प्रपत्र-I और पीएफआर दिनांक 11.11.2013 के पत्र द्वारा एमओईएफ को प्रस्तुती हेतु सीआईएल, नई दिल्ली को भेजा गया। ईएसीएम 28.03.2014 को हुई। ईएसी ने कुछ अतिरिक्त जानकारी और क्षेत्र दौरे की इच्छा जाहिर की। आधारभूत आंकड़ा अर्जन हेतु दिनांक 5.03.2014 को मेसर्स ईकोमेन लैब प्राइवेट, लखनऊ को कार्य आदेशा जारी किया गया। कार्य मार्च 2014 से प्रारंभ हुआ।

एमसीएल के लिए एमओईएफ द्वारा मंजूर कुल ईसी क्षमता 175.99 एमटीपीए है, तथापि अनुमोदित ईसी खनन पट्टे में आरक्षित खत्म होने बसुंधरा- गर्जनबहाल क्षेत्र में रिक्तिकरण समस्या, लंबित एफसी आदि के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 में ईसी क्षमता 132 एमटीपीए तक घट गई है। ईएसी ने अतिरिक्त 44.75 एमटीपीए वृद्धि ईसी क्षमता की सिफारिश की है किंतु, एफसी की अनुपलब्धता के कारण यह क्षमता प्रचालनाधीन नहीं है।

सांविधिक अनुपालना - परवर्ती मंजूरी

- वर्ष के दौरान सभी संचालिन खदानों के लिए जल एवं वायु आधिनियम के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से "संचालन की अनुमति" प्राप्त कर ली गई ।
- उत्खनन कार्यशालाओं से युक्त संचालित खुली खदानों के लिए एसपीसीबी से घातक अपशिष्ट पदार्थ नियम के अंतर्गत "अधिकार" प्राप्त कर लिया गया है (जिसमें प्रयोग में लाई गई बैटरी, बेकार तेल एवं

ग्रीस पैदा होती है) तथा धुलाई के रैम्पों (जिनसे तैलीय अपशिष्ट पदार्थ पैदा होता है) से बहकर जाने वाले बेकार पानी से तेल एवं ग्रीस प्राप्त करने के लिए तेल एवं ग्रीस ट्रेप लगाए गए हैं। प्रयोग में लाई गई बैटरियों तथा प्राप्त तेल एवं ग्रीस को पर्याप्त मात्रा में संचित करने के बाद मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से अधिकृत री-प्रोसेसर्स के लिए नीलामी की जाती है। सांविधि के अनुसार बैटरियों की अर्धवार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य घातक अपशिष्ट पदार्थों की वार्षिक रिपोर्ट का ब्यौरा एसपीसीबी को दिया गया था।

- वर्ष 2013 के दौरान एमसीएल के तीन अधिकारियों की टीम द्वारा पर्यावरण प्रबंधन के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी जो पूर्व वर्ष की भाँति समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 23 संचालित खानों के मामले में थी।
- सभी 23 संचालित खानों के लिए आलोच्य वर्ष के दौरान दिनांक 26.9.2013 के पत्र के माध्यम से एसपीसीबी को पर्यावरण संरक्षण नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत फार्म-V में वार्षिक पर्यावरणीय ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था।
- सभी संचालित खानों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी शर्तों की अनुपालन के संबंध में अर्धवार्षिक रिपोर्टें, जिनमें ईआईए अधिसूचना के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी थी, एमओईएफ को प्रस्तुत की गई तथा एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के अधिकारियों ने अनुपालनाओं की मानिटरिंग करने के लिए समय-समय पर खानों का दौरा किया है।

पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए उठाए गए कदम

18.3.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय

पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने केलिए काफी लंबे समय से लंबित प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई तथा इनके साथ काफी संख्या में उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ को निम्नानुसार रेखांकित किया गया है।

- पर्यावरणीय अनुकूल सर्फेस माईवर प्रौद्योगिकी (1999-2000 में 4.2 प्रतिशत से 2013-14 में 78.29 प्रतिशत के जरिए कोयला उत्पादन में सतत् संवर्धन वर्ष 2013 के दौरान एमसीएल ने कुल 110.439 मिलियन टन कोयला उत्पादन में से 86.46 मिलियन टन कोयला सरफेस माइनर प्रौद्योगिकी की सहायता से उत्पादित किया (78.29%)। यह विस्फोट रहित खनन प्रौद्योगिकी है जो ड्रिलिंग, विस्फोट एवं पानी के छिड़काव के साथ की जाने वाली क्रेशिंग के दौरान पैदा होने वाली धूल को पूरी तरह से खत्म करती है। इसके अतिरिक्त मशीनों की सहायता से कोयला एवं पत्थर परतों का अलग-अलग खनन किया जाता है जिससे 4 से 5 % के लगभग ऐश को कम किया जा सकता है और इससे विद्युत संयंत्रों में कम ऐश उत्सर्जित होने के साथ ही ग्रीन हाउस में भी कमी आती है। राख की कमी से लंबी दूरी परिवहन की यात्रा में कमी आती है जिसके परिणाम-स्वरूप इस प्रकार के परिवहन हेतु वांछित ऊर्जा की बचत, डीजल और फोरेक्स की बचत, कार्बन फुट प्रिंट में कमी आदि होती है। ऊंची दीवार और स्टॉक में अग्नि और सहज उष्मा भी काफी हद तक कम हो जाती है क्योंकि विस्फोट से दरार/छिद्र हो जाते हैं जो उष्माक्षेपी रसायन प्रतिक्रिया हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, कोयला निकासी हेतु सर्फेस माईनर के प्रयोग के कारण नहीं बढ़ते हैं।
- कोयला परिवहन धूल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, किंतु एमसीएल में 85 % से 90 % कोयले का परिवहन रेल के माध्यम से है जो अत्यंत पर्यावरणीय अनुकूल, लंबी-दूरी, उच्च गति इनलैंड मास

यातायात प्रणाली है जिसमें एक रैक में 3800 टन कोयले का बिना प्रदूषण फैलाए परिवहन होता है जो 300 ट्रकों द्वारा प्रत्येक में लगभग 13 टन कोयला ले जाने के समकक्ष होगा जिनसे प्रदूषण का स्तर कल्पना के परे होगा।

- तालचर कोलफील्ड्स में रैकों की संख्या गत वर्ष के 25 से 30 रैक/प्रतिदिन से वर्ष के दौरान 35 के 40 रैक/ प्रतिदिन तक बढ़ी जो अति महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह विभिन्न कार्यान्वित उपायों से हो सका जैसे तालचर से पारादीप पत्तन तक स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली जिसमें अब दो निरंतर सिग्नल में 3 रैक समा सकते हैं जबकि पुरानी प्रणाली में केवल एक ही समा पाता था, रैकों के एक रूपी दिशा संचालन सुनिश्चिता वाली साइडिंग की अंतरसंयोजकता आदि।
- बेलपहाड़ खदान के जरिए परिवहन सड़क के निर्माण सहित लखनपुर क्षेत्र में नई साइडिंग का निर्माण, परिवहन लीड 14 किलोमीटर से घटकर 2-3 किलोमीटर रह गई है जिससे वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी आई है।
- रैक लोडिंग सुविधा को बढ़ाया जा रहा है । वर्तमान में कोयले का प्रेषण 18 साइडिंग एवं 3 एनजीओ के माध्यम से किया जाता है।
- कोयले के संचालन और प्रेषण में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए भरतपुर में साइको लदान प्रणाली का प्रचालन हो रहा है। भरतपुर ओसीपी में 20 एमटीपीए क्षमता के दो साईको निर्माणधीन हैं (90 % पूर्ण)। अनंता ओसीपी में 15 एमटीपीए क्षमता वाला साईलो निर्माणाधीन है। इसके अलावा, लिंगराज, जगन्नाथ, हिंगुला और लखनपुर साइडिंग में साईलो प्रस्तावित है।
- वाहनों के संचालन के कारण धूल प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए हाल रोड और सफैस रोड पर 28 किलोलीटर, 20 किलोलीटर, 12 किलोलीटर और 10 किलोलीटर की क्षमता के मोबाइल पानी टैंकर ।
- सभी रेल साइडिंग में अचल फुहारे और मोबाइल पानी टैंकर है।
- कोल हैंडलिंग प्लांट में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मिस्टर्स, अचल फुहारे और मोबाइल पानी टैंकर हैं।
- ₹ 251.35 करोड़ की लागत से हिंगुला ओसीपी से लिंगराज ओसीपी तक 41.65 किलोमीटर लंबी कंक्रीट कोयला परिवहन सड़क कोरिडोर निर्माणाधीन है।
- भरतपुर सीएचपी से जगन्नाथ सीएचपी तक खान पुनर्निर्मित क्षेत्र के जरिए सड़क ब्रिक्री ट्रक हेतु वर्तमान कोयला परिवहन सड़क स्थानतांरण का कार्य प्रगति में है जिससे कम से कम वर्तमान सीटी सड़क से प्रभावित 10 कालोनी और गांव में धूल प्रदूषण में अत्यंत कमी आएगी।
- लिंगराज क्षेत्र में वनभूमि का कब्जा लेने के बाद सड़क ब्रिक्री ट्रकों हेतु वर्तमान सीटी सड़क को फ्लाईओवर तथा लेवन क्रासिंग पर आरओबी सहित कोयला रिक्तिकरण हेतु लिंगराज चौकी से एनएच-200 तक डाईवर्ट किया जाएगा। कार्य का मूल्य □ 135.16 करोड़ (लंबाई 2.3 किलोमीटर) है। इससे कालोनियों और गांवों में धूल प्रदूषण काफी हद तक कम होगा।
- तालचेर कोलफील्ड्स में सीटी सड़क (लंबाई 2.025 किलोमीटर, मूल्य 70 करोड़) में डेरा छाक पर फ्लाईओवर से यातायात की भीड़ और प्रदूषण में कमी आएगी।
- हंडीहुआ से नाल्को चौक तक घंटापाड़ा गांव के नजदीक सड़क के ऊपर लेवल क्रासिंग पर पुल का निर्माण। कार्य का मूल्य 37.50 करोड़ है (लंबाई 710 मीटर)। इससे भी जनता को सुविधा होगी और वायु प्रदूषण कम होगा।

- तालचेर कोलफील्डस के खदान परिसर में 5 वर्षों से अधिक पुरानी सभी परिवहन सड़कों का निर्माण कंक्रीट सड़क से किया जाना है। कार्य-आदेश जारी (कुल लंबाई 10.65 किलोमीटर-2 लेन और 11.05 किलोमीटर-4 लेन। कार्य का मूल्य 158.20 करोड़)।
- ईब वैली कोलफील्ड में समर्पित कोयला परिवहन सड़क का निर्माण कार्यान्वयनाधीन है : (i) लाजकुरा से खान संख्या 3 (3.7 किलोमीटर +1 पुल) (ii) बुंदिया से एनएच 200 (12.54 किलोमीटर-4 लेन, 0.92 किलोमीटर-2 लेन) (iii) सभी सीटी सड़कों का जीवनकाल >5 वर्ष (8.754 किलोमीटर-2 लेन/ 5.63 किलोमीटर-4 लेन /0.659 किलोमीटर-4 मीटर चौड़ी) कुल अनुमानित लागत : ₹ 265.07 करोड़।
- बसुंधरा-गर्जनबहाल क्षेत्र-(i) सभी सीटी सड़कों का जीवनकाल >5 वर्ष (4.025 किलोमीटर-2 लेन/0.475 किलोमीटर-4 लेन)। कुल अनुमानित लागत : 22.96 करोड़ (ii) बंकी बहाल से कनिका रेल साइडिंग तक सड़क को 2 लेन से 4 लेन तक चौड़ा करना-27 किलोमीटर लागत ₹ 162.87 करोड़ : ईई आर एंड बी प्रभाग, सुंदरगढ़ डीपीआर तैयार कर रहा है।(iii) बसुंधरा गजनबाहल एसएच 10 तक 33 कि.मी लागत ₹.385 करोड़: ईई आर एंड बी प्रभाग, सुंदरगढ़ डीपीआर तैयार कर रहा है (iV) उज्जलपुर में बाई पास सड़क का डीपीआर तैयार कर रहा है। (v) बासुंधरा चौकी गेट से बंकी बहाल छाक तक क्षतिग्रस्त सड़क की कंक्रीटिंग-2.54 किलोमीटर, लागत 8 करोड़। इन प्रयासों से बासुंधरा- गर्जनबहाल क्षेत्र में धूल प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी होगी।
- इसी प्रकार ₹ 800 करोड़ की लागत के रेल अवसंरचना और नई संबंद्धता। निर्माणाधीन है जो सड़क के जरिए कोयले के रिक्तिकरण को कम करेंगे और धूल प्रदूषण को काफी कम करेंगे।
- मानवीय सफाई और छलकाव और कोयला परिवहन सड़कों पर धूल का संग्रहण।
- तालचेर कोलफील्ड में पक्की कोयला परिवहन सड़कों पर सफाई और कोयला छलकाव व धूल के सग्रहण हेतु तीन हैवी-ड्यूटी ट्रक-माउंटिड वैक्यूम प्रचालित मैकेनिकल सड़क स्वीपर काम कर रहे हैं।
- सभी ड्रिलों में धूल निष्काषक प्रणाली और तरल ड्रिलिंग प्रणाली हैं।
- आवासीय क्षेत्रों में अवसंरचना सहित हरित पट्टियों का विकास कार्य निरंतर जारी है।

18.3.2 जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय

- खानों से निकलने वाले तथा ओबी डम्प से बहकर जाने वाले पानी की खान नालियों को बाहर छोड़ने से पूर्व सेटलिंग पोंड में डाला जाता है ताकि तलछट बैठ जाए और नदियां तथा अन्य जल निकाय प्रदूषित न हों। तथापि, राख दबाद, अग्नि शमन, पेयजल आपूर्ति आदि हेतु जल की कमी के कारण जल का कोई बाह्य निस्सरण नहीं है। खन रिक्ति भी वृहत अवसादन कुंडों का कार्य करते हैं जिनमें टीएसएस गुरूत्वाकर्षण व्यवस्थापन होता है और जल निर्मल हो जाता है।
- खुली खदानों की कार्यशालाओं में आयल एवं ग्रीस ट्रेप्स लगाए गए हैं ताकि अपशिष्ट जल से तेल एवं ग्रीस एवं तैलीय बहाव को दूर किया जा सके।
- क्वारी की चारदीवारी एवं ओबी डम्प के आसपास गारलेंड ड्रेन्स एवं कैच ड्रेन्स लगाई जाती हैं ताकि तलछटों को काबू किया जा सके और प्राकृतिक नालियों में जाने से रोका जा सके।
- घरेलू अपशिष्ट पदार्थों के लिए सात सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं।
- भूमिगत जल की पूर्ति हेतु अनुप्रयोग रिक्त खदान प्राकृतिक जल संरक्षण के रूप में कार्य करती हैं।
- तालचर, ईब वैली, बेलपहाड़ एवं बासुंधरा की समेकित जल आपूर्ति स्कीमों के अंतर्गत जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) का संचालन किया जाता है। भूमिगत खानों के पानी का प्रयोग करते हुए तालचर एवं

- ओरियेंट क्षेत्रों में मौजूद छोटे स्तर की जल शुद्धिकरण इकाइयों का प्रयोग घरेलू आपूर्ति के लिए किया जाता है।

18.3.3 शोर एवं भूमिगत कंपन नियंत्रण उपाय

- कुल कोयले का 78.29 प्रतिशत उत्पादन विस्फोट रहित पर्यावरणीय अनुकूल सर्फेस माईनर प्रौद्योगिकी से किया जाता है जिससे आकारित कोयले उत्पादन हेतु ड्रिलिंग, विस्फोटन और सीएचपी प्रचालन हेतु पारंपरिक खनन वांछित होता है, की तुलना में शोर और भूमि स्पंदन काफी हद तक कम होता है।

- आवासीय क्षेत्रों एवं खानों के बीच ग्रीन बेल्टों का विकास किया गया है तथा वर्ष के दौरान कुछ नए स्थानों पर अवसंरचना का अनुरक्षण भी किया गया।
- शोर शराबे में कार्य करने वाले कामगारों तथा नए कामगारों को ईयर मफ एवं ईयर प्लगस प्रदान किए गए।
- विस्फोट के लिए नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स का प्रयोग किया गया जिससे कम शोर तथा कम भूमिगत कंपन हुआ। नियंत्रित विस्फोट का भी प्रयोग किया गया।
- सभी एचईएच में पर्याप्त स्तर कर्म प्रौद्योगिकियां लगाई गई हैं।

18.3.4 भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण

- सामग्री के पार्श्व-भराव के लिए गैर-कोयले वाले रिक्त स्थान का प्रयोग किया गया और तत्पश्चात जैविक सुधार प्रक्रिया के रूप में पौध-रोपण किया गया।
- पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए खानों में कंपनी ने आवश्यक भौतिक सुधार करने के बाद बैकफील्ड आंतरिक डम्प तथा बाह्य डम्प पर मिश्रित स्वदेशी प्रजातियों के 47,90,000 से अधिक पौधे लगाए, अन्य भूमि एवं खाली पड़े स्थानों पर भी पौधे लगाए गए। प्रारंभ से 47.90 लाख (टीसीएफ-18.61 लाख, ईबवीसीएफ- 28.52 लाख और मुख्यालय- 0.77 लाख) पौधे लगाए गए हैं।
- आवसीय टाउनशिप एवं कार्यालय परिसर में विशेष तौर पर फलों, फूलों एवं औषधीय पौधों एवं पेड़ों का अतिरिक्त पौधारोपण भी किया गया।
- इस वर्ष कोई वृक्षारोपण नहीं किया जा सका, तथापि 26.0 हैक्टेयर से अधिक घास विछाई गई।
- घरेलू प्रदूषणों के शोधन हेतु सात मल शोधन सयंत्र लगाए गए। निकाली गई कीचड़ का प्रयोग टाउनशिप में पौदा-रोपण और बगीचों में खाद के रूप में किया जाता है। इन मल शोधन सयंत्रों से बहने वाले शोधित पानी का सिंचाई प्रयोजनों हेतु पुनः प्रयोग किया जाता है।
- ईब वैली तथा तालचर कोलफील्ड दोनों के लिए सीएमपीडीआईएल के माध्यम से 14 खुले खनन स्थानों (11> 5 एमएम^3 / वर्ष और चार > 5 एमएम^3 / वर्ष क्षमता) कि लिए रिपोट सेसिंग पैटर्न द्वारा खानों के स्थान तथा भूमि की नियमित मानिटरिंग का कार्य प्रगति पर है। इस संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

18.3.5 पर्यावरणीय मानीटरिंग

- वर्ष के दौरान सीएमपीडीआईएल प्रयोगशालाओं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा यथा मान्यता प्राप्त, के माध्यम से वायु, जल एवं शोर प्रदूषण के संदर्भ में नित्य पर्यावरणीय मानीटरिंग की गई जिस पर लगभग ₹ 2.90 करोड़ खर्च हुए। सीपीसीबी द्वारा यथा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पद्धतियों, फ्रीक्वेंसी इत्यादि का कड़ाई से अनुरक्षण किया गया।

- सांविधि के अनुसार मानीटरिंग के परिणामों को एसपीसीबी एवं एमओईएफ को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण मानीटरिंग परिणामों को मासिक आधार पर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।
- जगन्नाथ क्षेत्र एवं लखनपुर क्षेंत्र में स्वचालित मौसम केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

18.3.6 आईएसओ 14001 प्रमाणन:

एमसीएल का कार्पोरेट के रूप में मूल्यांकन किया गया और समेकित प्रबंधन प्रणाली पर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं जिनमें एमएस प्रमाणन सेवा प्राइवेट लिमिटेड के अभिशासी बोर्ड द्वारा प्रदत्त आईएसओ 9001:2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की पुष्टि करना) एवं आईएसओ 14001:2004

(पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली की पुष्टि) हैं और ओएचएसएएस 18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) शामिल है जो 10.04.2016 तक वैध है |

18.3.7 पुरस्कार और सम्मान (पर्यावरण)

इस वर्ष भी भुवनेश्वरी ओसीपी और समलेश्वरी को चंडीगढ़ में आयोजित 14वें वार्षिक ग्रीनटैंक पुरस्कार 2014 में पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु धातु व खनन क्षेत्र में रजत पुरस्कार प्रदान किए गए |

19. विक्रय एवं विपणन कार्यनिष्पादन

एमसीएल ने वर्ष 2013-14 के दौरान 114.347 मिलियन टन के ऑफटेक का लक्ष्य प्राप्त किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को दर्शाता है, यह बढ़ोत्तरी अक्तूबर, 2013 में हड़ताल, बंद चक्रवात के बावजूद और दिन के समय बसुंधरा और गर्जन बहाल क्षेत्र से कनिका साइडिंग को कोयले के परिवहन पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध।

दिनांक 14.06.2013 को उपभोक्ता बैठक उपभोक्ताओं के विचार/सुझाव जानने के लिये बुलाया गया जिस से संतोष प्रोफरमा बनाया जा सके / उसी दिन अर्थात 14.06.2013 को उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त रुप से कस्टमर सटीस्फ़क्टिओन प्रोफ़ार्मा तेयार किया गया |

19.1 मांग एवं ऑफ-टेक

वर्ष 2013-14 के दौरान 123.30 मि.टन के लक्ष्य की तुलना में 114.347 मि.टन ऑफ-टेक का लक्ष्य प्राप्त किया गया जो निर्धारित लक्ष्य का पिछले वर्ष के प्रेषण 2.604 मि.टन का 92.7 प्रतिशत था।

वर्ष 2013-14 के दौरान क्षेत्रवार ऑफ-टेक नीचे दिया गया है:

(मिलि.टन में)

सेक्टर	2013-14			2011-12 वास्तविक लक्ष्य
	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि का %	
बिजली(सीपीपी सहित)	87.468	78.223	89.4	88.160
सीमेन्ट	0.440	0.340	77.3	0.348
अन्य	35.392	35.779	101.1	23.451
कोलियरी में खपत	0	0.005	----	0.005
कुल :	123.300	114.347	92.7	111.964

19.2 वैगन लोडिंग

वर्ष 2012-13 में 7582 एफडब्लूडब्लू/ दिन के स्थान पर वर्ष 2013-14 में 8009 एफडब्लूडब्लू /दिन औसत दैनिक वैगन लोडिंग हुआ । गत वर्ष की तुलना में वैगन लोडिंग में 427 एफडब्लूडब्लू/ दिन अर्थात 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्षेत्रवार लक्ष्य एवं लोडिंग नीचे दिया गया है :

(ऑकड़े एफडब्लुडब्लु/दिन में)

क्षेत्र	2013-14			2012-13
	लक्ष्य	आपूर्ति	लदाई	वास्तविक
ईब वैली	4174	3348	3348	3290
तालचर	4484	4661	4661	4292
कुल	8658	8009	8009	7582

19.3 ई-ऑक्सन :

आपकी कंपनी ने वर्ष 2013-14 में स्पाट एंड फारवर्ड ई-ऑक्सन के तहत 24.893 मिलियन टन उपलब्ध कराया जिसके जवाब में उपभोक्ताओं/क्रेताओं ने 20.266 मिलियन टन की बुकिंग की जिससे अधिसूचित मूल्य पर ₹ 735.64 करोड़ प्रीमियम वसूली हुई।

19.4. ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए):

आपकी कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ 24 एफएसए हस्ताक्षरित किए हैं।

20. कोयला गुणवत्ता सुधार :

आपकी कंपनी विभिन्न पावर हाउसों तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अत्यधिक प्रयास करती है। वर्ष के दौरान कोयला प्रेषण की उपयुक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई गहन उपाय किए गए हैं। इस वर्ष एमसीएल ने पिछले वर्ष के 111.96 एमटी टन की तुलना में इस वर्ष 114.34 एमटी टन कोयले का रिकार्ड प्रेषण किया है । जहां तक गुणवत्ता शिकायतों का मामला है, इस वर्ष 53 शिकायतें हुई जबकि पिछले वर्ष 17 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

कंपनी द्वारा गुणवत्ता सुधार एवं ग्राहकों की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ सतत संवाद स्थापित किया गया है। इस उद्देश्यार्थ,
   (i) दिनांक 27.06.2013 को भुवनेश्वर में और 12.12.2013 व 12.03.2014 को एमसीएल मुख्यालय में क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद (आरसीसीसी) के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
   (ii) दिनांक 14.06.2013 एमसीएल मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिपुष्टि प्रपत्र के विकास हेतु ग्राहकों से सुझाव लिए गए।

2. उपभोक्ताओं को कोल लोडिंग स्थलों तथा वे-ब्रीजिज का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण एवं जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

3. उन मुख्य सभी साइडिंगस, जहां से ज्यादातर उपभोक्ताओं और कोर सेक्टर के उद्योगों को काफी मात्रा में कोयला भेजा जाता है, को नोडल अधिकारियों के सीधे निरीक्षण के अंतर्गत रखा गया है जो उपयुक्त गुणवत्ता, वजन एवं कोयले के आकार को सुनिश्चित करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए विशेष तौर पर जिम्मेवार होंगे।
4. जब कभी भी एमसीएल के एसएण्डएम विभाग में कोई शिकायत, चाहे छोटे या बड़े स्वरूप की हो, प्राप्त हुई है तब उसकी जांच क्यूसी विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर जाकर की गई है तथा उसके निष्कर्षों के बारे में इष्टतम समय-सीमा के भीतर उन उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई जहां से शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
5. सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता का कोयला प्रेषित करने के संबंध में क्यूसी विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर सभी रेलवे साइडिंगस का सतत निरीक्षण किया जाता है।
6. प्रेषित कोयले की उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए क्यूसी विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा विभिन्न स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाता है।

7. क्यूसी विभाग द्वारा वे-ब्रीज तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान प्रयोगशालाओं, वे-ब्रिजों और साइनिंग में कोई असंगति अथवा दोष पाए जाने की सूचना क्षेत्र के संबंधित सीजीएम/जीएम को सूचना एवं सुधारात्मक उपाय करने के लिए दी जाती है।
8. तृणमूल स्तर पर गुणवत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी क्षेत्रों में दिनांक 24.02.2014 से 02.03.2014 तक "गुणवत्ता सप्ताह" मनाया गया/आयोजित किया गया। सभी क्षेत्र कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंतिम दिवस समारोह 12.03.2014 एमसीएल मुख्यालय में आयोजित किया गया जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक मुख्य सतर्कता अधिकारी, सभी निदेशक और आरसीसीसी के सदस्य, महाप्रबंधक (गुणवत्ता) महाप्रबंधक (एसएंडएम/क्यूसी) सीआईएल विपणन प्रभार कोलकाता भी उपस्थित थे।
9. महाजेन्को, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, सेल (आरएसपी, सीपीपी-I), एसपीसीएल (आरएसपी, सीपीपी-2), एपजेन्को, टीएनईबी, एनटीपीसी (कनिज), टीटीपीएस, ओपीजीसी, नाल्को, केपीसीएल, नाल्को (डीएमजे), एनटीपीसी (सिमाद्रि) और वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी लि., सीसा स्टलाईट एनर्जी लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, आरजीटीपीपी आदि को प्रेषित किए जा रहे कोयले के नमूने, लेने और विश्लेषण करने के लिए सभी लदान केन्द्रों पर अक्तूबर, 2013 से स्वतंत्र तृतीय पक्ष नमूना लेने वाली एजेंसी नियुक्ति की गई।
10. विभिन्न क्षेत्रों अर्थात ईब वैली, लखनपुर, ओरियंट, बासुंधरा एवं गर्जनबहाल जगन्नाथ, लिंगबाज, भरतपुर, हिंगुला, तालपुर और कनिहा में कुल नौ कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाएं हैं। इन सभी में आधुनिक उपकरण जैसे कोयले के जीसीवी के निर्धारण हेतु इलेक्ट्रो आटो बम्ब कैलोरी मीटर जैसे उपकरण मौजूद हैं।

11. ये उपकरण विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजे गए कोयले के ग्रेड का निर्धारण दो घण्टे में कर सकते हैं। इससे कोयले भण्डारों, साइडिंग्स तथा खनन किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता की शीघ्र मानीटरिंग करने में सहायता मिलती है।
12. इस वर्ष कोयले के उत्खनन के लिए चयनित खनन पद्धतियों को जारी रखा गया और तदनुसार लखनपुर ओसीपी, बेलपहाड़ ओसीपी, लिंगराज ओसीपी, भरतपुर ओसीपी, बलराम ओसीपी, हिंगुला ओसीपी, बासुंधरा (डब्ल्यू) ओसीपी, कुलडा ओसीपी एवं समलेश्वरी ओसीपी में सरफेस माइनरों को तैनात किया गया।
13. सरफेस माइनरों का प्रयोग करते हुए कोल सीम से बेकार पदार्थों को दूर किया जाता है जिससे कोयले की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलती है।
14. सभी साइडिंगस पर प्रिंट आउट सुविधा के साथ इलेक्ट्रानिक रेल वे-ब्रीजिज उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी ने 100% वे-मेंट प्राप्त करने के लिए स्टैंड बाइ वे-ब्रीजिज भी प्रदान किए हैं।
15. उपभोक्ताओं को -100 एमएम आकार का कोयला प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। इसके लिए रेल, बेल्ट एवं एमजीआर द्वारा भेजे गए कोयले को सीएचपी एवं फीडर ब्रेकर्स द्वारा तोड़ा गया।
16. गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी तथा पारदर्शिता के उद्देश्यार्थ सभी साइडिंग्स/लोडिंग केन्द्रों पर बाउण्ड पृष्ठ रजिस्टर रखा गया है, जिसमें लोडिंग के समय मौजूद उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि गुणवत्ता/आकार एवं सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
17. कुल प्रेषित किए गए 114.34 मिलियन टन कोयले में से वर्ष 2013-14 के दौरान 99.37% कोयला इलेक्ट्रानिक प्रिंट आउट की सहायता से मापा गया जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान 111.96 मिलियन टन कोयले में से 99.25% को मापा गया था।
18. वर्ष 2013-14 के दौरान सीम, स्टॉक, साइडिंग एवं टिपर नमूनों में सख्त नमूना प्रक्रियाविधि अपनाकर वार्षिक कोलग्रेड को उपभोक्ताओं की इष्टतम संतुष्टि के रूप में घोषित किया गया है।
19. वर्ष के दौरान कोयले का प्रेषण विद्युत क्षेत्र को सहमत सैंपलिंग के अंतर्गत 86.76 एमटी और इसकी प्रतिशतता 100% है।
20. रेल द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रेषित आकारित कोयला 69.15 एमटी है और प्रतिशतता 100 प्रतिशत है।
21. विद्युत क्षेत्र को प्रेषित 69.15 एमटी में से 68.46 एमटी कोयले का वजन इलैक्ट्रिनिक वे-ब्रिज पर किया गया जो 99.02% है।

21. सुरक्षा एवं बचाव:

सुरक्षित खनन' आपकी कंपनी का मुख्य क्षमताओं में से एक है जो सुरक्षा पद्धतियों एवं तकनीकों के सतत प्रयोग के माध्यम से प्राप्त की गई है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य होने की वजह से आपकी कंपनी योजनाएं तैयार करती है तथा नियमित आधार पर अपने आपको तैयार करती है ताकि इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके तथा यह कर्मचारियों के लिए अधिक उत्पादन हेतु प्रेरणा दायी बल बन सके।

21.1 दुर्घटनाओं के ऑकड़े:

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2012-13
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	1	1
2	घातकता की संख्या	1	1
3	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	11	7
4	गंभीर चोटों की संख्या	11	7
5	घातकता की दर		
	प्रति मिलियन टन उत्पादन:	0.009	0.009
	प्रति तीन लाख मैनशिफ्ट	0.061	0.061
6	गंभीर चोटों की दर		
	प्रति मिलियन टन उत्पादन	0.100	0.065
	प्रति तीन लाख मैनशिफ्ट	0.675	0.426
7	स्थानवार घातकता की दर		
	यू.जी.	-	-
	ओ.सी.	1	1
	ए.जी.	--	--

21.2 एमसीएल में सुरक्षा सुधार हेतु उठाए गए कदम:

- हमारी कंपनी ने स्वास्थ्य और सुरक्षा के उच्चतम स्तर की अधिप्राप्ति के लिए खान अधिनियम, खान निमय, कोयला खदान विनियम और अंन्य संगत विधियों का कार्यान्वयन किया गया है। साक्ष्के रूप मं एमसीएल को ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणन प्रदान किया गया है।
- प्रत्येक कलेंडर वर्ष के प्रारंभ में ईकाइवार समझौता-ज्ञापन निर्धारित किया जाता है और पूरी कंपनी को खानों में प्रचालन, अनुरक्षण तथा कार्यकारी स्थितियों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाया जाता है।
- समझौता-ज्ञापन लक्ष्यों की अधिप्राप्ति हेतु निर्बाध व कुशल निष्पादन के लिए पर्याप्त सामग्री और आर्थिक संसाधन प्रदान किए जाते हैं।
- सभी कर्मचारियों को सुरक्षा साधन जैसे कि हैलमेट, सुरक्षा जूते, फ्लोरोसेंट जैकेट, ईयर मफ, चश्में, दस्ताने आदि प्रदान किए किए जाते हैं ताकि अस्वस्थ और चोट लगने वाली स्थितियों से बचाव हो सके।
- मानव, मशीन और खान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सांविधिक कार्मिक नियुक्ति किए जाते हैं और कामगारों के पर्यवेक्षण हेतु नियोजित किए जाते हैं।
- 11वें सुरक्षा सम्मेलन, कोयला खदानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति, सीआईएल सुरक्षा बोर्ड, कंपनी स्तर सुरक्षा समिति, क्षेत्र स्तर सुरक्षा समिति और परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों की सिफारिशों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है।
- कोयला खनन विनियमन 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किए गए खदान अधिकारियों द्वारा सांविधिक निरीक्षण के अतिरिक्त, सुरक्षा मानकों का कामगार निरीक्षकों (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), खान स्तर पर सुरक्षा समिति (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित),

क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति और कंपनी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति द्वारा भी मानिटरन किया जाता है।

- परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों, क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों और अनुषंगी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श किया जाता है।
- क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी और कंपनी मुख्यालय स्तर पर पूर्णरूपेण आईएसओ विभाग में सुरक्षा अधिकारी द्वारा आंतरिक सुरक्षा संगठनों के जरिए सांविधिक नियमों विनियमों और सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का बहु-स्तरीय मानिटरन किया जाता है।
- कंपनी के सुविधाजनक स्थानों में स्थापित, सामूहिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों को सुरक्षा संबंधी पक्षों पर उनके कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण व पुनः प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कौशल का उन्नयन किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार बाह्य संस्थानों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जैसे कि डंपर प्रचालकों के कौशल संवर्धन के लिए नार्थन कोलफील्डस लिमिटेड, सिंगरौली में सिमुलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- कामगारों और पर्यवेक्षकों की दोष व बिमारियों का पता लगाने हेतु नियमित चिकित्सा जांच की जाती है ताकि सही समय पर उनका उपचार हो सके।
- सुरक्षा प्रणाली के मूल्यांकन हेतु आंतरिक सुरक्षा संगठन और बाह्य सलप एजेंसियों द्वारा नियमित आतंरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है ताकि प्रत्येक परियोजना के महत्वपूर्ण केंद्रित क्षेत्रों का भावी सुधार के लिए आंकलन किया जा सकें।

- समूची कंपनी में सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ण प्रणाली की पुनश्चर्या और उससे संगति के लिए सुरक्षा पखवाड़ा और विशेष सुरक्षा अभियान आयोजित किए जाते हैं।
- लिंगराज, भरतपुर, कनिहा ओसीपी, तालचेर और नंदिरा की वर्ष 2013-14 की सुरक्षा प्रबंधन योजनाएं बनाई गई हैं और प्रबंधन द्वारा उनकी समीक्षा की गई है।
- वर्ष 2013-14 में सीमुलेटर के द्वारा 12 आपरेटरों को प्रशिक्षण दिया गया ।
- वर्ष 2013-14 में एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया और नंदिरा कोयलांचल, तालचर क्षेत्र में मानव-राइडिंग प्रणाली की स्थापना हेतु रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

21.3 लागू की गई/लागू की जाने वाली नई सुरक्षा प्रौद्योगिकी

(i) सर्फेस माईनर प्रौद्योगिकी, जो विस्फोट रहित खनन प्रौद्योगिकी है, धूल पैदा करने वाले प्रचालनों जैसे कि ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग करने वाले वाले प्रचालनों को पूर्णतः लुप्त कर देती है। यह ब्लास्टिंग से संबंध जोखिमों को भी समाप्त करती है। इसके अतिरिक्त इस मशीन से राख कणों के न्यूनीकरण के लिए कार्बनमय तत्वों की घटिया किस्म वाली कोयले की परतों का भी खनन किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप, विद्युत सयंत्रों में कम राख अर्जन होता है और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आती है। यह सुरक्षित है, अधिक पर्यावरणीय अनुकूल है और सतत उत्पादन प्रौद्योगिकी है।

(ii) राईपर डोजर लागू करना- ओबी हटाने की एक अन्य विस्फोट रहित प्रौद्योगिकी-इसने भी ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग जैसे धूल पैदा करने वाले प्रचालनों को लुप्त कर दिया है जो अनके बार ग्रामवासियों को परेशान करते थे।

(iii) पर्यावरणीय टेलीमानिटरिंग प्रणाली भूमिगत खदानों के पर्यावरण में कार्बन मोनोक्साईड, कार्बन डायोक्साईड, मिथेन आदि जैसी हानिकारक गैसों की बढ़ती सघनता की जानकारी और चेतावनी मानीटरिंग करती है। पर्यावरणीय स्थितियों के सतत मानीटरिंग के लिए भूमिगत खदानों में ऐसी प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

(iv) भूमिगत खदानों में लंबी और कठिन यात्रा से थकान होती है और मूल्यवान कार्यकारी समय नष्ट होता है। इस समस्या से उबरने के लिए भूमिगत खदानों में मैन-राईडिंग प्रणाली स्थापित की गई है ताकि कामगारों को थकान न हो और वे अधिक उत्पादन कर सकें।

(v) भूमिगत खदानों में कोयले की मानवी लदान को समाप्त करने केलिए एसडीएल और एलएचडी जैसी मशीन लगाई गई है। इनसे समान उत्पादन हेतु कार्यकारी क्षेत्रों में व्यक्तियों की संख्या कम हुई है जो सुरक्षा और उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रशंसनीय उपलब्धि है।

(vi) भूमिगत खदानों में यूडीएम मशीनों की स्थापना के मैनुअल ड्रिलिंग जो भूमिगत खदानों में अति दुष्कर कार्य है को विनिर्मुक्त करने में मदद की है। इस प्रौद्योगिकी से ग्रीन रूफ जोन में कर्मियों के प्रकटन में कमी आई है और ड्रिलिंग उत्पादन बढ़ा है।

(vii) प्रचालक स्वतंत्र ट्रक प्रेषण प्रणाली (ओआईटीडीएस) की बलराम, लिंगराज व भरतपुर ओसीपी में टिप्पर्स तथा डंपरों के संचालन की बेहतर मानिटरिंग हेतु स्थापना की गई है।

(viii) तालचेर क्षेत्र की (पश्चिम) खान और तालचेर क्षेत्र की नटराज भूमिगत खान में चालू भूमिगत परियोजनाओं पर सतत माईनर लगाने से विस्फोटक जोखिम समाप्त होगा और ग्रीन रूफ जोन कमें कर्मियों को प्रकटन कम होगा।

(ix) थर्मल पावर स्टेशनों को बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति हेतु साईलोज व सीएचपी सहित 04 वाशरियों के निर्माण की योजना बनाई गई है। इन साइलोज और सीएचपी की स्थापना से खानों में वाहन यातायात सघनता और संबंधित जोखिमों में कमी होगी।

21.4 सुरक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास:

(i) एमसीएल को सभी ओसीपी के कोयले के लिए कोयले व ओबी बैंचों की उच्च दीवारों और ओबी डम्प की स्थिरता के निर्धारण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है।

(ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय अग्रणी अनुसंधान संस्थान केन्द्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के सहयोग से कोल इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में एक अनुसंधान व विकास परियोजना 'कोयला खदानों में वायु धारित श्वास लेने योग्य धूल (एआरडी) में सिलिका (ए-क्वार्टज) मुक्त और खनिजों के आधार आंकड़े तैयार करने का अध्ययन' प्रगति पर है।

(iii) कोल इंडिया लिमिटेड की एक अग्रणी वैज्ञानिक एजेंसी-सीएमपीडीआईएल नियिमित रूप से कोयला संचालन सयंत्रों, तीव्र लदान प्रणाली, ऊपरी बंकरों और भारी अर्थमुविंग मशीनों का गैर-विनाशक परीक्षण कर रही है।

(iv) भूमिगत खदानों में स्तर स्थिर रखने हेतु उपयुक्त आधार प्रणाली डिजाईन करने के लिए सीएमपीडीआईएल ने रॉक रेटिंग अध्ययन किए हैं।

21.5 बचाव

एमसीएल की खदानों में आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एमसीएल में ईब वैली कोयलांचल के और तालचेर क्षेत्र में एक आरआरआरपी सुसज्जित खदान बचाव स्टेशन हैं। बचाव सेवाओं को और मजबूत करने के लिए वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई:-

(i) 78 डीजीएमएस अनुमोदति क्लोज्ड सर्किट पोजिटिव प्रैशर सैल्फ केंटैन्ड ब्रिदिंग अपरेटस और 04 परीक्षण मशीन का ओरियंट व तालचेर के हमारे खदान बचाव स्टेशनों के लिए प्रापण किया गया।

(ii) हमारी तालचेर वे ओरियंट क्षेत्रों की भूमिगत खदानों के लिए 60 मिनट की अवधि वाले 1202 सैल्फ कंटेन्ड ऑक्सीजन टाईप सैल्फ रैस्क्यूअर का प्रापण किया गया।

22. कम्प्यूटरीकरण:

कोलनेट - कोलनेट के विभिन्न मोड्यूल जैसे वित्तीय सूचना प्रणाली (एफआईएस), कार्मिक सूचना प्रणाली (पीआईएस), वेतन पंजिका, विक्रय और विपणन, उत्पादन सूचना प्रणाली, उपकरण मानिटरिंग प्रणाली आदि प्रयोग में है। प्रयोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप नियमित संवर्धन किया जाता है। कोलनेट सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण का ठेका मैसर्स सीएमसी लिमिटेड के पास है जो 30.06.2014 को समाप्त होगा।

एमसीएल ने मुख्यालय के कोलनेट सर्वर के जरिए क्षेत्र व परियोजना स्तर पर कार्यकलापों का विस्तार किया है जैसे बिल भुगतान स्थिति प्रविष्टि, सड़क बिक्री और रेल साइडिंग बिलिंग दो क्षेत्रीय भंडारों में ऑनलाईन सामग्री प्रबंधन प्रणाली (ओएमएमएस), कर्मचारी आंकड़ों को अद्यतन, उत्पादन ब्यौरा

प्रविष्टि, भू-अधिग्रहण और पुनर्वास ब्यौरा। एमसीएल भुवनेश्वर के कार्यकलाप जैसे वित्तीय लेखांकन, वेतन-पंजिका और कार्मिक सूचना प्रणाली को केन्द्रीय कोलनेट सर्वर कमें स्थानांतरित किया गया है। वित्तीय लेखांकन और एमसीएल कोलकाता के देनदारों के लेखांकन को भी केन्द्रीय कोलनेट सर्वर में स्थानांतरित किया गया है।

ई-प्रोक्योरमेंट :- एनआईसी द्वारा तैयार किया गया ई-निविदा पोर्टल निविदा आमंत्रित करने, उन्हें खोलने तथा कार्य एवं सेवाओं का मूल्यांकन करने और ईसीवी के लिए 2 लाख से भी अधिक वस्तुओं की खरीद के लिए संचालित किया जा रहा है । वर्ष 2013-14 में ई-प्रापण पोर्टल के जरिए सभी टेंडरों की ईएमडी की स्वत: वापसी कार्यान्वित की गई है।

ई-भुगतान एवं ई-प्राप्तियां :- भुगतान एवं प्राप्तियां अधिकांशत: ई-प्रणाली के माध्यम से की जा रही हैं।

ट्रक डिस्पैच प्रणाली :- जीपीएस आधारित प्रचालक स्वतंत्र ट्रक प्रेषण प्रणाली - एमसीएल की तीन खुली खदान परियोजनाओं नामत: बलराम, लिंगराज एवं भरतपुर ओसीपी में (ओआईटीडीएस) पूरी हो गई है। डब्ल्यूपीसी लाइसेंस प्राप्त हो गया है और यह प्रणाली संचालनाधीन ।

एमसीएल वेबसाइट :- कंपनी की वेबसाइट www.mcl.gov.in सीएमपीडीआईएल, रांची ने होस्ट की है और इसका अनुरक्षण कर रही है। बेवसाइट का आवश्यकतानुसार पुनर्गठन किया जा रहा है। शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा तथा ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि के बिल भुगतान संबंधी स्थिति ऑनलाईन भर्ती, कोयला ग्राहक शिकायत निवारण आदि वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरटीआई से संबंधित जानकारी नियमित तौर पर वेबसाइट पर अद्यतन की जा रही है। वर्ष 2012-13 की स्कैन की गई प्रति वेबसाईट पर अपलोड की गई है।

ई-मेल खाता :- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के दृष्टिगत एनआईसी से मुख्यालय एवं क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए 400 ई-मेल खाते प्राप्त किए गए हैं ताकि सरकारी पत्राचार किया जा सके।

निविदाओं की अपलोडिंग:- सभी खुली निविदाएं ई-प्रापण पोर्टल के अतिरिक्त सरकारी पोर्टल www.tenders.gov.in पर दैनिक आधार पर अपलोड की जाती हैं।

ओएमएमएस (आनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली) - सभी क्षेत्रीय स्टोरों में ओएमएमएस को चालू किया गया है तथा एमसीएल में कहीं से भी किसी भी स्टोर में किसी भी सामग्री के ऑनलाइन स्टॉक की स्थिति प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

बीबीएसआर - कोलकाता के बीच में सम्पर्क:- भुवनेश्वर एवं कोलकाता में एमसीएल के विभिन्न अधिकारियों को 1एमबीपीएस बीएसएनएल लीज लाइन के माध्यम से संबलपुर स्थित एमसीएल मुख्यालय से जोड़ा गया है। मुख्यालय में वीपीएन कनेक्टिविटी भी स्थापित की गई है ताकि प्रयोक्ता दैनिक कार्यों हेतु किसी भी स्थान से कारपोरेट एलएएन से जुड सके।

इंटरनेट लीज लाइन - मुख्यालय में बीएसएनएल से इंटरनेट सुविधा वाली एक 10 एमबीपीएस लीज लाइन प्रारंभ की गई है। एमसीएल की किसी भी दूर स्थित इकाई से कोई भी उपभोक्ता कारपोरेट नेटवर्क पर इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इसका 2014-15 के लिए नवीनीकरण किया जा रहा है।

उत्पादकता सुधार स्कीम साफ्टवेयर - एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित उत्पादकता सुधार स्कीम के अनुसार प्रोत्साहन के सही समय तथा उपयुक्त भुगतान हेतु एमसीएल की खुली खदान परियोजनाओं में एक सॉफ्टवेयर विकसित और कार्यान्वित किया गया है जिसका उद्देश्य प्रचालकों का मनोबल बढ़ाना और अधिक उत्पादकता करना है। इसे केन्द्रीय कोलनेट सर्वर पर नियोजन हेतु तीन-टायर वास्तुशिल्प में विकसित किया जा रहा है।

शेष वे-ब्रीज की कनेक्टिविटी - रेडियो लिंक के माध्यम से कारपोरेट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं

अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क: क्षेत्रीय अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों/वे-ब्रिजों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए एमपीएलनएस/वीएसएटी आधारित अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क की स्थापना हेतु कार्य-आदेश दे दिया गया है।

केन्द्रीय आंकड़ा केन्द्र और नोडल कंप्यूटर केन्द्रों में सर्वर की स्थापना: मुख्यालय और ईब वैली, बासंधवा और जगन्नाथ के तीन क्षेत्रों में उच्चतम आईबीएम सर्वर स्थापित किए गए हैं। वासुंधरा क्षेत्र को आपदा राहत स्थल चुना गया है। सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयरों और आंकड़ों को नए आईबीएम सर्वरों में परिवर्तित कर दिया गया है। ओरेकाल 11जी डीबी और 11जी एएस (वेबलॉजिक) स्थापित किए गए हैं। उपलब्ध सॉफ्टवेयर नए सर्वरों में परिवर्तित कर दिए गए हैं।

जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन मार्गन प्रणाली:

i) कोयले के उत्पादन/आंतरिक परिवहन हेतु प्रयुक्त 1500 ट्रक/टिपर पर वाहन मार्गन प्रणाली आधारित जीपीएस/जीपीआरएस,

ii) वाहनों की इमेज लेने और वजन के आंकड़ों सहित वाहनों के ब्यौरो हेतु 96 सड़कों वे-ब्रिजों पर स्थापित आई पी कैमरों के साथ आरएफआईडी आधारित रीडर और

iii) निरंतर वीडियो रिकार्डिंग हेतु 22 रेलवे साइडिंग पर सीसीटीवी आधारित चौकसी प्रणालियों, की आपूर्ति, स्थापना, प्रचालन, कार्यान्वयन प्रशिक्षण और गहन अनुरक्षण का आपूर्ति-आदेश दे दिया गया है।

भावी योजना/अन्य चालू कार्यकलाप:

» **ई-मेल संदेश प्रणाली:** एमसीएल अपने कर्मचारियों को ई-मेल खाते देने हेतु ई-मेल संदेश प्रणाली कार्यान्वित करेगी। मेल सर्वर का ग्राहकों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों को बिल भुगतान ब्यौरे, सुपुर्दगी ओदश, वापसी आदि की कोलनेट सर्वर के जरिए ई-मेल भेजने के लिए कोलनेट सर्वर से एकीकरण किया जाएगा।

» **349 पीसी को बदलना-** 349 पुराने डैस्कटॉप पीसी और संबंद्ध सामग्री को नए पीसी और संबद्ध से बदला जाएगा।

» **वाई-फाई नेटवर्क-** एमसीएल विभिन्न विभागों तथा निवास से इंटरनेट की अभिगम्यता हेतु कोलनेट की पहुंच हेतु वर्तमान स्थानीय एरिया नेटवर्क (लैन) का विस्तार करने के लिए कर्पोरेट कार्यालय व जागृति विहार में इसके आवसीय क्षेत्र में वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

» कोलनेट का **ओएमएमएस** मोड्यूल सभी क्षेत्रीय भंडारों और एमसीएल की दो केन्द्रीय कार्यशालाओं पर कार्यान्वयन किया जाएगा।

» कोलनेट के **एफआईएस** और अन्य मोड्यूल का क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप में कार्यान्वयन किया जाएगा।

» एमसीएल की **संपूर्ण वेतन-पंजिका** का केन्द्रीय कोलनेट सर्वर के जरिए प्रसंस्करण किया जाएगा।

23. दूरसंचार

क. ओडिशा राज्य में संगठन की विभिन्न इकाइयों में कार्य कर रहे एमसीएल के सभी अधिकारियों को मोबाइल सीयूजी सुविधा प्रदान की गई है। इससे खनन, प्रेषण, इंजीनियरिंग एवं अन्य कार्यकलापों में लगे हुए 1800 से अधिक अधिकारियों के बीच न्यूनतम लागत पर 24X7 असीमित संचार स्थापित किया जा सकता है और इस प्रकार एमसीएल की संचार अवसंरचना को व्यापक तौर पर लागू किया गया है।

ओडिशा राज्य के बाहर तैनात एमसीएल के अधिकारियों (एक छोटा समूह) तथा जेसीसी के 140 सदस्यों सीयूजी नेट के अंतर्गत लाने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है तथा 140 जेसीसी सदस्यों में से 60 जेसीसी सदस्यों को सीयूजी सीम उपलब्ध करा दी गई है । साइडिंग में सीयूजी सीम उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है।

ख. आईपी आधारित विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यूएएन), जो लगभग एमसीएल की सभी यूनिटों को कवर करता है, का व्यापक पैमाने पर सफलतापूर्वक विभिन्न कार्यकलापों जैसे वित्त, विक्रय, प्रणाली इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है और संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आनलाइन डाटा संचार, प्रबंधन सुविधा हेतु भी इनका प्रयोग किया जाता है। अधिक संवेदी उद्देश्यों जैसे ईआरपी एवं विभिन्न अन्य आनलाइन कार्यकलापों के लिए नेटवर्क के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

ग. एमसीएल के सभी रोड वे-ब्रीज को वायमेक्स इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है जिनका प्रयोग रोड से की जानेवाली बिक्री के लिए किया जाता है तथा इसकी सहायता से भेजे जाने वाले ट्रकों के लिए ई-ट्रांजिट पास तैयार किए जा सकते हैं।

घ. परियोजनाओं में आंतरिक संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लजकुरा, नंदिरा, भुवनेश्वरी परियोजनाओं भुवनेश्वर कार्यालय एवं आनंद विहार के लिए 5 ईपीबीएएक्स एक्सचेंजों की आपुर्ति हो गई तथा इने स्थापित की कार्रवाई की जा रही है।

ड. कारपोरेट कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एमसीएल मुख्यालय, जागृति विहार के कार्यालय परिसर में कैमरा निरीक्षण प्रणाली की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। एमसीएल के सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय स्टोर, केन्द्रीय कर्मशाला रिजोनाल स्टोर के लिए सीसीटीवी निरीक्षण प्रणाली की स्थापना करने हेतु पहल की गई है एमसीएल मुख्यालय के जागृति विहार कालोनि कि सुरक्षा के लिये सीसीटीवी केमरा लगाया जा राहा है।

च. दूर स्थित स्थान होने के कारण एमसीएल मुख्यालयों में कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु एमसीएल मुख्यालयों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के आवासों तक लगभग 650 कनेक्शनों के साथ केबल टीवी सेवा प्रारंभ की गई है जिसमें जागृति विहार एवं आनंद विहार दोनों को शामिल किया गया है।

छ. मौजूदा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए ओरिएंट क्षेत्र की खदान संख्या 4 हेतु 30 लाइन की भूमिगत संचार प्रणाली के क्रय की प्रक्रिया जारी है।

ज. जगन्नाथ क्षेत्र के वीएचएम सैट (20 हस्तधारित + 2 आधार स्टेशन) का सर्वेक्षण किया गया और इन्हें बदलने का प्रस्ताव बनाया गया। कनिहा क्षेत्र के लिए 20 नए वीएचएफ सैट अनुमोदित किए गए और इनका प्रापण प्रक्रियाधीन है। इन परिसरों में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए एमसीएल मुख्यालय (जेवी और एवी) में वीएचएफ वॉकी टॉकी संप्रेषण की कार्रवाई प्रारंभ की गई।

झ. सभी अनुषंगियों, सीआईएल मुख्यालय और कोयला मंत्रालय, नई दिलली में क्रांफेसिंग हेतु एमसीएल मुख्यालय में वीडियो कांफ्रेसिंग प्रणाली का कार्य स्थापनाधीन है।

24. आनुषांगिक उद्योगों का विकास

आपकी कंपनी आनुषांगिक प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय तौर पर उभरने वाले उपक्रमों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने तथा स्टोर/उपभोज्य/मरम्मत इत्यादि के क्षेत्रों में राजस्व की व्यापक भागीदारी समायोजित करके उन्हें दीर्घकालिक कारोबार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपर्युक्त कार्य के लिए आपकी कंपनी के पास एक पूर्णकालिक आनुषांगिक विकास प्रकोष्ठ है जो निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए प्रतिबद्ध है:-

- ओड़िशा राज्य में अपनी संचालन अधिकार क्षेत्र में लघु स्तर के उद्योगों (एसएसआई) की संभावनाओं का विकास करने तथा उनका दोहन करने के लिए किए जानेवाले सभी प्रयासों को शुरू करती है, उनकी अनुमति देती है तथा उन्हें प्रोत्साहित करती है।

- राज्य के उद्योग निदेशालय तथा डीआईसी की सहायता से एमसीएल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता में सुधार करने हेतु प्रतिस्थापित किए जाने वाले उपकरणों का आयात करती है।

- राज्य की स्थानीय समुदाय जनसंख्या में युवाओं के बीच आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है।

- राज्य में आम लोगों की समृद्धि तथा उनका उत्थान तथा राष्ट्र के औद्योगिक मानचित्र में राज्य का उत्थान, इस राज्य की एसएसआई ईकाइयों के औद्योगिक उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा मानकों के अनुसार नए आयाम प्राप्त करने के लिए उन्हें समायोजित करती है।

एमसीएल का अनुषांगिक विकास प्रकोष्ठ एमसीएल के संचालन अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित ओडिशा राज्य के लघु स्तरीय उद्योगों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है जिसका एकमात्र उद्देश्य स्थानीय जनसंख्या के कुशल तथा गैर-कुशल बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाना है और इस प्रकार राज्य में आम लोगों की आत्म निर्भरता एवं समृद्धि को बढ़ाना है।

कंपनी की शुरूआत से ही एमसीएल ने ओडिशा की एसएसआई ईकाइयों का विकास करने में सहायता की है। एसएसआई इकाईयों को विभिन्न उपभोज्य स्पेयरों/मदों तथा एमसीएल के इंजीनियरिंग एवं खनन अनुभाग में निहित उत्पादन प्रक्रियाओं से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई सेवा संबंधी नौकरियों के लिए सिद्ध/अनंतिम अनुषांगिक दर्जा प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त इन आनुषांगिक ईकाइयों को बनाए रखने में अपने सतत प्रयासों के अंतर्गत एमसीएल उन आनुषांगिक इकाईयों को दीर्घकालिक कारोबार प्रदान कर रही है जो सामग्रियों की

गुणवत्तापरक आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा शीघ्र डिलीवरी अनुसूची की अनुपालना करती है। आनुषांगिक ईकाइयों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के बाद, उनके अनुषांगिक दर्जे के नवीनीकरण पर विचार किया जाता है। आज की तारीख के अनुसार लगभग 33 एसएसआई ईकाइयों (आनुषांगिक ईकाइयों) को मेरिट के आधार पर तथा एमसीएल की क्रय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और उपभोक्ता क्षेत्रों में गुणवत्तापरक आनुषांगिक स्पेयरों की आपूर्ति करने के लिए आनुषांगिक दर्जे के विस्तार की वैधता प्रदान की गई है। शेष 18 का दर्जा खत्म हो गया है तथा अगले पांच वर्षों के लिए पुन: वैधीकरण प्राप्त करने के विभिन्न चरणों में है।

एमसीएल सतत रूप से आनुषांगिक इकाईयों का रिकार्ड रखती है तथा समय-समय पर संवादात्मक सत्रों/बैठकों का आयोजन कर उनकी समस्याओं का समाधान करती है।

वर्ष 2013-14 में एमसीएल ने 2 बड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है:

ओड़िशा एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2014 - इसका आयोजन ओड़िशा सरकार के एमएसएमई विभाग, उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 1 से 7 जनवरी, 2014 तक भुवनेश्वर में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), भारत सरकार के सहयोग से किया गया।

i. राष्ट्रीय स्तर का विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन एंटरप्राइज,ओड़िशा-इसका आयोजन दिनांक 20-23 ओक्टोबर , 2013 को कटक में एमएसएमई विकास संस्थान, भारत सरकार द्वारा एमएसएमई विभाग ओडिशा सरकार, सीटीसीसी एवं ओड़िशा औद्योगिक संघ के सहयोग से कटक में किया गया। विभिन्न उपकरणों के स्पेयर्स, जिनकी पहचान की गई थी, एमएसई की आसान समझ हेतु आसान तरीके से खुले में उपलब्ध करवाए गए। एमसीएल की उत्पादन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु एमएसई को आमंत्रित किया गया था तथा वे स्वयं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए। इन दोनों कार्यक्रमों में एमसीएल को उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

इसके अतिरिक्त एमसीएल ने सेमिनारों में भी भाग लिया जिससे ओड़िशा राज्य में उद्यमिता के सुदृढ़ीकरण में सहायता मिली।

(i) इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स द्वारा भुवनेश्वर में 26.07.2013 को आयोजित एमएसएमई शिखर सम्मेलन-व-प्रदर्शनी

(ii) ओड़िशा लघु व मध्यम उद्यम एसेम्बली (ओएएसएमई) द्वारा भुवनेश्वर में 12 अगस्त, 2013 को आयोजित 27वां वार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन व संगोष्ठी ।

आनुषांगिकता के क्षेत्र:

उपभोज्य स्टोर, फर्नीचर, वन उत्पाद, सुरक्षा मद, मशीनरी स्पेयर पार्टस, कास्टिंग सेवाएं, फीडर ब्रेकर/सीएचपी स्पेयर्स, भूमिगत उपकरण स्पेयर्स, एचईएमएम स्पेयर्स, पाइप फिटिंग, सिविल मद, इलेक्ट्रिकल आइटम, अग्निशमन उपकरण, रोल्ड स्टील आइटम्स, प्रिंटिंग जॉब, केबल्स इत्यादि,

गत 03 वर्षों की अनुषंगी ईकाइयों) स्थायी एवं अस्थायी (तथा ओड़िशा राज्य के अंदर के एसएसआई ईकाइयों से खरीद/मरम्मत के ऑकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	क्रय/मरम्मत सांख्यिकी (करोड़ रुपए में)		
		अनुषंगी	एसएसआई आतंरिक और बाह्य ओड़िशा	कुल
1	2011-12	5.24	10.16	15.40
2	2012-13	4.36	19.36	23.72
3	2013-14	2.82	19.72	22.54

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय ने दिनांक 25 अप्रैल, 2012 के अ.शा.पत्र संख्या 21 (1)/2011-एम.ए. द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसई), एमएसई-2012 के संबंध में एक नई नीति जारी की गई है। इस नीति में 2012-13 से तीन वर्ष की अवधि में एमएसई द्वारा के उत्पादों या प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद में लगभग 20% लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारण किया गया है। एमसीएल राज्य सरकार के अधिकारियों के परामर्श से इस नीति को सीआईएल की खरीद नियमावली के अनुरूप तैयार करने के लिए तैयार करने के लिए कार्य कर रही है।

(i) वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अन्य स्टोर शीर्ष, एचईएमएम स्पेयर्स आदि पीओएल के अलावा, राजस्व बजट = 100.30 करोड़
(ii) वित्तीय वर्ष 2013-14 में एमएसई और अनुषंगी फर्मों से ऑफ टेक = 22.54 करोड़

एमएसई से ऑफटेक कुल आबंटित बजट का 22.47 प्रतिशत है और एमएसएमई मंत्रालय, एमएसई के आदेश, 2012 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित वांछित राशि से अधिक है अर्थात 20 प्रतिशत। यह उल्लेख किया जाता है कि एमसीएल 2.00 लाख से अधिक ई-टेंडरिंग हेतु चालू नीति के रूप में है और एसएसआई ईकाइयों सहित सभी के लिए खुली है बशर्ते वे पात्रता मानदंड पूरे करते हों।

वर्तमान अनुषंगी नीति सहित नई प्रापण नीति (पीपीपी) के कार्यान्वयन से एमएसई के ऑफ-टेक के बढ़ने की आशा है। एमसीएल द्वारा अपनाई गई एमएसई और अनुषंगी एमसीएल पोर्टल पर अनुषंगी व एमएसई शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है।

25. मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)

आपकी कंपनी के पास न्यूनतम जनशक्ति समूह है, परंतु उनकी प्रेरणा एवं दक्षता को उच्चतर स्तर तक बनाए रखने के कारण आपकी कंपनी लगातार चौथे साल पुन: 100 मिलियन क्लब में शामिल रही है। कर्मचारियों की अधिक उत्पादकता के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2013-14 में 110.440 मिलियन टन कोयला उत्पादन तथा 96.03 मिलियन क्यूबिक मीटर ओबी को हटाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका है।

आपकी कंपनी मानती है कि उसकी सफलता केवल बाजार में उसकी मजबूत स्थिति के कारण नहीं बल्कि उसकी मानव पूंजी के कारण भी है जो बराबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी कंपनी का मानव संसाधन प्रबंधन उसकी लंबी-अवधि की कार्यनीतियों के साथ पूरी तरह से गठबंधन में है जो प्रतिभाओं को आकर्षित करने, उसका पोषण, विकास और उसे बनाए रखने की चरम पराकाष्ठा पर है।

कुल 22,278 की जनशक्ति में से, आधिकारियो की संख्या 1879 है और कर्मचारियों की संख्या 20399 है। अवधि के दौरान, 85 व्यक्ति नई भर्ती, स्थानांतरण, पुन:बहाली इत्यादि के माध्यम से जुड़े और 161 व्यक्ति सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, ईएसएस, त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के माध्यम से चले गए। जनशक्ति में वृद्धि का मुख्य कारण परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रचलित आरएण्डआर नीतियों के अनुसार रोजगार दिलाने, परिसर चयन के माध्यम से भर्ती और सीआईएल द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षुओं की खुली भर्ती के कारण है। कंपनी की कुल जनशक्ति 31.03.2013 को 22,065 की तुलना में 31.3.2014 को 22,278 है।

25.1 औद्योगिकी संबंध:

एमसीएल ने ओडिशा का मुख्य औद्योगिकी प्रतिष्ठान होते हुए भी संगठन में सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण तैयार करने के लिए अपने श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ स्वस्थ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए हैं। इसने बाहरी एजेंसियों और खदान के आस-पास के समीपवर्ती ग्रामीणों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं।

प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध उच्च प्रगति पाने हेतु अनिवार्य है और इसलिए कंपनी ने हमेशा अच्छे औद्योगिक संबंध रखने पर बल दिया है। इस वर्ष भी, एमसीएल त्रि-स्तरीय आईआर प्रणाली तंत्र अर्थात ईकाई स्तर, क्षेत्र स्तर और कारपोरेट स्तर के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध रखने में सफल हुई है। मामलों और प्रदत्त शक्तियों पर निर्भर करते हुए, कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों का आईआर प्रणाली के विभिन्न स्तर पर निपटारा किया गया।

निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के मुद्दों और कुछ अन्य मुद्दों पर कोल माईंस आफिसर्स एसोसिशन ऑफ इंडिया द्वारा 13.03.2014 को हुई एक हड़ताल को छोड़कर, औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण रहे। इसके अलावा, वर्ष 2013-14 में कोई अनय हड़ताल नहीं हुई जो प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच सशक्त संबंध परिलक्षित करते हैं।

प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय औद्योगिक संबंध बनाए रखने में कार्य कर रही सभी चार ट्रेड यूनियनों के प्रयास सराहनीय हैं।

25.2 सहभागिता प्रबंधन:

प्रबंधन के साथ एक विशिष्ट स्तर तक दैनंदिन कार्यों के साथ-साथ कार्पोरेट आयोजना में निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी कार्पोरेट लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग को सुगम बनाती है। आपकी कंपनी एमसीएल ने सहभागिता प्रबंधन के मूल्यों को जानते हुए, इसके आरंभ से ही इस सिद्धांत को अपनाया है।

जेसीसी और कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का नामांकन परिचालित ट्रेड यूनियनों द्वारा (आईआर प्रणाली के तहत शामिल) किया जाता है। उल्लेखित द्विपक्षीय फोरम के अलावा, क्षेत्र के साथ-साथ कारपोरेट स्तर पर भी त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियां कार्य कर रही हैं जिसमें ट्रेड यूनियनों द्वारा नामांकित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऊपर लिखित द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां विशेष निर्णय लेने और समस्याएं सुलझाने में प्रबंधन की सहायता करने में सक्रिय हैं।

एमसीएल का अपने कर्मचारियों के साथ केवल सहभागिता प्रबंधन के जरिए ही नहीं बल्कि कर्मचारी संबद्धधता जैसी श्रेष्ठ पद्धधतियों के आत्मसात के जरिए कार्य संस्कृति, सौहार्दपूर्ण परिवेश और निष्ठा विकसित करने में विश्वास है। फरवरी, 2014 के अंतिम सप्ताह में अंतर-निदेशालाय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया जिससे न केवल दैनिक कार्य की उगाही और दबाब से मुक्त होने में सहायता मिलती है बल्कि कर्मचारियों में स्फूर्ति आती है और नेतृत्व व टीम भावना के महत्व बढ़ता है।

आपकी कंपनी लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व को समझती है और अपनी महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और महिला कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों/शिकायतों के निपटारा के लिए विशेष ध्यान देती है। महिलाओं के उन्नति एवं विकास के लिये ताकि वे अवसरो का सर्वोतम उपयोग अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रभावि रुप से आगे बढ़ सके इस के लिये एमसीएल डबल्यूआईपीएस फोरम के माध्यम से महिल कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं सेमिनार के द्वारा उन्हें सुचना एवं विचारो के आदान प्रदान के लिये मंच उपलब्ध कराता है ।

कंपनी में 2013-14 में कंपनी स्तर/क्षेत्र स्तर/परियोजना स्तर पर आईआर, कल्याण, सुरक्षा, जेसीसी इत्यादि से संबंधित बहुत अधिक 300 बैठकें हुईं जिसमें कर्मचारी कल्याण, सुरक्षा और कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित विभिन्न मामलों पर यूनियन प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और समस्याएं मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाई गईं। चर्चा के दौरान, कार्य प्रक्रियाओं के सुधार और संगठन के दैनंदिन कार्यों में सुधार के लिए अनेक नए विचार और सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र/मुख्यालय पर कोल इंडिया अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के साथ बैठक भी की गई जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की गई और उन्हें मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाया गया।

संघ का एक सदस्य इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय स्तर की निम्नलिखित फोरम में शामिल किया गया जो सहभागिता प्रबंधन की ओर एक अच्छा कदम है:-

i) आवास आवंटन समिति
ii) क्षेत्रीय संयुक्त परामर्शी समिति
iii) कॉर्पोरेट संयुक्त परामर्शी समिति

25.3 प्रशिक्षण और विकास:

प्रशिक्षण और विकास मौजूदा मानव संसाधनों के विकास के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय प्रगति के विशेष संदर्भ में स्पष्ट परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने और उत्पादन के रुबरू प्रौद्योगिकी की मांग पूरा करने के लिए जनशक्ति की वृद्धि से निपटने हेतु आपकी कम्पनी की कॉपोरेट नीति का अभिन्न भाग है।

कार्यनीति योजना से उत्पन्न कार्यों का सामना करने के लिए, सभी तीनों आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रों अर्थात (प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला, बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान, बेलपहाड़, लखनपुर क्षेत्र, खनन, इंजीनियरी और उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (मिटी), तालचेर और विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित 5 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्नलिखित तीन खंडों में मानव संसाधन विकास के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक मानव संसाधन विकास योजना तैयार की जाती है:-

i) **तकनीकी प्रशिक्षण:**

यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और उन्हें निकट भविष्य में खनन कार्य में प्रयोग होने वाली नवीनतम प्रौद्योगिकी से, यदि कोई हो, अद्यतन भी करता है ताकि प्रौद्योगिकी में विशेष प्रणालियों के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में समृद्धि अथवा क्षमता और नए उपकरणों के माध्यम से परियोजना में पूंजी और तकनीक के निवेश की उपयुक्त वापसी उपलब्ध करा सके। उपर्युक्त के कार्यान्वयन के लिए, कर्मचारियों को निम्नलिखित के माध्यम से उजागर किया जाता है:

- ⇨ **मूल पाठ्यक्रम:** प्रौद्योगिकी, उपकरण और प्रणाली के उपयुक्त ।
- ⇨ **पुनश्चर्या पाठ्यक्रम:** तीन वर्ष में एक बार उनको जो मूल पाठ्यक्रम कर चुके हैं अथवा पहले से ही विशिष्ट कौशल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्थल पर अथवा प्रशिक्षण केन्द्रों में भी आयोजित किया जाता है।
- ⇨ **विशेषीकृत पाठ्यक्रम:** प्रौद्योगिकी, उपकरणों के विन्यास और क्षमता में परिवर्तन तथा उत्पादन की प्रणाली में सुधार के मामले में।

ii) **प्रबंधन प्रशिक्षण:**

प्रत्येक स्तर के अधिकारियों को प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला में समय-समय पर कंपनी की आवश्यकता के अनुसार मांग आधारित प्रशिक्षण अर्थात् उच्च स्तर पर प्रवेश, कंपनी हितों के विभिन्न विषयों पर आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही अधिकारियों को बाह्य संगठनों जैसे आईआईसीएम, रांची, आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी और भारत तथा विश्व के अन्य प्रख्यात प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जाता है।

iii) **परिवर्तन प्रशिक्षण:**

कंपनी नियमित सांविधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा कंपनी के भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप और कंपनी की कॉर्पोरेट योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक कुशल बनाने और कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाने में भी रुचि लेती है।

प्रशिक्षण पाठ्यचर्या:

क) **अधिकारी कार्यक्रम:-**

- ⇨ सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम: अधिकारियों के प्रबंधन कौशलों और कार्य-निष्पादन को बढाने हेतु।
- ⇨ कार्यात्मक कार्यक्रम: कार्यात्मक कौशलों के विकास हेतु।
- ⇨ क्रास कार्यात्मक कार्यक्रम: अन्य विभाग के कार्य संबंधी ज्ञान के विकास हेतु।
- ⇨ कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु नित्पादन हेतु ।

ख) **पर्यवेक्षक कार्यक्रम:-**

- ⇨ पर्यवेक्षक विकास कार्यक्रम: ज्ञान और कौशल के उन्नयन हेतु।
- ⇨ पर्यवेक्षकों हेतु सुरक्षा प्रबंधन: पर्यवेक्षकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु।
- ⇨ कोचिंग कक्षाएं: कैरियर संवर्धन हेतु।
- ⇨ कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु नित्पादन हेतु ।

ग) **श्रमिक कार्यक्रम:**

- ⇨ श्रमिक विकास कार्यक्रम: श्रमिकों के कौशल के उन्नयन हेतु।
- ⇨ एचईएमएम प्रशिक्षण: उपयुक्त प्रशिक्षण के पश्चात् विभिन्न खानों में तैनाती के लिए भू-विस्थापित को इस प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है।
- ⇨ सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम: खानों में सुरक्षा के संबंध में श्रमिकों के मध्य सुरक्षा जागरूकता सृजित करने हेतु।
- ⇨ कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: कुशलता से कम्प्यूटर संभालने हेतु।

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के प्रशिक्षण का ब्यौरा:

आंतरिक प्रशिक्षण का ब्यौरा (एमटीआई, बीटीआई, मीटी, वीटीसी)

क्र.सं.	कर्मचारी	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
01	कार्यपालक	944	1543
02	पर्यवेक्षक	657	941
03	कामगार	4838	4472
	कुल	6439	6956

बाह्य प्रशिक्षण का ब्यौरा:

क्र.सं.	कर्मचारी	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
01	कार्यपालक	874	832
02	पर्यवेक्षक	185	158
03	कामगार	62	92
	कुल	1121	1082

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को इन्टर्नशिप प्रशिक्षण :

क्र.सं.	कर्मचारी	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
01	खनन इंजीनियरी	102	50
02	खनन डिप्लोमा	188	63
03	बी.टेक	111	52
04	एमबीए	57	45
	कुल	486	210

पोस्ट डिप्लोमा व्यवहारिक प्रशिक्षण (पीडीपीटी):

क्र.सं.	संस्थान	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
01	ओएसएमई, क्योंझर	22	10
02	केआईएमईटी, छेंडिपदा	6	10
03	पीसीआईईटी, अंगुल	--	24
	कुल	28	44

एमसीएल बोई सदस्यों को प्रदत्त प्रशिक्षण :

वर्ष	प्रशिक्षणों की संख्या	भारत में	विदेश में
2012-13	10	10	-
2013-14	07	06	1

वर्ष 2013-14 के समझौता-ज्ञापन के अनुसार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम:

क्र.सं.	प्रकार	लक्ष्य	प्रशिक्षित कार्यपालक
1	परियोजना प्रबंधन	60	60
2	संविदा प्रबंधन	5	7
3	जोखिम प्रबंधन	5	9
4	पर्यावरण प्रबंधन	5	6
5	एएमपी	2	4
6	विदेश प्रशिक्षण	0	1

25.4 भुवनेश्वर में प्रबंधन विकास संस्थान:

अधिगम संगठन के रूप में बढ़ने की इसकी प्रतिबद्धता, सतत् आधार पर अधिकारियों के ज्ञानार्जन हेतु स्थान सृजित करने और कंपनी में भविष्य के नेतृत्व हेतु अधिकारियों के विकास के लिए, एमसीएल ने राज्य की राजधानी में अधुनातन प्रबंधन विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

एमसीएल कोल इंडिया लि. की एकमात्र सहायक कंपनी है जिसने कोल सेक्टर के भीतर, अधिकारियों की बढ़ती और उभरती विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऐसी बड़ी पहल की है। टमाण्डो, भुवनेश्वर में बन रहे संस्थान का उद्देश्य है विविध गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण और विकास, आर एंड डी, परामर्शी और सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन करना । नई तकनीक के आने से उत्पन्न योग्यता अंतर, व्यापार का विविधीकरण और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति को ढांचागत मानव संसाधन विकास हस्तक्षेपों के माध्यम से तीव्र गति से फिर से भरा जा सकता है जिसके लिए संस्थान तैयार है।

मेसर्स एनबीसीसी- एक केन्द्रीय सरकारी उद्यम को श्रेष्ठ हरित मानक अपनाते हुए संस्थान के निर्माण का कार्य सौंपा गया है।

25.5 मनोरंजन गतिविधियां :

टीम भावना को प्रेरित करने और कर्मचारियों के बीच आपसी भावना को समझने को ध्यान में रखते हुए कंपनी में विभिन्न मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

क्षेत्र स्तर पर विभिन्न टूर्नामेंट आयोजित किए गए और चुने गए खिलाड़ियों को सीआईएल अंतर-कंपनी टूर्नामेंट में भाग लेने हेतु भेजा गया है। सीआईएल टूर्नामेंटों में एमसीएल की उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं, विशेषकर तृतीय कार्पोरेट खेल बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुश्री के.टी.दास डब्ल्स में विजेता रही और सिंगल महिला श्रेणी में रनर-अप रहीं। एमसीएल टीम आखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र गोल्फ टूर्नामेंट, जो एमसीएल द्वारा एमसीएल मुख्यालय संबलपुर में 19 से 20 दिसंबर, 2013 को आयोजित किया गया था, ग्रुप रनर-अप रही।

कोल इंडिया स्थापना के साथ-साथ एमसीएल के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता हेतु दौड़ का आयोजन किया गया।

समाज के दलितवर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु, एमसीएल महिला मंडल ने एमसीएल परिधि के भीतर और आस-पास अनेक परोपकारी कार्य किए हैं। पंजीकृत विभिन्न संगठनों को उनके क्षेत्रों में मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियां कराने हेतु वित्तीय सहायता भी दी गई है।

25.5.1 शिक्षा:

एमसीएल ने कोयला खदानों के आस-पास चल रही शैक्षिक संस्थाओं, एन.के. महाविद्यालय, तालचर सहित 19 निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है । हमारे बच्चों के लिए अच्छी शैक्षेक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एमसीएल में 09 डीएवी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। इसमें विशेष रूप से बालिकाओं के लिए डीएवी बालिका हाई स्कूल शामिल है। बर्ष 2013-14 के दौरान, डीएवी पब्लिक स्कूलों के आवर्ती व्यय हेतु 19,00,99,134/- रु. (राजस्व) संस्वीकृत किए गए और निजी प्रबंधित स्कूलों को 49,24,080/- रु. (60 प्रतिशत) उपलब्ध कराए गए तथा शेष 40 प्रतिशत जारी करने हेतु क्षेत्र से संबद्ध रिपोर्ट मांगी गई है। इस वर्ष एमसीएल प्रबंधन ने निजी प्रबंधित स्कूलों को वित्तीय अनुदान में पिछले अनुदान पर 40 प्रतिशत की वृद्धि की है। उपर्युक्त के अलावा, आईजीआईटी, सरांग और ओएसएमई, क्योंझर (डिप्लोमा तकनीकी स्कूलों) में वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले हेतु 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं।

छठे वेतन आयोग से उपजे 01.01.2006 से 31.07.2009 की अवधि के बकाया का रुपए 7,49,32,773/- (रुपए सात करोड़ उनन्चास लाख बत्तीस हजार सात सौ तिहत्तर का एमसीएल डीएवी निजी स्कूलों के स्टाफ (शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों) को भुगतान किया गया।

25.5.2 **मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति:**

सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अनुसार कर्मचारियों के बच्चों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। 2013-14 के दौरान, 1620 मेधावी छात्रों (सभी कर्मचारियों के बच्चे हैं) को छात्रवृत्ति देने के लिए इस शीर्ष में ₹ 21,11,940/- की राशि की व्यवस्था की गई है।

आपकी कंपनी ने तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा हेतु ट्यूशन शुल्क और छात्रावास भाड़े के लिए कर्मचारियों के बच्चों को वित्तीय सहायता दी है। 2013-14 के दौरान, इस शीर्ष के तहत कर्मचारियों के 44 बच्चों को ₹ 9,28,760/- की राशि संवितरित की गई।

26. राजभाषा :

एमसीएल के मुख्यालय और क्षेत्रों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम/कैलेंडर तैयार किया जाता है और उसके अनुसार कार्यक्रम किए जाते हैं। वर्ष के दौरान तिमाही राजभाषा कार्यशालाएं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें, वर्ष के दोनों सत्रों हेतु भाषा प्रशिक्षण कक्षाएं, नामित हिंदी अधिकारियों की बैठकें, राजभाषा पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, नराकास, संबलपुर की बैठकें, सीआईएल स्तरीय राजभाषा सेमिनार और कवि-सम्मेलन आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित राजभाषा कार्यक्रम आयोजित किए गए :

1. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:**
   राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें सीएमडी, एमसीएल की अध्यक्षता में दिनांक 19.6.2013, 14.9.2013, 07.12.2013 और 25.03.2014 को आयोजित की गईं जिसमें क्षेत्रों और मुख्यालय में राजभाषा की प्रगति की समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिनांक 19.6.2013 और 14.09.2013 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में डा. प्रसन्न पाटशाणी, सांसद (लोक सभा)/कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के माननीय सदस्य और एमसीएल के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नामित प्रेक्षक भी उपस्थित थे।

2. **राजभाषा कार्यशाला:**
   दिनांक 15.04.2013 ईब वैली ,एमसीएल मुख्यालय 17.04.2013,17.05.2013 जगन्नाथ,23.05.2013 तालचेर,09.07.2013 ओरियेंट, 31.07.2013 तालचेर क्षेत्र, 08.08.2013 मुख्यालय, 30.09.2013 हिंगुला क्षेत्र, 16.12.2013 एमसीएल मुख्यालय, 26.12.2013 तालचर क्षेत्र, 30.12.2013 बसुंधरा क्षेत्र और 16.01.2014 मुख्यालय में 12 राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें प्रतिभागियों को राजभाषा नीतियों के नियमों और विनियमों से अवगत कराया गया और हिंदी में टिप्पण/आलेखन का अभ्यास किया। कार्यक्रमों में कुल 470 अधिकारियों/ स्टाफ ने भाग लिया।

3. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), संबलपुर की बैठकें:**
   21.06.2013 और 29.11.2013 को में नराकास, संबलपुर की बैठकें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल श्री ए.एन. सहाय की अध्यक्षता में आयोजित की गईं जिनमें सदस्य कार्यालयों के प्रमुख/ प्रतिनिधि उपस्थित थे।

4. **नामित हिंदी अधिकारियों की बैठकें:**
   एमसीएल में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को त्वरान्वित करने हेतु दिनांक 17.04.2013 को नामित राजभाषा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गईं।

5. **हिंदी भाषा प्रशिक्षण:**
   हिंदी भाषा प्रशिक्षण और परीक्षा हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। कुल 275 (मई, 2013 सत्र -146 और नवम्बर, 2013 सत्र-129) कर्मचारियों ने हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा पास की जिसका विवरण इस प्रकार है (मई, 2013 सत्र-प्रबोध-38, प्रवीण-96, प्राज्ञ-12, नवम्बर, 2013 सत्र, प्रबोध-01, प्रवीण-41, प्राज्ञ-87)। सीआईएल नियमों के अनुसार उन्हें एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया गया और प्राज्ञ पास अभ्यर्थियों को एमसीएलके परिपत्र के अनुसार उपर्युक्त के अलावा एक वर्ष की उनकी वेतनवृद्धि के बराबर एकमुश्त नकद प्रोत्साहन दिया गया।

6. **कम्प्यूटर पर यूनीकोड समर्थित हिंदी टंकण प्रशिक्षण:**
   एमटीआई, एमसीएल में 08.08.2013 और 16.12.2013 को यूनीकोड समर्थित हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 50 और 54 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । इस प्रकार वर्ष 2013-14 के दौरान, यूनीकोड समर्थित हिंदी टंकण प्रशिक्षण में 104 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

7. अखिल भारतीय कवि सम्मेलनः

सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह के अवसर पर 30.10.2013 को एमसीएल मुख्यालय में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया।

8. राजभाषा पुरस्कार/सम्मानः

विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित राजभाषा सेमिनार में एमसीएल के कर्मचारियों द्वारा भागीदारी की गई जिसमें एमसीएल और उसके अधिकारियो को अनेक पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा 16-18 अक्टूबर, 2013 तक मदुरई में आयोजित सेमिनार में प्राप्त पुरस्कार :

- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल को "राजभाषा श्री सम्मान"
- निदेशक (वित्त), एमसीएल को "राजभाषा कीर्ति"
- निदेशक (कार्मिक), एमसीएल को "विशेष "राजभाषा श्री"
- उप महाप्रबंधक (राजभाषा) को "विशेष राजभाषा कीर्ति"
- प्रबंधक (राजभाषा), एमसीएल को "राजभाषा शिल्पी"
- श्री राजपाल यादव, मुख्य प्रबंधक (पी), ओरियंट क्षेत्र को "विशेष राजभाषा शिल्पी" और "विशेष राजभाषा विशिष्टता"
- श्री यादव की काव्य पुस्तक "एक और दस्तक" के विमोचन के आधार पर "भारतेंदु राजभाषा साहित्य शिरोमणि" सम्मान।
- श्री ए.के. ठाकुर, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक को "विशेष राजभाषा विशिष्टता"।

भुवनेश्वर में 18 से 20 अक्तूबर 2013 तक आयोजित विश्वमुक्ति की संगोष्ठी के अवसर पर एमसीएल को "विश्वमुक्ति राष्ट्रीय राजभाषा सम्मान, 2013" :

- श्री यू.एन. बेहरा, प्रबंधक (राजभाषा) को "विशेष राजभाषा" सम्मान।

9. हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ाः

दिनांक 14.9.2013 को एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में हिंदी दिवस मनाया गया। मुख्यालय में इसका उद्घाटन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा किया गया।

14 से 28 सितंबर, 2013 तक एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी निबंध लेखन, वाद-विवाद, टिप्पण और आलेखन तथा कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण आयोजित की गई जिनमें कर्मचारियों ने बहुत संख्या में भागीदारी की।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कर्मचारियों की पत्नियों के लिए प्रश्नोत्तरी और नारा प्रतियोगिता आयोजित की गई और एमसीएल सभागार में 30.09.2013 को पुरस्कार वितरित किए गए।

10. विश्व हिंदी दिवसः

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.1.2014 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और इसका उद्घाटन श्री ए. एन. सहाय, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यशाला भी आयोजित की गई। डा. वी.रामालक्ष्मी, व्याख्याता, (हिंदी), महिला महाविद्यालय, झारसुगुड़ा, डॉ. सी.पी.सिंह और श्री वी.आर. नौटियाल, के. अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ने एमसीएल मुख्यालय के कार्यपालकों और कर्मचारियों को संबोधित किया।

11. पुस्तकों की खरीदः

राजभाषा नीति के अनुसार, पुस्तकों की खरीद पर ₹ 7,22,296 का व्यय हुआ जिसमें से हिंदी पुस्तकों पर ₹ 4,46,046 का व्यय हुआ जो 50% से अधिक अर्थात 61.75% था।

12. एमसीएल की वेबसाइटः

एमसीएल की वेबसाइट द्विभाषी बनाई गई है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

13. अनुवाद प्रशिक्षणः

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के सौजन्य से एमसीएल मुख्यालय में 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 06 से 30 जनवरी 2014 तक आयोजित किया गया जिसमें एमसीएल के 24 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। डॉ. एस.एन.सिंह, निदेशक (के.अ.ब्यूरो), नई दिल्ली और श्री पी.सी. पाणीग्राही, निदेशक (कार्मिक) 30.01.2014 को आयोजित प्रमाण-पत्र वितरण समारोह में उपस्थित थे।

27. भूमि/ आर एण्ड आर :

आपकी कंपनी अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रभावित/विस्थापित परिवारों की मदद करने को प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजार्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास कर रही है और विकास के साथ प्रगति हेतु भी प्रतिबद्ध है जो इसकी आरएण्डआर नीति में बहुतायत से दर्शाया गया है। एमसीएल ओडिशा राज्य की आरएण्डआर नीति का पालन करती है और 2012-13 के दौरान 680 रोजगारों की तुलना में 2013-14 के दौरान 580 रोजगार उपलब्ध कराए हैं और अपनी स्थापना के दिन से कुल 11445 रोजगार उपलब्ध कराए हैं। एमसीएल ने भूमि विस्थापितों की शिकायतों के निवारण के लिए इसकी प्रत्येक कोलफील्ड में एक शिकायत प्रकोष्ठ अर्थात एकल खिड़की प्रणाली भी खोला है। भूमि विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, दैनिक बाजार, स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, पूजा-स्थल इत्यादि के साथ पुनर्वास कॉलोनियां भी स्थापित की गई हैं। एमसीएल सभी परिधीय ग्रामीणों को कोलफील्ड में उपलब्ध इसके मौजूदा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में निःशुल्क अथवा नाममात्र शुल्क ₹ 2.00 प्रति मरीज की दर से ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराती है।

आपकी कंपनी खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास और पुनः स्थापना उपलब्ध कराकर भूमि अधिग्रहित करती है। 2013-14 के दौरान, एमसीएल ने 598.766 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है।

28. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वः

भारत की बहुसंख्यक जनता मूलभूत सुविधाओं से बंचित हैं इन्हें ऐसे अवसर देने की आवश्यकता है जो लम्बे समय तक समाज के विस्तृत क्षेत्रों में सुधार करे। अच्छे कार्पोरेट की पहचान के तहत एमसीएल अपने सुस्पष्ट सीएसआर नीति जिसकी स्थापना 2010-11 में की गई ताकि समाज के सबसे गरीब तबके के अधिकांश लोग लाभ प्राप्त. कर सकें। इसके लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्य करता है।

अपनी स्थापना के दिन से कंपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे-जलापूर्ति योजना के लिए वित्तीय सहायता, आधारभूत संरचना के विकास के तहत जन उपयोगी सड़कों का निर्माण/ मरम्मत, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण,चेक डैम इत्यादि,लड़कियों की शिक्षा, कमजोर तबके को प्रशिक्षण एवं रोजगार विहिन युवाओं/पीएपी को व्यवसायिक प्रशिक्षण के द्वारा सामाजिक उन्नयन, निवारक स्थास्थ्य कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम और नियमित आधार पर मोबाईल चिकित्सा वैन के माध्यम से पर्श्ववर्ती ग्रामों को चिकित्सा सुविधा।

एमसीएल ने गतवर्ष टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोसल साईंस को एमसीएल के कार्यक्षेत्र –चार जिलों के पार्श्ववर्ती गॉवों में बेस-लाइन सर्वे करने के लिए अनुबंधित किया है जो परियोजना-प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष का आकलन करेंगे। ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट जल्द ही मिलनेवाली है।

कोल इंडिया लिमिटेड ने टीआईएसएस,मुम्बई के एक प्रोगाम मैनेजर को एमसीएल में स्टेशन्ड कर दिया है ताकि वह परियोजना प्रभावित क्षेत्रों का बेस-लाईन सर्वे को लगातार प्रक्रिया के तहत करता रहे।

एमसीएल ने संगठन में क्षमता निर्माण संवेदीकरण और हिमायत मुद्दों पर जोर दिया, विशेषकर प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिचर्चा, संगोष्ठि आदि के नियमित आयोजन के जरिए मुख्य कारोबार के दैनिक प्रचालनों में शामिल रहने वालों के लिए।

एमसीएल ने सीआईएल और एमसीएल की सीएसआर की नीति के अनुरुप सीएसआर कार्यकलापों के लिए विगत वर्ष में उत्पादित कोयले के रुपए 5/- प्रतिटन की दर से वर्ष 2013-14 में रुपए 53.94 करोड़ आबंटित किए। यह कंपनी के रुपए 4212.44 करोड़ के कर-पश्चात लाभ का 1.28% है।

एमसीएल ने सीएसआर कार्यकलापों को विस्तृत और व्यापक करने के महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। वर्ष 2013-14 का व्यय रुपए 106.50 करोड़ (अनाकांक्षित) है और प्रमुख कार्यकलाप प्रगति पर है।

- एमसीएल में वर्ष 2013-14 में संपोषणीय विकास दर 08 संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित हुईं।
- इन बैठकों/ संगोष्ठियों/ पाठ्यक्रमों में 32 उच्च प्रबंधन/कार्यपालक (ई-8) उपस्थित थे।
- ई-8 से नीचे के स्तर के 248 कर्मचारियों ने इनमें भाग लिया।

सीएसआर की वर्ष 2013-14 में की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार है:

- तालचेर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना अर्थात महानदी चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान जिसका इनटेक 100 छात्र हैं और रुपए 670.00 करोड़ की परियोजना लागत से वर्तमान 115 बिस्तर वाले अस्पताल को 500 बिस्तर के अति विशिष्ट अस्पताल में परिवर्तन करना।

- रुपए 1.69 करोड़ की लागत से महिला छात्रावास, वीर सुरेन्द्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,बुर्ला के द्वितीय तल का निर्माण।
- रुपए 5.89 करोड़ की लागत से आसपास के 291 गांवों और 18 नगरपालिका वार्डों को 2013 की ग्रीष्म में मोबाईल टैंकर से जल आपूर्ति।
- रुपए 27.04 लाख की लागत से ग्रामवासियों के लिए 260 स्वास्थ्य शिविरों (सामान्य स्वास्थ्य जागरुकता शिविर, नैदानिक शिविर, कैंसर जांच शिविर, परिवार कल्याण कार्यक्रम, एड्स जागरुकता शिविर और नेमी स्वास्थय शिविर शामिल है) का आयोजन किया गया।
- रुपए 26.9132 करोड़ की लागत से बलिंग तापरिया सड़क (चाइनेज 2.24 कि.मी. से 7 कि.मी.-चरण-I और चाइनेज 7 कि.मी. से 15.70 कि.मी. चरण-II और चाइनेज 15.70 कि.मी. से 24.20 कि.मी. चरण-III) को चौड़ा और मजबूत करने का कार्य प्रगति में है।
- रुपए 478.60 लाख की लागत से संबलपुर विश्वविद्यालय हेतु 150 सीट वाले महिला छात्रावास का निर्माण
- रुपए 72.00 लाख की लागत से बी-जी क्षेत्र की कोयला परिवहन सड़क नजदीकी गांव तक बनाने के लिए 20 एमटीआर हाई मास्ट टावर लाईटों के 18 सैट का प्रापण।
- रुपए 39.70 लाख की लागत से ओरियंट उप क्षेत्र के अंतर्गत नुआपाड़ा, ग्वालपाड़ा और लम्टीबहाल को पाईप वाले पेयजल की आपूर्ति।
- रुपए 100 लाख की लागत से सीएसआर के अंतर्गत लखनपुर क्षेत्र। कोयलांचन से जुड़े गांवों में प्रकाश हेतु 25 हाई मास्ट ग्राउंड माउंटिड लाईटिंग टावर।
- रुपए 33.02 लाख की लागत से राजकीय हिंदी हाईस्कूल, संबलपुर में अतिरिक्त क्लासरुम और विज्ञान प्रयोगशाला आदि का निर्माण।
- रुपए 47.15 लाख की लागत से बंधबहाल, झारसुगुडा के सरस्वती शिशु मंदिर में अतिरिक्त क्लासरुम का निर्माण।
- रुपए 135.59 लाख की लागत से जगन्नाथ क्षेत्र के सीएसआर के अंतर्गत गोवारा ग्राम के जरिए साउथ बलांडा शिव मंदिरसे करनपुरा सी सड़क मजबूत करना।
- रुपए 90.00 लाख की लागत से जगन्नाथ क्षेत्र के अंतर्गत तालचर के प्रस्तावित चिकित्सा कॉलेज के इर्द-गिर्द बाउंडरी दीवार का निर्माण।
- रुपए 48.00 लाख की लागत से भरतपुर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के प्रकाश हेतु 20 मीटर ऊंची12 हाई मास्क लाईटिंग टावर का प्रापण।
- रुपए 25.00 करोड़ की लागत से बुर्ला, संबलपुर में जिला प्राधिकारी के जरिए खेल परिसर का विकास।

- रुपए 25.00 लाख की लागत से की राशि से ओडिशा लिफ्ट ईरिगेशन कार्पोरेशन की गहरे बोरवेल योजना के अंतर्गत अ.ज./अ.ज.जा. के किसानों को जिला प्राधिकारी के जरिए वित्तीय सहायता।

- रुपए 5.00 करोड़ की लागत से हीराकुंड बांध साइड पर नेहरुपार्क से गांधी मीनार तक जिला प्राधिकारी के जरिए रोप-वे परियोजना।

- रुपए 15.00 लाख की लागत से संबलपुर में हनुमान मंदिर का जिला प्राधिकारी के जरिए विकास।

- रुपए 90.45 लाख की लागत से झारसुगुड़ा टाउन में कल्याण मंडप के शेष कार्य की जिला प्राधिकारी के जरिए पूर्णता।

- रुपए 35.00 लाख की लागत से लेडी डार्विन कॉलेज कुडमूलगुमा, जिला-मल्कानगिरी में आदिवासी छात्रों के लिए एक बहुमंजलीय छात्रावास भवन का जिला प्राधिकारियों के जरिए निर्माण।

- रुपए 14.76 करोड़ की लागत से झारसुगुड़ा में स्टेडियम का निर्माण और रुपए 1.76 करोड़ की लागत से लेजी संतरी चौकी सहित चार दीवारी का निर्माण- जिला प्राधिकारियों के जरिए।

- रुपए 888.00 लाख की लागत से ब्रजराज नगर टाउन, झारसुगुड़ा की जल आपूर्ति प्रणाली का सुधार - जिला प्राधिकारियों के जरिए।

- रुपए 7.20 करोड़ की लागत से झारसुगुड़ा टाउन में समुदाय केंद्र का निर्माण जिला प्राधिकारियों के जरिए किया जा रहा है।

- रुपए 20.00 करोड़ की लागत से झारसुगुड़ा जिले के कोलाबीरा, लाइकेरिया, किरमीरा और झारसुगुड़ा ब्लॉक में खेल-कूद, बिजली, संचार, पेयजल, शिक्षा, तालाब, समुदाय भवन, वृक्षा-रोपण आदि के लिए निर्माण जिला प्राधिकारियों के जरिए विकास कार्य।

- रुपए 5.00 करोड़ की लागत से झारसुगुड़ा टाउन में नए बस अड्डे का जिला प्राधिकारियों के जरिए निर्माण।

- रुपए 9.05 लाख की लागत से संबलपुर जिले के धेनकऊड में बलबासपुर का कार्यकारी अभियंता ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कारपोरेशन, संबलपुर प्रभाग के जरिए निर्माण।

- रुपए 162.00 करोड़ की लागत से एमसीएल के बीजी क्षेत्र से कनिका रेलवे साइडिंग में बनकी बहाल से सड़क को डोर टू डोर लेन से चार लेन तक चौड़ा करना।डीपीआर तैयार करने और सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु रुपए 4.68 करोड़ की राशि जिला प्राधिकारी के पास जमा की जा चुकी है।

- रुपए 17.60 लाख की लागत से ब्रजराज नगर कॉलेज, झारसुगुड़ा में परीक्षा हॉल का निर्माण।

- सीएसआर क्रीड़ा पहल के भाग के रुप में आईबीसीओ के साथ साझेदारी में ओडिशा में रुपए 6.00 करोड़ की लागत से हाकी का संवर्धन।

- रुपए 15.30 लाख की लागत से नवरंगपुर, जिला अस्पताल हेतु एक आधुनिक अल्ट्रा-साउंड मशीन का दान।

- रुपए 7.63 लाख की लागत से वीएसएस चिकित्सा कालेज, वुर्ला के शिशु वार्ड हेतु 2.0 टन की 12 स्प्लिट मशीन प्रदान करना।

- रुपए 0.90 लाख की लागत से उपप्रभागीय अस्पताल, तालचर हेतु एक पल्स ओएक्स मीटर (बीपीएल) और एक बैड साइड ईसीजी मशीन थ्री चैनल रिपोर्टिंग सहित(बीपीएल में) प्रदान करना।

- वीएसएस चिकित्सा कॉलेज व अस्पताल को 64 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन के प्रापण हेतु रुपए 4.00 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- उत्तराखंड राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पुर्नवास कार्यकलापों हेतु मुख्य मंत्री राहतकोष, उत्तराखंड को रुपए 2.56 करोड़ का दान।

- सुदरगढ़ जिले (पिछड़ा जिला) में विभिन्न गांवों में समुदाय केंद्रों का निर्माणः वित्तीय वर्ष 2013-14 में रुपए 6,966,516.65 के व्यय से 11 समुदाय केंद्र पूर्ण हो चुके है नामतः (i) कुटूबागा ग्राम (ii)दुरुबागा ग्राम (iii) सुमारा ग्राम (iv) कालेतपानी ग्राम (v) तिहुरिया ग्राम (vi) कुंड ग्राम (vii) सहसपुर ग्राम (viii) बरपाली ग्राम (ix) परमानपुर ग्राम (x) बलबसपुर ग्राम (xi) सरडेगा आर एंड आर।

- आस-पास के गांव में गहरे बोरवेल का निर्माणः वर्ष 2013-14 के दौरान एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में रुपए 31.29 लाख की लागत से 12 बोरवेल पूर्ण किए गए।

  (क) बसुंधरा-गर्जनबहाल(बीजी) क्षेत्र में बरपाली और मनीकेशिवरी कॉलेज महिला छात्रावास में 2 गहरे बोरवेल (रुपए 479897.01)

  (ख) जगन्नाथ क्षेत्र में सहरशाही, स्कूलशाही, मंदिरशाही, एकडल और नरहरिपुर में 5 गहरे बोरवेल।

  (ग) भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. बालिका विद्यालय आश्रम में रुपए 2.20 लाख की लागत से एक बोरवेल।

  (घ) ओरियंट क्षेत्रः 3 बोरवेल निकट काली मंदिर, संयोब, मधुबन नगर में। लागत ₹ 4.83 लाख।

  (ङ) हिंगुला क्षेत्रः एचओसीपी के नजदीक गोपाल प्रसाद हिलटॉप में रुपए 3.31 लाख की लागत से एक बोरवेल।

सीएसआर और संपोषणीयता कार्यकलापों पर किया गया व्ययः

वर्ष 2013-14 में रुपए 42.1244 करोड़ (2012-13 के कर पश्चात लाभ का 1 प्रतिशत) के लक्ष्य मुकाबले में रुपए 111.49 करोड़ का व्यय किया गया है।

दो टायर संगठनात्मक संरचना है

1. बोर्ड स्तर समिति नामतः सीजीएसआरएमएसडी और सीएसआर उप-समिति जिसमें चार कार्यकारी निदेशकों के अतिरिक्त दो स्वतंत्र निदेशक और एक सरकारी नामिती निदेशक सदस्य है। वर्ष 2013-14 में सीजीएसआरएमएसडी और सीएसआर उप-समिति की 07.11.2013, 24.12.2013, 13.01.2013 और 04.02.2014 को चार बैठकें हुई।
2. मुख्यालय स्तर की सीएसआर समिति में निदेशक (कार्मिक) की अध्यक्षता में महाप्रबंधक (सिविल/सीएसआर), महाप्रबंधक (वित्त), चिकित्सा सेवाओं के प्रमुख है। वर्ष 2013-14 में मुख्यालय स्तर की चार बैठकें 02.07.2013, 07.10.2013, 4.12.2013 और 22.02.2014 को हुई।

28.1 जेंडर बजट व्यवस्था:

सामाजिक अनुक्रियाशीलता के कारण एमसीएल ने कंपनी के भीतर और बाहर सदैव जेंडर विशिष्ट मामलों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दर्शाई है और सर्वोत्तम सम्भावित प्रयासों के माध्यम से उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:-

- अपने कार्यबल के जैंडर विशिष्ट डाटाबेस का अनुरक्षण।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत समिति गठित करना।
- एमसीएल के सार्वजनिक क्षेत्र विंग/शाखा में महिलाओं को सक्रिय रूप से कार्य करने की अनुमति देने के साथ सेमिनारों और सम्मेलनों में इसके सदस्यों को भाग लेने की अनुमति देना जहां विचारों और समस्याओं का आदान-प्रदान होता है।
- सीएसआर के भाग के रूप में तीन 'जनजातीय महिला' छात्रावासों का निर्माण।
- परिधीय विकास योजना के भाग के रूप में वीर सुरेन्द्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलोजी (वीएसएसयूटी), बुर्ला हेतु महिला छात्रावास का निर्माण।
- प्रति वर्ष मई दिवस पर सीएसआर के क्षेत्र में उत्कृष्ट अंशदान हेतु महिलाओं को मान्यता देने की विशेष पुरस्कार योजना।
- उपयुक्त प्रतिवेदन और संबद्ध मामलों के निपटारे हेतु प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच होने वाली औद्योगिक संबंध बैठकों में महिला कर्मचारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
- पात्र महिला अधिकारियों को बाल देख-रेख अवकाश (सीसीएल) प्रदान करना।
- खान दुर्घटनाओं में मरने वाले कर्मचारियों की पत्नियों हेतु रोजगार के लिए आयु सीमा में छूट।
- क्षमता और रोजगार के सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु मुख्यालय और क्षेत्रों दोनों से चलाई जा रही "महिला मंडल" द्वारा आसपास के समुदायों की लाभ वंचित महिलाओं को सिलाई/कढ़ाई, कम्प्यूटर साक्षरता, किराना वस्तुओं के व्यापार इत्यादि के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना । यह सामाजिक आउटफिट एमसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों की पत्नियों द्वारा गठित की गई है।

28.2 जन संपर्क :

आपकी कंपनी मुख्य जनसंपर्क सिद्धांतों को अपनाती है अर्थात बाह्य और आंतरिक लोगों को नवीनतम घटनाओं से संसूचित करना। हमने संप्रेषण के कार्य-नीतिक आयोजना मोड से आंतरिक और बाह्य जनता के बीच हमारी पहुंच सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाता है। हम कंपनी में

विभिन्न विकास / घटनाओं के बारे में प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया को अद्यतन करके स्वस्थ व्यवसायिक संबंध कायम रखते हैं। मीडिया को हम कंपनी द्वारा देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ अल्पाधिकार प्राप्त समाज के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, विशेषकर हमारे कमांड क्षेत्र के इर्द-गिर्द रहने वाली जनसंख्या के प्रति योगदान करके विभिन्न व्यापार-संबंधी, सामाजिक और विकासात्मक पहलों हेतु गुणक शक्ति मानते हैं।

हमने मीडिया व्यक्तियों को सरकारी कार्यों / समारोहों के भाग के रूप में सुरक्षित करने के अलावा मुख्यालय और परियोजना क्षेत्रों में उच्च प्रबंधन के साथ मीडिया संवाद आयोजित किया। समय-समय पर कंपनी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और मीडिया प्रतिनिधियों से नियमित संवाद से कंपनी की पहलों और सफलताओं को व्यापक प्रचार कवरेज प्राप्त हुई है।

कंपनी की विशिष्ट पहचान बनाने और अधिक प्रख्यात करने के लिए इस वर्ष कंपनी के नया लोगो स्वीकार किया गया जिसमें हरित कोयला खनन पर जोर दिया, जिसका कंपनी सक्रियता से पालन कर रही है।

इसके अलावा कंपनी ने अपनी उपलब्धियों को उजागर करने हेतु कटक, भुवनेश्वर और बेंगलूर में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लिया। प्रदर्शनी के आयोजकों ने श्रेष्ठ प्रर्दशनी लगाने हेतु कंपनी को पुरस्कृत किया। विभिन्न विषयों पर विशेष लेखों के समय पर जारी करने से भी कंपनी की छवि निखरी है। एक वार्षिक पत्रिका "जागृति" "गुणवत्ता" पर एक लघु चलचित्र, वार्षिक प्रशिक्षण कलेंडर, सीएसआर और पर्यावरण पर पैम्फलेट सदभावना विज्ञापन के ओडिशा राज्य की कला व शिल्प परिलक्षित करने वाली डायरी-2014 तथा कलेंडर-2014 कंपनी के संवर्धन में सहायक रही है। इस वर्ष कॉफी मेज पुस्तक, भारतीय कोयले में प्रथम, का विमोचन किया गया जिसमें प्राचीन खनन से आधुनिक समय की कोयले की यात्रा और कंपनी के बारे में विस्तृत विवरण वाली शीर्षक "विहाइंड द ब्लैक" दर्शाया गया है।

आपकी कंपनी सूचना के सहभाजन और संवाद के एक अन्य मंच "फेसबुक" के जरिए सामाजिक मीडिया से जुड़ने में कोल इंडिया और इसकी अनुषंगियों में प्रथम बनी। फेसबुक पृष्ठ "महानदी कोल फील्ड्स के समाचार" आम जनता और कंपनी के पुराने व वर्तमान कर्मचारियों में अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है।

29. सामाजिक सुविधाओं पर व्ययित पूँजी:

दिनांक 31.3.2013 की तुलना में दिनांक 31.3.2014 को सामाजिक सुविधाओं पर निवेश की गई पूँजी का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	स्थिर परिसंपत्तियों का सकल मूल्य	
		31.3.2014	31.3.2013
1	भवन	333.11	317.51
2	संयंत्र एवं मशीनरी	70.49	68.99
3	फर्नीचर,फीटिंग एवं उपकरण	8.18	7.57
4	वाहन	5.86	5.67
5	विकास	9.24	9.24
	कुल	426.88	408.98

30. सतर्कता गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ:

एमसीएल के सतर्कता विभाग का मुख्य फोकस लाभकारी प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए निरोधक सतर्कता पर रहा है। प्रमुख जोर पहचाने गए संवेदनशील भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सुधार लाने के सुव्यवस्थित रूप सुझाने पर रहा है ताकि कंपनी के व्यावसायिक लेन देनों में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम किया जा सके। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निरोधक, भविष्यसूचक और पूर्व-अधिकृत सर्तकता उपायों के रूप में मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में बार-बार औचक निरीक्षण किए गए हैं जिससे कि विभिन्न क्षेत्रीय अभियानों एवं विधिवत प्रणाली और प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों में सतर्कता के प्रति जागरूकता और भ्रष्टाचार-निरोधी मामले प्राथमिक कार्यसूची पर थे जिसमें अन्य बातों के अलावा पारस्परिक प्रभाव/विचार-गोष्ठी के माध्यम से नए भर्ती किए गए प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी, विक्रेता, छात्र और आम नागरिक शामिल हैं।

30.1 निरोधक सर्तकता:

(क) <u>निरीक्षण:</u>

वर्ष 2013-14 के दौरान, 31 औचक और नेमी प्रकार के निरीक्षण किए गए। ऐसे निरीक्षणों में प्रमुख फोकस प्रणाली/प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना रहा है ताकि फील्ड अभियानों में स्वच्छता और पारदर्शिता लाई जाए। विभिन्न फील्ड अभियानों की औचक जांच जैसे कि डीजल की खपत, कोयले की गुणवत्ता, सुरक्षा तैनाती, कोयला परिवहन, स्थानीय खरीद/आपातकालीन खरीद, सार्वजनिक क्रय आदि व्यवस्थित सुधारों के रूप में जारी विभिन्न परिपत्रों, अनुदेशों, दिशा-निर्देशों और जहाँ आवश्यक पाया गया दण्डात्मक कार्रवाई की गई।

(ख) <u>व्यवस्थित सुधार</u>

मुख्य सतर्कता अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों पर निवारक, भविष्य सूचक और पूर्व-अधिकृत सतर्कता, सतर्कता विभाग के कार्यचालन का मुख्य आधार रहा है।

(i) सतर्कता विभाग ने जून, 2013 में यह पाय कि परियोजना क्षेत्रों द्वारा मुख्यालय के सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजी गई टीसीआर फाईलें मुख्यालय में लंबित पड़ी रही जिससे बोली बैधता की मूल अवधि समाप्त हो गई। अधिकांश मामलों में बोलीदाताओं ने निविदाएं निरस्त कर दीं क्योंकि बोलीदाता बोली वैधता की मूल अवधि बढ़ाने पर सहमत नहीं थे। ऐसी स्थिति में, बोली वैधता की मूल अवधि में निविदाओं पर निर्णय नहीं लेने और निविदाओं के निरस्तीकरण और पुनः निविदा मंगाने से लागत और समय में वृद्धि हुई। इसे ध्यान में रखते हुए, विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के विशेष निर्देश दिलवाए गए कि क्षेत्र प्राधिकारियों द्वारा अनुशंसित टीसीआर फाइलें निर्दिष्ट समयावधि में निपटाई जाएं और प्रापण प्रक्रिया बोली बैधता की मूल अवधि में ही पूर्ण की जाए।

(ii) सतर्कता विभाग ने यह पाया कि अनुमोदित संविदाओं के मूल्य में परिवर्तन हेतु परियोजना अधिकारियों की विद्यमान डीओपी में प्रावधान की कमी के कारण फाईलें क्षेत्रीय कार्यालय और परियोजना कार्यालय के बीच घूमने से संविदा बंद करने में असाधारण विलंब हुआ। इसके छोटे संविदाकारों को परेशानी हुई और वे अपने वैधानिक देयताओं को समय पर पाने से वंचित रहें।

इस संबंध में कंपनी के पुरुष कार्यपालक अधिकारी को परियोजना अधिकारियों की डीओपी में संविदा के मूल्य में संविदा/क्रम में ±10% तक परिवर्तन का वह अनुमोदन कर सके।

सतर्कता विभाग द्वारा दिए गए सुझावानुसार एफडी ने जून,2013 में हुई अपनी बैठक में दिए गए संविदा के मूल मूल्य में 10 % (+ अथवा -) जैसी भी स्थिति हो, की भिन्नता के संशोधित अनुमान (पूंजीगत और राजस्व दोनों कार्यों के लिए) के अनुमोदन हेतु परियोजना अधिकारियों की डीओपी बढ़ा दी जो कंपनी के संगत मैनुअल और दिशा-निर्देशों में निहित प्रावधानों के अध्यधीन होगी। परियोजना अधिकारियों की डीओपी में हुआ यह विशेष संशोधन छोटे संविदाओं को समय पर बंद करने में सहायक होगी।

(iii) लिपिकीय पदों के विभागीय चयन में भ्रष्टाचार और पक्षपात तथा प्रश्न पत्रों के लीक होने की शिकायतें सतर्कता विभाग में प्राप्त लगातार शिकायतों के लिए विभाग ने विस्तृत अध्ययन किया। पर पाया गया कि लिपिकीय श्रेणी में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों के विभागीय चयन हेतु एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मानदंड अपनाए जा रहे हैं।

अतः इस कार्यालय की दिनांक 16.09.2013 की टिप्पणी संख्या 1554 द्वारा प्रणाली बद्ध सुधार उपाय के रुप में कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सामने लिपिकीय श्रेणी में विभागीय चयन करने में भ्रष्टाचार/पक्षपात की संभावनाओं को दूर करने हेतु सभी क्षेत्रों में एक समान पैटर्न/मानदंड लागू करने का मामला उठाया गया।

(iv) बड़े संविदाओं की समीक्षा करने पर पाया गया कि मई, 2013 में भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत भरतपुर परियोजना में हॉल रोड के निर्माण हेतु दिए गए ठेके में कार्य प्रारंभ करने में विलंब हुआ। इस संबंध में कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दिनांक 21.11.2013 को इस विभाग की टिप्पणी संख्या 1958 द्वारा अधिक लागत और समय से बचने के लिए कथित कार्य के समय पर निष्पादन और पूर्णता हेतु संबंधित प्राधिकारियों को उचित निर्देश देने की सूचना दी गई।

(v) कोयले स्टॉक के प्रौद्योगिकी आधारित मापन हेतु कुल स्टेशन सहित 3 डी लेजर प्रणाली/एसयूआरपीएसी लागू करने से संबंधित सचिव (कोयला) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कोयला स्टॉक मापन आधारित प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख प्रणालीबद्ध सुधार उपायों के रुप में दिनांक 21.11.2013 की इस विभाग की टिप्पणी संख्या 1978 द्वारा कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इसके शीध्र प्रापण के सझाव का प्रस्ताव दिया गया। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने संबंधित निदेशक को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

(vi) एमसीएल के वर्तमान ई-प्रापण में बोलीदाता अपनी बोली को बोली प्रस्तुति की अंतिम तारीख तक आनलाईन वापस ले सकता है। तथापि, बोलीदाता बोली प्रस्तुति की अंतिम तारीख के बाद यदि अपनी बोली वापस लेना चाहता है तो उसे ऑफ लाईन वापस लेने होगें।

बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान में कैटरिंग सेवाओं हेतु ई-टेंडर के वर्तमान मामले में यह पाया गया कि निविदा करने वाले प्राधिकारी को बोली प्रस्तुति की अंतिम तारीख के बाद एक ही बोलीदाता से दो वैषम्य अनुरोध प्राप्त हुए, पहले में प्राधिकारी को अपनी निविदा वापस लेने का अनुरोध किया गया था और दूसरी में सूचित किया गया कि बोलीदाता ने अपनी बोली वापस नहीं ली है और पहला पत्र कपटपूर्वक लिखा गया है।

भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने दिनांक 04.11.2013 की इस विभाग की टिप्पणी संख्या 1833 द्वारा सूचित किया है कि एमसीएल के वर्तमान ई-प्रापण मॉड्यूल में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि किसी भी समय बोली वापस लेना केवल ई-मोड/डीएससी को आवेदन के जरिए किया जाए।

(vii) पीआईएस (व्यैक्तिक सूचना प्रणाली) के प्रभावी और समय पर कार्यान्वन के लिए जिसमें उप-मॉड्यूल जैसे सुरक्षा कार्मिकों, संविदा कामगारों, के लिए पीआईएस हेतु एक "कार्य-दल" के गठन पर विचार किया गया। इस संबंध में कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इस कार्यालय के दिनांक 30.11.2013 के संदर्भ संख्या एमसीएल/एसबीपी/ सतर्कता/ (सीएमडी)/संदर्भ} 2013/2041 द्वारा एक "कार्यदल" के गठन का सुझाव दिया गया जिसमें मुख्यालय स्तर पर शीर्ष संचालन टीम, मुख्यालय स्तर और एपीएम पर क्षेत्र समन्वय टीम, तालचर कोलफील्ड्स और ईब कोलफील्ड्स से प्रणाली प्रबंधन व एम टी शामिल हों। कथित "कार्य-दल" पीआईएस मॉड्यूल के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सतर्कता विभाग के परामर्श से कार्य करेगा। उपरोक्त उप-मॉड्यूल का एक बार सफल संचालन होने पर, पीआईएस मॉड्यूल को मजबूत बनाय जा सकता है और कंपनी के समग्र कार्मिक प्रशासन हेतु एक अत्यंत प्रभावी निर्णायक अस्त्र के रुप में कार्य कर सकता है।

(viii) सतर्कता विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान पर पता चला कि एमसीएल के अनेकों परियोजनाओं/ क्षेत्रों मे क्वार्टर के आवंटन की एकरुप नीति नहीं है जिसके कारण नियमित शिकायतें आती हैं और कर्मचारियों में असंतोष रहता है. पारदर्शी मानक ना अपनाने से मामले से संबंधित अधिकारियों पर बाह्य दवाब के अलावा अनैतिक तत्वों को अवांछित लाभ उठाने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, संविदाकार आदि जैसे बाह्य व्यक्ति जिन्हें क्षेत्र/परियोजना ने पहले क्वार्टर आवंटित किया था, वे अभी भी बिना किसी वैध औचित्य के क्वार्टर रखे हुए हैं।

इस संबंध में कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इस विभाग के दिनांक 15.02.2014 की टिप्पणी संख्या 268 द्वारा क्वार्टर के आवंटन की पारदर्शी और एकस्थ नीति बनाने की सूचना दी गई।

(ix) ओबी और कोयला हटाने हेतु एनआईटी में दिए गए पात्रता मानदंड के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर, प्रबंधन को दिनांक 26.03.2014 के इस कार्यालय संदर्भ संख्या 479 एनआईटी की संगत धारा को पुनः अवलोकन करने का अनुरोध किया गया क्योंकि एनआईटी शर्तें वर्ष 2005 में बनाई गई थी। सतर्कता मध्यवर्तन के बाद कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अति भारित और कोयले के आउटसोर्सिंग हेतु दी जाने वाली एनआईटी के पीक्यू मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

30.2 दंडात्मक सतर्कता:

वर्ष के दौरान 06 मेजर(बड़ी) एवं 04 माइनर(छोटी) दण्ड की प्रक्रिया 17 कर्मचारियों के विरूद्ध प्रारम्भ की गई है। 08 बड़े मामलों में जांच की प्रक्रिया प्रगति पर है।

विवरण	31 मार्च, 2013 को लंबित	वर्ष 2013-14 के दौरान नई वृद्धियां	वर्ष 2013-14 के दौरान निपटान	31 मार्च, 2014 को लंबित
सतर्कता मामले	12	08	08	12
बड़ी दण्ड कार्यवाहियां	12	02	07	07
छोटी दण्ड कार्यवाहियां	03	02	01	04

30.3 कर्मचारियों का रोटेशन:

कंपनी की उन कर्मचारियों के रोटेशन की नीति है जो संवेदनशील पदों/विभागों में कार्य करते हैं। वर्ष के दौरान 104 कर्मचारियों को संवेदनशील पदों सें गैर संवेदनशील पदों में स्थानांतरित किया गया है । इसमें वे अधिकारी शामिल हैं जिन के नाम वर्ष 2013 की "सहमत सूची" तथा "संदेहास्पद निष्ठा के अधिकारियों की सूची" में आते हैं।

30.4 सीवीसी मामले

वर्ष के दौरान 02 मामले सीवीसी को पहली अवस्था की सलाह लेने के लिए सीवीसी को भेजा गया। सीवीसी ने एक मामले में संबंधित अधिकारी को चेतावनी देने की सलाह दी है और एक मामले में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी दांडणिक कार्यवाही प्रारंभ करने की सलाह दी है।

30.5 संसद प्रश्न

वर्ष के दौरान 14 संसद प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

30.6 सूचना का अधिकार अधिनियम:

वर्ष के दौरान 17 आरटीआई पूछताछों का समय-सीमा के भीतर उत्तर दिया गया।

30.7 रिपोर्ट प्रस्तुत करना:

मासिक, तिमाही, वार्षिक रिपोर्टें केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लि. को समय से भेजी गई थीं।

30.8 सतर्कता क्लीयरेंश:

वर्ष के दौरान 10429 कर्मचारियों की जिसमें निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी और गैर- अधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल थे की पदोन्नति, परिवीक्षा, अधिवर्षिता के मामलों में सतर्कता क्लीयरेंश सीआईएल/ एमओसी/सीवीसी को भेजी गई।

30.9 पारदर्शिता:

दिए गए टेण्डर और संविदाएं केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश सं. 13.03.2005 दिनांक 16.03.2005 के तहत, एमसीएल की वेबसाइट में डाली गईं।

30.10 सतर्कता जागरूकता सप्ताह:

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार, एमसीएल ने, सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2013, का अपने सभी क्षेत्रों और स्थापनाओं में 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर तक मनाया। इस अवधि में किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :

- इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2013 अर्थात "अच्छा शासन को प्रोत्साहन-सतर्कता का सकारात्मक योगदान " प्रसंग पर एक संगोष्ठी आयोजित हुई जिसमें ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल, नई दिल्ली ने भाग लिया।
- "सत्यनिष्ठा विषय" पर 30.10.2013 को एक कार्यशाला आयोजित हुई जिसमें एमसीएल की ओर से श्री एस.के. चटर्जी, स्वतंत्र बाह्य मानिटर/ पूर्व पुलिस उप-महानिरीक्षक, ओडिशा पुलिस ने भाग लिया। इस कार्यशाला में कंपनी के क्षेत्र महाप्रबंधकों, विभिन्न विभागों के स्टाफ अधिकारियों, महाप्रबंधकों / विभागाध्यक्षकों और कर्मचारियों/ अधिकारियों के अलावा पणधारकों अर्थात संविदाकारी, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य बोलीदाताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का संवादात्मक सत्र संविदाकारों / आपूर्तिकर्ताओं /वेंडरों के समक्ष आने वाली जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने में सहायक थी। आईईएम / कार्यकारी निदेशकों / मुख्य सतर्कता अधिकारी ने पणधारकों को उनकी शिकायतों के निवारस का भरोसा दिया।
- इस सप्ताह के दौरान, संबलपुर जिले के 06 विद्यालयों के छात्रों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की। कक्षा VII और VIII के छात्रों के लिए वाद-विवाद का विषय "नीति और नैतिक शिक्षा-भ्रष्टाचार से लड़ने का एक औजार" और कक्षा IX व X के लिए "मूल्य-वर्धित शिक्षा भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु देश की आवश्यकता है।" छात्रों को उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार वितरित किए गए।
- इसके अलावा, ईएंडएम, सिविल, टीसी, सीएमसी और एमएम के पणधारकों, बोलीदाताओं, ग्राहकों के साथ अनेक संवादात्मक सत्रों का आयोजन हुआ और "अच्छे शासन के संवर्धन" विषय को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों ने अनुपालन हेतु शिकायतें सुनी/ नोट कीं।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह की पूरी अवधि में विभिन्न भ्रष्टाचार विरोधी विषयों पर जागरूकता प्रसार करने के प्रयोजन से एमसीएल कर्मचारियों के बीच बीएसएनएल के जरिए ओड़िया, अंग्रेजी / हिंदी में दो संदेशों का प्रसार किया।
- सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर सभी को संवेदी करने के प्रयास में मुख्यालय और क्षेत्रों / परियोजनाओं / ईकाइयों के परिसरों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त बैनर प्रदर्शित किए गए।

30.11 सतर्कता बुलेटिन:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, सीवीसी, नई दिल्ली के विभिन्न परिपत्रों,अनुदेशों की कर्मचारियों में ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सतर्कता बुलेटिन का 8वां संस्करण जारी किया गया। एमसीएल के कर्मचारियों की सूचना के लिए, कार्यों, वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के बारे मामला अध्ययन करने, सीटीई संगठन के द्वारा पता लगाई गई गलतियों और भ्रष्टाचार विरोधी आलेखों को भी उक्त बुलेटिन में शामिल किया गया है। बुलेटिन की प्रतियां कंपनी के भीतर और बाहर व्यापक रूप से परिचालित की गई हैं।

30.12 प्रमुख उपलब्धियां:

i) कोयले के तोलन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए आरएफआईडी सहित इन-मोशन रोड वे-ब्रिजो की स्थापना।

यह माना गया कि कोयला परिवहन कार्य "मैनुअल ट्रांजिट पास" से किया जा रहा था और कोयले के पिट हैड से स्टॉक / साईडिंग / सीएचपी के परिवहन के संबंध में तोलन प्रतिशतता अत्यंत का थी। सतर्कता विभाग ने संदेह के आधार पर इसे गंभीरता ले लिया कि कोयले के असामान्य तोलन की प्रतिशतता मैनुअल ट्रांजिट पास की आड़ में दैनिक उत्पादन आंकड़ों के साथ जोड़कर निकाली जा रही है। इसके अलावा आंतरिक कोयला परिवहन हेतु परिवहन संविदाकार को भुगतान निरंतर आधार पर औसत टनेज पर किया जा रहा था। आंतरिक कोलियरी परिवहन में पारदर्शिता लाने के लिए इन-मोशन वे-ब्रिजों की स्थापन का मामला एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के साथ उठाया गया।

कोयले के 100% वजन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग के सतत् प्रयासों और अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप 40 इन-मोशन सड़क वे-ब्रिजों का प्रापण किया गया जिनमें टिपर के संचालन का मानिटरन करने का प्रापण किया गया जिनमें टिपर के संचालन का मानिटरन करने के लिए आरएफआईडी का प्रावधान है। इन 40 इन-मोशन वे-ब्रिजों में से अभी तक आरएफआईडी सहित 30 प्रचालित हो चुके हैं और 08 का प्रचालन हो गया है किंतु मुहर नहीं लगी है। शेष 02 प्रचालनाधीन हैं। इसके अलावा, कोलनेट की आईएम रोड वे-ब्रिज से संयोजकता का कार्य प्रगति में है। 40 आईएम रोड वे-ब्रिजों में से, कोयले के तोलन रिकार्ड में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्रीय सर्वर को कोयला तोलन आंकड़े के सही समय पारेषण की सुनिश्चितता हेतु 07 इन-मोशन रोड वे-ब्रिजों को कोलनेट संयोजकता से जोड़ा गया है।

ii) असफल बोलीदाताओं को प्रतिभूति जमा (ईएमडी) की ऑनलाईन स्वतः-वापसी

इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि प्रतिभूति जमा की वापसी में विलंब आपूर्तिकर्ताओं / निविदाकारों के मनोबल को बुरी तरह प्रभावित कर रहा था, सर्तकता विभाग ने विगत एक वर्ष से ईएमडी की वापसी की पारदर्शी प्रणाली बनाने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की। मुख्य सतर्कता अधिकारी और उनके साथियों द्वारा परियोजना क्षेत्रों का जुलाई-अगस्त, 2013 में औचक निरीक्षण। अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप दिसंबर,2009 से असफल बोलीदाताओं को लंबित ₹ 88,78,821/- की ईएमडी वापस की गई। सतर्कता विभाग के निरंतर प्रयास से प्रणाली आधारित वापसी कार्य-प्रणाली का सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2013 में औपचारिक शुरू हुई। इस प्रणाली से आपूर्तिकर्ताओं / बोलीदाताओं की असफल / अस्वीकृत बोलीदाता के रूप में घोषित करने के बाद स्वतः मोड़ पर ₹ 65,68,214.00(15 अक्तूबर 2013 से 31 मार्च, 2014 तक) की ईएमडी वापस की गई।

iii) कोलनेट पर ऑनलाइन बिल भुगतान स्थितिः

संविदात्मक बिलों की "पहले आओ पहले पाओ" रीयल टाइम मानीटरिंग के लिए जैसे कि प्रयोक्ता विभागों में बिलों की प्राप्ति की तारीख, इसे वित्त विभाग को अग्रेषित करने की तारीख और ठेकेदार को ई-भुगतान करने की वास्तविक तारीख जो "कोलनेट" पर पहले नहीं डाले जा रहे थे, सतर्कता विभाग की पहल के रूप में शुरू हो गए हैं।

इसके परिणामस्वरूप न केवल संविदात्मक बिलों के भुगतान में विलंब से संबंधित शिकायतों की संख्या में कमी हुई है बल्कि नवम्बर, 2012 को इसके कार्यान्वयन के पश्चात 1814.30 करोड़ रू. मूल्य के संविदात्मक बिल की समय पर प्रक्रिया करने और भुगतान करने में भी यह सहायक रहा है।

iv) **विभागीय अधिभार उत्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ओआईटीडीएस (आपरेटर इण्डिपेंटेण्ट ट्रक डिस्पैच सिस्टम) आधारित जीपीएस का प्रचालन :**

ओआईटीडीएस (आपरेटर इण्डिपेण्डेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम) के कार्यचालन का मूल्यांकन करते समय यह पाया गया कि वर्ष 2010 के दौरान ₹ 40.18 करोड़ के कुल व्यय के साथ स्थापित इस प्रणाली का, जिसमें तीन विभिन्न परियोजनाओं में 05 वर्षों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) शामिल था। प्रभावी प्रयोग नहीं किया जा रहा था, सतर्कता विभाग द्वारा नवम्बर-दिसम्बर, 2012 के दौरान की गई जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप सभी परियोजनाओं अर्थात भरतपुर, बलराम और लिंगराज परियोजना में ओआईटीडीएस कार्य, पूर्णतया गतिशील हुआ (अर्थात सिस्टम मानीटर्ड डिपार्टमेंटल ओबी प्रोडक्शन)। परिणामस्वरूप एचईएमएम उपयोगिता में 4% की वृद्धि हुई।

(v) **आसपास के गांवों में पेय-जल का आपूर्ति हेतु लगाए गए ठेके के टैंकरों में "जीपीएस आधारित वाहन खोज प्रणाली" की स्थापना।**

आसपास के ग्रामीणों द्वारा ग्रीष्मकाल में कोयले के परिवहन में बाधा एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कुछ सूचना प्रौद्योगिकी की मध्यवर्तन की आवश्यकता थी। ये बाधाएं एमसीएल द्वारा वहन की गई लागत से ठेके के टैंकरों द्वारा पेयजल की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण थी। व्यवहार्य पारदर्शी उपाय के रूप में टैंकरों की खोज करने और गंतव्य स्थान तक उनके ट्रिप के मानिटरन के लिए "जीपीएस आधारित वाहन खोज प्रणाली" का प्रयोग किया गया। यह विशिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्तन प्रमुख कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करने में आस-पास के गांवों की पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक रहा। परिणामतः इसके कार्यान्वयन के पहले वर्ष में ही संविदा भुगतान में ₹ 78.69 लाख की बचत हुई। इस सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्तन का अन्य संभावित परिणाम भीषण गर्मी में आसपास के गांवों में पेयजल की आपूर्ति हेतु संविदा कोयला ले जाने वाले टिपर्स के समक्ष आने वाली बाधा शून्य थी।

(vi) **जीपीएस / जीपीआरएस आधारित वाहन खोज प्रणाली, आरएफआईडी आधारित रीडर और सीसीटीवी।**

ट्रकों / टिपर्स और अन्य सहायिकों पर टर्न की आधार पर सड़क वे-ब्रिजों हेतु आईपी केमरा सहित लगे आरएफआईडी आधारित रीडर और रेलवे साईडिंग हेतु सीसीटीवी आधारित 1500 जीपीएस की आपूर्ति, स्थापना, प्रचालन, कार्यान्वयन, प्रशिक्षण तथा गहन अनुरक्षण हेतु मैसर्ज आर्या ओमनीटॉक वायरलेस सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 28.03.2014 के आपूर्ति आदेश संख्या एमसीएल / एसबीपी/ एमएमडी / एसईसी-बी / आर-75 / 12-13/ जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम / 92 द्वारा कार्य का ठेका दिया गया है। आपूर्ति आदेश के कार्यक्षेत्र में उपरोक्त सभी उपायों और खदानवार भूगोलिक-फेंसिंग सहित संगत आईटी हार्डवेयर व साफ्टवेयर, जीपीएस की स्थापना एवं प्रचालन शामिल है।

(vii) आईपी के सफल कार्यान्वयन के लिए संविदा का प्रारंभिक मूल्य ₹ 1.00 करोड़ से ₹ 80.00 लाख और इसके बाद ₹ 50.00 लाख तक कम करना:

सार्वजनिक क्रय में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एकीकृत संविदा के कार्यान्वयन के लिए जरूरत को देखते हुए यह सोचा गया था कि उच्च मूल्य की संविदाओं का एबीसी मूल्यांकन आवधिक अंतरालों पर करने की जरूरत है। इस कवायद के फलस्वरूप एकीकृत संविदा के अंतर्गत संविदाओं का आरंभिक मूल्य संविदात्मक कार्यों के निष्पादन के संबंध में एरिया महाप्रबंधकों की शक्तियों के प्रत्यायोजन में बढ़ोतरी को देखते हुए ₹ 1.00 करोड़ से ₹ 80.00 लाख और इसके बाद ₹ 50.00 लाख तक कम कर दिया गया है।

(viii) सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त पुरस्कार

i) एमसीएल में कोलनेट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए श्री आर.श्री कुमार, आईपीएस, सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ने सतर्कता अध्ययन सर्कल, कोलकाता के चौथे वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी, एमसीएल को "सतर्कता नवाचार पुरस्कार" से दिनांक 19.08.2013 को सम्मानित किया। इस समारोह में श्री एस.मजूमदार, वरिष्ठ प्रबंधक (खनन), सतर्कता विभाग, एमसीएल को भी सतर्कता में उत्कृष्ट कार्य हेतु "समर्पित सेवा पुरस्कार"प्रदान किया गया।

ii) जनवरी,2014 में आयकर विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित ई-ओड़िशा सम्मेलन में "सरकार से व्यापार संव्यवहार पहलों में श्रेष्ठ" श्रेणी में एमसीएल सतर्कता विभाग द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान के लिए "ई-शासन पुरस्कार" प्रदान किया गया।

iii) लोक उद्यम संस्थान (आईपीई) ने एमसीएल सतर्कता विभाग को मार्च, 2014 में "सतर्कता उत्कृष्ट पुरस्कार-2013-14" प्रदान किया।

31. ई-प्रोक्योरमेंट:

एमसीएल की ई-प्रापण प्रणाली, जो 15.08.2009 को प्रारंभ हुई थी, का सफल संचालन हो रहा है और अब तक 5700 से अधिक निविदाएं इस माध्यम से निर्णित हो चुकी हैं। एमसीएल इस वेब-आधारित सॉफ्टवेयर समाधान के कार्यान्वयन से अत्यंत लाभांवित हुआ है। निविदाओं को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है और निविदा की मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा में संवर्धन हुआ है। संगठन की साख में बेहतर पारदर्शिता और बोलीदाताओं को सुविधा देने से बढ़ती है। प्रणाली में सतत् प्रयास हुए हैं और नए फीचर जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में प्रतिभूति जमा की वापसी की स्वचालित और अत्यंत प्रगतिशील प्रक्रिया का 15.10.2013 से कार्यान्वयन किया गया है। इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के पश्चात बोलीदाता को अस्वीकार करने पर प्रतिभूति जमा अगले दिन स्वत: ही वापस हो जाती है। फिलहाल ₹ 2.00 लाख और उससे अधिक मूल्य की निविदाओं को ई-प्रापण प्रणाली के जरिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें बहु-मुद्रा वैश्विक निविदाओं सहित कार्य, वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं।

एमसीएल की ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की विशेष विशेषताएं :

1. टेण्डर के तकनीकी भाग का विश्लेषण पोर्टल साफ्टवेयर द्वारा स्वत: ही किया जाता है और बोली के विश्लेषण में मानव हस्तक्षेप कम-से-कम हो गया है।

2. डाटा आधारित पोर्टल साफ्टवेयर जिसे बोलीदाताओं द्वारा संरचित और वस्तुपरक फार्मेट में प्रदान किया जाता है, द्वारा मूल्यांकन निष्पादित किया जाता है। टेण्डर में भागीदारी के लिए बोलीदाता से न्यूनतम दस्तावेज अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।
3. बोलीदाताओं से उनकी बैंक गारंटियों के सिवाय किसी दस्तावेज को विश्लेषण के लिए आफलाईन प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं होती।
4. पोर्टल साफ्टवेयर में, निवेशित डाटा को वैध बनाने और समुचित चौकसी संदेश देने के लिए टेण्डरों के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित व्यावसायिक लॉजिक शामिल किया जाता है।
5. बोलीदाता, बोली प्रस्तुत करते हुए, प्रत्येक अवस्था में यह फीडबैक प्राप्त करता है कि क्या बोली में टेण्डर की अपेक्षा का अनुपालन हो रहा है या नहीं।
6. न्यूनतम बोलीदाताओं को उनके द्वारा आनलाईन पर दी गई सूचना के समर्थन में मूल दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रतिलिपि अप-लोड करनी होती है।
7. ईएमडी और टेण्डर शुल्क की प्राप्ति की प्रणाली को स्वचालित बनाने के लिए एमसीएल में निकाले गए सभी टेण्डरों के लिए इलैक्ट्रानिक फण्ड ट्रांसफर/नेफ्ट/आरटीजीएस पद्धति शुरू की गई है। अब जो बोलीदाता आनलाइन भुगतान का विकल्प ले रहे हों उन्हें एमसीएल को कोई दस्तावेज नहीं भेजना पड़ता।
8. पोर्टल साफ्टवेयर में एक सुविधा सृजित की गई है ताकि बोलीदाता उनके द्वारा भेजी गई बोली सूचना के समर्थन में उनके द्वारा ऑनलाइन पद्धति द्वारा भेजी गई सारे पुष्टिकरण दस्तावेजों को अपलोड कर सकें।
9. बोली के प्रस्तुतीकरण के पश्चात बोलीदाता टेण्डर की अपेक्षाओं से संबंधित उनके अनुपालन की फीडबैक प्राप्त करता है।
10. इसलिए बोलीदाताओं को किसी टेण्डर क माध्यम से ठेका प्राप्त करने के लिए एमसीएल परिसरों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

वर्ष 2014-15 के दौरान कार्यान्वयन के लिए योजित नई विशेषताएं:

कार्यों/आपूर्तियों के संविदा पश्चात प्रबंधन : संविदा देने के पश्चात गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक नया मोड्यूल तैयार किया जाएगा। संविदा की समाप्ति तक निष्पादन की प्रगति और बिलों के भुगतान का इस नए मोड्यूल के जरिए मानीटरन किया जाएगा।

सांख्यिकी :

31.3.2014 तक की स्थिति	
एमसीएल में ई-प्रोक्योरमेंट शुरू होने की तिथि	15.08.2009
प्रकाशित निविदओं की कुल संख्या	7584
प्रकाशित निविदओं का कुल मूल्य	₹ 7351.96 करोड़
खोली गई निविदाओं की कुल संख्या	4169
खोली गई निविदाओं का कुल मूल्य	₹ 3575.74 करोड़
औसत साइकिल टाईम(एनआईटी के प्रकाशन से एल-। के निर्णय)	27 दिन
औसत साइकिल टाईम(एनआईटी के प्रकाशन से कार्यादेश तक)	69 दिन
न्यूनतम साइकिल टाईम(एनआईटी के प्रकाशन से एल-। के निर्णय तक तक)	15 दिन
न्यूनतम साइकिल टाईम(एनआईटी के प्रकाशन से कार्यादेश तक)	21 दिन
निविदा में भाग लिये अधिकतम बोली लगानेवाले	17

32. एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

सन 1992 में अपनी स्थापना से लेकर एमसीएल इनपुट संसाधन और उत्पादकता की प्रचलित तकनीकों को चला रही है और अपनी कोयला उत्पादन क्षमताओं को बढ़ा रही है जो कि भारतीय कोयला उद्योग की प्राथमिकता रही है। वांछित उत्पादन क्षमताओं और रूटीन संसाधन प्रबंधन के अच्छी तरह नियंत्रणाधीन होने से जोर उपयुक्त प्रबंधन
प्रणाली सृजित करने की ओर बदल गया है ताकि रूटीन अभियानों के दौरान दीर्घकालिक निष्पादन और संकट की रोकथाम सुनिश्चित हो सके।

दूसरी ओर इसके पर्यावरण के प्रति से कानूनी बाध्यताओं की देखभाल करने के लिए, एमसीएल, अपने खनन संबंधी कार्यकलापों की पर्यावरणीय संघातों के मानीटरिंग के लिए पारम्परिक तरीकों का प्रयोग कर रही है। तथापि ऐसे तरीके, कंपनी को वह विश्वास और आश्वासन प्रदान करने में असमर्थ थे कि वह अपने खनन और सम्बद्ध अभियानों के प्रतिकूल पर्यावरणीय असर को झेलने और उन पर दीर्घकालिक तथा निरंतर काबू पाने की स्थिति में रहती है।

चूंकि संसाधन/उत्पादकता प्रबंधन तथा पर्यावरणीय मानीटरिंग की पारम्परिक प्रबंधन तकनीक संगठन की वर्तमान जरूरतों का समाधान करने के लिए तैयार नहीं किए गए थे, एमसीएल संरचनात्मक प्रबंधन प्रणाली के उपर्युक्त सुधारों और अपने अभियानों को अनवरत बनाये रखने में कमी का भी अनुभव कर रही थी।

सन 1995 में एमसीएल ने तालचर में अपनी केन्द्रीय कर्मशाला आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लाने की कोशिश की, जो मई 1999 में तत्कालीन आईएसओ 9002:1994 के विरूद्ध प्रमाणित की गई थी । बाद में, लिंगराज लाने की कोशिश की। बाद में, लिंगराज आसीपी और ईबी वैली स्थित केन्द्रीय कर्मशाला में भी आईएसओ 9001 कार्यान्वित किया गया। इन यूनिटों ने क्रमशः नवम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में भी आईएसओ 9001 प्रमाणन प्राप्त किए।

सन 1994 में आपकी कंपनी ने कोल इंडिया लि. के विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक क्षमताओं को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर, विश्व बैंक ने कोल इंडिया लि. को, परियोजनाओं में औपचारिक पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (जैसे आईएसओ 14001) की स्थापना द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से कोयला खनन परियोजनाओं द्वारा प्राप्त क्षमताओं को व्यवस्थित करने की सलाह दी। कोल इंडिया लि. ने नवम्बर, 2000 में इस प्रस्ताव को मंजूर किया।

नवम्बर, 2000 और मार्च, 2004 के बीच, एमसीएल ने आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 के अनुपालन में अपनी 5 ओपनकास्ट कोयला खनन परियोजनाओं अर्थात समलेश्वरी, कलिंगा (अब नाम बलराम रखा गया है), लखनपुर, अनंत और बेलपहाड़ में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को अपनाने का और सितम्बर, 2008 में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत आईएसओ 14001 के प्रमाणन को अपनाने का निर्णय लिया ।

यह आशा थी कि :-
दो समान प्रणालियों का कार्यान्वयन करने में प्रयासों की लागत तथा डुप्लीकेशन को समाप्त किया जाए;

प्रचालनों की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु प्रचालन मतभेदों का निपटारा करना;

एकीकृत प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु भूमिकाओं की अस्पष्टता को दूर करना;

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना जिससे वे अन्यथा विविध और गैर-संबंधित न लगे ;

दोनों प्रणालियों के तहत प्रचालनों की प्रभावशीलता प्राप्त करने हेतु कार्मिकों की समग्र व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करना; और

ग्राहकों (संबंधित उत्पाद/सेवा की ओर) और समाज (अपने प्रचालनों से विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने की ओर) दोनों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना।

ऐसी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को कंपनी-भर का दृष्टिकोण बनाने के लिए, एमसीएल ने अगस्त, 2005 में इस दिशा में उसके सभी पृथक प्रयासों को पुनः संगठित करने और (क) इसके कोयला खनन परियोजनाओं, (ख) दोनों केन्द्रीय वर्कशॉपों और (ग) दोनों केन्द्रीय अस्पतालों के लिए अलग से आईएमएस अनुवर्ती एक समान और कंपनी-भर में आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 बनाने का निर्णय लिया।

वर्ष 2011-12 में, एमसीएल की 22 इकाइयां एकीकृत प्रबंधन प्रणाली-आईएमएस (आईएसओ 9001:2008 और आईएसओ 14001:2004) के लिए प्रत्यायित की गईं जिनमें से 11 इकाइयां (एमसीएल मुख्यालय, लजकुरा, समलेश्वरी, बासुंधरा (प.), लखनपुर, बेलपहाड़, लिलारी अनंत, जगन्नाथ, लिंगराज, बलराम ओसीपी) पुनः प्रमाणित की गईं और 11 इकाइयों (खान सं. 1 और 2, खान सं. 3, खान सं. 4, एचआरसी, एचबीआई, नंदीरा कोलियरी, तालचर कोलियरी- यूजी खानें और कुल्दा, भुवनेश्वरी, हिंगुला, भरतपुर ओसीपी) ने नए प्रमाणन प्राप्त किया। यह प्रमाणन सीएमपीडीआईएल, रांची के माध्यम से मेसर्स एमएस सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रा. लि., कोलकाता द्वारा किया गया।

वर्ष 2012-13 में, एमसीएल की कंपनी-भर में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को आईएसओ 9001:2008 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2004 - पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली और ओएचएसएएस 18001:2007 - व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली से प्रत्यायित किया गया जो सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों का निम्नलिखित के अनुसार पुष्टि करता है।

आईएसओ 9001 क्यूएमएस -संगठन की आंतरिक दक्षता और ग्राहक फोकस के प्रबंधन हेतु
आईएसओ 14001 ईएमएस - संगठन के पर्यावरणीय सरोकारों के प्रबंधन हेतु
ओएचएसएएस 18001 ओएचएसएमएस- संगठन के व्यावसायिक-स्वास्थ्य और सुरक्षा सरोकारों के प्रबंधन हेतु
यह प्रमाणन सीएमपीडीआईएल, रांची के माध्यम से मैसर्स एमएस सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रा. लि., कोलकाता द्वारा किया गया।

भविष्य की योजना : 2014-15 में

एमसीएल वर्ष 2014-15 में एसए-8001-2008 - सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंधन प्रणाली एवं आईएसओ 50001:2011 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली पूरे एमसीएल के लिए सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ आईएमएस के प्रत्यायन के लिए आवेदन करने जा रही है जिसे नीचे दिया गया है:-

एसए 8000 एसएएमएस - संगठन के सामाजिक उत्तरदायित्व पहलुओं के प्रबंधन हेतु
आईएसओ 50001ईएनएमएस - संगठन के सभी ऊर्जा इनपुट के तर्कसंगत प्रबंधन हेतु

आईएमएस का उद्देश्य:

क) कंपनी की गुणवत्ता, आंतरिक क्षमता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक जवाबदेही और ऊर्जा निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थित और समांतराल प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना।

ख) विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रयासों के दोहराव और लागत का दूर करना, जोकि अन्यथा भिन्न-भिन्न और असंगत हो सकते हैं।

ग) एक अच्छे नेटवर्क वाली प्रबंधन प्रणाली और स्वस्थ कार्य वातारण के तहत स्पष्ट परिभाषित भूमिकाओं, उत्तरदायित्व जवाबदेही और प्राधिकार द्वारा एक अच्छी कार्य संस्कृति शामिल करना, संचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करना और संचालनात्मक संघर्ष को दूर करना।

घ) नेमी कार्य निश्चित करने के दौरान हानिकारक और गैर मूल्य युक्त संचालनों को कम करना, इसके फलस्वरूप संचालनों के दौरान समय, लागत और संसाधनों की प्रत्यक्ष बचत तथा पर्यावरण और सामाजिक लागतों पर अप्रत्यक्ष बचत करना।

ङ) अपने सभी इच्छुक पक्षों को निम्नलिखित भरोसा प्रदान करने में समर्थ बनाना

i) कोयले का खनन और आपूर्ति जो ग्राहक, विनियामक निकायों और समाज की जरूरतों को निरंतर पूरा कर सके।

ii) पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, समाज और ऊर्जा खपत से संबंधित अपने उत्तरदायित्वों के प्रति बचनबद्ध।

iii) सतत सुधार करने के लिए व्यवस्थति दृष्टिकोण।

iv) सभी कानूनी और अन्य जरूरतों का अनुपालन

v) अल्पकालिक उपलब्धियों की बजाय टिकाऊ और सतत सुधार पर बल देना।

33. पुरस्कार और मान्यता

33.1 अपने कार्यकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान/उपलब्धि को मान्यता के रूप में आपकी कंपनी को वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए:

- जीओमाईनटैक द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल को श्रेष्ठ मुख्य कार्यपालक पुरस्कार।
- भारतीय भाषा एवं सांस्कृति केंद्र, नई दिल्ली द्वारा राजभाषा रत्न पुरस्कार।
- अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम 2013 में संगीत एवं वाद्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार।
- 39वें सीएलआईएल स्थापना दिवस पर 2012-13 में ऑफ-टेक में उच्चतम संवर्धन हेतु खान व खनिज क्षेत्र श्रेष्ठ पुरस्कार।
- एमएसएमई और एनएसआईसी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एमसीएल को खनन और खनिज क्षेत्र में श्रेष्ठ पुरस्कार।
- अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी, मदुराई द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल को राजभाषा सम्मान।
- एमसीएल को विश्व मुक्ति राष्ट्रीय राजभाषा सम्मान 2013
- जीआईएफ, नई दिल्ली द्वारा समलेश्वरी ओसीपी और भुवनेश्वरी ओसीपी को रजत श्रेणी में ग्रीनटैक पर्यावरण पुरस्कार-2013

34. लेखा परीक्षक

34.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित लेखा-परीक्षा फर्मों को वर्ष 2013-14 के लिए सांविधिक/शाखा लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षक	शाखा लेखा परीक्षक
मेसर्स पाम्स एंड एसोसिएट्स	मेसर्स एमसीएम एसोसिएट्स
पूरी घाट, ताला टेलेङ्गा बाज़ार	98, खारवेल नगर,
कटक	केशरी टाकिज काम्प्लेक्स,
ओड़ीशा- 753009	प्रथम तल, भुवनेश्वर
	ओड़िशा-751001

35. सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियां:

क) एमएनएच शक्ति लिमिटेड का गठन एमसीएल की एक सहायक कंपनी के रूप में किया गया है, जिसमें एमसीएल 70 प्रतिशत स्टेक एवं नेवेली लिगनाइट निगम तथा हिंडालको का शेष स्टेक है । तलाबीरा ओसीपी से 20.00 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता के साथ कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

ख) एमजेएसजे कोल लिमिटेड का गठन एमसीएल की अन्य सहायक कंपनी, के रूप में किया गया है जिसमें एमसीएल का स्टेक 60 प्रतिशत है एवं शेष स्टेक जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल थर्मल पावर लिमिटेड, जिन्दल स्टेनलेस स्टील, श्याम मेटालिक्स एवं एनर्जी लिमिटेड का है। गोपालप्रसाद ओसीपी से 15.00 एमटीवाई की वार्षिक क्षमता के साथ कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

ग) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, की स्थापना दिनांक 2.12.2011 को एक एसपीवी के रूप में की गई है जिसमें 100 प्रतिशत शेयर एमसीएल एवं इसके नामितों द्वारा धारित है, जिसमें बासुन्धरा कोलफील्ड के पीटहेड पावर प्लांट के माध्यम से 2 x 800 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

घ) धारा 212 के अनुसार धारक कंपनियों के हित के विवरण में सहायक कंपनियों नामतः मेसर्स एमएनएच शक्ति लिमिटेड, मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड एवं मेसर्स महानदी बेसिन पावर लिमिटेड संलग्न किया गया है।

35.1 कंपनी ने एक संयुक्त उपक्रम कंपनी नामतः नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनपीटीसीपीएल) दिनांक 8 जनवरी, 2013 को स्थापित की है जिसका उद्देश्य मेसर्स ओपीटीसीएल के साथ संयुक्त रूप से विद्युत संप्रेषण कारोबार करना है, नई गठित कंपनी के इक्विटी शेयर धारण पैटर्न 50:50 है।

36. सावधि जमा

आपकी कंपनी ने, जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित किया गया है, के तहत लोगों से जमा के रूप में कोई राशि स्वीकार नहीं की है।

37. कंपनी अधिनियम, 1956की धारा 217 के तहत सूचनाओं का विवरण :

कंपनी की नियमावली, (1988 निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों के प्रकाशन) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (।) (ड.) के प्रावधान के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी के उपयोग एवं वैदेशिक मुद्रा के आय तथा व्यय से संबंधित सूचना इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-। में दी गई है।

38. कर्मचारियों के विवरण:

यथासंशोधित कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) (नियमावली, 1975के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956की धारा2)217 क (के तहत चाहा गया कर्मचारियों का विवरण नहीं दिया गया है, क्योंकि कंपनी ने इन प्रावधानों के अंतर्गत आनेवाले किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है ।

39. निदेशक मंडल:

39.1 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, निदेशक बने रहेः

1. श्री ए. एन. सहाय	-	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री ए. के. तिवारी	-	निदेशक(तकनीकी/प्रचालन)

39.2 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष में निदेशक नियुक्त हुएः

1. श्री जे.पी. सिंह	-	निदेशक (01.06.2013 से)
2. श्री पी.सी.पाणिग्राही	-	निदेशक (30.07.2013 से)

39.3 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष के निदेशक नहीं रहेः

1. श्री ए. रथ	-	निदेशक (27.04.2013 से)
2. श्री एम.बी. श्रीधरन	-	निदेशक (27.04.2013 से)
3. श्री ए.के सिंह	-	निदेशक (17.06.2013 से)
4. श्री के. बिस्वाल	-	निदेशक (20.12.2013 से)
5. श्री ए. कलाम	-	निदेशक (22.02.2014 से)
6. डॉ. ए.कुमार	-	निदेशक (22.02.2014 से)

40. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2कक) की आवश्यकतानुसार एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

1. दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा के मानकों का अनुसरण किया गया है।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही तथा स्वच्छ जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने/निवारण हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. निदेशकों ने 31.3.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाशील कारोबार(गोईंग कन्सर्न) के आधार पर लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

41. कार्पोरेट गवर्नेंस

इस रिपोर्ट के साथ कार्पोरेट शासन पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

42 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

इस रिपोर्ट के साथ प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-III** में संलग्न है।

43. भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-IV** पर संलग्न है ।

44. <u>लेखा परीक्षा समिति:</u>

<u>समिति का पुनर्गठन 18 सितंबर, 2013 को किया गया । इसके निम्नलिखित सदस्य हैं-:</u>

1. श्री अब्दुल कलाम	-	निदेशक,एमसीएल बोर्ड –सदस्य
2. डॉ. अशोक कुमार	-	निदेशक,एमसीएल बोर्ड –सदस्य
3. श्री एस. के. सिंह	-	निदेशक,एमसीएल बोर्ड –सदस्य
4. निदेशक(तक./संचालन),एमसीएल	-	निदेशक,एमसीएल बोर्ड –सदस्य
5. श्री बी.के.सक्सेना,डी(एम),सीआईएल	-	निदेशक,एमसीएल बोर्ड –सदस्य

44.1 कार्य क्षेत्र:

1. वित्तीय विवरण की समीक्षा ।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।
3. सरकारी लेखापरीक्षा एवं वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा ।
4. संचालनगत कार्य निष्पादन तथा पैरामीटर के मानक की समीक्षा ।
5. परियोजनाओं एवं अन्य पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा ।

6. आंतरिक लेखा परीक्षा के परिणाम/अवलोकन की समीक्षा ।
7. एमसीएल में एक आनुपातिक एवं प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य प्रणाली का विकास ।
8. किसी भी मामले का विशेष अध्ययन, जॉच जिसमें बोर्ड द्वारा अग्रसारित मामले भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षा समिति ने एमसीएल के वित्तीय और अन्य ऑकड़े/सूचना का आकलन किया है। समिति द्वारा अवलोकित तथ्यों को एमसीएल बोर्ड के पास भेजा जाता है। समिति आवश्यकतानुसार बैठक कर सकती है लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि कम से कम तीन महीने में एक बार अवश्य मिलें ।

45. लागत रिकार्ड:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अनुसार कंपनी के लागत रिकार्ड का अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा 01.04.2011 से निर्धारित किया गया है । कंपनी केवल एक उत्पाद अर्थात कोयले का उत्पादन करती है और कंपनी ओवर हेड सहित मदवार लागत के ब्यौरे के साथ रिकार्डिंग, निर्धारण और रिपोर्टिंग की निरंतर एकीकृत प्रणाली है और नियमित अंतराल पर लागत रिपोर्ट का मिलान किया जाता है।

46. समझौता-ज्ञापन मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में निष्पादन:

46.1 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीआई), भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उद्यम, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीएमडी, एमसीएल और अध्यक्ष, सीआईएल के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन पर एमसीएल का निष्पादन तैयार किया गया है और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इसकी लेखा-परीक्षा की है। आपकी कंपनी के भौतिक और वित्तीय निष्पादन पर आधारित समग्र समझौता-ज्ञापन रेटिंग "बहुत अच्छा" रहा है।

47. सीआईएल के अंशधारकों के लिए अनुषंगी लेखा:

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 08.02.2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 क तहत एमसीएल मुख्यालय में एमसीएल का वार्षिक लेखा सीआईएल के अंशधारकों की मांग पर जॉच एवं संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेगा ।

48. आभार

48.1 आपके निदेशक गण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक गण केंद्रीय सरकार तथा ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे सहयोगी संगठनों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए निदेशकों ने सधन्यवाद आभार व्यक्त किया है।

48.2 निदेशकों ने श्रमिक संगठन एवं अधिकारी संगठन से प्राप्त सहयोग एवं सभी स्तर के कर्मचारियों की दलगत भावना, मूल्यवान तथा निष्ठापूर्ण सेवा के लिए आभार व्यक्त किया है, जिससे कंपनी अपना लक्ष्य तथा सर्वांगीन अभिवृद्धि प्राप्त करने में सफल रही है ।

48.3 निदेशकों ने महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को उनके निरंतर समर्थन ,संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया है, जिसके बिना कंपनी इतनी मजबूती से नहीं उभरती ।

48.4 निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार, ओड़िशा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा की भी सराहना की है ।

48.5 निदेशकों ने संबलपुर एवं ओड़िशा के कोयला क्षेत्रों में रहने वाले विशिष्ट नागरिकों को समय-समय पर दिए गए उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया है ।

49. अनुलग्नक:

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं : संलग्न

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1)(ड.) के अधीन निदेशकों के प्रतिवेदन में दी जानेवाली आवश्यक सूचना ।
2. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां।
3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(3) के अधीन निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुबंध।
4. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अधीन अनुषंगी कंपनियों में कंपनी के हित का विवरण।
5. सीआईएल के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2013-14 के समझौता-ज्ञापन के अनुसार निष्पादन का मानदंड-वार ब्यौरा

(ए .एन .सहाय)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

संबलपुर:
दिनांक : 03.06.2014

मैं पुष्टि करता हूँ कि समीक्षाधीन वर्ष में ,सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचरण संहिता के प्रावधानों के अपने अनुपालन की पुष्टि की है।

(ए .एन .सहाय)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

संबलपुर:
दिनांक : 03.06.2014

अनुलग्नक –I

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(1)(ड.) के अधीन पठित कंपनी की नियमावली,1988 (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकाशन) के अनुसार प्रतिवेदन में ऊर्जा के संरक्षण,प्रौयोगिकी के उपयोग तथा वैदेशिक मुद्रा के आय एवं व्यय से संबंधित दी जानेवाली सूचना :

ख. ऊर्जा का संरक्षण :

(क) ऊर्जा संरक्षण हेतु किये गये उपाय :

1. *वैद्युतिक ऊर्जा* :

तुलनात्मक विवरण के साथ इस वर्ष की बिजली की स्थिति की झलकियाँ इस प्रकार है :

i. कोयले के लिए विद्युत की विशेष खपत वर्ष 2012-13 में 2.85 केडब्लूएच/टन थी जो वर्ष 2013-14 में 2.65 केडब्लूएच/टन हो गई जो 7.02% कम है ।

ii. विद्युत की विशेष खपत (संयुक्त उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला+ओबी निकासी) वर्ष 2012-13 में 2.08 केडब्लूएच/क्यूबिक मीटर थी जो घटकर वर्ष 2013-14 में 1.80 केडब्लूएच/ क्यूबिक मीटर पर आयी अर्थात 13.46 % की कमी आई ।

iii. दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी संशोधित विद्युत टैरिफ के अनुसार, 0.95 से उच्च कीमत विद्युत फैक्टर कायम रखने हेतु विद्युत फैक्टर प्रोत्साहन बंद कर दिया है। तदनुसार, इस बाबत वर्ष 2013-14 में बचाई गई राशि शून्य है। वर्ष 2012-13 में यह बचत रुपए 141.23 लाख थी।

एलईडी लैंप की स्थापना:

"ऊर्जा प्रबंधन" शीर्ष के अंतर्गत संपोषणीय विकास परियोजना के भाग के रुप में, एमसीएल मुख्यालय, जगन्नाथ क्षेत्र और ओरियंट क्षेत्र के लिए एलईडी प्राप्त किए गए और स्थापित किए गए। परियोजना में विद्युत ऊर्जा निष्पादन पर समझौता किए बिना बचत की आशा है। स्थापित लैंप का क्षेत्रवार, यूनिटवार ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

क्र.सं.	गतिविधि	क्षेत्र/ईकाई	मात्रा	स्थिति
1.	90 कट की एलईडी स्ट्रीट लाईट फिक्स्चर की स्थापना	एमसीएल मुख्यालय	350 संख्या	पूर्ण
		ओरियंट	103	पूर्ण
2.	45 कट एलईडी स्ट्रीट लाईट फिक्स्चर की स्थापना	जगन्नाथ	60	पूर्ण
3.	19 कट की एलईडी टयूब लाईट फिक्स्चर की स्थापना	जगन्नाथ	2222	पूर्ण
		एमसीएल मुख्यालय	2382	पूर्ण
		ओरियंट	1352	पूर्ण
4.	10 वाट की एलईडी टयूब लाईट फिक्स्चर की स्थापना	एमसीएल मुख्यालय	500	पूर्ण

उपरोक्त गतिविधि से वर्ष 2013-14 में 139319 यूनिट की विद्युत बचत से रुपए 7,74,951 /- की बचत हुई।

इसके अलावा ओरियंट क्षेत्र के काली नगर उपकेंद्र पर 600 केवीएआर (2X300 केवीएआर) के विद्युत कैपेसिटर्स की स्थापना की व्यवस्था की गई है। ओसीपी सीएचपी पर पारंपरिक स्टार्टर्स को बदलने के लिए 10 वीएफडी ड्राईव की स्थापना और संचालन की योजना अनुमोदित की गई है और टेंडर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

2. **ईधन एवं स्नेहक:**

ईधन एवं स्नेहक की खपत में कमी लाने के लिए निम्न कदम उठाये गये:

क. ईजन की सर्वाधिक ओवरहॉलिंग तथा फिल्टर्स,होज एवं टायर-प्रेशर की नियमित जांच।

ख. स्वतः स्टार्टर्स की नियमित जांच और अनुरक्षण मुक्त बैटरियां लागू की गई हैं

ग. हॉल रोड का अनुरक्षण

घ. विशिष्ट डीजल खपत सीएमपीडीआई द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर होनी चाहिए।

ड. एचएसडी खपत के न्यूनीकरण के लिए आईईडी द्वारा दिशा-निर्देशों का उचित कार्यान्वयन

(ख) ऊर्जा के प्रभावी संरक्षण के लिए जहां उचित/संभव हुआ बिजली की खपत में कमी लाने के लिए उठाये गये कदम :

i) बिजली की सावधिक मांग को कम स्तर पर रखना और यथासंभव टीओडी प्रोत्साहन, नियमित लोड जैसे पंपिंग आदि प्राप्त करना, जिसे ऑफ पीक आवर में ऑपरेट किया जाता है।

ii) औद्योगिक पम्पों द्वारा ऊर्जा की खपत में कमी लाने हेतु प्रभावशीलता को बनाये रखने आशानुरूप डिलीवरी एवं सक्सन साईजेज, फ्लोट्स के प्रयोग, बोर होल्स द्वारा वी.टी. पम्प के प्रयोग, बोर होल्स के द्वारा डिलीवरी एवं केबल के प्रयोग जैसे कदम उठाए गए हैं।

iii) पारंपरिक चोक एवं रेगुलेटर के स्थान पर ट्यूब लाईट के लिए इलेक्ट्रानिक चोक एवं पंखों के लिए इलेक्ट्रानिक रेगुलेटर का प्रयोग।

iv) एयर कंडिशनर के फील्टर की नियमित सफाई और यह सुनिश्चित किया गया कि एयरकंडिशन किया जाने वाला स्थान पूरी तरह बंद रहे।

v) लूज कनेक्सन से बचना और सही आकार के फ्यूज का प्रयोग।

vi) सही आकार जैसे रेटेड कैपेसिटी के केबल का प्रयोग कर केबल से होने वाली हानि को न्यूनतम करना।

vii) कार्य करनेवाली मशीन(लोड) के पास अधिकतम वोल्टेज-भूमिगत खदानों में 3.3 के व्ही/550 व्ही टीएसयू(ट्रान्स स्वीच यूनिट) को स्थापित किया गया है ताकि लोड/मशीनों के पास पर्याप्त वोल्टेज प्राप्त हो जिससे मशीनों की बेहतर कार्यक्षमता एवं रेटेड आउटपूट के साथ मशीनरी को निर्धारित जीवन प्राप्त हो।

viii) ट्रान्सफर्मर की क्षमता का अधिकतम उपयोग एवं इससे ट्रान्सफर्मर की हानि में कमी।

ix) पावर कैपेसीटर के प्रयोग द्वारा 98 प्रतिशत के पास पावर फेक्टर प्राप्त किया जाता है जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है।

x) सही आकार के ओवरहेड कन्डक्टरों का प्रयोग कर न्यूनतम ट्रॉन्समीशन हानि को सुनिश्चित किया गया है।

xi) ऊर्जा की हानि को न्यूनतम करने के लिए स्टेज पंपिंग/इन्टरमिडिएट पंपिंग को कम किया गया है।

xii) पंपों में सही आकार के इलेक्ट्रीक मोटर का प्रयोग सुनिश्चित करना।

xiii) पम्पों में उच्चतर आकार /सिफारिश किये गये आकार के डिलिवरी लाइन और सक्सन का प्रयोग तथा थ्रोटलिंग से बचना।

xiv) पाइपलाईन में लिकेज का पता लगाना जिससे पंपिंग की कार्यक्षमता में सुधार हो।

xv) बियरिंग इत्यादि का सही हालात सुनिश्चित करना।

xvi) हमारी उच्चतम विद्युत मांग को करार मांग के अनुरूप रखने हेतु विद्युत के व्यस्ततम समय में गैर उत्पादकता लोड के नियंत्रण अर्थात आवश्यकतानुसार लोड-शेडिंग अपनाकर मॉनिटरिंग की जाती है। समुचित विशेषतावाले कैपेसिटरों का प्रयोग किया जाता है ताकि पावर फैक्टर का दोहरा लाभ जैसे अधिकतम मांग में कमी के साथ-साथ बिजली की वितरक कंपनियों से हायर पावर फैक्टर पर प्रोत्साहन प्राप्त हो सके ।

ग) ऊर्जा की खपत पर 'क' में वर्णित उपायों के प्रभाव एवं उत्पादन पैरामीटर पर पश्चात प्रभाव:

विवरण	2013 - 14	2012 - 13	गतवर्ष की तुलना में %वृद्धि(+)/कमी(-)
वैद्युतिक ऊर्जा:			
i) कोयले के लिए विद्युत की विशेष खपत/ केडब्लूएच/ टन में।	2.65	2.85	(-) 7.02 (एफ)
ii) संयुक्त उत्पादन(अर्थात कोयला एवं ओबी की निकासी) की विशेष खपत) केडब्लूएच/घनमीटर में।	1.80	2.08	(-) 13.46 (एफ)
ईंधन एवं स्नेहक :			
(i) एचएसडी की खपत लीटर/घनमीटर संयुक्त उत्पादन में	0.420	0.394	6.539
(ii) तरल स्नेहक की खपत लीटर/ घनमीटर संयुक्त उत्पादन में	0.017	0.015	14.479
(iii) कोयले के उत्पादन में एचएसडी की खपत लीटर/टन में	0.407	0.422	(-)3.448
(iv) स्नेहक की खपत (लीटर/ कोयला उत्पादन के टन में)	0.017	0.016	4.176
(v) पीओएल की विशेष लागत रुपये /टन में	29.320	23.320	25.729

ग. विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय:

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात में वृद्धि हेतु उठाए गए कदम, उत्पादों के लिए नये निर्यात बाजार का विकास, निर्यात गतिविधि की सेवायें एवं निर्यात योजनाऐं। — कंपनी की कोई निर्यात गतिविधि नहीं है।

(ii) उपयोग/ अर्जित विदेशी मुद्रा: (करोड़ ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	गतवर्ष
(क) प्रयुक्त विदेशी मुद्रा :		
(i) आयात का सीआईएफ मूल्य		
(क) कंपोनेंट, भंडार एवं फालतू पुर्जे	2.89	2.96
(ख) पूँजीगत सामान	8.76	1.28
(ii) यात्रा	0.02	0.03
(iii) ब्याज	1.25	2.05
(iv) अन्य	-	-
(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा :	शून्य	शून्य

अनुलग्नक-II

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन :

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के संगठनात्मक प्रणाली में कार्पोरेट गवर्नेन्स व्यापारिक दर्शन के रूप में इसकी गइराई तक शामिल है जिससे पारदर्शिता, बृहत्तर संगठनात्मक न्याय एवं कार्पोरेट स्थिरता सुनिश्चित की जा सके ।

वर्ष 2010-11 से केंद्रीय सरकार से अनिवार्यत: अनुपालन हेतु कार्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीमा के अंदर कार्य नीति बनाने के लिए नये परिप्रेक्ष्य एवं समुचित अध्यवसाय के साथ दिशा निर्देशों का पुनरावलोकन किया गया।

समता, न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही इत्यादि कसौटी होने के नाते अच्छे गवर्नेन्स के मूलाधार के रूप में स्वीकार किये गये हैं । एमसीएल के संबंध में कुछ आधारभूत मूल्यों को व्यापार के सभी आयामों में यथासंभव प्रयोग में लाया जाना है।

निदेशक मंडल :

कार्यकारी, नामिति एवं स्वतंत्र निदेशकों के बोर्ड में उच्चतम जुड़ाव के सिद्धान्त को मानते हुए निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के दिनांक 31.03.2014 को 06 (छः) निदेशकों को लेकर एमसीएल का निदेशक मंडल गठित है:-

क) 4 (चार) कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत।

ख) 2 (दो) सरकारी अंशकालीन निदेशक(नमिति) ।

इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर के मुख्य प्रचालन प्रबंधक को भी बोर्ड के स्थायी के रूप में आमंत्रित किया जा हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की 9 बैठकें हुईं जिसमें निदेशकों की औसत उपस्थिति 88 प्रतिशत से अधिक रही और दो बैठकों के बीच का अंतराल तीन महीने से कम का रहा।

बोर्ड के गठन का विवरण, निदेशकों की निजी उपस्थिति और अन्य कंपनियों के निदेशकों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठकें		अन्य कंपनी में निदेशक	अन्य समितियों में सदस्यता	
		कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित		लेखा परीक्षा समिति	अन्य समिति
श्री ए.एन.सहाय	कार्यकारी	9	9	एनपीटीसीपीएल	शून्य	02
श्री ए.के. सिंह	कार्यकारी	1	1	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	01	03
श्री ए.के. तिवारी	कार्यकारी	9	9	(i) एमजेएसजे कोल लिमिटेड (ii) एनपीटीसीपीएल	01	04
श्री के.बिश्वाल	कार्यकारी	6	6	(i)एमएनएच शक्ति लिमिटेड (ii)एमजेएसजे कोल लिमिटेड (iii) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (iv) एनपीटीसीपीएल	शून्य	04
श्री जे.पी सिंह	कार्यकारी	8	8	(i)एमएनएच शक्ति लिमिटेड (ii)एमबीपीएल कोल लिमिटेड	शून्य	02
डॉ.अशोक कुमार	गैर-सरकारी अंशकालीन	8	7	(i)स्वर्णीया रियल एस्टेट प्राई.लिमि. (ii)एमएनएच शक्ति लिमिटेड	01	02
श्री अब्दुल कलाम	गैर-सरकारी अंशकालीन	8	8	(i)एनएमडीसी लिमिटेड *(ii)* महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	01	02
श्री बी.के.सक्सेना	गैर-सरकारी अंशकालीन	9	6	(i)कोल इंडिया लिमिटेड (ii)नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड	शून्य	02
श्री एस.के. सिंह	सरकारी नामिति	9	5	सेंट्रल कोलफाल्ड लिमिटेड	01	01
श्री पी.सी.पाणिग्राही	कार्यकारी	6	6	(i) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (ii)एमएनएच शक्ति लिमिटेड	शून्य	03

छमाही एवं सलाना लेखा, पूँजीगत व्यय, कोयला विक्रय ठेका, जनशक्ति बजट, सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट इत्यादि जैसे गवर्नेन्स के कुछ बिन्दु बोर्ड की समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु आरक्षित रखे गये हैं।

निदेशकों के पारिश्रमिक :

क) पूर्णकालिक निदेशक:

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यापार का संबंध, यदि हो तो	वर्ष 2012-13 के लिए पारिश्रमिक
			पारिश्रमिक पैकेज के सभी मद जैसे-वेतन, पीएलआईएस, पीएफ अंशदान, पेंशन, इत्यादि (रु. में)
श्री ए.एन.सहाय	शून्य	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	26,87,505.67
श्री ए. के. सिंह	शून्य	निदेशक(तकनीकी/पी एंड पी)	25,23,222.00
श्री ए. के. तिवारी	शून्य	निदेशक(तक./ऑपरेशन)	21,83,768.00
श्री कुलमणि बिश्वाल	शून्य	निदेशक(वित्त)	15,56,336.17
श्री पी. सी. पाणिग्राही	शून्य	निदेशक(कार्मिक)	14,86,603.19
श्री जे.पी सिंह	शून्य	निदेशक(तकनीकी/पी एंड पी)	18,46,989.06

ख) सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कम्पनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

ग) गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कम्पनी द्वारा बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने के शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

घ) सेवा संविदा, नोटिस अवधि, पृथककरण फीस :

कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । नियुक्ति को दोनों तरफ से तीन महीने की नोटिस या इसके बदले तीन महीने के वेतन के भुगतान पर समाप्त की जा सकती है ।

बोर्ड की समितियाँ :

i. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल का मत है कि उपयुक्त स्वायत्तता और परिभाषित कार्यक्षेत्र सहित लेखा-परीक्षा समिति व्यापार के अबाध संचालन हेतु एक प्रभावी प्रणाली हो सकती है। समिति की नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं और मुद्दों का यथाशीघ्र समाधान किया जाता है। लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें उचित संरचित कार्य सूचीबद्ध होती हैं और समय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रखी जाती है।

लेखा-परीक्षा समिति को एमसीएल के वित्तीय और अन्य आंकड़े/जानकारी सुलभ होती है। समिति द्वारा निरूपण को एमसीएल बोर्ड को सूचित किया जाता है। समिति की बैठक यथा आवश्यक होती है किन्तु तिमाही में न्यूनतम एक बार होती है।

कार्य-क्षेत्र

क) वित्तीय विवरण की समीक्षा ।
ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।
ग) सरकारी लेखापरीक्षा एवं वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा ।
घ) संचालनगत कार्य निष्पादन तथा पैरामीटर के मानक की समीक्षा ।
ङ) परियोजनाओं एवं अन्य पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा ।
च) आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणाम/अवलोकन की समीक्षा ।
छ) एमसीएल में एक आनुपातिक एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली का विकास ।
ज) किसी भी मामले का विशेष अध्ययन, जांच जिसमें बोर्ड द्वारा अग्रसारित मामले भी शामिल हैं।

लेखा-परीक्षा समिति के गठन और बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा की आठ बैठकें दिनांक 15.04.2013, 16.05.2013, 10.07.2013, 30.07.2013 18.09.2013, 07.11.2013, 10.12.2013, 24.12.2013 और 05.02.2014 को हुई और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री एम.बी.श्रीधरन	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री अब्दुल कलाम	अध्यक्ष	9	8
3.	डॉ. ए.के.रथ	सदस्य	1	1
4.	डॉ. अशोक कुमार	सदस्य	9	8
5.	श्री एस. के. सिंह	सदस्य	9	3
6.	श्री बी. के. सक्सेना	सदस्य	4	3
7.	श्री ए. के. सिंह	सदस्य	2	2
8.	श्री ए. के. तिवारी	सदस्य	7	7

लेखा-परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठकों में निदेशक(वित्त)/सीएफओ, आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखा-परीक्षकों को वित्त, लेखा, लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

विद्यमान लेखा-परीक्षा समिति के अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में हुई 134वीं और 135वीं बोर्ड बैठकों में कंपनी की कार्यनीतिक और तकनीकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने, कारपोरेट शासन का सही मायनों में अनुपालन, मानव संसाधन के जरिए मान-वृद्धि और आर एंड आर की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपसमितियां गठित की गई हैं ।

ii) तकनीकी उप-समिति:

कार्य-क्षेत्र:

- एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन, निरूपण और सिफारिश

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

वर्ष के दौरान उपसमिति की चार बैठकें दिनांक 16.05.2013, 10.12.2013, 04.02.2014 और 07.03.2014 को हुई जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र. स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री ए .एन .सहाय	अध्यक्ष	4	4
2	श्री ए. के. सिंह	सदस्य	1	1
3	श्री ए .के .तिवारी	सदस्य	4	4
4	श्री के .बिस्वाल	सदस्य	1	1
5	श्री जे.पी. सिंह	सदस्य	3	3
6	श्री अब्दुल कलाम	सदस्य	4	3
7	श्री बी .के .सक्सेना	सदस्य	4	3

ii) **कार्पोरेट शासन, कार्य-नीतिक, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक विकास उप समिति (सीजीएसआर एमएसडीसीएसआर):**

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों हेतु सीएसआर और संपोषणीयता के लिए बोर्ड स्तर की समिति के गठन के लिए लोक उद्यम विभाग के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बोर्ड ने दिनांक 11.07.2013 को हुई अपनी 150 वीं बोर्ड बैठक में एमसीएल की सीएसआर कार्यकलापों को कार्पोरेट शासन,कार्य-नीतिक व जोखिम प्रबंधन तथा संपोषणीयविकास(सीजीएसआरएमएसडी) उप-समिति में शामिल किया और उप-समिति का "कार्पोरेट शासन, कार्यनीतिक व जोखिम प्रबंधन,संपोषणीय विकास तथा सीएसआर"(सीजीएसआरएमएसडी) उप-समिति के रुप में पुनः नामकरण किया।

कार्य-क्षेत्र:

जहां तक कार्पोरेट शासन का संबंध हैः

क. शासन संरचना, सिद्धांतों और पद्धतियों की नियमित मानिटरिंग और उनमें किसी परिवर्तन के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

ख. इस उप-समिति सहित बोर्ड की सभी उप-समितियों के निष्पादन एवं चार्टर, गठन, बैठकों वार्षिक केलेंडर की समीक्षा।

ग. कंपनी के आधार निष्पादन की समीक्षा करना और सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

कार्य-नीतिक प्रबंधन के बारे में:

क. कंपनी के भविष्य के लिए कार्य-नीतिक दृष्टि, मिशन/ लक्ष्य और उद्देश्यों के गठन में बोर्ड को मदद करना और उनका कार्रवाई ब्यौरों में उनका प्रचालीकरण करना।

ख. कंपनी के लिए निर्धारित की जानेवाली कार्य-नीतिक प्राथमिकताओं की सिफारिश प्रबंधन के साथ साथ बोर्ड को करना।

ग . कंपनी के सभी प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में, मात्रात्मक ब्यौरे सहित और कार्य-नीतिक प्राथमिकताओं से संगत वार्षिक कार्रवाई यो जना की सिफारिश प्रबंधन के साथ -साथ बोर्ड को करना।

घ. कंपनी के कार्य-नीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति की समीक्षा करना।

जोखिम प्रबंधन के बारे में :

क. कंपनी की विद्यमान जोखिम प्रबंधन कार्य-नीति, नीति, प्रक्रिया, यदि कोई हो, की समीक्षा करना और
उनमें वांछित परिवर्तनों की बोर्ड को सिफारिश करना।

ख. कंपनी की" जोखिम प्रवृति "और" जोखिम सहनता "को परिभाषित करना और कंपनी के जोखिम प्रकटन को मॉनीटर करना।

ग. कंपनी के महत्वपूर्ण जोखिमों के चिन्हितकरण, मूल्यांकन, प्रवर्धन और मॉनीटरिंग के बारे में प्रबंधन की कार्रवाई की समीक्षा करना।

घ. कंपनी के जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमों की पर्याप्तता की समीक्षा करना और उनमें वांछित परिवर्तन, यदि कोई हो, की बोर्ड को सिफारिश करना।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौरा:

सीजीएसआरएमएसडीसीएसआर उप समिति की वर्ष में चार बैठकें 07.11.2013, 24.12.2013, 13.01.2014, और 04.02.2014 को हुई, जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:

क्र. स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री अब्दुल कलाम	अध्यक्ष	4	3
2	डॉ. अशोक कुमार	सदस्य	4	2
3	श्री ए .के .तिवारी	सदस्य	4	4
4	श्री के .बिस्वाल	सदस्य	1	1
5	श्री जे. पी. सिंह	सदस्य	4	4
6	श्री पी.सी.पाणिग्राही	सदस्य	4	4
7	श्री एस .के .सिंह	सदस्य	4	2

iv) मानव संसाधन प्रबंधन और पारिश्रमिक(एचआरएमआर) उप-समिति:

कार्य-क्षेत्र:

मानव संसाधन के प्रबंधन के बारे में :

क) मानव संसाधन मुद्दों के समाधान के लिए कार्य-नीतिक केंद्रित पहलों के प्रबंधन के साथ बोर्ड को सिफारिश करना।

ख) भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण और विकास, प्रतिधारण प्रतिनियुक्ति, अनुक्रमण, निष्पादन, पुरस्कार योजना से संबंधित विद्यमान नीतियों/नियमों/विनियमों/मैनुअलों/दिशानिर्देशों की प्रबंधन के साथ आवधिक समीक्षा करना और उनमें वांछित परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

ग) किसी नई मानव संसाधन केंद्रित नीति की प्रबंधन के साथ बोर्ड को सिफारिश करना।

घ) बोर्ड स्तरीय और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए, यथावश्यक, विदेश प्रशिक्षण लेने हेतु बोर्ड को सिफारिश करना।

ङ) कंपनी के वार्षिक जनशक्ति बजट के साथ-साथ प्रशिक्षण और विकास, कर्मचारी, कल्याण, जनसंपर्क के लिए वार्षिक वित्तीय बजटीय आबंटन की सिफारिश प्रबंधन के साथ बोर्ड को करना।

पारिश्रमिक के बारे में:

क. सीआईएल और संबंधित मंत्रालय से प्राप्त होनेवाले निर्देशों के अनुरूप पीआरपी पर निर्णय लेना।

ख. वर्तमान प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा और उनमें किसी परिवर्तन के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

ग. प्रचलित उत्पादन सुधार योजनाएं, यदि कोई हो, की समीक्षा और उनमें किसी परिवर्तन के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

बोर्ड स्तरीय अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को देय ऐसा अन्य कोई महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ जिसमें समिति में विचार-विमर्श करने, निर्णय लेने और सिफारिश करने की आवश्यकता हो।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

एचआरएमआर उपसमिति की वर्ष में दो बैठकें 10.07.2013 और 22.01.2014 को हुईं जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र. स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	डॉ. अशोक कुमार	अध्यक्ष	2	2
2	श्री अब्दुल कलाम	सदस्य	1	1
3	श्री ए .के .तिवारी	सदस्य	2	2
4	श्री के .बिस्वाल	सदस्य	1	1
5	श्री पी.सी.पाणिग्राही	सदस्य	1	1

v) भू-विस्थापित मामलों की उपसमितिः

कार्यक्षेत्र :

कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही आर एंड आर नीति के वर्तमान मानकों के अनुसार रोजगार, नगद क्षतिपूर्ति आदि के सभी मामलों पर विचार करना और अनुमोदन करना ।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

भू-विस्थापित मामलों की उपसमिति की वर्ष में पन्द्रह बैठकें हुईं जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र. स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री ए .एन .सहाय	अध्यक्ष	13	13
2	श्री ए. के. सिंह	सदस्य	03	3
3	श्री ए .के .तिवारी	सदस्य	13	12
4	श्री के .बिस्वाल	सदस्य	09	06
	श्री जे.पी.सिंह	सदस्य	10	09
5	श्री पी.सी.पाणिग्राही	सदस्य	09	09

सांविधिक लेखा-परीक्षक

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के तहत निम्नलिखित लेखा परीक्षा संस्थाओं को वर्ष 2013-14 के लिए सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया :

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स पाम्स एंड एशोसिएट्स
अधिकृत लेखाकार
पुरीघाट,रिंगरोड़
ताला तेलेंगा बाजार कटक
ओड़िशा-753009

शाखा लेखा परीक्षक
मेसर्स एससीएम एंड एशोसिएट्स
98, खारवेल नगर,
केशरी टाकिज काम्प्लेक्स,
प्रथम तल, भुवनेश्वर
ओड़िशा-751001

लेखा परीक्षा के प्रकार	पारिश्रमिक (₹ में)	टिप्पणी
वर्ष *2014-2013* के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा	₹ 8,82,812.60 *(*प्रमुख लेखा परीक्षकों के लिए ₹ 5,31,250/- एवं शाखा लेखा परीक्षकों के लिए ₹351562.60)	ओपीई के लिए ₹ 2,82,500/- *(*प्रमुख लेखा परीक्षकों के लिए ₹ 1,70,000/- एवं शाखा लेखा परीक्षकों के लिए ₹ 1,12,500/-*)* के अलावा वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान एवं इस पर लागू सेवा कर ।
वर्ष 2013-14 के लिए कर -लेखापरीक्षा	₹1 ,42,000/-	ओपीई के ₹ 56,500 एवं उस पर लागू सेवाकर
समेकन के लिए लेखापरीक्षा	₹ 62,500/-	ओपीई बाबत ₹.20,000.00 एवं उस पर लागू सेवा-कर
कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन	₹ 50,000/-	ओपीई व्यय सहित दौरा के लिए वास्तविक यात्रा व्यय एवं लागू सेवा-कर सहित।
समझौता-ज्ञापन मानदंडों पर निष्पादन	₹ 2,12,500/-	वास्तविक आउट ऑफ पाकेट ₹ 106250/- खर्चे)ओपीई(और उन पर देय सेवा-कर

अंशधारियों की सामान्य बैठकें :

गत तीन वर्षों में आयोजित अंशधारियों की सामान्य बैठकों का विवरण :

वार्षिक आम बैठक :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2010-11	28.05.2011	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार ,बुर्ला,संबलपुर	शून्य
2011-12	24.05.2012	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार ,बुर्ला,संबलपुर	शून्य
2012-13	17.05.2013	11.00 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड जागृति विहार ,बुर्ला,संबलपुर	शून्य

असाधारण सामान्य बैठक : शून्य

एमसीएल बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों के लिए कारोबारी आचार संहिता एवं आचार नीति :

कंपनी के निदेशक मंडल ने 29.03.2008 को कोलकाता में हुई 94 वीं बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों के लिए आचार संहिता लागू की है ,जिसे कंपनी की वैवसाइट :www.mcl.gov.in *पर* दी गयी *है* /

जोखिम प्रबंधन :

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारम्परिक, आंतरिक एवं बाह्य जोखिम पर आवश्यक नियंत्रण हेतु

नियमित उपाय किये जाते हैं । भू-अधिग्रहण, वन अनुमति, भू-विस्थापितों की समस्याएँ ऐसे संकटपूर्ण कारक हैं, जिन पर प्रबंधन लगातार मॉनिटर करता है । आंतरिक कारकों जैसे मशीनों के बचाव हेतु रख-रखाव, सुरक्षा औद्योगिक संबंध इत्यादि पर भी आवश्यक महत्व दिया जाता है ताकि कंपनी का कार्य सूचारु रूप से चल सके । एमसीएल में जोखिम प्रबंधन कार्यविधि के संचालन की समीक्षा करने के लिए शीर्ष स्तर पर बोर्ड की एक पृथक उप-समिति वर्ष 2011-12 में गठित की गई है ।

ह्विसल ब्लोयर नीति :

एमसीएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसकी गतिविधियाँ सी एंड एजी, सतर्कता, सीबीआई द्वारा लेखापरीक्षा के लिए मुक्त हैं। तथापि, सीआईएल की ह्विल ब्लोयर नीति के सामान्य अनुप्रयोग के अलावा एमसीएल के लिए भी समान नीति बनाई जा रही है।

लेखांकन का तरीका :

वित्तीय विवरण लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों एवं कंपनी अधिनियम 1956 की संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

संचार के माध्यम :

कंपनी की संचालन एवं वित्तीय कार्य निष्पादन की रिपोर्ट प्रमुख अंग्रेजी अखबारों एवं स्थानीय अखबारों में छापी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिणाम कंपनी की बैवसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं ।

लेखा परीक्षा की योग्यताएं :

कंपनी का यह हमेशा प्रयास रहता है कि वह अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के कंपनी के लेखा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रश्नों के जवाब निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिये गये हैं । कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्डस लिमिटेड के लेखा पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणी भी संलग्न की गई है ।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :

कार्यकारी निदेशकगण अपने कार्यक्षेत्र की आवश्यक विशेषज्ञता एवं अनुभव के आधार पर कंपनी के व्यापार मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यापार से संबंधित जोखिम से भी अवगत हैं ।

अंशकालीन निदेशकगण कंपनी के व्यापार मॉडल के बारे में पूरी तरह जानकार हैं। कार्पोरेट शासन पद्धतियों से सुपरिचित होने के उद्देश्य से स्वतंत्र निदेशकों को उच्च संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है। वर्ष 2013-14 में एक स्वतंत्र निदेशक को इस प्रकार के कार्यक्रम में नामित किया गया। कार्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण नीति बनाई गई है।

लोक उद्यम विभाग दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट शासन पर अनुपालन आपकी कंपनी से लोक उद्यम विभाग के दिनांक 28.06.2011 के कार्यक्रम ज्ञापन संख्या डीपीई/14(38)/10-वित्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया है।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2013-14 के लिए कर्पोरेट शासन में 87.36% वार्षिक स्कोर प्राप्त किया है जो उत्कृष्ट श्रेणी है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

सेवा में

सदस्यगण
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

हमने महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्पोरेट शासन के दिशा-निर्देश के अनुबंध में दी गई हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है । कंपनी द्वारा कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार की गई प्रक्रिया एवं अनुपालन पर हमारी जाँच सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर विचारों की अभिव्यक्ति है ।

हमारे विचार में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर दर्शाये गये डीपीई के दिशा-निर्देशों के तहत दिए गए कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह पुनः कहते है कि यह अनुपालन कंपनी के भविष्य में वैधता के लिए न तो आश्वासन है न ही कंपनी के मामलों को देखनेवाले प्रबंधन की प्रवीणता या प्रभावशीलता है ।

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

स्थान : कैम्प नई दिल्ली
दिनांक : 26.05.2014

हस्ताक्षर/-
(सीए एम.पी.महापात्रा)
साझेदार
सदस्य संख्या. 055113
फर्म पंजीकरण संख्या. 316079ई(आईसीएआई)

अनुलग्नक-III

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

क. उद्योग संरचना एवं विकास :

कोयला : ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत :

कोयला ऊर्जा का प्रमुख, भरपूर एवं भरोसेमंद स्रोत है । वैश्विक रूपसे वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में 1950 से इसका प्रयोग पर्यावरणिक दृष्टि से सस्ते तेल एवं गैस की उपलब्धता के कारण कम हो रहा है। भारत में परिदृश्य बिलकुल अलग है । यहां विद्युत उत्पादन के लिए कोयला महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्योंकि इसका भंडार पर्याप्त होने के साथ-साथ सस्ते में उपलब्ध है जबकि देश में तेल का भंडार सीमित है ।

कोयला भंडार:

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों का 97% कोयला है । 01.04.2014 को नेशनल कोल इन्वेन्ट्री ने 67 विभिन्न कोयलांचलों में 1200 मीटर की गइराई तक 301.56 बिलियन टन कोयले का भंडार उपलब्ध होने का उल्लेख किया है जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	राज्य	कोयला क्षेत्रों की संख्या	कोयला भंडार (बि.ट)	भारत का प्रतिशत
1	झारखंड	12	80.71	26.76
2	ओड़िशा	02	75.07	24.89
3	छत्तीसगढ़	13	52.53	17.42
4	पश्चिम बंगाल	04	31.31	10.38
5	मध्य प्रदेश	08	25.67	8.51
6	आंध्र प्रदेश	01	22.48	7.45
7	महाराष्ट्र	05	10.98	3.64
8	उत्तर प्रदेश	01	1.061	0.35
9	बिहार	01	0.16	0.05
10	पूर्वोतर राज्य	20	1.50	0.53
कुल		**67**	**301.56**	**100.00**

कोयला भंडार के मामले में ओड़िशा, झारखंड के बाद भारत में दूसरे स्थान पर है। ओड़िशा में कोयला का 01.04.2014 के आकलन के अनुसार कुल भंडार 75.07 बिलियन टन है जो राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग 24.89 प्रतिशत है। ओड़िशा के दो कोयलांचल- तालचर एवं ईब वैली कोयलांचल एमसीएल के अधिकार क्षेत्र में है,तालचर में (50.874 बिलियन टन) ,जो देश का सबसे बड़ा एवं ईब वैली में (24.198 बिलियन टन) जो देश का चौथा सबसे बड़ा कोयलांचल है । 75.07 बिलियन टन कोयला भंडार में रो 27.79 बिलियन टन (37.01 प्रतिशत) प्रमाणित कोयला भंडार है ।

ओड़िशा का तालचेर एवं ईब वैली कोयलांचल थर्मल ग्रेड नन-कोकिंग कोल का भंडारघर है जिसके खनन की संभावनाएं सर्वाधिक अनुकूल है। दक्षिणी एवं पश्चिमी भारत के वर्तमान तथा प्रस्तावित थर्मल प्लांटों के लिए कोयले की मांग बढ़ोत्तरी की दिशा में है।

कोयले की मांग :

12 वीं योजना के निरूपण के लिए कोयले एवं लिग्नाईट हेतु कार्यकारी समूह ने 12वीं योजना के अंतिम वर्ष 2016-17 में संयोजित वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) 7.09 पर कोयले की मांग 980.50 आंकी है। वर्ष 2014-15 की मांग 787.03 मि.टन है । ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्र	2014-15	2016-17
स्टील(कोकिंग)	55.46	67.20
विद्युत (यू)	551.60	682.08
विद्युत (कैप्टिव)	50.00	56.36
सीमेंट	26.12	47.31
स्टील डीआरआई	23.85	50.33
अन्य	80.00	77.22
कुल गैर-कोकिंग	731.57	913.30
कुल	**787.03**	**980.50**

कोयले का ऑफ-टेक एवं प्रेषण :

सीआईएल का वर्ष 2014-15 के लिए ऑफ-टेक कार्यक्रम 520.00 मि.टन निश्चित किया गया है जिसमें से एमसीएल का शेयर 132.00 मि.टन(25.38%) है।

11 वीं योजना एवं 12 वीं योजना के पहले और दूसरे वर्ष और 12 वीं योजना के तीसरे वर्ष के लिए एमसीएल के रोक्टरवार कोयले के ऑफ -टेक का प्रक्षेपण नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

	XI योजना					XII योजना		
	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 (बीई)
बिजली	68.09	70.47	70.88	74.73	77.11	88.16	78.223	105.37
सीमेंट	0.19	0.17	0.26	0.27	0.23	0.348	0.340	0.68
फर्टिलाइजर	-	-	-	0.02	0.026	0.060	0.0367	0.06
अन्य	15.35	20.06	27.01	27.07	25.16	23.396	35.747	25.89
कुल	83.63	91.30	98.15	102.09	102.52	111.964	114.347	132.00

11 वीं योजना एवं 12वीं योजना के पहले और दूसरे वर्ष और 12 वीं योजना के तीसरे वर्ष के लिए के लिए एमसीएल के कोयले का साधनवार प्रेषण :

(आंकड़े मिलियन टन में)

	XI योजना						XII योजना	
	2007-08 वास्तविक	**2008-09** वास्तविक	**2009-10** वास्तविक	**2010-11** वास्तविक	**2011-12** वास्तविक	**2012-13** वास्तविक	**2013-14**	**2014-15** (बीई)
रेल	51.68	54.18	55.84	59.24	60.310	68.727	72.2246	84.63
सड़क	12.16	18.68	23.35	25.12	25.623	25.219	24.506	28.00
एमजीआर	18.59	17.08	17.37	16.11	14.797	16.191	15.745	17.50
अन्य	1.20	1.36	1.59	1.62	1.791	1.819	1.866	1.87
कुल	83.63	91.30	98.15	102.09	102.521	111.959	114.342	132.00

कोयले की उपलब्धता :

12वीं योजना के कार्यकारी समूह के अनुसार 12वीं योजना के अंतिम वर्ष में देश के अंदर अनुमानित कोयले का उत्पादन 715 मी. टन होगा। 12वीं योजना के दस्तावेज के अनुसार 12वीं योजना के अंतिम वर्ष में सीआईएल से कोयले का उत्पादन योगदान 556.40 मी.टन प्रस्तावित है ।

एमसीएल के वर्तमान खदानो, पुर्ण परियोजनओं एवं चालु परियोजनाओं में xii वी योजना के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष अर्थात 2012-13,2013-14 में वास्तविक कोयला उत्पादन और xii वी योजना के तृतीय वर्ष अर्थात 2014-15 के लिये उत्पादन प्रॉजेक्शन नीचे दिया गया है ।

(आंकड़े मिलियन टन में)

	XI योजना				XII योजना		
	2008-09 वास्तविक	**2009-10** वास्तविक	**2010-11** वास्तविक	**2011-12** वास्तविक	**2012-13** वास्तविक	**2013-14** वास्तविक	**2014-15** (बीई)
वर्तमान खानें	1.32	1.35	1.32	1.333	0.967	0.778	0.87
पूरी हुई परियोजनाएं	64.85	71.19	73.27	66.645	67.344	59.988	70.105
चालू एवं नई परियोजनाएं	30.17	31.54	25.69	35.140	39.584	49.674	56.025
कुल	96.34	104.08	100.28	103.118	107.895	110.440	127.00

उत्पादकता :

एमसीएल में ओसीपी से कोयले का उत्पादन ठेका पर होता है एवं ओबीआर विभागीय स्तर पर होता है। कुछ परियोजनाओं में ओबीआर की भी आउटसोर्सिंग की गई है। एमसीएल की ओएमएस की स्थिति नीचे दी गई है:

	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 (बीई)
यूजी	1.25	1.29	1.25	1.24	0.97	0.84	0.78
ओसी	23.05	18.89	20.50	20.38	21.34	22.16	21.96
सकल	16.59	14.66	15.37	15.36	16.07	16.69	16.51

ख. अवसर एवं आशंका :

अवसर:

- देश में कोयले की मांग विशेषकर विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की बृहद मांग ।
- एमसीएल में कोयला खनन की बृहद संभावना ।
- उत्तरी भारत में स्थित विद्युत संयंत्र भी एमसीएल से लिंक हैं।
- एक अच्छी विपणन योजना तैयार करना एवं उपभोक्ताओं, रेलवे एवं जहाजरानी से लंबी अवधि का समझौता करना।
- वाशरी की स्थापना करना ।
- बिजली में विविधता ।
- कोयला को गैस एवं तेल में बदलने हेतु संयुक्त उद्यम ।

आशंका :

- कोयला की खुली खदानों पर निर्भरता-अधिक भूमि की आवश्यकता ।
- भूमि अधिग्रहण एवं उससे उत्पन्न सामाजिक विस्थापन ।
- पुनर्वास एवं पुनः स्थापन के मुद्दे ।
- खुली खानों से पर्यावरण प्रदूषण प्रवणता ।
- कोयला परिवहन में रेलवे की अपर्याप्तता ।
- अधिकांश उपभोक्ता कोयलांचल से दूर हैं इससे रेलवे का भाड़ा अधिक लगता है फलतः उपभोक्ताओं को ऊंची लागत पर कोयला प्राप्त होता है।
- एमओईएफ द्वारा 34% राखवाले कोयले(एमसीएल में अधिकांशतः यही उपलब्ध है) को 1000 किलोमीटर से दूर पावर हाऊसों में प्रयोग पर पाबंदियां लगायी गयी हैं।
- समुद्र किनारे स्थित टीपीपी के पास आयातित कोयला उपयोग करने का विकल्प है ।
- कैप्टीव माइनिंग- विद्युत उत्पादन के लिए एमसीएल के उपभोक्ताओं,कुछ केंद्रीय पीएसयू एवं राज्य पीएसयू को ब्लॉकों का आबंटन तथा खुले बाजार में कोयले की बिक्री के लिए राज्य सरकार की कंपनियों द्वारा कोयला खनन ।

ग. कार्य निष्पादन :

मुख्य रिपोर्ट में दर्ज है ।

घ. आऊटलुक

सदस्य यह जानते हैं कि एमसीएल में अभी 33 पूर्ण परियोजनाएं हैं जिनकी तय क्षमता 95.08 एमटी है। इनमें से 1.60 एमटी की तय क्षमतावाली दो परियोजनाएं 11वीं योजना के दौरान खाली हो चुकी है।

15 परियोजनाएं (मार्च,14 के अनुसार) कार्यरत हैं जिनकी तय क्षमता 109.33 एमटी है। वर्ष 2013-14 में इन चालू परियोजनाओं से 49.675 एमटी उत्पादन हुआ ।

ईब वैली कोयलांचल के बसुन्धरा क्षेत्र (जिसे गोपालपुर ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है) में काफी क्षमता है लेकिन कोयला स्थानांतरित करने की व्यवस्था एकमात्र समस्या है । आपकी कंपनी ने बसुन्धरा क्षेत्र से झारसुगुडा रेलवे स्टेशन तक ₹ 469.68 करोड़ का पूँजीगत निवेश कर 52 किमी लम्बी रेलवे लाईन तैयार करने की योजना बनाई है एवं अनुमोदित किया है । एमसीएल एवं दक्षिण-पूर्व रेलवे के बीच भूमि अधिग्रहण तथा रेलवे लाईन के निर्माण के लिए दो एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं । भूमि अधिग्रहण का कार्य एवं निर्माण कार्य शुरू हो गया है । रेलवे लाईन के कार्य को 09.03.2009 से 36 महीनों के अंदर पूरा होना निर्धारित है। अब यह परियोजना वनभूमि के अधिग्रहण में विलंब के कारण एफआरए-2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए और ईब नदी पर एक बड़ा पुल निर्माणाधीन होने के कारण लंबित है। अभी तक दक्षिण-पूर्व रेलवे को ₹ 271.53 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है जिसमें से ₹.249.81 खर्च हो चूका है ।

इसी प्रकार तालचर कोयलांचल में कलिंग-अनगुल लिंक रेलवे लाईन का निर्माण चल रहा है। एक बार जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो खाली रैक एक तरफ से अनगुल होकर आएगा तथा भरा हुआ रैक तालचर होकर जाएगा। इससे तालचर कोयलांचल में रैकों की आवा-जाही की क्षमता बढ़कर दुगुनी हो जाएगी ।

कोयला प्रेषण प्रणाली को बढ़ाने के लिए त्वरित लदाई प्रणाली(साइलो) की योजना बनाई गई है एवं दो संयुक्त उद्यम परियोजनाओं समेत 10 परियोजनाओं मे निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया है । ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संबंधित ओसी परियोजना का नाम	क्षमता	क्र. सं.	संगत ओसी परियोजना का नाम	क्षमता
1.	अनंता ओसीपी	15 एमटीवाई	6.	कनिहा ओसीपी	10 एमटीवाई
2.	लिंगराज ओसीपी	16 एमटीवाई	7.	बलराम ओसीपी	8 एमटीवाई
3.	भरतपुर ओसीपी	15 एमटीवाई	8.	कुलदा ओसपी	10 एमटीवाई
4.	भुवनेश्वर ओसीपी	20 एमटीवाई	9.	एमजेएसजे(गोपालप्रसाद)	15 एमटीवाई
5.	हिंगुला ओसीपी	15 एमटीवाई	10.	एमएनएच शक्ति(तलाबिरा)	20 एमटीवाई

एमसीएल प्रत्येक 10.00 एमटीवाई क्षमतावाली अपनी 4 वाशरी स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि वह दूर के पावरहाउसों को 34 प्रतिशत से कम राख वाला कोयला वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की शर्त के अनुसार भेज सके । इनमें से दो वाशरी तालचर कोयलांचल ,एक ईब वैली कोयलांचल और एक ईब वैली कोयलांचल के बसुन्धरा सेक्टर में स्थापित की जाएगी । बीओएम आधार पर निर्मित होनेवाली सभी वाशरियों की तकनीकी आर्थिक सहायता रिपोर्ट एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

ङ. जोखिम एवं चिन्ता :

खनन कार्य निर्धारित स्थान सापेक्ष है एवं खदान की अवस्थिति बदली नहीं जा सकती है । निम्नलिखित जोखिम एवं चिन्ताएं इनमें शामिल हैं :

- वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त करना ।
- पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की अधिक लागत ।
- निर्धारित नियमों से बाहर जाकर नौकरी की मांग जिससे बार-बार कानून व्यवस्था की समस्या एवं खनन कार्य तथा कोयला परिवहन में बाधा ।
- एचईएमएम एवं ई एंड एम उपकरणों की खरीद में लंबी अवधि का लगना ।

च. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता :

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

छ. संचालन कार्य निष्पादन से संबंधित वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा :

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

ज. लोगों को दी गयी नौकरी की संख्या के साथ मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध में वास्तविक विकास:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

झ. पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, ऊर्जा के नवीकरण में विकास, विदेशी मुद्रा का संरक्षण:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

ञ. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

मुख्य रिपोर्ट में शामिल है ।

अनुलग्नक-IV

31 मार्च,2014 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन खाका के अनुसार 31 मार्च,2014 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया के द्वारा निर्धारित लेखांकन एवं बीमा मानक के अनुसार तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत वित्तीय विवरण पर अपने विचार देने के लिए उत्तरदायी हैं । उनके दिनांक 26.05.2014 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है ।

मैंने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में महानदी कोलफील्डस लिमिटेड के दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है । यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों की वर्किंग कागजातों के आकलन के बिना और वैधानिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर की गई है । हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, जिससे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर कोई टिप्पणी दी जा सके।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से

ह/-

(यशोधरा राय चौधरी)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

कोलकाता
दिनांक: 04.06.2014

अनुलग्नक –V

लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमें **निरन एंड कंपनी,** लागत लेखाकार को कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 233 (ख) के अंतर्गत, **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,** जिसका पंजीकृत कार्यालय जागृति विहार, बुर्ला,संबलपुर, ओडिशा-768020 है, लागत लेखापरीक्षक नियुक्त होने पर, हमने कथित अधिनियम की धारा 209 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत "खनिज ईंधनों (पैट्रोलियम के इतर) अर्थात कोयले" से संबंधित वित्तीय वर्ष 2012-13 (1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च,2013) की निर्धारित लेखा बहियों और अन्य संगत रिकार्डों की लेखापरीक्षा की है और अनुच्छेद-2 में हमारे निरुपण और सुझावों के अतिरिक्त रिपोर्ट करते हैं।

(i) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर दिए हैं जो हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास में इस लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य थीं।

(ii) हमारे मत में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत कंपनी ने निर्धारित कंपनी (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011 के अनुसार उचित लागत लेखांकन रिकार्ड रखे है ताकि संदर्भाधीन प्रचालन की लागत, विक्रय की लागत और उत्पाद/ कार्यकलाप समूह का सत्य और सही चित्रण हो सके।

(iii) हमारे मत में कंपनी ने विधि द्वारा, यथा वांछित उचित लेख-बहियां बनाई है। ऐसा इन बहियों {और उन शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है} को हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(iv) हमें प्रेषित छह क्षेत्रों और तालचर कोलफील्ड्स की एक केंद्रीय कार्यशाला की शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्टों का हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में उचित संज्ञान लिया है।

(v) हमारे मत में और हमारी जानकारी के अनुसार कथित बहियां और रिकार्ड कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा वांछित रुप में जानकारी देते हैं।

(vi) हमारे मत में, कथित बहियां और रिकार्ड इंस्टिटयूट ऑफ एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जमी लागत लेखांकन मानकों के उन सीमा तक अनुरुप है जहां तक इन्हें संगत और लागू पाया गया हो।

(vii) हमारे मत में, कंपनी में लागत रिकोर्डों की आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्त प्रणाली है जो हमारे मत में इसके व्यापार के स्वरुप व आकार से मेल खाती हैं।

(viii) कंपनी के हमारे द्वारा लेखापरीक्षित और सत्यापित विस्तृत ईकाई उत्पाद समूह/ कार्यकलापों के बारे में उत्पाद/ कार्यकलापवार विवरणियां और अनुसूचियां रखी गई है।

(ix) हमने, कंपनी (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011 के प्रवाधानों के अंतर्गत यथावांछित निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट कंपनी को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर दी है।

2. लागत लेखापरीक्षा से संगत टिप्पणियां और सुझाव, यदि कोई हो।

(क) प्रत्यक्ष आबंटीय लागत के निर्धारण हेतु लागत लेखांकन प्रणाली का वित्तीय लेखांकन कंप्यूटरीकृत प्रणाली के साथ एकीकरण।

(ख) निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार एमआईएस और लागत केंद्र कर विवणियां अर्ध-वार्षिक आधार पर बनाई जाएं और इसके बाद अर्ध-वार्षिक समीक्षा बैठक की जाए क्योंकि यह भिन्नताओं पर तुलना करने और निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगी।

(ग) विद्युत लागत न्यून करने की संभावनाओं हेतु आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए लागत केंद्रों में विद्युत खपत मापने के लिए मीटरों की स्थापना।

(घ) प्रबंधन द्वारा निष्क्रिय क्षमता का विश्लेषण, एसी क्षमता को नियंत्रण और गैरःनियंत्रण योग्य और नियंत्रण योग्य लागत के वित्तीय प्रभाव।

(ड) प्रभावी में सुधार के लिए प्रबंधन द्वारा ऊर्जा लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।

(च) माल-सूची प्रबंधन और नियंत्रण प्रणाली में भंडार मूल्य खाते वा वित्तीय खाते के साथ मिलान के संदर्भ में और सुधार किया जाना है।

(छ) अंशदान, गुणता व बिक्री में बीपीई के निर्धारण हेतु कंपनी की अचल लागत और परिवर्तनीय लागत निकालना।

(ज) वास्तविक लागत की तुलना करने हेतु उचित कोडीफिकेशन चाहिए।

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 18 सितंबर, 2013

कृते निरन एंड कंपनी
लागत लेखाकार
एफआरएन-000113

ह/
(निरंजन मिश्रा)
साझेदार-एम/13060

अनुलग्नक-VI

लेखा परीक्षकों के समझौता-ज्ञापन पर प्रतिवेदन

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(एमसीएल) के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की संगत बहियों/ रिकार्डों/ दस्तावेजों/लेखा-परीक्षित लेखों के विवरणों का सत्यापन किया है और प्रमाणित करते हैं कि संलग्न निष्पादन मूल्यांकन सीट में स्थायी/वित्तीय व गत्यात्मक मानदंड का उल्लिखित वास्तविक निष्पादन भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उद्यम द्वारा 2013-14 के लिए जारी समझौता-ज्ञापन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप गणना की गई है और सही पाया गया है ।

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर/-

(सीए सत्यजित मिश्र)
साझेदार
सदस्य संख्या. 057293
फर्म पंजीकरण संख्या. 316079ई(आईसीएआई)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING : 2013-14

(Performance April to March 2014) without adjustment

	Evaluation Criteria	Unit	Weight (in %)	MoU / Target					Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
				Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5			
1	**Static / Financial Parameters**										
	(a) Financial Indicators - Profit related ratios										
	(i) Gross Margin/Gross Block	Ratio	2.0	1.137	1.127	1.071	1.017	0.966	1.04	3.57	0.07
	(ii) Net Profit/Net Worth	Ratio	10.0	0.377	0.974	0.355	0.338	0.321	0.652	1.00	0.10
	(iii) Gross Profit/Capital Employed	Ratio	10.0	0.300	0.296	0.281	0.267	0.254	0.379	1.00	0.10
	(b) Financial indicators-size related										
	(i) Gross Margin	₹ Crs.	8.0	5993.93	5939.52	5642.54	5360.42	5092.40	5714.97	2.76	0.22
	(ii) Net Sales	₹ Crs.	4.0	10970.39	10944.94	10397.69	9877.81	9383.92	9989.67	3.78	0.15
	(c) Finacial Returns - Productivity related										
	(i) PBDIT/Total Employment	Ratio	7.0	0.229	0.227	0.216	0.205	0.195	0.257	1.00	0.07
	(ii) Added Value / Net Sales	Ratio	9.0	0.373	0.368	0.350	0.332	0.316	0.428	1.00	0.09
	Sub Total		**50.0**								**0.80**
2	**Dynamic Parameters**										
	(d) Quality & Customer Satisfaction		5.0								
	(i) Despatch covered under agreed sampling to power sector.	(%)	1.0	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	The coal despatched covered under agreed sampling to power sector in 2013-14 is 86.76 MT. The % of agreed sampling to power sector is 100%.	1.00	0.01
	(ii) Sized coal despatch to power sector by Rail	(%)	2.0	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	The quantity of sized coal despatched to power sector by rail excluding MGR during 2013-14 is 69.15 MT. The % of sized coal despatch to power sector by rail is 100%.	1.00	0.02
	(iii) Despatch of coal to power sector by rail weighed on electronic weighbridge	(%)	1.0	99.00	98.00	97.00	96.00	95.00	The quantity of coal despatched to power sector by rail during 2013-14 69.15 MT and quantity coal weighed on electronic weighbridge is 68.46 MT which is 99.01 %.	1.00	0.01

Evaluation Criteria	Unit	Weight (in %)	MoU / Target					Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
			Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5			
(iv) Inviting views/suggestion from customer to make satisfaction proforms.	Month	0.5	30.5.13	15.6.13	15.7.13	15.8.13	15.9.13	Inviting views/suggestion from customer to make satisfaction proforma done on 14/06/2013.	2.00	0.01
(v) To workout customer satisfaction proforma jointly with customer.	Month	0.5	Dec'13	Jan'14	Feb'14	Mar'14		To workout customer satisfaction proforma jointly with customer prepared on 14/06/2013.	1.00	0.005
Sub-Total										**0.055**
2 **Dynamic Parameters**										
(f) Human Resource Management-HRM		5.0								
(i) Human Resource Management-HRM		1.0	As per Annexure - C							0.0117
(ii) Training in Project Management	No Executives	1.0	60	50	40	30	20	60.00	1.00	0.01
(iii) Training in Contract Management	No Executives	1.0	5	4	3	2	1	7.00	1.00	0.01
(iv) Training programme in environment forest management & land acquisition from reputed institute.	No Executives	1.0	5	4	3	2	1	6.00	1.00	0.01
(v) Training in Risk Management	No Executives	1.0	5	4	3	2	1	9.00	1.00	0.01
Sub-Total										**0.0517**
(g & h) Adoption of Innovative Practices		5.0	As per Annexure - B							0.09
(i & jh) Project Implementation		15.00								
i1 Approval Project										
(i) Approval of two projects by MCL Board	Month	1.0	Feb'14	15.03.14						
a Approval of one (Siarmal projects) by MCL Board.	Month	1.0	Feb'14	15.03.14				Approval Siarmal opencast project by MCL Board held on 07/03/2014.	2.00	0.010
b Approval of one projects by MCL Board	Month	1.0	Feb'14	15.03.14				Not achieved.	5.00	0.025

Evaluation Criteria	Unit	Weight (in %)	MoU / Target					Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
			Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5			
2 **Dynamic Parameters**										
i2 Commissioning/completion of projects	Nos.	1.0	2					Two projects were completed i.e. Samleswari OCP with which was approved in the 155th Board meeting held on 05/02/2014 and Lajkura OCP which was approved by the Board of Directors of MCL on 156th Board meeting held on 07/03/2014.	1.00	0.010
i3 LAND										
(i) Notification u/s Sec 11 of CBA	Ha	2.0	500	475	451	429	407	Total land notified u/s 11 of CBA is 665.40 Ha	1.00	0.020
(ii) Possession of Land	Ha	1.5	240	228	217	206	195	Total possession of land during 2013-14 is 341.456 Ha.	1.00	0.015
(iii) Capital expenditure for projects	₹ Crs. Month	2.0	500	475	451	429	407	The capital expenditure during 2013-14 Rs.876.84 Crs.	1.00	0.020
(iv) Award of work for Enterprise Risk Management (ERM)		1.0	Feb'14	15.03.14				Award of work for Enterprise Risk Management (ERM) during Feb'14.	1.00	0.010
i4 Master Control Network										
(i) Preparation of Master Control Network (MCN) for New Projects costing more than 100 crores or producing more than 2 mt per annum.	Month	1.0	Oct'13	Dec'13	Jan'14	Feb'14	15.03.14	There are 14 projects costing more than 100 crores or producing more than 2 Mtr. per annum whose Master Control Network has been completed on April 2013. The 14 projects are : 1) Ananta OCP Expn. Ph III, 2) Bharatpur OCP Expn.Ph-II, 3) Bharatpur OCP Expn.Ph-III, 4) Balram OCP Extension, 5) Bhubaneswar OCP, 6) Gopalprasad OCP, MJSJ, 7) Hingula-II OCP Expn. Ph-III, 8) Lingaraj OC Expn. Ph-III, 9) Kaniha OCP, 10) HBI (Augmentation) 11) Kulda OCP, 12) Talabira OCP. MNH -13) Behlpahar OC Expn. Ph-II, 14) Samleswari OC Expn. Ph IV	1.00	0.010

Evaluation Criteria	Unit	Weight (in %)	MoU / Target					Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
			Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5			
2 **Dynamic Parameters**										
i5 (a) Major Projects Activities / Milestones (MOSPI Projects)		1.5							1.00	0.010
(i) Kulda : Rehabilitation and Resettlement of village Bankibahal	Month	0.1	Feb'14	15.03.14				Not achieved	5.00	0.005
(ii) Hingula OC : Notification under U/S 11 (1) ha land under CBA Act.	Month	0.4	Feb'14	15.03.14				Notification communicated to area on 17/04/2013.	1.00	0.004
(iii) Bhubaneswari : Coal production of 18 Mty.	% of production	0.4	100.00	95.00	90.00	85.00	80.00	Coal Production of Bhubaneswari OCP during 2013-14 is 24.447 MT.	1.00	0.004
(iv) Kaniha: Despatch of~ 2 Mty through MGR.	Month	0.1	Feb'14	15.03.14				Coal dispatched by MGR exceed 2 Mt in the month of October 2013 achieving 2.333 Mt.	1.00	0.001
(v) Talbira OCP:Completion of formalities for stage-I forestry clearance of MNH Sakti (JV)	Month	0.1	Feb'14	15.03.14				Achieved during 2013-14 (Proposal forwarded to Addl. PCCF(Nodal) on 01.02.2014 Govt of odisha Bhubaneswar.	1.00	0.001
(vi) Gopalprasad OCP: Completion of land notification 11(1) of CBA Act for 410.22 ha land of Utkal-A block.	Month	0.2	Feb'14	15.03.14				Land notification 11(1) of CBA Act for 410.22 Ha land of Utkal-A block Published vide S.O No. 2314 dated 02.11.13.	1.00	0.002
(vii) Ananta OC: Stage-I Forestry clearance of 224.730 ha Forest land.	Month	0.1	Feb'14	15.03.14				Not achieved.	5.00	0.005
(viii) Balaram OC: Development of R&R site for village Kalamchhuin.	Month	0.1	Feb'14	15.03.14				Not achieved.	5.00	0.005

Evaluation Criteria		Unit	Weight (in %)	MoU / Target					Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
				Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5			
2	**Dynamic Parameters** Major Projects Activities / Milestones (other ongoing projects)		2.5								
	(i) Samaleswari OC : Submission of compliance of Stage-I forestry clearance.	Month	0.1	Feb'14	15.03.14				Proposal forwarded to MOEF , New Delhi on 29.11.13. Stage-I clearance obtained vide F.No. 8-147/1989-FC (Vol-III), dated 21.02.14	1.00	0.001
	(ii) Lingaraj OC : Submission of application for EMP clearance for 20.00 Mty (Peak capacity)	Month	0.1	Feb'14	15.03.14				Not achieved	5.00	0.005
	(iii) Lajkura OC Expn: Stage-I forestry clearance for 147.56 Ha of forest land.	Month	0.1	Feb'14	15.03.14				Not achieved	5.00	0.005
	(iv) Bharatpur OC : Stage-II Forestry clearance	Month	0.1	Feb'14	15.03.14				Stage-II Forestry clearance obtained on 07.02.2014	1.00	0.001
	(v) Belpahar OCP: Stage-II forestry clearance	Month	0.1	Feb'14	15.03.14				Not achieved	5.00	0.005
	(vi) % of total coal production by Surface Miner	%	1.0	65	65	63.00	62.00	61.00	78.29% of total coal production achieved by Surface Miner.	1.00	0.010
	(vii) 50% Shifting of Naraharipur village in Bhubaneswari OCP.	Month	1.0	Feb'14	15.03.14				93.82 % shifted by February 2014.	1.00	0.01
	i6 Infrastructure Development (i) Renovation/up-gradation Railway Sidings.	No	1.5 0.5	3.00	2.00	1.00			Work completed in 8 number of sidings of IB Valley Coalfields during the year 2013-14	1.00	0.005
	(ii) Award of work for All weathered Coal transportation Road from Mines to sidings.	Kms	0.5	15.00	14.00	13.00	12.00	11.00	During the year 2013-14 22.58 KM of Coal Transportation road in different project of Talcher Coalfields has been awarded.	1.00	0.005

	Evaluation Criteria	Unit	Weight (in %)	MoU / Target					Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
				Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5			
2	**Dynamic Parameters**										
	(iii) In motion Weighbridge (installation/ upgradation/alteration)	Nos.	0.5	4.00	3.00	2.00	1.00		Installation of 29 weighbridges has been completed in both the coal fields.	1.00	0.005
	Sub Total										**0.199**
	(k) Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability	--	8.00	As per Annexure - A							**0.10**
	(l) Sector Specific Parameters :		8.00	123.50	123.30	117.14	111.28	105.71	114.347	3.48	0.104
	(i) Off-take	Mt.	3.00	120.10	120.00	114.00	102.89	102.89	110.44	3.62	0.072
	(ii) Coal Production *	Mt.	2.00	2.10	2.00	1.90	1.71	1.71	1.43	5.00	0.050
	(iii) Underground production	Mt.	1.00	-5.2699	-4.2699	-3.2699	-2.2699	-1.2699	(+) 9.66%	5.00	0.050
	(iv) Reduction of cost of production (Rs/T) in real terms**	% of cost per Tonne (CPT) of 2012-13	1.00								
	(v) Introduction of GPS enabled road transportation.	No. of Mines	1.00	5.00	4.00	2.00	1.00	1.00	GPS based OITDS : This has been implemented at three OCPs namely Lingaraj, Bharatpur and Balram.	3.00	0.030
	Sub Total										**0.307**
	(m) Enterprise - Specific Parameters	4.00									
	(I) Man productivity (Output/Manshift)	Te/ Manshift	0.5	16.87	16.72	15.88	15.09	14.34	16.69	2.04	0.010
	(II) System Capacity Utilization	%	0.05	83.50	81.83	77.74	73.85	76.16	68.55	5.00	0.025
	(III) Safety										
	(i) Preparation of Safety Management Plan	Nos.	0.5	4.00	3.00	2.00	1.00		SMP of Five mines, i.e. Talcher Colliery, Nandira, Kaniha, Bharatpur, Lingaraj had been completed.	1.00	0.005
	(ii) Training through Simulators	Nos.	2.0	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	12 Dumper operators undertake training through simulators.	1.00	0.020
	(iii) Feasibility study and approval of report for installation of Man Riding system.		0.5	Yes				No	Feasibility study and approval of report for installation of Man Riding system done & work order issued.	1.00	0.005
	Sub Total										**0.065**
	Total Dynamic Parameter										**0.87**
	Grand Total										**1.67**

1. Non-compliance of Corporate Governance will also be penalised by way of negetive marking and the MoU Score will be increased in the following manner in accordance with DPE OM 18(8)/2005-GM, Dated 22nd June 2011.

Sl. No.	Annual Score	Grading	Penalty Marks	Difference in Score from "Excellent "Grade	Score achieved during 2013-14
1	85% and Above	Excellent	0	0	> 85%
2	75%-84%	Very Good	0	0	
3	60%-70%	Good	0.5	0.02	
4	50%-59%	Fair	0.5	0.02	
5	Below 50%	Poor	1.0	0.04	

2. CPSEs have to give a Certificate regarding Implementation of Guidelines issued by DPE as per OM No. DPE/14(38)/10-Fin Dated 28th june 2011 and also a certificate from their auditors/Chartered Accountant in practice. Non-compliance of DPE Guidelines determined on the basis of certificate submitted will be penalized upto 1 mark at the discretion of Task Force at the time of MoU Evaluation.(In other words, the MoU Ratings can be increased by 0.04) . For this parameter , a compliance certificate given by CEO regarding implementation of DPE guidelines.

ANNEXURE - A

TEMPLATE FOR CSR & SD ACTIVITIES

	Evaluation Criteria	Unit	Weight (in %)	Performance Rating					Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
				Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5			
1	(i) The degree of involvement of the employees and the top management in internalising the CSR and Sustainability agenda within the organisation.										
	(a) The number of seminars/ workshops	Nos.	0.40	4.00	3.00	2.00	1.00	Nil	08 no. of seminar/workshop held	1.00	0.004
	(b) The presence of top management/ executives in such meetings/ seminars/courses.	Nos.	0.30	30.00	25.00	20.00	15.00	10.00	32 (EB Level)	1.00	0.003
	(c) The total number of employees covered through such initiatives, indicating also their levels / grades (below E8 level)	Nos.	0.30	100.00	90.00	80.00	70.00	60.00	248 (Below E8 level)	1.00	0.003
	Sub Total		**1.00**								**0.01**
	(ii) Impact of such involvements on products/ services/processes and reduction in carbon footprint.										
	(a) List of Products / services / processes for reduction of carbon footprint.										
	(i) Energy saver soft starter with induction motor of CHP & feeder breaker circuit.Adoption of power factor improvement measures.	Nos.	1.00	2.00	1.00						
	Energy saver soft starter with induction motor of CHP & feeder breaker circuit.	Nos.	0.50	2.00	1.00				Not achieved	5.00	0.025
	Adoption of power factor improvement measures.	Nos.	0.50	2.00	1.00				(a)As a part of Sustainable Development under energy management head LED lamps were procured at MCL HQ, Jagannath and Orient Ara i.e 10/20 watt tube light in	1.00	0.005

TEMPLATE FOR CSR & SD ACTIVITIES

	Evaluation Criteria	Unit	Weight (in %)	Performance Rating: Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5	Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
									place of 20/40 watt fluorescent tubes,90 watt LED street light in place of 150 watt HPSV street light, 45 watt LED street light in place of 70 watt HPSV street light. (b) On account of this besides energy saving,power factor at load end has been improved. i.e 0.75 to 0.9 in respect of tube light and 0.65 to 0.9 in respect of street light. Due to above measures total savings of Rs.774951 was achieved during 13-14 on account of reduction of 139319 KWH. Besides this, appropriate capacity power factor improvement capacitor Banks were installed at 132/33 KV Jorabaga Sub-station and 132/33 KV Nandira Sub-station. This has lead to improved power factor of 0.989 at 132 KV Nandira Sub station during 2013-14.		
	(ii) Rain Water harvesting	No. of Projects Nos.	1.00	3.00					Three Rain Water harvesting i.e at Orient Area,IB valley Area and CWS(x),Talcher completed during 2013-14.	1.00	0.01
	Sub Total		**2.00**								**0.04**
2	The efforts made and the success achieved in the engagement of key stakeholders throgh adoption of a good corporate communication strategy.										
	(a) The number of meetings / consultations held with key stakeholders with - consumer - vendors - vilaagers	Nos.	0.50	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00	27 meetings held with consumer, vendor & villagers.	1.00	0.005
	(b) Establishment of feedback channels from key stakeholders (with consumer, vendors, villagers	Yes/No	0.50	Yes				No	Feedback channels have been established with key stake holders (consumers, vendors and villagers,	1.00	0.005

TEMPLATE FOR CSR & SD ACTIVITIES

	Evaluation Criteria	Unit	Weight (in %)	Performance Rating					Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
				Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5			
	etc.) regarding the performance of the company in social, economical and environmental sustainability.								etc.) regarding the performance of the company in social, economical and environmental sustainability.		
	Sub Total		**1.00**								**0.01**
3	The adoption of sustainability reporting and disclosure procedures and practices										
	(a) Publication of annual reports on CSR and sustainability for 12-13	Publication by	0.50	Feb-14	Mar-14			No	The annual reports on CSR and sustainability for 2012-13 has been published by February, 2014	1.00	0.005
	(b) Frequently updated display of information in this regard on the company's website	Duration	0.50	Quarterly	Half-yearly	Annually			The annual reports on CSR and sustainability for 2012-13 has been published by February 2014. The information in this regard is updated quarterly on the Company website.	1.00	0.005
	Sub Total		**1.00**								**0.01**
4	The degree of success in implementing the CSR and sustainability projects they undertake during the year.										
	(a) Construction of 10 nos. community centre at different villages in Sundargarh District (backward district)	No. of project	1.00	10.00	9.00	8.00	7.00	6.00	11 Nos. of community centres have been completed in the FY 2013-14 with an expenditure of Rs. 6,966,516.65 namely : i) Kutubaga village ii. Durubaga Village iii. Sumara Village iv) Kaletpani Villagev) Tihuria Village vi) Kund Village vii) Sahaspur Village viii) Barpali Village ix) Parmanpur Village x) Balbaspur Village xi) Sardega R&R	1.00	0.01
	(b) Construction of deep borewell around peripheral village.	No. of project	1.00	1.00	9.00	8.00	7.00	6.00	12 number of Bore well completed in different areas of MCL costing Rs.31.29 Lacs. a) Two nos. deep borewell at BG Area at village Barpali & Manikeswari College ladies Hostel (Rs. 479897.01) b) 5 Nos. at Jagannath Area at	1.00	0.01

TEMPLATE FOR CSR & SD ACTIVITIES

	Evaluation Criteria	Unit	Weight (in %)	Performance Rating					Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
				Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5			
									Saharsahi,Schoolsahi,Mandirsahi,Ekdal and Naraharipur. c) One borewell at SC/ST Girls SchoolAshram under Bharatpur Area costing Rs. 2.20 lacs. d) Orient Area : 3 Nos. of Borewell at near Kalimandir, Sanjob, Madhuban Nagar costing Rs. 4.83 Lacs. e) Hingula Area: One bore well at Gopal Prasad Hiltop near HOCP costing Rs. 3.31 lacs.		
	Sub Total		**2.00**								**0.02**
5	The expenditure incurred on CSR and Sustainability activities (vis-à-vis the annual budgetary allocation @ 1% of PAT of 12-13)	% Utilization	0.50	> 80%	70-80%	60-70%	50-60%	40-50%	Rs. 111.49 Crore expenditure has been made in the year 2013-14 against a target of Rs. 42.1244 Crore(1% of PAT of 2012-13) achieving 264.67%.	1.00	0.005
6.	The effectiveness of the two-tier organisational culture in the process of planning, implementing and monitoring the CSR activities.										
	(a) The existence of the two tier organization structure with mandatory membership of an independent Director on the Board level committee.	Yes/No	0.20	Yes				No	Yes	1.00	0.002
	(b) (I) Board level committee meeting.	Nos.	0.15	4.00	3.00	2.00	1.00		Board level Committee namely, CGSRMSD & CSR Sub-committee consisting two independent Directors and one Govt. nominee Director in addition to four functional directors as members. During the year, 2013-14 four meetings of CGSRMSD & CSR Sub-committee were held on 07.11.2013, 24.12.2013, 13.01.2013 and 04.02.2014.	1.00	0.0015
	(ii) Group of officers headed by the nodal officers	Nos. of meeting	0.15	4.00	3.00	2.00	1.00	2.00	Head Quarter level CSR Committee consisting of GM(Civil/CSR), GM(Finance), Chief of Medical Services under the Chairmanship of Director (Personnel). . During the year, 2013-14 four meetings of HQs level meting were held on 02.07.2013, 07.10.2013, 4.12.2013 and 22.02.2014.	1.00	0.0015

ANNEXURE - B

R & D / ADOPTION OF INNOVATIVE PRACTICES PERFORMANCE TARGET SETTING CUM EVALUATION TEMPLATE FOR 2013-14

	Projects Choosen	Performance indicator	Weight (in %)	Target Value					Performance (April'13 to March'14)	Rank	Score
				Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5			
	R & D										
2.1	Installation of Solar PV project for sustainable development at MCL HQ	Month	1.00	15.2.14	28.2.14	15.3.14	31.3.14		The installation work could not be finished in time as site is a rocky terrain which caused the delay in site preparation.	5.00	0.05
2.2	Study of acidity of water at Bharatpur OCP and its treatment for Industrial/domestic use.	Month	1.00	15.2.14	28.2.14	15.3.14	31.3.14		The study was carried out by CMPDIL Ranchi and was submitted in January 2014.	1.00	0.01
	Innovative Practices										
2.3	Study for improvement of transportation system at MCL.	Month	1.00	15.2.14	28.2.14	15.3.14	31.3.14		The study was undertaken in both the coalfields and was completed in November 2013.	1.00	0.01
2.4	Digitization of maps of mining lease hold area of projects.	Month	1.00	4.00	3.00	2.00	1.00		Ananta OCP,Hingula OCP, Lingaraj OCP & Bhubaneswari OCP was completed during the year 2013-14.	1.00	0.01
2.5	Digitization of Rail and Road Network of Talcher and Ib Coalfield. (From trunk line to different sidings)	Month	1.00	2.00	1.00				Digitization of Rail and Road Network of both the coalfields was also completed during the year 2013-14.	1.00	0.01
	Total score for this table		**5.00**								**0.09**

ANNEXURE - C

TEMPLATE FOR HRM PERFORMANCE EVALUATION UNDER MEMORANDUM OF UNDERTAKING (2013-14) - (Apr'13-Mar'14)

	HRM Performance Indicator	Measurement Unit	Narration	Weight (in %)	Target Value under five point scale: Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5	Actual	Rank	Score
A	**Competency & Leadership Development, A1 Compulsory**											
1.	% actualization of Training days per employee per year	% fulfillment & Days/per employee per year	Executive	5 (2)	100%	95%	90%	85%	80%	--	--	--
			Trg. Days Per Exe		1.35	1.28	1.22	1.15	1.08	--	--	--
			Total Trg. Days		2.160	2052	1944	1836	1728	7612	1.00	0.02
			Trg. Day per Sup/ Clrk/Tech	1	0.45	0.43	0.41	0.38	0.36	--	--	--
			Total Trg. Days		2160	2052	1944	1836	1728	5830	1.00	0.01
			Trg. Days Per Worker		1.40	1.33	1.26	1.19	1.12	--	--	--
			Total Trg. Days	2	21700	20615	19530	18445	17360	3915	1.00	0.02
					100%	95%	90%	85%	80%	--	--	--
2.	Developing critical mass of leaders through a system of career planning & development	% fulfillment of planned leadership development programmes	% of Fulfillment Leaders to be developed	5	10	10	9	9	8	24	1.00	0.05
3.	Training budget as % of employee cost	% of employees cost	% of Employee cost		0.86	0.82	0.78	0.73	0.69	10.36	1.00	0.05
			Trg. Exp. in Rs. Cr.	5	9.50	9.03	8.55	8.08	7.60			
4.	% fulfillment of training plan for Multi-skilling / Skill Upgradation of non-executive.	%	%		100%	95%	90%	85%	80%	--	--	--
			Training Plans		14	13	12	10	8	14	--	--
			Employees' skill to be upgraded	5	75	71	68	64	60	182	--	--
			Training mandays		10980	10431	9882	9333	8784	17679	1.00	0.05
A2	**Optional (Out of below five, one is to be taken in the MOU)**											
5.	% of executives covered in 360 degree feedback system against plan.	%										
6.	% of Senior level executives (HoDs & GMs and above) covered in Assessment & Development Centre.	%										
7.	Training interventions in new/ advanced technology - % fulfillment of training plan in new technology	%										

	HRM Performance Indicator	Measurement Unit	Narration	Weight (in %)	Target Value under five point scale					Actual	Rank	Score	Sum of Score	Score after converting 100 to 1
					Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5					
8	Inventions towards Industry - Academia Interface	Yes/No	Yes Interface-I Interface-II	5 2 3	100% 4.00 100	95% 4.00 95	90% 4.00 90	85% 3.00 85	80% 3.00 80	10.00 203	1.00 1.00	0.02 0.03		
9	% fulfillment of Plan for carrying out Competency Mapping of employees.	%												
	Total (A1 to A9)			**25**									**0.25**	**0.0025**
B	**Performance Management**													
10	To ensure implementation of Bell Curve Approach in PMS rating.	Yes/No		4	Yes				No	Yes				
11	Linkage of Developmental Plan of Executives with Performance Management System.	Yes/No	Yes : Subject to finalization of PMS by CIL	10 3	Yes				No	Yes				
12	Implementation of PRP linked to PMS.	Yes/No : details		3	Yes				No	Yes				
	Total (B10 to B12)			**10**							**1.00**	**0.01**	**0.1**	**0.0010**
C	**Recruitment, retention & talent management Manpower rationalization through**													
13	- Any other (Recruitment)	% to Employee strength	Through open advertisement 5	3	0.25% 50	0.23% 48	0.22% 45	0.21% 43	0.20% 40	0	5.00	0.15		
			Land Oustee appointment	2	1.48% 300	1.40% 285	1.33% 270	1.26% 255	1.18% 240	752	1.00	0.02		
14	Attrition as % of total employees.	%	Less than		1.00%	1.50%	2.00%	2.50%	3.00%	48	1.00	0.05		
15	Presence of Mentorship Development Programme - Nos. of Mentors & Mentees.	Yes/No : Numbers	Mentors Mentors		220 12	330 11	440 11	550 10	660 10	60	1.00	0.05		

	HRM Performance Indicator	Measurement Unit	Narration	Weight (in %)	Target Value under five point scale: Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5	Actual	Rank	Score	Sum of Score	Score after converting 100 to 1
16	Formulation / Implementation of systems for management of Talent such as - job rotation system, reward system, sponsorship Sr. executives for Advanced Management Programme, growth opportunities etc.	Schemes/ Initiatives & their details	a-Job Rotation	2	100	90	84	80	75	107	1.00	0.02		
			b-Reward System	2	30	27	25	24	23	78	1.00	0.02		
				5										
			c. Sr. Exe. for AMPS	1	2	1	--	--	--	4	1.00	0.01		
	Total (C13 to C16)			**20**										
D	**Enabling Creativity & Innovation**													
17	Nos. of Nominations/entries submitted for National Awards (PM Shram Awards, Vishwakarma Rashtriya Puraskar)	Nos. of nominations/ entries submitted for national awards	Total Nominations	7.5	4	3								
18	Number of suggestions generated per employee per year	Nos. per employee	Suggestions per Employee	7.5	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	208	1.00	0.075		
			Total Suggestions		200	175	150	125	100					
	Total (D17 to D18)			**15**										
	Total (A, B, C & D)			**70**									**0.47**	**0.0047**
19	Effectiveness of Grievance Redressal system - % of grievances settled vis-à-vis received during the year.	% settlement		4	60%	50%	45%	40%	35%	91%	1.00	0.04		
20	Pension, medicare, Yoga classes to reduce stress where the job is stressful, setting up of wellness centre such as Gym. etc.	Number of programs/ date of implementation of scheme	Pension & Medicare as per CIL Policies	1	Yes					Yes	1.00	0.01		
				4										
			Yoga Classes	2	5	4	3	2	1	5	1.00	0.02		
			Gym.	1	2	1	--			1	2.00	0.02		
21	Employee satisfaction survey - ESI measure in %	%	On random Sampling	4	60%	55%	50%	45%	40%	86.19%	1.00	0.04		

	HRM Performance Indicator	Measurement Unit	Narration	Weight (in %)	Target Value under five point scale					Actual	Rank	Score	Sum of Score	Score after converting 100 to 1
					Excellent 1	Very Good 2	Good 3	Fair 4	Poor 5					
22	Formulation & Implementation of social security scheme.	Yes/No	Social security scheme of CIL will be implemented	4.00	Yes					Yes				
23	Number of structured meetings with employees' representatives	Number of meetings		4.00	300	280	260	240	220	462	1.00	0.04		
	Total (E20 to E24)			**20.00**									**0.21**	**0.0021**
F	**HR Branding & Excellence - Indicate achievement in this field for initiatives such as :**													
24	Participation in survey conducted by external agencies (Employer of choice, Best employer, Best Place to Work etc.)	Details regarding the initiative to be given alongwith achievements	Participation in 02 Surveys	4.00	4.00	2.00	--	--	--	2.00	2.00	0.08		
	Review/ Revisit/ Re-engineer HR policy for meeting changing business piorities.			10										
	Benchmarking projects undertaken in area of HR.		On-Line Recruitment System	6.00	6.00	--	--	--	--	6.00	1.00	0.06		
	Organization Culture Building initiative													
	Total (F25)			**10**									**0.14**	**0.0014**
	Grand Total (A,B,C,D, E & F)			**100**									**1.170**	**0.0117**

N.B. : Total score out of 100 awarded on HRM to CPSE will be converted into score but of 1 in MoU on pro-rata basis.

For PAMS & Associates
Chartered Accountants

Sd/-
(A.N. Sahay)
Chairman-cum-Managing Director
Mahanadi Coalfields Limited

Sd/-
(S. Kannan)
Chief Finance Officer
Mahanadi Coalfields Limited

Sd/-
C.A. Satyajit Mishra
Partner
Membership No. 057293

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में
सदस्यगण
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी:
   हमने 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखापरीक्षा की है। इनमें शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई तालचेर कोलफील्ड की छ :क्षेत्रों तथा एक केन्द्रीय कर्मशाला की लेखापरीक्षा शामिल है।

2. वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व :
   कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में कार्पोरेट मामले मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर 2013,के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ गठित कंपनीअधिनियम 1956,"अधिनियम" अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणियों को सत्य और सही दर्शाते हुए तैयार और प्रस्तुत करने से संगत अभिकल्प, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण रखना शामिल है और ये धोखे अथवा चूक भौतिक दृष्टि से गलत बयानी से मुक्त हैं।

3. लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व:
   हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा यह उचित आश्वासन पाने के लिए करें कि क्या वीत्तीय विवरणियां भौतिक दृष्टि से मिथ्याकथन से मुक्त है।

   लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

   हमारा विश्वास है कि हमारे लेखापरीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं।

4. मत -:

परिशिष्टों में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट के बशर्ते , हम रिपोर्ट करते है कि:-

(क) हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों (टिप्पणी संख्या 33) और लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी संख्या 34) के साथ पठित कथित लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा वांछित भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप सत्य और सही जानकारी देते है:

i. कंपनी के कार्यों के बारे में 31 मार्च, 2014 के तुलनपत्र के मामले में
ii. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण के मामले मे और
iii. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नगदी प्रवाह के नगदी प्रवाह विवरण के मामले में।

हमने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

(क) ओबीआर लागत के मानक अनुपात और चालू अनुपात के बीच भिन्नता हेतु समायोजन सहित आधिक्य और लेखांकन के मामले में एडवांस स्ट्रिपिंग, प्रकटित कोयला, औसती मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात भिन्नता आदि के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आंकड़े।

(ख) सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार खान बंद करने की योजना और खान बंद करने के खर्चों के बारे में कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधान।

5. प्रबंधन का अचल परिसंपतियों की हानि के प्रति प्रावधान करने हेतु चाहे तकनीकी या अन्यथा हो, मूल्यांकन/ अनुमान करना।

6. अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियमों की धारा 227 की उप-धारा (4 क) के अनुसार जारी यथासंशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 में यथावांछित, हम आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 227(3) में यथावांछित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास में ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारे मत में कंपनी ने विधि द्वारा वांछित उचित लेखा-बहियां रखी हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है [और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है] ।

ग. तालचेर कोलफील्ड के छह क्षेत्र और एक केंद्रीय कार्यशाला पर धारा 228 की उप-धारा 3 के खंड (ग) द्वारा यथा वांछित, कंपनी के लेखापरीक्षक के इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षित रिर्पोर्ट धारा 228 की उप-धारा 3 के खंड (ग) के तहत हमें भेजी गई है और हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में यथावश्यक संज्ञान लिया है।

घ. इस रिपोर्ट के साथ व्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी लेखा-बहियों के संगत में हैं और उन शाखाओं से प्राप्त लेखापरीक्षित विवरणियां जिनका हमनें दौरा नहीं किया है।

ङ. हमारे मत में, इस रिपोर्ट के साथ संव्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी और नगद प्रवाह विवरणी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कार्पोरेट मामले मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर,2013 के सामान्य परिपत्र के साथ गठित कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मामलों का अनुपालन करती है।

च. भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829(ई) सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के प्रावधानों की प्रयोगता से छूट है।

छ. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 441 क के अन्तर्गत प्रदत्त सेस की दर के बारे में चूंकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही कथित धारा के अन्तर्गत इस प्रकार के सेस के भुगतान के तरीके के बारे में कोई नियम जारी नहीं किया है, अतः कंपनी द्वारा कोई सेस नियत और देय नहीं है।

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 316079ई (आईसीएआई)

स्थान : कैम्प नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2014

हस्ता/-
(सीए एम.पी.महापात्रा)
साझेदार सदस्य संख्या. 055113

लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्य को प्रस्तुत वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों के उसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुच्छेद (5.1) से संदर्भित अनुलग्नक:

(i) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं परिसंपत्तियों की स्थिति समेत पूर्ण विवरण दर्शानेवाला समुचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें सूचना दी गई है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जॉच की गई है। उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत इन जॉचों में वस्तुओं की कोई अनियमितता नहीं देखी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष जॉच के दौरान पायी गई कमी/अधिकता परिसंपत्तियों के रजिस्टर में असमंजित रही है।

(ग) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण से ज्ञात होता है कि वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों के पर्याप्त(महत्वपूर्ण) भाग का निपटान नहीं किया गया है जो गोईंग कन्सर्न अवधारणा को प्रभावित करे ।

(ii) (क) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जॉच एक तर्कसंगत अंतराल के बाद प्रबंधन द्वारा की जाती है तथा भंडार एवं पूर्जों के स्टॉक(मार्गस्थ और /या आपूर्तिकर्त्ताओं/ ठेकेदारों के पास निरीक्षण के तहत को छोड़कर) की जॉच प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाती है।

(ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के अनुसार तर्कसंगत एवं पर्याप्त है ।

(ग) हमारे विचार में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत कंपनी अपनी वस्तुसूचिओं का सही ब्यौरा रखती है। प्रत्यक्ष जॉच से वास्तविक स्टॉक एवं पुस्तकीय स्टाक के बीच उत्पन्न अंतर का कंपनी के लिए संपूर्ण रूप से कोई भौतिक महत्व नहीं है पर पुस्तकीय लेखा में समुचित कार्रवाई की गई है।

(iii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार :

(क) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी, फार्म या अन्य पार्टियों को कंपनी ने प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है,अतः ब्याज की दर,मूलधन एवं ब्याज के भुगतान तथा अधिक देय राशि से संबंधित आदेश के अनुच्छेद 4(III) के उप खण्ड (ख),(ग) एवं (घ) लागू नहीं है ।

(ख) रिकार्ड की परीक्षा के आधार पर हमें पता चला है कि कंपनी ने धारक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को ब्याज सहित एवं ब्याज रहित दोनों तरह का अल्प अवधि का ऋण दिया है।

(ग) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में दर्ज किसी कंपनी, फार्मे या किसी अन्य पार्टियों से कंपनी ने प्रतिभूत या अप्रतिभूत कोई ऋण नहीं लिया है, अतः ब्याज की दर, मूलधन

एवं ब्याज के भुगतान तथा अधिक देय राशि से संबंधित आदेश के अनुच्छेद 4(iii) के उप खण्ड (च) एवं (छ) लागू नहीं हैं ।

(iv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत कंपनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुरूप जिसमें वस्तुओं की तथा स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद, वस्तुओं के विक्रय एवं सेवाओं के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है और हम लोगों ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं देखी है,जिसे सुधारा जाए।

(v) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षा के वर्ष के दौरान कोई ऐसा ठेका या व्यवस्था नहीं है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

(ख) उपरोक्त के खण्ड (v) (क) के अनुसार आदेश का खण्ड (v) (ख) लागू नहीं है।

(vi) हमें दी गई सूचना एवं स्प्ष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। अत: कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58.क, 58.कक के प्रावधान या कोई अन्य संबंधित प्रावधान और कंपनी (जमा स्वीकार) नियम, 1975 रिपोर्ट के लिए कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो सामान्यत: इसके आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है।

(viii) केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) (घ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत लेखा रिकार्ड) नियम, 2011 के अनुसार कंपनी द्वारा रखे गए लागत रिकार्ड की हमने व्यापक समीक्षा की है और प्रथम दृष्टया यह मत है कि निर्धारित लागत रिकार्ड रखे गये हैं। तथापि हमने इस दृष्टि से लागत लेखा की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सही या पूर्ण हैं।

(ix) (क) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यत: अविवादित सांविधिक बकाये जिसमें भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, वैट, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं लागू अन्य सांविधिक बकाये शामिल हैं ,को वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करती है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को कोई बकाया देय,उसके देय होने की तिथि से छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) कंपनी के रिकार्ड एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2014 को आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर,सेवा कर,सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं सेस के विवादित बकायों का विवरण नीचे दिया गया है :

संविधि का नाम	कुल राशि (करोड़ रु. में)	फोरम का नाम जहाँ विवाद लंबित है
ओड़िशा विक्री कर,	124.05	उच्च न्यायालय, ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट
आय कर	1139.30	उच्च न्यायालय, ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	210.12	उच्च न्यायालय एवं कमिश्नरेट

(x) इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी को कोई संचय घाटा नहीं हुआ है और वित्तीय वर्ष के दौरान और न ही पिछले वर्ष कोई नगद घाटा हुआ है।

(xi) हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया एवं प्रबन्धन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर स्पष्ट है कि कंपनी किसी वित्तीय संस्थान या बैंक के बकाया के पुनः भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है । कंपनी ने डिवेंचर जारी नहीं की है।

(xii) दस्तावेजों एवं रिकार्ड की हमारी जॉच के आधार पर हमारा मत है कि कंपनी ने शेयर, डिवेंचर और अन्य प्रतिभूतियों की शपथ द्वारा गारंटी के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

(xiii) हमारे मत में कंपनी चीट फंड/निधि/म्युचुअल बेनिफीट फंड/सोसाइटी नहीं है। अतः आदेश का पारा 4(xiii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiv) कंपनी के रिकार्डों के अनुसार हमारे मत में कंपनी शेयर,प्रतिभूति,डिवेंचर या अन्य निवेशों का डीलर या व्यापारी नहीं है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 4(xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xv) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी बैंक या वित्तीय संस्थानों से अन्य द्वारा ऋण लेने में कोई गारंटी नहीं दी है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 4(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xvi) हमारे द्वारा की गई कंपनी के रिकार्ड की जॉच एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 4(xvi) लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी के तुलनपत्र की सकल जॉच एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि कंपनी ने कोई निधि अल्पावधि के लिए प्राप्त नहीं किया है जिसे लंबी अवधि के निवेश के तौर पर प्रयोग किया गया हो। अल्पावधि की परिसंपत्तियों को वित्त प्रदान करने के लिए लंबी अवधि की निधि का प्रयोग नहीं किया गया है।

(xviii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में दर्ज पार्टियों एवं कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिवेन्चर जारी नहीं किया है एवं इस तिथि के तुलनपत्र में डिवेन्चर के संबंध में कोई राशि बकाया नहीं है । तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 4(xix) लागू नहीं है।

(xx) तुलनपत्र की तिथि को कंपनी ने कोई पब्लिक इश्यू प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 4(xx) लागू नहीं है।

(xxi) भारत में सामान्यतः प्रचलित लेखा परीक्षा पद्धति एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के तहत कंपनी की पुस्तकों एवं रिकार्ड की परीक्षा के दौरान हमें कंपनी में वर्ष के दौरान हुए किसी घोटाले की न तो सूचना मिली, ध्यान में लाया गया, रिपोर्ट किया या प्रबंधन द्वारा हमें इस तरह के मामले की सूचना दी गई।

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 316079 ई (आईसीएआई)

स्थान : कैम्प नई दिल्ली
दिनांक : 26 .05. 2014

हस्ता/-
(सीए एम.पी.महापात्रा)
साझेदार
सदस्य संख्या. 055113

लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर
निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(2) एवं 217(3) के अंतर्गत)

सेवा में
सदस्यगण
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	**प्रबंधन का उत्तर**
1. हमने 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखापरीक्षा की है। इनमें शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई तालचर कोलफील्ड की छः क्षेत्रों तथा एक केन्द्रीय कर्मशाला की लेखापरीक्षा शामिल है।	कोई टिप्पणी नहीं
2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में कार्पोरेट मामलों मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर,2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणियों को सत्य और सही दर्शाते हुए तैयार और प्रस्तुत करने से संगत अभिकल्प, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण रखना शामिल है और ये धोखे अथवा चूक भौतिक इष्टि से गलत बयानी से मुक्त हों।	कोई टिप्पणी नहीं
3. हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है । हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा लेखा परीक्षण पर जारी मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और अपनी लेखा परीक्षा यह उचित आश्वासन पाने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरणियाँ महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।	कोई टिप्पणी नहीं

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे लेखापरीक्षा मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है।

4(क) हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों (टिप्पणी संख्या 33) और लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी (टिप्पणी संख्या 34) के साथ पठित कथित लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा वांछित भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप सत्य और सही जानकारी देते है: — कोई टिप्पणी नही

i. कंपनी के कार्यों के बारे में 31 मार्च, 2014 के तुलनपत्र के मामले में
ii. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण के मामले मे और
iii. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नगदी प्रवाह के नगदी प्रवाह विवरण के — कोई टिप्पणी नही

मामले में हमने निम्नलिखित पर विश्वास किया है:

(क) ओबीआर लागत के मानक अनुपात और चालू अनुपात के बीच भिन्नता हेतु समायोजन सहित आधिक्य और लेखांकन के मामले में एडवांस स्ट्रिपिंग, प्रकटित कोयला, औसती मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात भिन्नता आदि के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आंकड़े।

(ख) सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार खान बंद करने की योजना और खान बंद करने के खर्चों के बारे में कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधान।

5. प्रबंधन का अचल परिसंपत्तियों की हानि के प्रति प्रावधान करने हेतु चाहे तकनीकी या अन्यथा हो, मूल्यांकन/अनुमान करना। — कोई टिप्पणी नही

6. 1) भारत सरकार द्वारा अधिनियमों की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार जारी यथासंशोधित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 में यथावांछित, हम आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में देते हैं।

2) अधिनियम की धारा 227(3) में यथावांछित हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास में ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे; — कोई टिप्पणी नही

ख. हमारे मत में कंपनी के विधि द्वारा वांछित उचित लेखा-बहियां रखी हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है [और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है]; — कोई टिप्पणी नही

ग. तालचेर कोलफील्ड्स के छह क्षेत्र और एक केंद्रीय कार्यशाला पर धारा 228 की उप-धारा-(3) के खंड (ग) द्वारा यथा वांछित, कंपनी के लेखापरीक्षक के ईतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट धारा 228 की उप-धारा-(3) के खंड (ग) तहत हमें भेजी गई है और हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में यथावश्यक संज्ञान लिया है; — कोई टिप्पणी नही — कोई टिप्पणी नही

घ. इस रिपोर्ट के साथ व्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी लेखा-बहियों के संगत में हैं [और उन शाखाओं से प्राप्त लेखापरीक्षित विवरणियां जिनका हमनें दौरा नहीं किया है];

कोई टिप्पणी नही

ङ. हमारे मत में, इस रिपोर्ट के साथ व्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में कार्पोरट मामले मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर 2013 के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम,1956 में अधिसूचित लेखांकन मानकों का अनुपालन करती है; और:

कोई टिप्पणी नही

च. भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं.जीएसआर 829(ई) सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा274(1)(छ) के प्रावधानों की प्रयोगता से छूट है;

कोई टिप्पणी नही

छ. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 441 क के अन्तर्गत प्रदत्त सेस की दर के बारे में चूंकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही कथित धारा के अन्तर्गत इस प्रकार के सैस के भुगतान के रूप के बारे में कोई सेस नियत और देय नहीं है।

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
हस्ताक्षर/-
(एम.पी.महापात्रा)
साझेदार
सदस्य संख्या. 055113
फर्म पंजीकरण संख्या. 316079 ई (आईसीएआई)

स्थान : कैम्प नई दिल्ली
दिनांक : 26.05.2014

लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्य को प्रस्तुत वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों के उसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुच्छेद (5.1) से संदर्भित

		लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का उत्तर
(i)	क)	कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं परिसंपत्तियों की स्थिति समेत पूर्ण विवरण दर्शानेवाला समुचित रिकार्ड रखा है।	कोई टिप्पणी नही
	ख)	हमें सूचना दी गई है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन ने कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच की है। उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत इन जांचों में महत्वपूर्ण कोई अनियमितता नहीं देखी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष जांच के दौरान पायी गई कमी/अधिकता परिसंपत्तियों के रजिस्टर में असमंजित रही है।	कोई टिप्पणी नही
	ग)	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण से ज्ञात होता है कि वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों के पर्याप्त भाग का निपटान नहीं किया गया है जो लाभ को प्रभावित कर सकता है।	कोई टिप्पणी नही
(ii)	क)	जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जाँच एक तर्कसंगत अंतराल के बाद प्रबंधन द्वारा की जाती है तथा भंडार एवं पूर्जों के स्टॉक(मार्गस्थ और/या आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों के पास निरीक्षण के तहत को छोड़कर) की जाँच प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाती है।	कोई टिप्पणी नही
	ख)	हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा अपनाई गई माल- सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया कंपनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति के अनुसार तर्कसंगत एवं पर्याप्त है ।	कोई टिप्पणी नही
	ग)	हमारे मतानुसार में एवं हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपनी माल- सूचिओं का सही ब्यौरा रखा है। प्रत्यक्ष जाँच से वास्तविक स्टॉक एवं पुस्तकीय स्टाक के बीच उत्पन्न अंतर कंपनी के लिए संपूर्ण रूप से कोई वस्तुत नहीं है पर लेखा-बहियों में समुचित व्यवहारित किया गया है।	कोई टिप्पणी नही
(iii)	क)	हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार: कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी, फार्म या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किया है,अतः ब्याज की दर, मूलधन एवं ब्याज के भुगतान तथा अधिक देय राशि से संबंधित आदेश के अनुच्छेद 4(iii) के उप खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नही

	ख)	हमने रिकार्ड की जांच के आधार पर नोटिस किया है कि लघु अवधि ऋण और ब्याज सहित और रहित, दोनों, धारक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगियों को दिया जाता है।	
	ग)	कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में दर्ज किसी कंपनी, फार्मे या किसी अन्य पार्टियों से प्रतिभूत या अप्रतिभूत कोई ऋण नहीं लिया है, अतः ब्याज की दर, मूलधन एवं ब्याज के भुगतान तथा अधिक देय राशि से संबंधित आदेश के अनुच्छेद 4(iii) के उप खण्ड (च) एवं (छ) लागू नहीं हैं ।	
(iv)		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के तहत कंपनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुरूप जिसमें वस्तुओं की तथा स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद, वस्तुओं के विक्रय एवं सेवाओं के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है और हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं देखी है,जिसे सुधारा जाए।	कोई टिप्पणी नही
(v)	क)	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कोई ऐसा ठेका या व्यवस्था नहीं है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाए।	कोई टिप्पणी नही
	ख)	उपरोक्त के खण्ड (v) (क) के अनुसार आदेश का खण्ड (v) (ख) लागू नहीं है ।	कोई टिप्पणी नही
(vi)		हमें दी गई सूचना एवं स्प्ष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। अतः कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 58.क, 58.कक के प्रावधान या कोई अन्य संबंधित प्रावधान और कंपनी(जमा स्वीकार) नियम,1975 रिपोर्ट करने के लिए कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नही
(vii)		कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो सामान्यतः इसके आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है।	कोई टिप्पणी नही
(viii)		हमने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1)(घ) के तहत हमने कंपनी नियम(लागत लेखांकन रिकार्ड), 2011 के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखी गई लागत रिकार्ड की हमने व्यापक समीक्षा की है और प्रथम द्रष्टया यह मत पोषण करते है कि निर्धारित लागत रिकार्ड रखे गये हैं। तथापि हमने इस दृष्टि से लागत लेखा की विस्तृत जॉच नहीं की है कि वे सही या पूरी हैं।	कोई टिप्पणी नही
(ix)	क)	कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यतः अविवादित सांविधिक बकाये जिसमें भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, वैट, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं लागू अन्य सांविधिक बकाये शामिल हैं ,को वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करने में प्रायः नियमित रही है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को कोई बकाया देय,उसके देय होने की तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए	कोई टिप्पणी नही

बकाया नहीं है।

ख)	कंपनी के रिकार्ड एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2013 को आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर,सेवा कर,सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेस के विवादित बकायों का विवरण नीचे दिया गया है :		कोई टिप्पणी नही
	संविधि का नाम	कुल राशि (₹ करोड़ में)	फोरम का नाम जहाँ विवाद लंबित है
	ओड़िशा बिक्री कर	124.05	उच्च न्यायालय, ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट
	आय कर	1139.30	उच्च न्यायालय,ट्रिब्युनल एवं कमिश्नरेट
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	210.12	केंद्रीय उत्पाद विभाग
	कथित राशि केन्द्रीय उत्पाद विभाग में विरोधान्तर्गत जमा की है।		

(x)	इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी को कोई संचय घाटा नहीं हुआ है और वित्तीय वर्ष के दौरान और न ही पिछले वर्ष कोई नगद घाटा हुआ है।	कोई टिप्पणी नही
(xi)	हमारे लेखा परीक्षा प्रक्रिया एवं प्रबन्धन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर स्पष्ट है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक के बकाया के पुनः भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है । कंपनी ने डिवेंचर जारी नहीं किए है ।	कोई टिप्पणी नही
(xii)	दस्तावेजों एवं रिकार्ड की हमारी जाँच के आधार पर हमारा मत है कि कंपनी ने शेयर,डिवेंचर और अन्य प्रतिभूतियों की शपथ द्वारा गारंटी के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नही
(xiii)	हमारे मत में कंपनी चिट फंड/निधि/म्युचुअल बेनिफीट फंड/सोसाइटी नहीं है।अतः आदेश का अनुच्छेद 4(xiii) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।	कोई टिप्पणी नही
(xiv)	कंपनी के रिकार्डों के अनुसार हमारे मत में कंपनी शेयर, प्रतिभूति, डिवेंचर या अन्य निवेशों का डीलर या व्यापारी नहीं है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 4(xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं ।	कोई टिप्पणी नही

(xv)	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी बैंक या वित्तीय संस्थानों से अन्य द्वारा ऋण लेने में कोई गारंटी नहीं दी है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 4(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नही
(xvi)	कंपनी के रिकार्ड की हमारी जॉच एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 4(xvi) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नही
(xvii)	कंपनी के तुलनपत्र की सकल जॉच एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि कंपनी ने कोई निधि अल्पावधि के लिए प्राप्त नहीं किया है जिसे लंबी अवधि के निवेश के तौर पर प्रयोग किया गया हो। अल्पावधि की परिसंपत्तियों को वित्त प्रदान करने के लिए लंबी अवधि की निधि का प्रयोग नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नही
(xvii)	कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के तहत रखे गये रजिस्टर में दर्ज पार्टियों एवं कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 4(xviii) लागू नहीं है ।	कोई टिप्पणी नही
(xix)	कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिवेन्चर जारी नहीं किया है एवं इस तिथि के तुलनपत्र में डिवेन्चर के संबंध में कोई राशि बकाया नहीं है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 4(xix) लागू नहीं है ।	कोई टिप्पणी नही
(xx)	तुलनपत्र की तिथि को कंपनी ने पब्लिक इश्यू के जरिए कोई धन नहीं उगाहा है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 4(xx) लागू नहीं है ।	कोई टिप्पणी नही
(xxi)	भारत में सामान्यत: प्रचलित लेखा परीक्षा पद्धति एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के तहत कंपनी की पुस्तकों एवं रिकार्ड की परीक्षा के दौरान हमें कंपनी में वर्ष के दौरान हुए किसी घोटाले की न तो सूचना मिली, ध्यान में लाया गया ,रिपोर्ट किया या प्रबंधन द्वारा हमें इस तरह के मामले की सूचना दी गई।	कोई टिप्पणी नही

कृते, पाम्स एंड एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

हस्ताक्षर/-
(एम.पी.महापात्रा)
साझेदार
सदस्य संख्या. 055113
फर्म पंजीकरण संख्या. 316079ई (आईसीएआई)

स्थान : कैम्प नई दिल्ली
दिनांक : 26.05.2014

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत 31.3.2014 को अनुषंगी कंपनियों में कंपनी के हित से संबंधित विवरण

क्रमांक		विवरण	अनुषंगी कंपनी का नाम		
			एमएनएच शक्ति लिमिटेड	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
1.		अनुषंगी कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि	31 मार्च,2014	31 मार्च,2014	31 मार्च,2014
2.	क)	अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुषंगी कंपनी में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के शेयरों की संख्या :**	5,95,70,000 पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर इक्वीटी शेयर	5,70,60,000 पूर्णतः प्रदत्त ₹10/- के अंकित मूल्य पर इक्वीटी शेयर	50,000 पूर्णतःप्रदत्त ₹10/- के अंकित मूल्य पर इक्वीटी शेयर
	ख)	अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर धारक कंपनी के हित की सीमा ।	70%	60%	100%
3		धारक कंपनी के सदस्य के रूप में अनुषंगी कंपनियों के लाभ/हानि में अब तक निवल कुल राशि :			
i		धारक कंपनी के लेखा के साथ संबंध नहीं :			
	क)	31 मार्च, 2014 समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	----	----	----
	ख)	जब से धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी बनी उस पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए	----	----	----
ii		धारक कंपनी की लेखा के साथ			
	क)	31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	----	----	----
	ख)	जब से धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनी बनी उसके पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए	----	----	----

**महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के मामले में शेयर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसके नामितों द्वारा धारित हैं।

तुलन पत्र
31 मार्च, 2014 के अनुसार

(₹ करोड में)

	टिप्पणियाँ		31/3/2014 के अनुसार		31/3/2013 के अनुसार
I इक्विटी एवं देयताएं					
(1) शेयरधारियों की निधियाँ					
क) शेयर पूँजी	1	186.40		186.40	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	5377.02		8752.72	
			5,563.42		8,939.12
(2) गैर-चालू देयताएं					
क) दीर्घावधि उधार	3	9.14		96.60	
ख)आस्थगित कर देयताएं (निवल)		28.08		60.68	
ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	54.34		41.49	
घ) दीर्घावधि प्रावधान	5	10,607.11		9,085.60	
			10,698.67		9,284.37
(3) अल्पसंख्यक आंशीदार			-		-
(4) चालू देयताएं					
क) अल्पावधि ऋण	6	-		-	
ख) भुगतान योग्य व्यापार	7	280.29		257.42	
ग) अन्य चालू देयताएं	8	2,647.23		2,386.70	
घ) अल्प आवधि प्रावधान	9	318.12		1,458.71	
			3,245.64		4,102.83
कुल			**19,507.73**		**22,326.32**
II परिसम्पत्तियाँ					
(1) गैर चालू परिसम्पत्तियाँ					
(क) स्थिर परिसम्पत्तियाँ					
i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10क	5,140.30		4,367.11	
घटाव : मूल्यहास, हानि एवं प्रावधान		2,442.21		2,206.79	
निवल कैरिंग मूल्य			2,698.09		2,160.32
ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ - सकल ब्लॉक	10क	284.89		246.88	
घटाव : मूल्यहास, हानि एवं प्रावधान		194.40		194.68	
निवल कैरिंग मूल्य			90.49		52.20
iii) पूँजीगत कार्य-प्रगति-पर	10ख		330.94		295.30
iv) विकास के तहत अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	10ग		209.49		218.25
(ख) गैर-चालू निवेश	11		1,098.07		1,120.78
(ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)			-		-
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12		375.55		380.93
(ड.) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	13		-		-

तुलनपत्र जारी.....

(₹ करोड में)

	टिप्पणियाँ	31/3/2014 के अनुसार		31/3/2013 के अनुसार	
(2) चालू परिसम्पतियाँ					
(क) चालू निवेश	14	675.71		58.71	
(ख) मालसूची	15	522.52		571.53	
(ग) व्यापार प्राप्तियाँ	16	298.39		430.91	
(घ) रोकड़ एव रोकड़ समतुल्य	17	10,367.57		13,083.00	
(ड.) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	18	2,174.55		3,125.30	
(च) अन्य चालू परिसम्पतियाँ	19	666.36		829.09	
			14705.10		18,098.54
कुल			19,507.73		22,326.32
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	33				
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34				

उपरोक्त टिप्पणियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंश है

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-
(एस. के. पॉल)
महाप्रबंधक(वित्त)

ह0/-
एस. कन्नन
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह0/-
(ए.एन.सहाय)
पक्ष- सह-प्रबंधक निदेशक

ह0/-
(जे. पी. सिंह)
निदेशक (टी) (पी व पी)

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

ह()/-
सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या 55113)

दिनांक: 26.05.2014
स्थान: नई दिल्ली

लाभ-हानि विवरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार

(₹ करोड में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
आय			
कोयले का विक्रय	20	13165.61	13190.42
घटाव : उत्पाद शुल्क		650.28	649.73
अन्य उगाही		2525.66	2518.20
संचालन से प्राप्त राजस्व		9,989.67	10,022.49
अन्य आय	21	2,043.33	2,070.72
कुल राजस्व		12,033.00	12,093.21
व्यय			
खपत वस्तुओं की लागत	22	626.35	555.75
तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	23	36.54	90.25
कार्मिक हितलाभ पर व्यय	24	1,824.05	1,711.67
बिजली एवं ईंधन		119.37	116.11
कल्याण पर व्यय	25	148.98	49.34
मरम्मत	26	93.58	86.21
संविदात्मक व्यय	27	1,638.48	1,253.20
वित्तीय लागत	28	14.89	4.97
मूल्य ह्रास/परिशोधन/हानि		269.18	240.52
प्रावधान	29	85.27	59.12
बट्टे खाते डालना	30	-	-
ओवरबर्डन निकासी का समायोजन		1410.33	1,435.65
अन्य व्यय	31	335.08	295.34
कुल व्यय		6,602.10	5,898.13
असामान्य मदें, अपवादात्मक मदें एवं कर पूर्व लाभ/हानि		5,430.90	6,195.08
पूर्व अवधि समायोजन (प्रभार/आय)	32	1.82	(7.40)
अपवादात्मक मदें			
असामान्य मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)		5,429.08	6,202.48
असामान्य मदें (प्रभार/आय)		-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)		5,429.08	6,202.48
घटाव : कर पर व्यय			
- चालू वर्ष		1837.38	1964.72
- आस्थगित कर		-32.60	25.32
- पूर्ववर्ती वर्ष		-	-
कर पश्चात लाभ/(हानि)		3,624.30	4,212.44
प्रति शेयर बेसिक और डायल्यूटेड अर्जन (₹ में) (अंकित मूल्य रु 1000/- प्रति शेयर)		19,443.58	22,598.82
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	33		
लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34		

उपरोक्त टिप्पणियाँ लाभ-हानि लेखा विवरण के अभिन्न अंश हैं

ह0/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह0/-
एस. कन्नन
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/-
एस. के. पॉल
महाप्रबंधक (वित्त)

ह0/-
जे. पी. सिंह
निदेशक (टी) (पी व पी)

ह0/-
(ए.एन.सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

ह0/-
(सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या 55113)

दिनांक: 26.05.2014
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 1

शेयर पूँजी

(₹ करोड में)

		31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
	अधिकृत		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 2958200 इक्विटी शेयर	295.82	295.82
(ii)	रुपये 1000 प्रत्येक के 10% संचयी परिशोध्य प्राथमिक 2041800 शेयर संचयी परिशोध्य प्राथमिक प्राथमिक शेयर (यथाशीघ्र परिशोधन शर्तों पर किया गया परिशोधन)	204.18	204.18
		500.00	500.00
	निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 1864009 इक्विटी शेयर प्रत्येक नगद के रूप से प्रदत्त	186.40	186.40
		186.40	186.40

टिप्पणी: 1) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए प्रत्येक का)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामित	1864009	100

2) वर्ष के दौरान शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 2

आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
आरक्षित :		
आरक्षित पूँजी		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
आरक्षित पूँजी परिशोधन		
गत तुलनपत्र के अनुसार	204.18	204.18
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	204.18	204.18
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
सीएसआर आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	79.46	53.46
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	53.95	51.56
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	111.48	25.56
	21.93	79.46
वहनीय विकास आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	3.84	-
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	4.61	4.11
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	0.11	0.27
	8.34	3.84
सामान्य आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	2401.38	1954.31
वृद्धि: वर्ष के दौरान बढ़ाव	362.43	421.24
घटाव : वर्ष के दौरान समंजन	111.59	25.83
	2,875.40	2,401.38
लाभ हानि विवरण में अधिशेष		
गत तुलनपत्र के अनुसार	6063.86	5276.07
वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ/(हानि)	3624.30	4212.44
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि)	9688.16	9488.51
विनियोग		
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित	-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरण	362.43	421.24
सीएसआर आरक्षित को अंतरण	53.95	51.56
अंतरिम लाभांश	5,983.16	1,500.52
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	-	1,028.93
कारपोरेट लाभांश पर कर	1,016.84	418.29
वहनीय विकास आरक्षित में अंतरण	4.61	4.11
	2267.17	6063.86
विविध व्यय		
(बट्टे खाते नहीं डाले जाने की सीमा तक)		
प्रारंभिक व्यय	-	-
संचालित के पूर्व व्यय	-	-
कुल :	5377.02	8752.72

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 3

दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण		
- आईबीआरडी के लिए	-	46.09
- जेबीआईसी के लिए	-	42.31
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन, कनाडा	-	-
लीभेर फ्रांस एस.ए.,फ्रांस	9.14	8.20
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कुल	9.14	96.60
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	9.14	96.60

वर्गीकरण 2

1 निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	₹ करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
-	-	-

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4

अन्य दीर्घावधि दायितायें

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि		
प्रारंभिक शेष	-	-
बढ़ाव:निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज	-	-
बढ़ाव: प्राप्त अंशदान	-	-
घटाव : प्रयुक्त राशि	-	-
	-	-
भुगतान योग्य व्यापार	-	-
प्रतिभूति जमा	27.86	16.02
कोयले पर सेस की वापसी	26.48	25.47
कुल	**54.34**	**41.49**

टिप्पणी- 5

(₹ करोड में)

दीर्घावधि प्रावधान

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ		
ग्रेच्युटी	-	-
- छुट्टी नकदी करण	185.90	170.70
- कर्मचारियों को अन्य सुविधाएँ	193.27	167.71
विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए (बाजार को चिन्हित)	-	-
ओबीआर समंजन लेखा	9,912.51	8,502.18
ख़दान बंद करने का व्यय	315.43	245.01
अन्य के लिए	-	-
कुल	**10,607.11**	**9,085.60**

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 6

अल्पावधि उधार

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
बैंक से ऋण	-	-
मांग पर ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों पर शेष	-	-
आवधिक जमा की शपथ पर ओवरड्राफ्ट	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम	-	-
आस्थगित जमा	-	-
कुल :	-	-
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वर्गीकरण 2
निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	₹ करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी- 7

(₹ करोड में)

भुगतान योग्य व्यापार

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
आपूर्ति हेतु विविध लेनदार		
राजस्व के लिए	280.29	257.42
कुल	280.29	257.42

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 8

(₹ करोड में)

अन्य चालू दायित्वाएँ

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
सीआईएल द्वारा आईबीआरडी से आवधिक ऋण	-	9.90
सीआईएल द्वारा जेबीआईसी से आवधिक ऋण	-	11.58
लिभेर फ्रांस एसए, से आवधिक ऋण	0.61	0.52
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कोल इंडिया से अतिरिक्त ऋण	-	-
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	-	-
	0.61	22.00
पूँजी के लिए विविध लेनदार (भंडार सहित)	550.45	382.62
व्यय के लिए		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	153.84	155.42
विद्युत एवं ईंधन	17.20	16.63
अन्य	79.00	58.47
	250.04	230.52
वैधानिक बकाये :		
विक्रय कर	0.49	2.80
विक्रय कर/वैट	2.50	3.42
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	7.33	6.35
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	52.58	71.98
कोयले पर रॉयल्टी एवं सेस	52.04	119.52
बालू रेत पर उत्पाद शुल्क	30.15	31.82
स्वच्छ ऊर्जा सेस	49.89	55.27
अन्य वैधानिक उगाही	0.11	1.47
	195.09	292.63
स्रोत पर आयकर में कटौती	5.92	6.94
प्रतिभूति जमा	63.87	61.41
बयाना राशि	15.42	12.42
ग्राहक/अन्य से अग्रिम एवं जमा	1,505.98	1296.17
उधार पर प्रोद्धत ब्याज एवं बकाया	-	-
उधार पर प्रोद्धत ब्याज लेकिन बकाया नहीं	-	-
सेस इक्वीलेजिशन लेखा	-	-
आईआईसीएम के साथ चालू लेखा	-	-
भुगतान न किया गया लाभांश	-	-
एक्स ऑनर लेखा	-	-
राष्ट्रीयकरण के पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
ग्रेच्युटी	7.27	36.36
अन्य देयताएं	52.58	45.63
कुल	2647.23	2386.70
2014-15 के दौरान लिभेर फ्रांस को ऋण का पुनर्भुगतान	**74113.58 यूरो**	**(₹ 0.61 करोड़)**

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 9

(₹ करोड में)

अल्पावधि प्रावधान

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएं		
- ग्रेच्युटी	-	-
-छुट्टी नकदीकरण	18.73	18.09
- पीपीएलबी	67.08	53.55
- पीआरपी	232.19	183.16
प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	1,028.93
कार्पोरेट लाभांश कर के लिए	-	174.87
कोयले के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए	-	-
अन्य (संपत्ति कर) के लिए	0.12	0.11
कुल	318.12	1458.71

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी - 10 क
स्थिर परिसंपतियाँ

(₹ करोड में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि				कुल मूल्यह्रास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि	निवल वाहक मूल्य	
	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय /अंतरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
मूर्त परिसंपतियाँ															
भूमि															
(क) फ्री होल्ड	2.49	-	-	2.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.49	2.49
(ख) लीज होल्ड	1,190.37	588.26	(0.48)	1,778.15	313.30	63.54	-	376.84	-	-	-	-	376.84	1401.31	877.07
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पुलिया	476.61	13.13	-	489.74	159.02	9.43	0.79	169.24	0.34	-	-	0.34	169.58	320.16	317.25
यंत्र एवं संयंत्र	2,290.49	129.33	(36.20)	2,383.62	1,520.42	159.85	(39.90)	1,640.37	3.90	-	10.94	14.84	1,655.21	728.41	766.17
उपस्कर एवं फिटिंग/कार्यालय औजार एवं उपकरण/विद्युत फिटिंग/अग्निशमन यंत्र	64.30	5.34	(0.24)	69.40	44.47	5.30	(0.17)	49.60	0.01	-	-	0.01	49.61	19.79	19.82
रेलवे साइडिंग	163.26	0.63	(0.01)	163.88	75.62	7.11	-	82.73	0.10	-	-	0.10	82.83	81.05	87.54
वाहन	26.06	2.95	(0.89)	28.12	16.87	3.42	(0.91)	19.38	0.01	-	-	0.01	19.39	8.73	9.18
दूरसंचार	13.82	20.97	-	34.79	4.64	1.50	6.33	12.47	-	-	-	-	12.47	22.32	9.18
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया सहित विकास	139.71	50.40	-	190.11	67.72	3.54	4.65	75.91	0.37	-	-	0.37	76.28	113.83	71.62
कुल	**4,367.11**	**811.01**	**(37.82)**	**5,140.30**	**2,202.06**	**253.69**	**(29.21)**	**2,426.54**	**4.73**	**-**	**10.94**	**15.67**	**2,442.21**	**2,698.09**	**2,160.32**
गत वर्ष															
नूत स्थिर परिसंपतियां	4,030.84	408.65	(72.38)	4,367.11	2,031.70	232.78	(62.42)	2,202.06	4.75	-	(0.02)	4.73	2,206.79	2,160.32	1,994.39
अमूर्त स्थिर परिसंपतियां															
विकास	190.54	31.86	-	222.40	140.00	13.56	(5.14)	148.42	21.34	0.66	(10.94)	11.06	159.48	62.92	29.20
सॉफ्टवेयर	2.67	-	-	2.67	2.67	-	-	2.67	-	-	-	-	2.67	-	-
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	53.67	6.14	0.01	59.82	30.65	1.89	(0.31)	32.23	0.02	-	-	0.02	32.25	27.57	23.00
कुल	**246.88**	**38.00**	**0.01**	**284.89**	**173.32**	**15.45**	**(5.45)**	**183.32**	**21.36**	**0.66**	**(10.94)**	**11.08**	**194.40**	**90.49**	**52.20**
सकल जोड़	**4,613.99**	**849.01**	**(37.81)**	**5,425.19**	**2,375.38**	**269.14**	**(34.66)**	**2,609.86**	**26.09**	**0.66**	**-**	**26.75**	**2,636.61**	**2,788.58**	**2,212.52**
गत वर्ष															
अमूर्त स्थिर परिसंपतियां	244.89	3.36	(1.37)	246.88	170.23	9.19	(6.10)	173.32	21.00	0.36	-	21.36	194.68	52.20	53.66

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 10 ख

पूंजीगत कार्य-प्रगति पर

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत				प्रावधान				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि				कुल मूल्यह्रास/ इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि	निवल वाहक मूल्य	
	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन /विक्रय/ अंतरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पुलिया	17.05	44.54	(9.75)	51.84	0.21	0.01	-	0.22	-	-	-	-	0.22	51.62	16.84
यंत्र एवं संयंत्र	244.62	185.63	(185.49)	244.76	10.67	0.95	(0.02)	11.60	-	-	-	-	11.60	233.16	233.95
रेलवे साइडिंग	35.83	0.63	(0.62)	35.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.84	35.83
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	1.65	-	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65	-
कुल	297.50	232.45	(195.86)	334.09	10.88	0.96	(0.02)	11.82	-	-	-	-	11.82	322.27	286.62
गत वर्ष															
मूर्त परिसंपत्तियाँ	204.37	161.84	(68.71)	297.50	10.05	0.89	(0.06)	10.88	-	-	-	-	10.88	286.62	194.32
सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ	21.69	2.53	(2.54)	21.68	13.01	1.10	(1.10)	13.01	-	-	-	-	13.01	8.67	8.68
गत वर्ष															
सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ	20.56	3.93	(2.80)	21.69	12.34	2.20	(1.53)	13.01	-	-	-	-	13.01	8.68	8.22
सकल जोड़	**319.19**	**234.98**	**(198.40)**	**355.77**	**23.89**	**2.06**	**(1.12)**	**24.83**	-	-	-	-	**24.83**	**330.94**	**295.30**
गत वर्ष															
सकल जोड़	224.93	165.77	(71.51)	319.19	22.39	3.09	(1.59)	23.89	-	-	-	-	23.89	295.30	202.54

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 10 ग

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपतियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत				प्रावधान				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि				कुल मुल्यह्रास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि	निवल वाहक मूल्य	
	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
अमूर्त परिसंपतियाँ															
विकास	114.18	16.76	(21.69)	109.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.25	114.18
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	104.07	2.61	(6.44)	100.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.24	104.07
कुल	218.25	19.37	(28.13)	209.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.49	218.25
गत वर्ष															
अमूर्त परिसंपतियाँ	191.83	28.41	(1.99)	218.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.25	191.83

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11

गैर-चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

	चालू वर्ष में शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य चालू वर्ष (₹)	31/03/2014 के अनुसार (₹ करोड में)	31.03.2013 को शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों की संख्या	31.03.2013 को प्रति शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य (₹)	31/03/2013 के अनुसार (₹ करोड में)
व्यापार (अनुद्धत)						
8.5% कर मुक्त विशेष बांड(पूर्ण प्रदत्त) : (विविध देनदारों की सुरक्षा पर)						
प्रमुख राज्यवार वर्गीकरण						
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	113,860	1,000	11.38	227,720	1,000	22.77
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	113,160.00	1,000.00	11.31	226,320.00	1,000	22.63
अनुसंधी कंपनियों में ईक्वियूटी शेयर						
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	59,570,000	10.00	59.57	59,570,000	10.00	59.57
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	57,060,000	10.00	57.06	57,060,000	10.00	57.06
एमबीपीएल	50,000	10.00	0.05	50,000	10.00	0.05
गैर व्यापार (उद्धत)						
7.55 % सुरक्षित आईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉंड	20,000	100000	200.00	20,000	100000	200.00
8% आईआरएफसी कर-मुक्त बॉंड	1087537	1000	108.75	1087537	1000	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉंड	4999	1000100	499.95	4999	1000100	499.95
7.22 % सुराक्षत प्रातदय आरइसा कर-मुक्त बॉंड *	1500000	1000	150.00	1500000	1000	150.00
कुल :			1,098.07			1,120.78
उद्धत निवेश का योग			958.70			958.70
अनुद्धत निवेश का योग			139.37			162.08
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			967.99			969.48

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ
टिप्पणी - 12

दाघावाध ऋण एव आग्रम

(₹ करोड़ में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
अग्रिम:		
पूँजी के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	336.47	339.96
- संदेहास्पद	0.61	0.71
	337.08	340.67
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.61	0.71
	336.47	339.96
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
प्रतिभूति जमा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
पी एंड टी, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के लिए जमा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	36.47	37.86
- संदेहास्पद	-	-
	36.47	37.86
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	36.47	37.86
कर्मियों एवं अन्य को ऋण		
आवास निर्माण हेतु		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	2.55	3.04
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	2.55	3.04
मोटर कार एवं अन्य वाहनों के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.06	0.07
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	0.06	0.07
अन्य के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
	2.61	3.11
अनुषंगी कंपनियों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
कुल	375.55	380.93

टिप्पणी

	अंतिम शेष		समय बकाये की अधिकतम	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कंपनियों द्वारा देय (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
लंबी अवधि के लिए व्यापार प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	0.16	0.16
	0.16	0.16
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.16	0.16
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी

	अंतिम शेष		बकाये की अधिकतम राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कंपनियों द्वारा देय (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 14

चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

(₹ करोड में)

	शेयर/बॉंड/प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष	प्रति शेयर/बॉंड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य चालू वर्ष	31.03.2014 के अनुसार	शेयर/बॉंड/प्रतिभूति की संख्या गत वर्ष	शेयर/बॉंड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य गत वर्ष	31.03.2013 के अनुसार
गैर-व्यापार(उद्धत)						
म्यूचुअल फंड में निवेश						
(केनारा रोबेको लिक्विड फंड)	29,835.903	1,005.50	3.00	89,507.708	1,005.50	9.00
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	2,761,026.663	1,003.25	277.00	89,708 448	1,003.25	9.00
यूटीआई-मनी कैश फंड	3,658,851.080	1,019.45	373.00	89,696.342	1,003.39	9.00
एलआईसी नोमूरा एमएफ लिक्विड फंड	-	-	-	8,196,721.311	10.98	9.00
व्यापार(अनुद्धत)						
8.5% कर-मुक्त विशेष बॉंड (पूर्ण प्रदत्त) (विविध ऋणियों की प्रतिभूति पर)	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	113,860	1,000.00	11.39	113,860	1,000.00	11.39
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	113,160	1,000.00	11.32	113,160	1,000.00	11.32
कुल :			675.71			58.71
उद्धत निवेश का योग			653.00			36.00
अनुद्धत निवेश का योग			22.71			22.71
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			661.84			41.45

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 15

वस्तुसूची

(महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 6 के अनुसार मूल्यांकन)

(₹ करोड में)

		31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
	कोयले का स्टॉक	418.53	414.44
	विकास के अधीन कोयला स्टॉक	-	45.94
	घटाव : क्षरण के लिए प्रावधान	-	-
क	कोयले का स्टॉक (निवल)	418.53	460.38
	भंडार एवं पूर्जे का स्टॉक (लागत पर)	98.28	105.94
	मार्गस्थ भंडार	2.28	1.76
	घटाव : मंद गति/अप्रचलन इत्यादि हेतु प्रावधान	14.84	14.27
	परिसंपत्तियों की हानि	0.23	0.23
	घटाव : परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	0.23
ख	भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)	85.72	93.43
	कर्मशाला संबंधी कार्य :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	12.68	7.37
	घटाव : कर्मशाला कार्यों के लिए प्रावधान	-	-
ग	कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक	12.68	7.37
घ	प्रेस :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	-	-
ङ	केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक	0.68	0.65
	पुर्वेक्षण एवं बोरिंग/विकासव्यय/विक्रय हेतु निर्दिष्ट		
च	पुर्वेक्षण एवं बोरिंग/विकासव्यय/विक्रय हेतु निर्दिष्ट कोयला	4.91	9.70
	कुल (क से च तक)	522.52	571.53

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी - 15 का अनुलग्नक

(परिणाम लाख टन में) (मूल्य लाख ₹ में)

तालिका : क

वर्ष के अंत के कितावी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान

	समग्र स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.13 को प्रारंभिक स्टॉक	180.53	46037.89	-	-	180.53	46037.89
(ख) प्रारंभिक स्टॉक का समंजन	-	-	-	-	-	-
2. वर्ष का उत्पादन	1,104.39	996,866.13	-	-	1104.39	996866.13
3. उप जोड़ (1+2)	1,284.92	1,042,904.02	-	-	1284.92	1042904.02
4. वर्ष का ओफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1,143.39	998,966.86	-	-	1143.39	998966.86
(ख) बाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	0.05	132.30	-	-	0.05	132.30
कुल(क)	1,143.44	999,099.16	-	-	1143.44	999099.16
5. व्युत्पन्न स्टॉक	141.48	43,804.86	-	-	141.48	43804.86
6. मापी गई	140.18	41,456.01	-	-	140.18	41456.01
7. अंतर (5-6)	1.30	2,348.85	-	-	1.30	2348.85
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के भीतर	1.08	249.01	-	-	1.08	249.01
(ख) 5% के भीतर कमी	1.12	645.72	-	-	1.12	645.72
(ग) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी	1.26	1,952.14	-	-	1.26	1,952.14
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	140.22	41,852.72	-	-	140.22	41852.72

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश

तालिका: ख

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	180.53	46,037.89	-	-	-	-	-	-	180.53	46,037.89
पटा विक्रय के अयोग्य कोयला	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित प्रारंभिक (स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्पादन	-	-	1,104.39	996,866.13	-	-	-	-	-	-	1,104.39	996,866.13
ओफ टेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	1,143.39	998,966.86	-	-	-	-	-	-	1,143.39	998,966.86
(ख) बाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	-	-	0.05	132.30	-	-	-	-	-	-	0.05	132.30
अंतिम स्टॉक	-	-	141.48	43,804.86	-	-	-	-	-	-	141.48	43,804.86
घटाव : कमी	-	-	1.26	1,952.14	-	-	-	-	-	-	1.26	1,952.14
अंतिम स्टॉक	-	-	140.22	41,852.72	-	-	-	-	-	-	140.22	41,852.72

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 16

व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	30.27	42.11
- संदेहास्पद	34.72	21.02
	64.99	63.13
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	34.72	21.02
	30.27	42.11
अन्य ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	268.12	388.80
- संदेहास्पद	-	-
	268.12	388.80
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
	268.12	388.80
कुल	**298.39**	**430.91**

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 17

नगद एवं बैंक शेष

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
नगद एवं नगद समकक्ष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
- एसबीआई लाभांश (अप्रदत्त/बिना दावे का लाभांश लेखा)	-	-
-3 माह तक परिपक्वता सहित जमा लेखा में	3,386.00	3,985.23
- चालू लेखा में	203.08	238.70
- नगद जमा लेखा में	-	-
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष	-	-
भारत के बाहर के बैंकों के लेखा में	-	-
मार्गस्थ-प्रेषण	-	-
हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
हाथ में नगद	0.05	0.05
03 माह की परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा	-	-
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित जमा लेखा में	6,529.58	8,859.02
03 माह से अधिक परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनवोस निधि	-	-
3 माह की परिपक्वता सहित योजना माइन क्लोजर प्लान स्कीम के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा	248.86	-
कुल	**10,367.57**	**13,083.00**
वर्ष में किसी समय अनुसूचित बैंकों के अलावा बैंकों में सर्वाधिक बकाया राशि	शून्य	शून्य
अतिरिक्त टिप्पणी:		
1) उधारी/अन्य के लिए अतिरिक्त राशि(मार्जन मनी) या प्रतिभूति की सीमा तक बैंकों में शेष	185.86	185.24
2)12 माह से अधिक अवधि के लिए जमा समेत 03 माह से अधिक बैंक जमा	250.29	1.33

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 18

अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
अग्रिम		
(प्राप्त मूल्य के लिए नकद या माल के रूप में वसूली योग्य)		
आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को अग्रिम		
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	273.28	156.15
- संदेहास्पद	2.28	2.26
	275.56	158.41
घटाय : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	2.28	2.26
	273.28	156.15
वैधानिक बकाये के लिए अग्रिम भुगतान		
विक्रय कर		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाय : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
अग्रिम आयकर/स्रोत पर आयकर की कटौती	3,209.66	2,925.46
घटाय : आयकर हेतु प्रावधान	1,892.54	1,987.64
	1,317.12	937.82
अन्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	39.68	42.98
- संदेहास्पद	-	-
	39.68	42.98
घटाय : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	39.68	42.98
	1,356.80	980.80
कर्मियों के लिए अग्रिम		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	70.10	72.81
- संदेहास्पद	-	-
	70.10	72.81
घटाय : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	70.10	72.81
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा	441.41	1,757.00
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों तथा एमसीएल की अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	19.91	140.92
अनुषंगी कंपनियों के साथ ऋण लेखा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाय : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
प्राप्त दावे		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.03	0.03
- संदेहास्पद	-	-
	0.03	0.03
घटाय :संदेहास्पद दावे हेतु प्रावधान	-	-
	0.03	0.03
पूर्व प्रदत्त व्यय	13.02	17.59
	544.47	1,988.35
कुल	2,174.55	3,125.30

टिप्पणी

	अंतिम शेष		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत की कंपनियों द्वारा देय				
- एमजेएसजे कोल लि.	3.74	1.32	3.74	14.91
-एमएनएच शक्ति लि.	5.16	2.51	5.16	2.51
- एमबीपीएल	10.81	8.05	10.81	8.05
पाटियों द्वारा देय जिनमें कंपनी के निदेशक/निदेशकगण रुचि लेते हों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2 सीआईएल के साथ जमा ₹ 184.55 करोड़ (गतवर्ष 350.29 करोड़) जिस पर कोई ब्याज देय नहीं है ।

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड में)

	31/03/2014 क अनुसार	31/03/2013 क अनुसार
उपार्जित ब्याज		
-निवेश पर	42.43	34.18
- बैंकों में जमा पर	441.91	645.61
- अन्य पर	2.68	1.57
पूर्व मालिक का लेखा	-	-
अन्य अग्रिम	-	-
घटाव :डूबा एवं संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
सीमा शुल्क, पत्तन प्रभार इत्यादि के लिए जमा		
रॉयल्टी, सेस एवं विक्रय कर के लिए जमा	156.66	146.64
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	156.66	146.64
अन्य	-	-
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
पूर्व कोयला बोर्ड की ओर से कारोबार हेतु भारत सरकार से प्राप्य राशि	-	-
अन्य प्राप्तियॉ	22.68	1.09
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान	-	-
	22.68	1.09
कुल	**666.36**	**829.09**

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 20

(₹ करोड में)

संचालन से राजस्व

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
सकल विक्रय	13165.61	13190.42
घटाव : उत्पाद शुल्क	650.28	649.73
घटाव : अन्य उगाही		
रॉयल्टी	1290.85	1267.85
कोयले पर सेस	-	-
स्टोइंग उत्पाद शुल्क	114.38	111.96
केंद्रीय विक्रय कर	110.31	99.42
स्वच्छ ऊर्जा सेस	571.91	559.80
राज्य विक्रय कर/वैट	377.66	410.67
ओडिशा प्रवेश कर	60.55	68.50
कुल उगाही	3,175.94	3,167.93
संचालन से राजस्व (निवल विक्रय)	9,989.67	10,022.49

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 21

अन्य आय

(₹ करोड में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
दीर्घावधि निवेश से आय		
संयुक्त उद्यमों से लाभांश	-	-
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियॉ(8.5% करमुक्त विशेष बॉड) (व्यापार) से	5.31	7.24
- अविनिमेय आईआरएफसी/आरईसी करमुक्त बॉड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार)	70.75	38.15
चालू निवेश से आय		
म्यूचुअल फंड निवेश से लाभांश	43.40	23.63
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियॉ(8.5% करमुक्त विशेष बॉड) (व्यापार) से	-	-
- 7.55% अविनिमेय आईआरएफसी करमुक्त बॉड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार) से	-	-
अन्य से आय		
ब्याज :		
बैंक जमा से	1190.35	1319.45
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	0.08	0.09
आयकर वापसी से	-	-
निधि की पार्किंग पर सीआईएल से	96.72	143.37
अन्य	3.70	1.86
शीर्ष प्रभार	-	-
चालू भराई एवं संरक्षणात्मक कार्य हेतु सब्सिडी	0.88	0.55
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	16.04	0.74
परिवहन एवं लदान लागत की वसूली	531.57	495.52
विदेशी मुद्रा विनियम पर लाभ	-	0.09
विनियम दर में अंतर	-	-
पट्टे पर प्रदत्त भाड़ा	4.05	6.15
राइट बैक की देयता	22.41	0.65
अनुषंगी कंपनियों से गारंटी शुल्क	-	-
अन्य-गैर संचालन आय	58.07	33.23
कुल	2,043.33	2,070.72

टिप्पणी:
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ में मीनाक्षी -ख की भूगर्भीय रिपोर्ट की बिक्री पर और मीनाक्षी कोल ब्लॉक की डिपसाईड पर रूपये 15.56 करोड़ शामिल है।

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 22

खपत सामग्रियों की लागत

(₹ करोड में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
विस्फोटक	122.40	118.32
लकड़ी	0.21	0.54
पीओएल	324.73	252.30
एचईएमएम पुर्जे	111.86	107.56
अन्य खपत योग्य भंडार एवं पुर्जे	67.15	77.03
कुल	626.35	555.75

महानदा कालफाल्डस लामटड, सबलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 23

तैयार माल़ कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

(₹ करोड में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
कोयले का अंतिम स्टॉक	418.53	414.44
घटाव कोयले का क्षरण	-	-
क़ुल (1)	418.53	414.44
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	460.38	518.67
घटाव कोयले का क्षरण	-	6.61
क़ुल (2)	460.38	512.06
क) अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन (2-1)	41.85	97.62
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक	12.68	7.37
घटाव प्रावधान	-	-
क़ुल	12.68	7.37
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक	7.37	-
घटाव प्रावधान	-	-
क़ुल	7.37	-
ख) कर्मशाला के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	(5.31)	(7.37)
प्रेस समाप्ति कार्य	-	-
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
घटाव : प्रेस प्रारंभिक कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
ग) तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले प्रेस कार्य के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
औषधियों के अंतिम स्टॉक (केन्द्रीय अस्पताल)	-	-
घटाव औषधियों का प्रारंभिक स्टॉक (केन्द्रीय अस्पताल)	-	-
घ) केन्द्रीय अस्पतालों में औषधियों के स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
स्टॉक की वस्तुसूची में कुल परिवर्तन(क+ख+ग+घ)	36.54	90.25

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 24

(₹ करोड में)

कर्मचारी हितलाभ व्यय

	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस एवं हितलाभ	1319.84	1204.59
अनुग्रह राशि	73.95	62.35
पीआरपी	48.41	46.15
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	176.09	161.42
उपदान	23.39	22.63
छुट्टी नकदीकरण	52.51	43.72
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	0.79	1.93
कामगार क्षतिपूर्ति	(2.35)	0.58
कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	(2.81)	35.24
चिकित्सा खर्च	32.23	30.84
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	28.18	18.68
खेल व मनोरंजन	4.17	0.79
कैंटीन व क्रैच	0.78	0.68
विद्युत - टाउनशिप	53.81	54.07
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार	2.66	2.61
अन्य कर्मचारी लाभ	12.40	25.39
कुल	**1,824.05**	**1,711.67**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 25

कल्याण पर व्यय

(₹ करोड में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
सेवानिवृत कर्मियों पर चिकित्सा व्यय	17.24	2.22
सीएसआर व्यय	111.48	25.56
वहनीय विकास व्यय	0.11	0.27
पर्यावरणिक व्यय	13.37	13.94
वृक्षारोपण	0.59	0.78
अन्य व्यय	6.19	6.57
कुल	148.98	49.34

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 26

मरम्मत

(₹ करोड में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
भवन	61.72	52.38
संयंत्र एवं यंत्र	29.16	30.31
अन्य	2.70	3.52
कुल	93.58	86.21

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 27

(₹ करोड में)

संविदात्मक व्यय

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
परिवहन प्रभार :	-	0.32
- बालू	904.12	747.81
- कोयला एवं कोक	0.04	0.01
- भंडार एवं अन्य आदि	66.41	53.45
वैगन लदाई	616.12	387.91
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	51.79	63.70
अन्य संविदात्मक कार्य		
कुल	1,638.48	1,253.20

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 28

वित्तीय लागत

(₹ करोड में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
आस्थगित भुगतान	0.09	0.09
बैंक ओवरड्राफ्ट / नकद क्रेडिट	-	-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	1.16	1.96
सीआईएल निधि ऋण पर ब्याज	-	-
अनुषंगी कंपनियों को ब्याज	-	-
अन्य	12.06	1.26
कुल(क)	13.31	3.31
अन्य उधार लागत		
ऋण(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गारंटी फीस	1.57	1.65
अन्य व्यय / बैंक प्रभार	0.01	0.01
कुल(ख)	1.58	1.66
कुल (क+ख)	14.89	4.97

टिप्पणी: ब्याज व्यय अन्य में आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 (वित्तीय वर्ष 2009-10) हेतु का ब्याज अर्थात धारा 143 (1) के अंतर्गत मंजूर रूपये 18.07 करोड़ और धारा 251/143(3) के अंतर्गत रूपये 7.36 करोड़ का अंतर। शामिल है।

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 29

प्रावधान

(₹ करोड में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) के लिए प्रावधान		
संदिग्ध	13.70	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	0.57	0.81
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	70.12	64.74
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	0.96	1.56
अन्य	-	-
कुल (क)	**85.35**	**67.11**
(ख) बट्टे खाते के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	-	7.58
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.08	0.39
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	-	-
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	-	-
अन्य/परिसंपत्तियों की हानि	-	0.02
कुल (ख)	**0.08**	**7.99**
कुल (क-ख)	**85.27**	**59.12**

महानदा कालफाल्डस लामटड, सबलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 30

बट्टे खाते डालना

(₹ करोड में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संबलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 31

अन्य व्यय

(₹ करोड में)

	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
यात्रा व्यय		
- घरेलू	14.10	14.07
- विदेशी	0.02	0.06
प्रशिक्षण व्यय	9.10	8.27
दूरभाष एवं डाक खर्च	2.76	2.67
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	3.70	4.26
भाड़ा प्रभार	0.08	0.10
डेमरेज	6.18	5.54
दान /अभिदान	0.01	0.09
सुरक्षा व्यय	51.25	40.23
सीआईएल का सेवा प्रभार	55.22	53.95
भाड़ा प्रभार	27.74	23.72
सीएमपीडीआई व्यय	22.88	26.56
वैधिक व्यय	0.98	1.07
बैंक प्रभार	0.03	0.02
गेस्ट हाऊस व्यय	2.34	2.05
परामर्श प्रभार	1.08	0.49
अंडरलोडिंग प्रभार	10.41	10.99
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.54	0.06
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेख परीक्षा फीस	0.17	0.17
- कर संबंधी मामले	-	-
- कंपनी के वैधिक मामले	-	-
- प्रबंधन सेवा	-	-
- अन्य सेवाओं पर व्यय	0.11	0.04
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.17	0.13
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	2.00	1.84
पुनर्वास प्रभार	68.61	67.18
रायल्टी एवं सेस	0.18	0.19
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	(13.01)	(11.20)
किराया	2.51	0.15
दर एवं कर	20.37	13.61
बीमा	0.41	0.40
विनियम दर में अंतर से हानि	9.23	-
पट्टा किराया	-	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	1.95	2.37
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.10	1.58
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	10.26	4.15
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.03	0.04
संपति कर	0.12	0.11
विविध व्यय	23.45	20.38
कुल	**335.08**	**295.34**

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, संभलपुर

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 32

पूर्वावधि समंजन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) व्यय		
कोयले की बिक्री	2.73	3.54
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य व्यय	-	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	-	1.21
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
कुल (क)	2.83	4.79
(ख) आय		
कोयले की बिक्री	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य आय	-	12.19
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण घर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	1.01	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य ह्रास	-	-
कुल (ख)	1.01	12.19
कुल (क-ख)	1.82	(7.40)

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

टिप्पणी- 33

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1.0. <u>लेखा प्रथा:</u>

वित्तीय विवरण लेखा की ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं लेखों के उपचय आधार और प्रचलित अवधारणओं पर बनाए गए हैं, जो भारत में प्राय: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत, जब तक अन्यथा वर्णित न हो, अधिसूचित लेखाकंन मानकों के अनुरुप हैं।

2.0 <u>सरकार से सहायिकी/अनुदान:</u>

2.1 पूंजीगत लेखा पर सहायिकी/अनुदान को उन परिसम्पत्तियों की लागत से घटा दिया जाता है जिससे वे संबंधित रहते हैं । तुलन-पत्र की तारीख कोअव्ययित राशि को वर्तमान दायिताओं दर्शाया जाता है।

2.2 राजस्व लेखा पर सहायिकी/अनुदान अन्य आय शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा के नामे जमा किया जाता है एवं खर्च को संबंधित शीर्ष के नामे डाल दिया जाता है। वर्षान्त में यदि कोई राशि बची हुई हो तो उसे वर्तमान दायिताओं में दर्शाया जाता है।

3.0 <u>स्थायी परिसंपत्तियां:</u>

3.1 <u>भूमि:</u>

भूमि की लागत में अधिग्रहण, पुनर्वास हेतु नगद व्यय और संबंधित विस्थापितों के लिए पुन: स्थापन लागत हेतु उपगत खर्च शामिल हैं। भू-अधिग्रहण पर अन्य सभी खर्च जैसे नौकरी के बदले दी गयी क्षतिपूर्ति इत्यादि खर्च को राजस्व खर्च के तहत रखा जाता है।

3.2 <u>संयंत्र एवं यंत्र:</u>

परिसंपत्ति के उपयोग हेतु संस्थापन/परिनिर्माण के लिए उपगत खर्च एवं लागत तथा इन परिसंपत्तियों को वांछित रुप से चालू करने में आने वाली आवश्यक लागत को संयंत्र एवं यंत्र में शामिल किया जाता है।

3.3 <u>रेलवे साइडिंग:</u>

संचालन के लंबित रहते हुए, रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे प्राधिकारियों को किए गए भुगतान पूंजी हेतु अग्रिम के अंतर्गत टिप्पणी 12- "दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम" में दर्शाए गए हैं।

3.4 <u>विकास:</u>

जब तक परियोजना/खदान राजस्व लेखा में नहीं आ जाता तब तक परियोजना/खदान के आय के निवल खर्च को विकास में दर्ज किया जाता है और पूंजीगत चालू कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। यदि परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के उत्पादन को वाणिज्यिक तौर पर नियमित आधार पर तैयार होने और निर्माण की अवधि के दौरान इच्छित विकास गतिविधि वर्णित न हो तो विकासशील परियोजना एवं खदान को राजस्व के निम्नलिखित मानदंड के तहत रखा जाता है:

(क) उस वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जब परियोजना, स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के निर्धारित लक्ष्य का 25 प्रतिशत वास्तविक उत्पादन प्रारंभ कर लेती है या

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष या

(ग) जिस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो, -जो भी घटना पहले हो

4.0 <u>पूर्वेक्षण, बोरिंग तथा अन्य विकासमूलक खर्च</u>:

अन्वेषण की लागत एवं अन्य विकासमूलक खर्च जो एक "पंचवर्षीय योजना" के दौरान किया गया है, को पूंजीगत कार्य-प्रगति-पर के तहत लगातार दो "पंचवर्षीय योजनाओं" की अवधि तक परियोजनाओं के निर्माण हेतु रखा जाता है एवं इसके बाद केवल विक्रय के लिए चिन्हित या बाहरी एजेन्सियों को बेचे जाने हेतु प्रस्तावित ब्लॉकों को छोड़कर शेष को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिसे विक्रय को अन्तिम रुप दिये जाने तक मालसूची में रखा जाता है।

5.0 <u>निवेश</u>:

वर्तमान निवेश को लागत की निम्नता पर और तुलन-पत्र की तारीख के उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। म्यूच्युअल फंड में निवेश को चालू निवेश माना जाता है।

गैर-चालू निवेश का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। तथापि, दीर्घावधि निवेश के मूल्य में अस्थायी के ईतर कमी आने पर आगे ले जाने वाली राशि में कमी को मान्यता देने के लिए घटा दिया जाता है।

6.0 <u>वस्तु सूची</u>:

6.1 जहां कोयले/कोक के किताबी स्टॉक एवं मापे गये स्टॉक के बीच +/-5% तक की भिन्नता हो, वहां लेखा में मापे गए स्टॉक पर विचार किया गया है। यदि उक्त भिन्नता +/-5% से अधिक हो, तो मापे गए स्टॉक को स्वीकार किया जाता है। ऐसे स्टॉक का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो, के आधार पर किया गया है।

6.1.1 कोयले और फाईन कोक का निम्न लागत अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.1.2 गाद (कोकिंग/सेमी कोकिंग), वाशरियों की मध्यमता और उप-उत्पाद का एकल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.2 <u>भंडार और पुर्जो</u>:

6.2.1 भंडार के अंतिम स्टॉक और पुर्जों का केंद्रीय भंडार की लेखा-बही में दर्शित मूल्य के अनुसार और कोयला-खानों/यूनिटों में उपलब्ध भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन के अनुसार शेष का लेखों में विचार किया गया है।

6.2.2 केंद्रीय और भंडारों में भंडार और पुर्जों के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक प्रभारित कोयला खानों/उप-भंडारो/ड्रिलिंग कैंपों/खपत केंद्रों में उपलब्ध भंडारों और पुर्जों की वर्षांत वस्तु सूची का मूल्यांकन क्षेत्र भंडारों, लागत/अनुमानित लागत के जारी मूल्य पर किया गया है। कार्यशाला कार्य व प्रगति-पर-कार्य का मूल्य लागत पर लगाया गया है।

6.2.3 भंडारों और पुर्जों में खुले पुर्जे भी शामिल हैं।

6.2.4 अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और पुराने भंडारों के लिए 100 प्रतिशत की दर से और 5 वर्षों से गैर-चालित भंडारों व पुर्जों के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किए गए हैं।

6.3 स्टेशनरी (मुद्रण प्रेस में रखे के अलावा), ईटें, बालू, औषधियों (केंद्रीय अस्पताल के अलावा), एयर क्राफ्ट पुर्जे और स्क्रैप के स्टॉक को वस्तु सूची में शामिल नहीं किया गया है।

7.0 **मूल्यह्रास:**

7.1 दूरसंचार उपकरणों और फोटोकापी मशीनों पर, उनके तकनीकी अनुमानित जीवन के आधार पर निम्नलिखित उच्च दर प्रचारित करने के अलावा परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की दर स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर दूर संचार उपकरणों और फोटोकापी मशीन, फैक्स मशीन, मोबाईल फोन, डिजिटल संबर्धित कार्डलेस टेलीफोन और कंप्यूटर (प्रिंटर और स्कैनर सहित) के अलावा कंपनी अधिनियम, 1956 (यथासंशोधित) की अनुसूची-XIV में निर्धारित दर के अनुसार की जाती है:-

दूरसंचार उपकरण पर	:-	15.83% और 10.55% प्रति वर्ष
फोटोकापी मशीन	:-	23.75% प्रति वर्ष
फैक्स मशीन	:-	31.67% प्रति वर्ष
मोबाईल फोन	:-	31.67% प्रति वर्ष
डिजिटल संबर्धित कॉड्लेस टेलीफोन	:-	31.67% प्रति वर्ष
कंप्यूटर (प्रिंटर और स्कैनरसहित)	:-	31.67% प्रति वर्ष

पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय और उच्च वोल्यूम सैंप्लर और श्वसन धूल पर उनके तकनीकी अनुमानित जीवन के आधार पर मूल्यह्रास क्रमश: 5.15% और 33.33% की दर से प्रभारित किया जाता है।
इसके आगे, कुछ उपकरणों/एचईएमएम पर मूल्यह्रास तकनीकी अनुमानित जीवन पर उच्च दर अर्थात 11.88% ; 13.57% और 15.83% यथालागू पर प्रभारित किया जाता है।
एसडीएल और एलएचडी (उपकरणों) पर मूल्यह्रास तकनीकी अनुमान पर क्रमश: 19% प्रतिवर्ष और 15.83% प्रतिवर्ष की दर पर प्रभारित किया जाता है।

वर्ष के दौरान जुड़ाव/निपटान की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास माह के जुड़ाव/निपटान के संदर्भ में यथानुपात प्रभारित किया जाता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जिन पर 100% प्रतिवर्ष (एसएलएम आधार) मूल्यह्रास लगता है जिन पर उनके जुड़ाव के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है। पूर्ण मूल्यह्रास लगनेवाली परिस्थितियों में वर्ष के आगामी दो वर्षों बाद उन्हें परिसंपत्तियों से बाहर कर दिया जाएगा।

7.2 कोयलाधारक क्षेत्र (अधिग्रहण व विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि के मूल्य का परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है। पट्टाधारित भूमि के मूल्य का परिशोधन पट्टा अवधि अथवा परियोजना की शेष जीवन अवधि, जो भी पूर्व हो, पर किया जाएगा।

7.3 अपेक्षित, बोरिंग और विकास व्यय का परिशोधन खान के 20 वर्षों में राजस्व में आने के वर्ष से अथवा परियोजना के कार्यकारी जीवन, जो भी कम हो, से किया जाएगा।

8.0 **परिसंपत्ति की हानि:**

परिसंपत्ति की विकृतिजनित हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसम्पत्ति को लाने की लागत उससे प्राप्त होनेवाली राशि से अधिक हो। इसे लाभ हानि लेखा के विवरण में रखा जाता है तथा इससे प्राप्त होनेवाली राशि में से लाने का खर्च घटा दिया जाता है।

पूर्व वर्ष में मान्यता दी गई विकृतिजनित हानि के निराकरण को तब दर्ज किया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि परिसम्पत्ति के लिए मान्य विकृतिजनित हानि अब नहीं है या हानि में कमी हो रही है।

9.0 <u>विदेशी मुद्रा लेन-देन</u>

9.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन के शेष पर तुलन-पत्र की तारीख को लागू दरों पर परिवर्तित किया जाएगा और संबंधित लेखों को समरुप प्रभाव दिया जाता है। वर्ष में पूर्ण लेन-देनों का समायोजन वास्तविक आधार पर किया जाता है।

9.2 भावी तारीख पर निपटान किए गए क्रास मुद्रा स्वैप विकल्प संविदाओं द्वारा आवृत लेन-देन को अंतर्निहित विदेशी मुद्रा की तुलन-पत्र की तारीख को लागू दरों पर माना जाता है। इस प्रकार की संविदाओं से उत्पन्न प्रभाव को निपटान की तारीख से लेखों में लिया जाता है।

10.0 **सेवा-निवृत्ति सुविधाएं/कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं:**

(क) परिभाषित अंशदान योजना:

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति लाभ योजना के लिए उनकी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान दिया जाता है। भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का संचालन कोयला खदान भविष्य निधि प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं की नियमावली के तहत कंपनी को पे-रोल लागत के एक निश्चित प्रतिशत का अंशदान सीएमपीएफ को करना होता है।

(ख) परिभाषित लाभ योजना:

वर्षान्त की दायिताओं के तहत बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग कर ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी नगदीकरण प्रदान किया जाता है। उसके अलावे कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से फंडेड ग्रुप ग्रेच्यूटी (नगदी जमा) स्कीम के संबंध में एक ट्रस्ट की स्थापना की है। उपरोक्त निधि में अंशदान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ग) अन्य कर्मचारी हितलाभ:

इसके अलावे कर्मचारियों को कुछ अन्य हितलाभ संबंधित वर्षान्त दायिताओं जैसे एलटीए/एलटीसी, लाईफ कवर स्कीम ग्रुप, पर्सनल एक्सीडेंट इन्स्यूरेंश स्कीम, सेटलमेंट एलाउन्स, सेवानिवृत्त अधिकारी चिकित्सा हितलाभ और खदान दुर्घटना आदि द्वारा मृत कर्मचारियों के आश्रितों को बीमांकित आधार पर प्राजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड लागू कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

11.0 **आय और व्यय को मान्यता:**

उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है और सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

11.1 **विक्रय:**

क) विक्रय के संबंध में राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब सम्पत्ति जोखिम के प्रति अच्छी हो और स्वामित्व का प्रतिफल क्रेता को हस्तांतरित किया जाता हो।

ख) कोयले की बिक्री सांविधिक देयों का निबल है और ग्राहक द्वारा स्वीकार्य कटौतियां कोयले की गुणवत्ता के अनुसार की जाती हैं।

ग) संग्रहण की उचित निश्चितता होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। दूसरी ओर प्रबंधन द्वारा अनिश्चितता का निर्धारण करने पर राजस्व की मान्यता स्थगित की जाती है।

11.2 **लाभांश:**

लाभांश आय को तभी मान्यता दी जाती है जब प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो।

12.0 **उधारी लागत:**

उधारी लागत सीधे अधिग्रहण को आरोपित की गई है या योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण को पूंजीकृत किया गया है। अन्य उधारी लागत को ली गयी अवधि में खर्च के रुप में मान्यता दी गयी है।

13.0 **कराधान:**

वर्तमान आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर दायिताओं और परिसम्पत्तियों को वास्तविक अधिनियमन कर की दर से मान्यता प्राप्त है बशर्ते कि समय के अंतर पर योग्य आय और लेखा के आय में किसी एक समय में उत्पन्न भिन्नता पर विवेकानुसार विचार किया गया हो, जो बाद में किसी एक या उससे अधिक अवधि में उलटाव (रिवर्सल्स) की क्षमता रखता हो।

14.0 **प्रावधान:**

गत गतिविधियों के परिणामस्वरुप यदि संस्था पर कोई वर्तमान बाध्यता है तो इसके लिए एक प्रावधान रखा गया है। संभवत: इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) होना चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके, इसके लिए भरोसा योग्य आंकलन बनाया जाए। प्रावधान में वर्तमान मूल्य पर कटौती नहीं होनी चाहिए जिसे तुलनपत्र की तिथि में बाध्यता को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम आंकलन के आधार पर किया जाना चाहिए।

15.0 **आकस्मिक दायिताएं:**

गत गतिविधियों से उत्पन्न आकस्मिक दायिता एक वर्तमान बाध्यता है जिसकी पुष्टि किसी घटना या भविष्य की अधिक घटित होने या न होने पर ही हो पाएगी, जो उद्योग के पूर्ण नियंत्रण में न हो या गत घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान बाध्यता हो। परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। संभवत: ऐसा न हो कि इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके या जिसके लिए राशि का भरोसेमंद आंकलन न किया जा सके।

आकस्मिक दायिताओं को लेखा में नहीं लिया जाता है, इसे टिप्पणियों द्वारा दर्शाया जाता है।

16.0 **अधिभार विस्थापन (ओ.बी.आर.) का व्यय:**

एक मिलियन टन एवं उससे अधिक क्षमतावाली खुली खदान के औसत अनुपात (कोयला: ओबी) पर लगायी जाती है, जिसमें राजस्व खाते में खदानों को लिए जाने के पश्चात अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के लिए समायोजन भी शामिल रहता है। वर्ष के अंत में अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के निवल शेष को आवश्यकतानुसार आस्थगित राजस्व व्यय या चालू दायिताओं के रुप में दर्शाया जाता है।

रिकार्ड के अनुसार अधिकार की रिपोर्ट की गई मात्रा का ओबीआर लेखांकन हेतु अनुपात की गणना पर विचार किया जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गई मात्रा निम्नवर्णित दो वैकल्पिक अनुयेय सीमाओं की निम्नता के भीतर है:

खदान की ओ.बी.आर. की वार्षिक मात्रा	बदलाव की अनुमेय सीमा	
	I	II
	%	मात्रा (मिलि0 क्यूबिक मीटर)
1 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम	+/-5%	0.03
1 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर के बीच	+/-3%	0.20
5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक	+/-2%	शून्य

किंतु उपरोक्त अनुयेय सीमा के अधिक भिन्नता होने पर मापित मात्रा पर विचार किया जाएगा

17.0 **पूर्वावधि समंजन एवं पूर्व प्रदत व्यय:**

पूर्व अवधि एवं पूर्व प्रदत व्यय से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में रूपये 0.10 करोड़ से अधिक नही है उसे वर्तमान वर्ष के आय/व्यय के रुप मे स्वीकार किया जाता है ।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

टिप्पणी-34

लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियां

1.0 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओड़िशा राज्य में स्थित खदानों की परिसंपत्तियों एवं दायिताओं को लेकर कोल इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत अनुषंगी के रुप में दिनांक 3.4.1992 को का गठन किया गया।

2.0 आरक्षित एवं अधिशेष:

2.1 सामान्य आरक्षित: वर्ष के दौरान कर-पश्चात लाभ का 10% अर्थात ₹ 362.43 करोड़ (गतवर्ष 31 मार्च, 2013 को ₹ 421.24 करोड़) को सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2.2 कंपनी ने रुपए 53.95 करोड़ की सीएसआर आरक्षित किया है जो विगत वर्ष के आनुपातिक कोयला उत्पादन के रुपए 5 प्रतिटन की राशि के बराबर है और वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय के समतुल्य रुपए 111.48 करोड़ की राशि को सीएसआर आरक्षित से सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2.3 कंपनी ने लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहनीय विकास पर जारी 23 सितंबर, 2011 के अपने कार्यालय ज्ञापन में दिए गए मार्गदर्शों के अनुरूप रुपये 4.61 करोड़ की राशि का वहनीय विकास आरक्षित किया है जो ₹ 100 करोड़ से अधिक के विगत वर्ष के कर-पश्चात लाभ का 0.1% है, जिसमें 0.50 करोड़ और जोड़ा गया है। वर्ष के दौरान रुपए 0.11 करोड़ के किए गए व्यय की समतुल्य राशि के वहनीय विकास आरक्षित से सामान्य आरक्षित में स्थानांतरित कर दिया है।

3.0 दीर्घावधि उधार (टिप्पणी-3 एवं टिप्पणी-8):

3.1 कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सीएसआरपी) को वित्त प्रदान करने के लिए भारत सरकार की गारंटी पर विश्व बैंक से अप्रतिभूत ऋण एमसीएल एवं कोल इंडिया के बीच हुए समझौते के आधार पर लिया था। दिनांक 31.3.2014 को ऋण (पुनर्भुगतान के पश्चात) शून्य करोइ (गतवर्ष 31.3.2013 को ₹ 109.88 करोड़) है। बकायों का विवरण नीचे दिया गया है।

बैंक	बकाया 01. 04.2013	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बकाया 31.03.2014	बकाया 01.04. 2013	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बदलाव हेतु अंतर	बकाया 31.03. 2014
आईबीआरडी	अमरीकी डालर में ($)	अमरीकी डालर में ($)	अमरीकी डालर में ($)	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
	10217768.95	10217768.95	0.00	55.99	63.24	7.25	0.00
जेबीआईसी	जापानी येन(¥)	जापानी येन(¥)	जापानी येन(¥)				
	921647821.00	921647821.00	0.00	53.89	58.29	4.40	0.00
कुल				**109.88**	**121.53**	**11.65**	**0.00**

इसमें वर्ष 2014-15 में आईबीआरडी को शून्य करोड़ (गतवर्ष 9.90 करोड़) तथा जेबीआईसी को शून्य (गतवर्ष ₹ 11.58 करोड़) की देय राशि शामिल है।

3.2 इस ऋण की व्यवस्था बैंक्यू नेशनल डी पेरिस एवं नेटेक्सिस बैंक्यू से क्रेडिट समझौता के आधार पर 4 हाइड्रोलिक शांवेल लिभेर,फ्रांस से खरीद के लिए की गई। ऋण बकाया 31.03.2014 को (पुर्नभुगतान के बाद निवल) ₹ 9.75 करोड़ (31.03.2013 को ₹ 8.72 करोड़) है। शेष का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

बैंक	शेष 1.4.2013	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बकाया 31.03.2014	बकाया 1.4.2013	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	परिवर्तन अंतर	शेष 31.03.2014
	यूरो	यूरो	यूरो	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
लिभेर	1253192.28	74113.58	1179078.70	8.72	0.61	1.64	9.75
कुल	**1253192.28**	**74113.58**	**1179078.70**	**8.72**	**0.61**	**1.64**	**9.75**

इसमें वर्ष 2014-15 में ₹ 0.61 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 0.52 करोड़) का पुनर्भुगतान शामिल है।

4.0 स्थायी परिसंपत्तियाँ-टिप्पणी-10:

4.1 कंपनी द्वारा कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन एवं कोयला एवं कोयला खदान बचाव संगठन से विभिन्न परिसंपत्तियाँ एवं दायितायें ली गईं, जिनका मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है। उनकी मात्रा एवं मूल्य को अंतिम रुप दिए जाने के बाद यदि कोई समंजन हो तो किया जाएगा।

4.2 पट्टेवाली भूमि में कोल वियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 और भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894, ओड़िशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहीत भूमि शामिल है। पट्टेवाली जमीन का अधिग्रहण कोयला धारण क्षेत्र (सीबीए) (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत किया गया एवं प्राप्त स्वीकृति/अनुमोदन के अनुसार जमीन के मालिकाना हक के स्थानान्तर के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर पूँजीकृत किया गया। भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ओड़िशा सरकार भूमि बन्दोवस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहीत भूमि को राज्य प्राधिकारियों के दखल प्रमाणपत्र के आधार पर पूँजीकृत किया गया।

4.3 अधिकांश मामलों में भू-संपत्ति का हस्तांतरण दस्तावेज कंपनी के पक्ष में पूरा नहीं हुआ है।

4.4 विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स्थायी परिसंपत्तियों की वहन लागत एवं आस्थगित जमा में मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण ₹ 4.06 करोड़ 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए कमी ₹ 0.13 करोड़) की सीमा तक वृद्धि हुई जो लेखांकन नीति की टिप्पणी-33 के पैरा 9.1 के अनुसार है।

4.5 संयंत्र एवं मशीनों के मद के मामलों में जो संयंत्र में स्थापना के लिए लम्बित हैं तथा भंडार में तीन वर्षों से अधिक समय से पड़ी है, चौथे वर्ष से मूल्यहास के बराबर का प्रावधान रखा गया है साथ ही जहां आवश्यक हो बट्टे खाते में डालने की औपचारिक कार्रवाई की जा रही है। यदि संयंत्र एवं मशीनों की कोई मद भविष्य में उपयोग के लिए रखी गई है अर्थात बाद के लिए प्रावधान रखा गया है, प्रथम वर्ष के प्रयोग के लिए रखा गया मूल्यहास ही उस वर्ष का मूल्य हास है जिसमें उस मद के लिए किये गये प्रावधान शामिल होने के साथ-साथ मूल्यहास तथा उक्त प्रावधान के बीच लेखांकन का समंजन भी हो। 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान इस लेखा हेतु ₹ 0.95 करोड़ का प्रावधान रखा गया और कुल संचयी प्रावधान ₹ 11.60 करोड़ हुआ। (टिप्पणी-10 ख)

5.0 गैर-चालू/चालू निवेश: (टिप्पणी-11 एवं टिप्पणी 14)

5.1 वर्ष 2003-04 में राज्य विद्युत बोर्डों से हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत कंपनी ने ₹ 344.32 करोड़ के नाम मात्र मूल्य का 8.5% कर मुक्त पावरबॉड (अनुद्धृत लंबी अवधि के निवेश) प्राप्त किया है। यह 30.09.2001 को तीन राज्य विद्युत बोर्डों (एमएसईबी, टीएनईबी और डब्लूवीपीडीसीएल) से पुराने बकाये बाबत प्राप्त किया गया है।

विमोचित नहीं गये बॉडों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

बॉडों का विवरण	01.04.2013 को प्रारंभिक बकाया	वर्ष के दौरान छूड़ाये गये विमोचित नहीं	31.03.2014 को शेष बकाया
एमएसईबी	34.16	11.39	22.77
डब्लूवीपीडीसीएल	33.95	11.32	22.63
कुल	**68.11**	**22.71**	**45.40**

सभी बांडों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की गई है।

₹ 22.71 करोड़ के बॉड 2014-15 में विमोचन के लिए है इसे वर्तमान निवेश (टिप्पणी-14) में दिखाया गया है और शेष राशि ₹ 22.69 करोड़ को गैर चालू निवेश (टिप्पणी-11) में दर्शाया गया है।

5.2 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान ब्याज के रुप में ₹ 5.31 करोड़ (31 मार्च, 2013 को समाप्त गत वर्ष में ₹ 7.24 करोड़) (टिप्पणी-21) की आय प्राप्त हुई है।

5.3 भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) से प्राप्त 8.5 प्रतिशत करमुक्त पावर बॉड के आंशिक व्यापार की अनुमति प्रदान की है।

6. माल-सूची: (टिप्पणी-15):

6.1 भंडार एवं पुर्जे:

6.1.1 वर्ष के दौरान भंडार/पुर्जों की प्रत्यक्ष जांच के दौरान पाई गई कमी/अधिकता को लेखा में समंजित किया गया है। 31.3.2014 को कुल संचयी प्रावधान ₹ 0.88 करोड़ (31.3.2013 को ₹ 0.86 करोड़) हुआ है।

6.1.2 भंडार खाता का मूल्य खानों से मिलान को लंबित रखते हुए कमी/अधिकता का प्रभाव यदि कुछ हो तो वह वर्ष के लेखा में कुछ क्षेत्रों में असंमजित है।

6.1.3 भंडार एवं पुर्जे के मामले में अप्रयुक्त मरम्मत के अयोग्य मदों (वस्तुओं) और वे मद जो पांच वर्षों अधिक समय से स्थिर हैं, लेखांकन नीति की टिप्पणी-33 के पैरा 6.2.4 के अनुसार क्रमश 100% एवं 50% का प्रावधान रखा गया है। दिनांक 31.03.2014 के अनुसार संचयी प्रावधान ₹ 13.96 करोड़ (31.3.2013 को ₹ 13.41 करोड़) हुआ है। तथापि हमने इस वर्ष तीन क्षेत्रो अर्थात ईब-वैली, लखनपुर और जगन्नाथ के संबध में 10 वर्षों से अधिक असंचालित मदों के लिए 100% का आवश्यक प्रावधान किया है। इन क्षेत्रो में ऐसे असंचालित भंडारों का तकनीकी मूल्यांकन प्रगति में है ।

6.1.4 कंपनी की लेखांकन नीति (टिप्पणी-33 के पैरा 6.2.2 में यथा वर्णित) के अनुसार भंडार एवं पुर्जों का मूल्य निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया गया है। इससे उपगत लागत की निवल वसूली योग्य मूल्य के साथ तुलना निवल वसूली योग्य मूल्य को निश्चित करने में कठिनाई के चलते न तो की गई न ही लेखा में समंजित की गई है।

6.1.5 कंपनी के कुछ क्षेत्रों में कार्य-अक्षम एवं अप्रचलित भंडार सामग्रियों की पहचान की व्यवस्था की जानी है।

6.2 कोयले का स्टॉक (टिप्पणी-15):

6.2.1 आन्तरिक सर्वेक्षण आंकलन दल ने कोयले के भण्डार की प्रत्यक्ष जांच की है। कुछ क्षेत्रों में इसे बाहरी दलों द्वारा भी जांच की गई है। कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जांच में पुस्तकीय स्टॉक (खदान/कोलियरीवार) से 5% की कमी/अधिकता को लेखांकन नीति (टिप्पणी-33 के पैरा 6.1) के अनुसार छोड़ दिया गया है। तालचर क्षेत्र का बही स्टॉक 150874.60 टन है जबकि मापित स्टॉक 74196.40 टन है। ओरियंट क्षेत्र की खदान संख्या 3 और एचबीएम का बही स्टॉक क्रमशः 14506.32 टन और 175285.71 टन है जबकि कथित खदानों का मापित स्टॉक क्रमशः 2132.80 टन और 137795.97 टन है। अंतर + -5 % से अधिक होने के कारण, उन मामलों में मापित स्टॉक वो ही लेखों में लिया गया है और टिप्पणी-15 के परिशिष्ट में दर्शाया गया है

7.0 नगद एवं नगद समतुल्य (टिप्पणी-17):

नगद एवं बैंक जमा में निम्नलिखित शामिल हैं:

7.1 ₹ 66.74 करोड़ एवं ₹ 111.31 करोड़ का फिक्स्ड डिपोजिट भारतीय स्टेट बैंक के पास धारणाधिकार के तहत भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने हेतु आश्वासन पत्र जारी करने के लिए जमा किया गया है यह ब्लॉक के आबंटन की शर्तों को अनुषंगी कंपनी क्रमशः मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड और मेसर्स एमएनएच शक्ति लिमिटेड की तरफ से पूरा करने के लिए किया गया है।

7.2 ₹ 1.43 करोड़ की विशेष मियादी जमा जिसमें ₹ 0.84 करोड़ अर्जित ब्याज शामिल है को माननीय जिला न्यायालय, सुंदरगढ़ के द्वारा एक अधिकारी द्वारा नगद की अनियमितता के मामले में वसूला गया, जो न्यायालय के ग्रहणाधिकार में है तथा मामले को अन्तिम रुप देना लंबित है।

7.3 वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर ठेका में मूल्य की भिन्नता के लिए न्यायालय के आदेश के तहत ₹ 6.14 करोड़ की वसूली की गयी जिसका स्थायी जमा किया गया है।

7.4 मियादी जमा में मेसर्स आईआरसी लाजिस्टिक्स लिमिटेड की बैंक गारंटी के नगदीकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के प्रति ₹ 0.21 करोड़ शामिल है।

7.5 स्थायी जमा में ओआईटीडीएस के संबंध में दूर संचार विभाग, भारत सरकार से कैप्टिव मोबाईल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस हेतु लाईसेंस प्राप्त करने के लिए बीजी जारी करने के लिए प्रावधानित 0.03 करोड़ शामिल है।

7.6 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और कोयला नियंत्रक के साथ करार करने के पश्चात खदान बंद करने के लिए रुपए 248.86 की राशि 3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित अनुसूचित बैंकों के एस्क्रो एकाउंट में जमा की गई है।

7.7 चालू खाता के शेष में करेंट लिंक्ड टर्म डिपोजिट शामिल है जिसे अस्थायी रुप से चालू खाता में स्थानांतरित किया गया है।

8.0 ऋण एवं अग्रिम चालू/गैर-चालू, अन्य परिसंपत्तियाँ:

8.1 ऋण एवं अग्रिम के शेष की पुष्टि सभी मामलों में प्राप्त नहीं हुई है।

8.2 ₹ 86.23 करोड़ गतवर्ष(31.03.2013 को ₹ 86.39 करोड़) का जमा राज्य सरकार के पास भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत जमा किया गया है जो इसमें पूंजी के लिए अग्रिम 'टिप्पणी-12' में शामिल है तथा राज्य प्राधिकारी द्वारा कंपनी को दखल दिए जाने पर इसे कंपनी द्वारा पूँजीकृत किया जाएगा।

9.0 अन्य दीर्घावधि दायिताएं टिप्पणी-4:

9.1 कोयले के सेस के तहत ओड़िशा सरकार से मूल के रुप में ₹ 8.40 करोड़ (भुगतान का निवल) और ब्याज के रुप में ₹ 9.47 करोड़ (भुगतान का निवल) वर्ष 2005-06 में प्राप्त हुआ। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.7.2001 के निर्णय पर दिए गए निर्देश के तहत हुआ। यह राशि उपभोक्ताओं को वापस दी जानी है। चालू वर्ष में कंपनी ने ₹ 1.01 करोड़ (गतवर्ष ₹ 1.01 करोड़) अप्रदत्त सेस दायिता की मूल राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना के आधार पर उपलब्ध कराया है। इस तरह कुल दायिता 31.3.2014 को ₹ 26.48 करोड़ (31.03.2013 को ₹ 25.47 करोड़) हुई। कंपनी उपभोक्ताओं/पार्टियों की पहचान नहीं कर पायी है जिन्हें यह राशि वापस दी जानी है। उपभोक्ताओं/पार्टियों को वापसी की पद्धति का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है।

10. लाभ हानि लेखा का विवरण:

10.1 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.95 करोड़ (31.3.2013 को समाप्त गत वर्ष के लिए ₹ 0.89 करोड़) का प्रावधान भंडार में अण्डर इरेक्शन/स्थापना के लिए संयंत्र एवं मशीन मदों पर लागू मूल्यह्रास उनके खरीद/अधिग्रहण के चौथे वर्ष से, जो भी लागू हो, लिया गया है।

10.2 कंपनी ने 25 मार्च,2013 को हुई अपनी 296 वीं बैठक में सीआईएल के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार सीआईएल और अनुषंगियों के, क्रीड़ा, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकलापों के आयोजन और निष्पादन हेतु कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रोमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) के कोर्पस के ले ₹ 2.76 करोड़ की देयता का प्रावधान किया है।

10.3 ओबीआर समंजन का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	गतवर्ष
कोयले पर प्रभारित व्यय	3466.09	3228.23
घटाव: उपगत व्यय	2055.76	1792.58
	1410.33	1435.65

10.4 फोटो कापी मशीन, फैक्स मशीन, मोबाईल फोन, डिजिटल संवर्धित कार्डलैस टेलीफोन, कंप्यूटर (प्रिंटर और स्कैनर सहित) के मूल्यह्रास की दर में परिवर्तन के कारण वर्ष का लाभ रुपए 2.40 करोड़ तक घट गया है।

11.0 आकस्मिक दायिताएं:

11.1 आकस्मिक दायिताओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

विवरण	31.03.2014 को (राशि करोड़ में)	31.03.2013 को (राशि करोड़ में)
कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा	142.76	158.18
अन्य दावे	1656.94	1484.26
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	210.12	142.24
आय कर	1139.30	729.49
विक्रय कर	124.05	47.56
पथ कर	47.05	36.14
लेटर ऑफ कम्फर्ट/क्रेडिट	178.08	179.53
कुल	3498.30	2777.40

11.2 निजी पार्टियों तथा अन्य से अधिग्रहीत भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की वृद्धि के चलते कुछ दावे जिनके मामले में राशि सुनिश्चित नहीं है, न्यायालय में लंबित है।

11.3 संविदा की आंकलित राशि को पूँजीगत लेखा में निष्पादित नहीं किए गए जिस पर कार्य निष्पादन एवं मशीन तथा उपकरणों की खरीद के लिए अनुपलब्ध (निवल अग्रिम) ₹ 476.99 करोड़ (31.3.2013 को ₹ 496.16 करोड़) रहा।

11.4 संविदा की आंकलित राशि जिसे राजस्व लेखा/अन्य वादाओं पर लगाया जाना है और इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है। वह ₹ 3589.16 करोड़ (31.3.2013 को ₹ 4255.70 करोड़) है।

11.5 कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत कुछ जमीन के मामलों की दायिताएं अभिनिश्चित और स्वीकृत नहीं की गई है अतः इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

11.6 रॉयल्टी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्टोविंग उत्पाद शुल्क में परिवर्तन का मामला चूंकि न्यालयाधीन है, ग्राहकों से इसकी वसूली के बारे में आगामी कार्रवाई न्यायालय के निर्णय और केस के परिणाम के पश्चात की जाएगी। केस के लंबित होते हुए आकास्मिक देयता रुपए 210.12 करोड़ प्रतीत होती है।

11.7 क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारियों के साथ डम्परों की सूची का मेल-मिलाप और उनके विरुद्ध एमसीएल द्वारा दायर किए गए पुराने न्यायालय मामलों की समीक्षा लंबित होते हुए रुपए 47.05 करोड़ की आकस्मिक देयता की समीक्षा और मेल-मिलाप का कार्य प्रगति में है।

12.0 **चालू परिसम्पत्ति पर प्रभार (टिप्पणी-15 एवं टिप्पणी-16)**

हाइपोथिकेशन की ज्वाइंट डीड दिनांक 16.12.2003 और कंपनी बोर्ड के संकल्प दिनांक 23.08.2011 के अनुसार सीआईएल कन्सेर्टियम बैंकों से कार्यरत पूँजी सुविधा प्राप्त करने हेतु बुक डेब्ट एवं वस्तुसूची के लिए ₹ 165.00 करोड़ का प्रभार बनाया गया है।

13.0 **सेवा निवृत्ति लाभ**

13.1 **दिनांक 31.03.2014 को बीमांकित दायिता/प्रावधान का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	01.04.2013 को प्रारंभिक बीमांकित दायिता/प्रावधान	वर्ष के लिए वृद्धियुक्त दायिता/ प्रावधान	वर्ष के अंत तक एमसीएल ग्रुप फंड को किया गया जमा/ भुगतान	31.03.2014 को अंतिम बीमांकित प्रावधान/दायिता
ग्रेच्युटी	22.84	23.41	62.63	-16.38
अर्जित छुट्टी	151.15	14.07		165.22
अर्द्ध वेतन छुट्टी	36.39	3.02		39.41
जीवन रक्षा योजना	6.03	-1.00		5.03
व्यवस्थापन भत्ता (अधिकारी)	0.23	0.03		0.26
व्यवस्थापन भत्ता (कर्मचारी)	15.13	-0.45		14.68
सकल निजी दुर्घटना	0.13	-0.02		0.11
छुट्टी यात्रा छूट (एलटीसी)	29.80	-0.82		28.98
चिकित्सा सुविधा	41.09	13.68		54.77
खदान दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति	15.06	-2.39		12.67
कुल	317.85	49.53	62.63	304.75

13.2 भविष्य निधि एवं अन्य निधियों (टिप्पणी-24) में योगदान के ₹ 176.09 करोड़ में पूर्व एनसीडीसी कर्मचारियों को दिया गया ₹ 7.54 करोड़ शामिल है। जिसे कर्मचारी सुविधा व्यय के तहत नगद आधार पर राजस्व की टिप्पणी-24 में दिखाया गया है।

13.3 कंपनी के कर्मचारियों के पेंशन का प्रबंधन कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारी (एक स्वतंत्र निकाय) द्वारा किया जाता है।

14.0 धारक कंपनी से संबंधित कारोबार:

14.1 टिप्पणी संख्या 31 के अनुसार सीआईएल का सेवा प्रभार ₹ 62.04 करोड़ (गतवर्ष दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष में ₹ 60.62 करोड़) में सेवा कर शामिल है जिसे धारक कंपनी द्वारा विभिन्न सेवाओं जैसे खरीद, विदेशी संविदा, विपणन एवं कार्पोरेट सेवाओं के लिए प्रभार स्वरुप 1.7.1998 को हुए समझौते के आधार पर उगाही जाती है जैसा कि होल्डिंग कंपनी ने सूचना दी है।

14.2 प्रशिक्षण खर्च (टिप्पणी-31 अन्य खर्च) पर धारक कंपनी द्वारा भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान आईआईसीएम प्रभार बाबत वसूली गई राशि ₹ 5.52 करोड़ (गतवर्ष 31.03.2013 को ₹ 5.39 करोड़) शामिल है।

14.3 सीआईएल बोर्ड की दिनांक 12.2.2004 को आयोजित 214वीं बैठक में लिए गए संकल्प के अनुसार सीआईएल द्वारा गठित पुनर्वास निधि में कोयले के प्रेषण पर कंपनी की ओर से ₹ 68.61 करोड़ (31.03.2013 को समाप्त गतवर्ष ₹ 67.18 करोड़) का प्रभार दिया गया।

15. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव:

15.1 विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण के मूल्य में उतार-चढ़ाव के पश्चात उक्त ऋण बाबत कंपनी के रुपये की दायिता में ₹ 13.29 करोड़ (31.03.2013 को ₹ 0.22 करोड़ की कमी) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि को स्थायी परिसंपत्तियों के वहन लागत के तौर पर ₹ 4.06 करोड़ तक (गतवर्ष 31.03.2013 को ₹ 0.13 करोड़ की कमी) को समंजित किया गया एवं शेष ₹ 9.23 करोड़ (31.03.2013 को ₹ 0.09 करोड़ लाभ को विदेशी मुद्रा विनिमय -टिप्पणी-21) में "विनिमय दर में उतार चढ़ाव के हानि" के रुप में टिप्पणी -31 में दर्शाया गया है।

16. लेखांकन मानकों का अनुपालन:

16.1 **एएस-12 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन:** कंपनी ने स्टोइंग एवं बचाव अनुदान से आय के रुप में ₹ 0.88 करोड़ (टिप्पणी-21) (31.03.2013 को समाप्त गतवर्ष ₹ 0.55 करोड़) की मान्यता दी है और दीर्घ अवधि अग्रिम पूँजी (टिप्पणी-12) से सीसीडीए की ₹ 51.25 करोड़ की अनुदान की कटौती की है।

16.2 **एएस-15 कर्मचारियों के हितलाभ के लिए लेखांकन:** कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक-15 के अनुसार 31.03.2014 को कर्मचारियों के हितलाभ की दायिताओं को निर्धारित किया है।

निम्नलिखित घोषणाएं एएस-15 (संशोधित) के अनुसार ग्रेच्युटी के संबंध में निधि योजना के तहत की गई है।

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में बदलाव को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
वर्ष के आरम्भ में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में बदलाव	630.91
अधिग्रहण समायोजन	0.00
ब्याज लागत	50.75
गत सेवा लागत	0.00

वर्तमान सेवा लागत	34.26
कटौती लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
प्रदत्त लाभ	67.61
बाध्यता पर बीमांकित लाभ/हानि	-5.60
वर्ष के अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	642.71

योजना परिसम्पति के उचित मूल्य में बदलाव को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
वर्ष के आरम्भ में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	608.07
अधिग्रहण समंजन	0.00
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित वापसी	51.68
अंशदान	62.63
प्रदत्त लाभ	67.61
योजना परिसंपत्ति पर बीमांकित लाभ/हानि	4.32
वर्ष के अन्त में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	659.09

निधि की स्थिति दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	642.71
वर्ष के अंत में योजना का उचित मूल्य	659.09
निधि की स्थिति	16.38
वर्ष के अन्त में मान्यता रहित बीमांकित लाभ/हानि	0.00
तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसम्पत्ति (दायितायें)	16.38

लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
वर्तमान सेवा लागत	34.26
पूर्व सेवा लागत	0.00
ब्याज लागत	50.75
योजना परिसम्पत्ति पर संभाव्य वापसी	51.68
कटौती लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	-9.92
लाभ/हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	23.41

बीमांकित पूर्वानुमान को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08)
सेवा निवृत्ति उम्र	60
समय पूर्व सेवा निवृत्त एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम 1
छूट दर	8.50 %
मुद्रास्फीति दर	6.25%
परिसम्पत्ति क वापसी	8.50 %
शेष कार्य जीवन	13 वर्ष
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	22.84
उपरोक्तानुसार व्यय	23.41
अंशदान	62.63
अन्तिम शुद्ध दायिताएं	-16.38
वर्ष के अन्त में अन्तिम निधि/प्रावधान	642.71

निम्नलिखित घोषणाएं एएस 15 (संशोधित) के तहत छुट्टी नगदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल)/(निधि रहित योजना) के संबंध में की गई है।

वर्तमान मूल्य की बाध्यताओं में बदलाव दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
वर्ष के प्रारंभ में वाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	187.54
अधिग्रहण समंजन	0.00
ब्याज लागत	15.50
पूर्व सेवा लागत	0.00
वर्तमान सेवा लागत	48.97
कटौति लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
प्रदत्त लाभ	10.43
बाध्यताओं पर बीमांकित लाभ/हानि	-36.95
वर्ष के अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	204.63

लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
चालू सेवा लागत	48.97
पूर्व सेवा लागत	0.00
ब्याज लागत	15.50
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित वापसी	0.00
कटौति लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	-36.95
लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	27.52

बीमांकित संभावनाओं को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08)
सेवा निवृत्ति उम्र	60
पूर्व सेवा निवृत एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर 6 29 वर्ष से 45 वर्ष बीच 3 29 वर्ष से कम1
छूट दर	8.50 %
मुद्रास्फीति दर	6.25 %
परिसम्पत्ति की वापसी	लागू नहीं
शेष कार्य जीवन	13
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	0.00
उपरोक्तानुसार व्यय	27.52
अंशदान	0.00
अन्तिम शुद्ध दायिताएं	27.52
वर्ष के अंत में अन्तिम निधि/प्रावधान	204.63

एएस 15 (संशोधित 2005) के परिशिष्ट-ख के अनुसार टिप्पणी:-

चूंकि योजना निधि रहित है अत: लाभ/हानि लेखा पर प्रभार निम्न पूर्वानुमानों पर आधारित है:-

(1) गत लेखांकन तिथि के अनुसार पूर्व बाध्यताएं का प्रावधान किया गया है।

(2) उपरोक्त प्रावधान के डेबिट को एक्जिट लाभ प्रदान किया गया।

(3) वर्तमान बाध्यताऐ चालू लेखांकन तिथि के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

16.10.3 एएस-29 के तहत प्रावधान में गतिशीलता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष 1.4.2013 के अनुसार	चालू वर्ष के दौरान प्रावधान/योग	वर्ष के दौरान प्रदत्त/समंजन	31.03.2014 के अनुसार अंतिम शेष
1	भूमि-सुधार हेतु प्रावधान	0.79	-	-	0.79
2	ओबीआर समंजन	8502.18	1410.33	-	9912.51
3	कराधानहेतु प्रावधान (संपति कर समेत)	1987.75	1837.50	(1932.59)	1892.66
4.	लाभांश हेतु प्रावधान	1028.93	-	(1028.93)	-
5.	खदान बन्द करने की योजना	244.22	70.42	-	314.64
6.	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	21.02	13.70	-	34.72
7.	ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	2.97	-	(0.08)	2.89
8	पूंजीगत चालू कार्य के लिए प्रावधान	10.88	0.96	(0.02)	11.82
9	भंडार एवं पूर्जों के लिए प्रावधान	14.27	0.57	-	14.84
10	परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	-	-	0.23

17.0 आय पर कर का लेखांकन:

17.1 चालू वर्ष के लिए आयकर प्रावधान के तहत ₹ 1837.38 करोड़ (गतवर्ष 31.03.2013 को ₹ 1964.72 करोड़) रखा गया है। इसके अलावा चालू वर्ष के संपति कर के लिए 0.12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

17.2 लेखा मानक-22 की आवश्यकताओं के अनुसार 31.03.2014 को शुद्ध आस्थगित कर दायिताएं ₹ 28.08 करोड़ (31.03.2013 का दायिताएं ₹ 60.68 करोड़) है। आस्थगित कर दायिता/परिसंपत्तियों में समय के अंतरजनित कर का प्रभाव नीचे दिया गया है:

	दिनांक 31.03.2014 के अनुसार	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार (₹ करोड़ में)
आस्थगित कर दायिता:		
आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार लिखित मूल्य से अधिक निवल ब्लॉक	-14.84	20.64
आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	8.14	3.49
कर्मचारियों के अन्य हितलाभ के लिए प्रावधान		
छुट्टी नगदीकरण हेतु प्रावधान	56.41	51.02

उपदान (ग्रेच्युटी) हेतु प्रावधान	1.87	11.79
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.91	0.94
आयकर अधिनियम की धारा 43-ख के तहत गैर-अनुमत	16.11	15.35
भूमि सुधार हेतु प्रावधान	23.83	
अन्य प्रावधान/विविध मद	-150.19	-122.63
उप जोड़	-42.62	-40.04
कुल	28.08	60.68
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (-) /देयताएं(+)	28.08	60.68

18.0 सामान्य:

18.1 विविध देनदार, विविध अग्रिम एवं जमा आदि के बकाये की पुष्टि सभी मामलों में प्राप्त नहीं की गई है।

18.2 अत्यधिक लघु (माइक्रो), लघ एवं मध्यम इन्टरप्राइजेज विकास अधिनियम, 2006 के तहत कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं की है अत: वर्षान्त में भुगतान नहीं की गई राशि तथा इस पर दिए गये/देय ब्याज के संबंध में उपरोक्त अधिनियम के तहत आवश्यक कोई सूचना नहीं दी जा सकी है।

18.3 पिछले वर्ष/वर्षो के ऑकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ अधिक तुलनीय बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार पनु: व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

19.0 अन्य:

क. निदेशकों का पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
वेतन	1.11	1.08
भविष्य निधि	0.12	0.10
अनुलब्धियां	0.02	0.02
निदेशकों की सिटिंग फीस	0.07	0.16
कुल	1.32	1.36

टिप्पणी:

i. अनुलब्धियों में कंपनी के नियमानुसार वसूल किये जानेवाले आवास किराय/बिजली का मूल्य/प्रभार तथा कंपनी के अस्पताल/औषधालय में उपलब्ध नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का मूल्य शामिल नहीं किया गया है।

ii. ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइज, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ओएम संख्या 2(18)/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 के अनुसार समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशकों के पास यह विकल्प है कि वे कार्यालयीन कार्य के अलावा स्टाफ कार को 750 कि.मी. प्रति माह की सीमा तक व्यवहार हेतु रियायत दर पर भुगतान कर सकते हैं।

16.10.3 एएस-29 के तहत प्रावधान में गतिशीलता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष 1.4.2013 के अनुसार	चालू वर्ष के दौरान प्रावधान/योग	वर्ष के दौरान प्रदत्त/समंजन	31.03.2014 के अनुसार अंतिम शेष
1	भूमि-सुधार हेतु प्रावधान	0.79	-	-	0.79
2	ओबीआर समंजन	8502.18	1410.33	-	9912.51
3	कराधानहेतु प्रावधान (संपति कर समेत)	1987.75	1837.50	(1932.59)	1892.66
4.	लाभांश हेतु प्रावधान	1028.93	-	(1028.93)	-
5.	खदान बन्द करने की योजना	244.22	70.42	-	314.64
6.	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	21.02	13.70	-	34.72
7.	ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	2.97	-	(0.08)	2.89
8	पूंजीगत चालू कार्य के लिए प्रावधान	10.88	0.96	(0.02)	11.82
9	भंडार एवं पूर्जों के लिए प्रावधान	14.27	0.57	-	14.84
10	परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	-	-	0.23

17.0 आय पर कर का लेखांकन:

17.1 चालू वर्ष के लिए आयकर प्रावधान के तहत ₹ 1837.38 करोड़ (गतवर्ष 31.03.2013 को ₹ 1964.72 करोड़) रखा गया है। इसके अलावा चालू वर्ष के संपत्ति कर के लिए 0.12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

17.2 लेखा मानक-22 की आवश्यकताओं के अनुसार 31.03.2014 को शुद्ध आस्थगित कर दायितांए ₹ 28.08 करोड़ (31.03.2013 का दायितांए ₹ 60.68 करोड़) है। आस्थगित कर दायिता/परिसंपत्तियों में समय के अंतरजनित कर का प्रभाव नीचे दिया गया है:

	दिनांक 31.03.2014 के अनुसार	दिनांक 31.03.2013 के अनुसार (₹ करोड़ में)
आस्थगित कर दायिता:		
आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार लिखित मूल्य से अधिक निवल ब्लॉक	-14.84	20.64
आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	8.14	3.49
कर्मचारियों के अन्य हितलाभ के लिए प्रावधान		
छुट्टी नगदीकरण हेतु प्रावधान	56.41	51.02

उपदान (ग्रेच्युटी) हेतु प्रावधान	1.87	11.79
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.91	0.94
आयकर अधिनियम की धारा 43-ख के तहत गैर-अनुमत	16.11	15.35
भूमि सुधार हेतु प्रावधान	23.83	
अन्य प्रावधान/विविध मद	-150.19	-122.63
उप जोड़	-42.62	-40.04
कुल	28.08	60.68
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (-) /देयताएं(+)	28.08	60.68

18.0 सामान्य:

18.1 विविध देनदार, विविध अग्रिम एवं जमा आदि के बकाये की पुष्टि सभी मामलों में प्राप्त नहीं की गई है।

18.2 अत्यधिक लघु (माइक्रो), लघ एवं मध्यम इन्टरप्राइजेज विकास अधिनियम, 2006 के तहत कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं की है अत: वर्षान्त में भुगतान नहीं की गई राशि तथा इस पर दिए गये/देय ब्याज के संबंध में उपरोक्त अधिनियम के तहत आवश्यक कोई सूचना नहीं दी जा सकी है।

18.3 पिछले वर्ष/वर्षो के ऑकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ अधिक तुलनीय बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार पनु: व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

19.0 अन्य:

क. निदेशकों का पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
वेतन	1.11	1.08
भविष्य निधि	0.12	0.10
अनुलब्धियां	0.02	0.02
निदेशकों की सिटिंग फीस	0.07	0.16
कुल	1.32	1.36

टिप्पणी:

i. अनुलब्धियों में कंपनी के नियमानुसार वसूल किये जानेवाले आवास किराय/बिजली का मूल्य/प्रभार तथा कंपनी के अस्पताल/औषधालय में उपलब्ध नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का मूल्य शामिल नहीं किया गया है।

ii. ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइज, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ओएम संख्या 2(18)/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 के अनुसार समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशकों के पास यह विकल्प है कि वे कार्यालयीन कार्य के अलावा स्टाफ कार को 750 कि.मी. प्रति माह की सीमा तक व्यवहार हेतु रियायत दर पर भुगतान कर सकते हैं।

ख. आयात

(₹ करोड़ में)

आयातित सामग्री का सीआईएफ का मूल्य	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष वर्ष के लिए
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii)कम्पोनेंट एवं पुर्जे	2.89	2.96
(iii) पूँजीगत वस्तुएं	8.76	1.28

ग. विदेशी मुद्रा में व्यय:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
(i) यात्रा	0.02	0.03
(ii)वचनबद्धता प्रभार	शून्य	शून्य
(iii) ब्याज	1.25	2.05
(iv) अन्य	शून्य	शून्य

घ. खपत किए गए आयातित/देशी कच्चा माल, भंडार एवं पुर्जों एवं कोम्पोनेंट का मूल्य:

विवरण	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रतिशत	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
आयातित	शून्य	शून्य	0.10	0.02
देशज	626.35	100	555.65	99.98
कुल	626.35	100	555.75	100.00

20.0 शीर्ष कार्यालय और धारक कंपनी को प्रभारित ब्याज प्रभार:

20.1. नियंत्रक कंपनी द्वारा लगाए गए शीर्ष कार्यालय प्रभार का कोयला उत्पादन के आधार पर राजस्व खदानों पर आबंटन किया गया है।

20.2. विशिष्ट परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए नियंत्रक कंपनी द्वारा ऋणों पर ब्याज का लेखांकन करार की शर्तों और उनके तदनुरूपी ज्ञापन की शर्तों के अनुसार किया गया है।

21.0 कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची -VI में बदलाव (1.4.2011से)

राजपत्र में दिनांक 30.03.2011 की अधिसूचना के द्वारा कंपनी अधिनियम,1956 की अनुसूची-VI के तहत तुलनपत्र के फार्मेट को संशोधित कर लाभ-हानि लेखा के विवरण के फार्मेट को लागू कर दिया गया है।

संशोधित अनुसूची-VI के फार्मेट को इस लेखा को तैयार करने में लागू कर दिया गया है। संशोधित फार्मेट के साथ-साथ दिशा-निर्देश का पालन करते हुए तुलनपत्र में निम्नलिखित पृथक्कीरण किया गया है।

चालू परिसंपत्तियाँ:

किसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति तब माना गया है जब वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती है:-
इसको उपयोग किया जा सके, या बेचा जा सके या कंपनी के सामान्य कार्य व्यवहार में खपत किया जा सके।
यह मुख्यत: व्यापार के उद्देश्य में रखा जा सके।
इसका रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के अंदर उपयोग किया जा सके।
अगर इसका बदलना प्रतिबंधित रहे तो यह नगद या नगद के समतुल्य होना चाहिए या निपटाने के योग्य, रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 माह के अंदर किसी दायिता को रहना चाहिए।

गैर-चालू परिसंपत्तियाँ:

चालू परिसंपत्तियों के अलावे सभी परिसंपत्तियाँ गैर-चालू परिसंपत्तियां हैं।

चालू दायिताएं:

उन दायितओं को चालू दायिताओं के रुप में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न में से किसी एक शर्त के पूरा करती है:-

यह कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में व्यवस्थित हो सके।

यह प्रथमत: व्यापार के उद्देश्य में आ सके।

यह रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के अंदर व्यवस्थित की जा सके।

कंपनी के पास कोई शर्तविहीन अधिकार नहीं है कि वह दायिता की व्यवस्था को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से अधिक स्थगित कर सके/दायिता की शर्तें काउन्टर पार्टी के विचार इक्वीटी इंस्ट्रूमेंट जारी करने से व्यवस्थापना के परिणामस्वरुप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न कर सके।

गैर-चालू दायिताएं:

चालू दायिताओं के अलावे सभी दायिताएं गैर-चालू दायिताएं हैं।
कोई सामान्य प्रचालन चक्र न होने के कारण इसे 12 महीने की अवधि में कर ली गई है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
ए.के.सिंह	एस. कन्नन	एस.के.पाल
कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	महाप्रबंधक (वित्त)
हस्ता./-		हस्ता./-
जे.पी.सिंह		ए.एन.सहाय
निदेशक(तक./योजना एवं परियोजना)		अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
(सीए एम.पी.महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य सं.-55113)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26.05.2014

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर
31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिगद प्रवाह का विवरण

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	**5,429.08**	**6,202.48**
	समायोजन:		
	मूल्यह्रास एवं हानि	235.14	173.79
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	9.23	(0.09)
	ओबीआर समायोजन	1,410.33	1,435.65
	ब्याज/लाभांश(प्राप्त)	(1,406.53)	(1,531.84)
	ब्याज/वित्तीय प्रभार(प्रदत्त)	14.89	4.97
	लेनदार/वस्तुसूची/अन्य सीए/ऋण एव आग्रेम इत्याादे प्रावधान	189.63	194.66
	कार्यशील पूँजी के परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	**5,881.66**	**6,479.62**
	समंजन:		
	वस्तुसूची में बदलाव	48.44	85.03
	व्यापार प्राप्तियों में बदलाव	118.82	(200.74)
	लंबी अवधि/गैर चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	5.48	(93.08)
	अल्प अवधि/चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	177.17	(470.40)
	व्यापार देय/चालू दायिताओं/लंबी अवधि दायिताओं में बदलाव	317.64	21.66
	संचालन से नगद	6,549.21	5,822.09
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(3,408.39)	(2,622.64)
	असामान्य मदों से पूर्व नगद प्रवाह	3,140.82	3,199.45
	असामान्य मदें	-	-
	संचालन गतिविधियों से निवल प्रवाह	**3,140.82**	**3,199.45**
ख	**निवेश की गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय	(839.02)	(458.94)
	सीआईएल के साथ अल्प अवधि जमा	1,315.59	(153.54)
	विविध प्राप्तियाँ	-	-
	कंपनियों का अधिग्रहण	-	-
	नये निवेश का क्रय (चालू/गैर चालू)	(594.29)	(678.25)
	प्राप्त ब्याज	1,363.13	1,508.21
	म्यूच्यूअल फंड से प्राप्त लाभांश (गैर-व्यापार)	43.40	23.63
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**1,288.81**	**241.11**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	सीआईएल के जरिए विश्व बैंक ऋण	(109.88)	(22.05)
	आस्थागित जमा ऋण	1.03	(0.31)
	विनियम दर में उतार-चढ़ाव	(9.23)	0.09
	सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
	प्राथमिक शेयर पूँजी का परिशोधन	-	-
	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(14.89)	(4.97)
	प्रदत्त लाभांश	(7,012.09)	(2,720.51)
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(7,145.06)**	**(2,747.75)**
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि	(2,715.43)	692.81
	अवधि के अन्त में नगद एवं नगद समतुल्य	13,083.00	12,390.19
	उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है	10,367.57	13,083.00

गतवर्ष के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पुन: वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी: नगद एवं नगद समतुल्य राशि ` 434.72 करोड़ (दिनांक 31.03.2013 के अनुसार `185.24 करोड़) (लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणी के

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह()/- (ए.के.सिंह) कंपनी सचिव	ह()/- एस. कान्नन मुख्य वित्त अधिकारी	ह()/- एस. के. पॉल महाप्रबंधक (वित्त)
ह()/- जे. पी. सिंह निदेशक (टी) (पी व पी)		ह()/- (ए. एन. सहाय) अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार

ह()/-
(सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या 55113)

दिनांक: 26.05.2014
स्थान: नई दिल्ली

वर्ष 2013 - 14

31 मार्च,2014 के अनुसार
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
एवं
इसकी अनुषंगी कंपनियॉ-एमएनएच शक्ति लिमिटेड,
एमजेएसजे लिमिटेड एवं एमबीपीएल का
समेकित लेखा

जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओड़िशा -768020

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियाँ

तुलन पत्र

31 मार्च, 2014 के अनुसार

(₹. करोड में)

	टिप्पणियाँ		31/03/2014 के अनुसार		31/03/2013 के अनुसार
I इक्विटी एवं देयताएं					
(1) शेयरधारियों की निधियाँ					
क) शेयर पूँजी	1	186.40		186.40	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	5375.49		8751.19	
			5,561.89		8,937.59
(2) गैर-चालू देयताएं					
क) दीर्घावधि उधार	3	9.14		96.60	
ख)आस्थगित कर देयताएं (निवल)		28.08		60.68	
ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	54.34		41.49	
घ)लंबी अवधि प्रावधान	5	10,607.11		9,085.60	
			10,698.67		9,284.37
(3) अल्पसंख्यक आंशीदार			63.60		63.60
(4) चालू देयताएं					
क) अल्पावधि उधार	6	-		-	
ख) भुगतान योग्य व्यापार	7	280.29		257.42	
ग) अन्य चालू देयताएं	8	2,647.36		2,386.79	
घ) अल्प अवधि प्रावधान	9	318.35		1,458.83	
			3,246.00		4,103.04
कुल			**19,570.16**		**22,388.60**
II परिसम्पतियाँ					
(1) गैर चालू परिसम्पतियाँ					
(क) स्थिर परिसम्पतियाँ					
i) मूर्त परिसम्पतियाँ - सकल ब्लॉक	10क	5,211.94		4,438.62	
घटाव : मूल्यह्रास, हानि एवं प्रावधान		2,447.36		2,210.28	
निवल कैरिंग मूल्य			2,764.58		2,228.34
ii) अमूर्त परिसम्पतियाँ - सकल ब्लॉक	10क	284.89		246.88	
घटाव : मूल्यह्रास, हानि एवं प्रावधान		194.40		194.68	
निवल कैरिंग मूल्य			90.49		52.20
iii) पूँजीगत कार्य-प्रगति-पर	10ख		333.57		295.30
iv) विकास के तहत अमूर्त परिसम्पतियाँ	10ग		273.50		274.12
(ख) गैर-चालू निवेश	11		981.39		1,004.10
(ग) आस्थगित कर परिसम्पतियाँ (निवल)			-		-
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12		376.30		381.68
(ड.) अन्य गैर-चालू परिसम्पतियाँ	13		-		-

तुलनपत्र जारी.....

(₹. करोड में)

	टिप्पणियाँ	31/03/2014 के अनुसार		31/03/2013 के अनुसार	
(2) चालू परिसम्पत्तियाँ					
(क) चालू निवेश	14	675.71		58.71	
(ख) मालसूची	15	522.52		571.53	
(ग) व्यापार प्राप्तियाँ	16	298.39		430.91	
(घ) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	17	10,428.31		13,145.14	
(ड.) अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम	18	2,156.57		3,115.16	
(च) अन्य चालू परिसम्पतियाँ	19	668.83		831.41	
			14750.33		18152.86
कुल			**19,570.16**		**22,388.60**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	33				
लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34				

उपरोक्त टिप्पणियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंश है

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह()/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह()/-
एस. कान्नन
मुख्य वित्त अधिकारी

ह()/-
एस. के. पॉल
महाप्रबंधक(वित्त)

ह()/-
जे. पी. सिंह
निदेशक (टी) (पी व पी)

ह()/-
(ए.एन.सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

दिनांक: 26.05.2014
स्थान: नई दिल्ली

ह()/-
(सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या 55113)

लाभ-हानि विवरण

आय

(₹. करोड में)

	टिप्पणियाँ	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
कोयले का विक्रय	20	13165.61	13190.42
घटाय: उत्पाद शुल्क		650.28	649.73
अन्य उगाही		2525.66	2518.20
संचालन से प्राप्त राजस्व		9,989.67	10,022.49
अन्य आय	21	2,043.33	2,070.72
कुल राजस्व		12,033.00	12,093.21
व्यय			
खपत वस्तुओं की लागत	22	626.35	555.75
तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	23	36.54	90.25
कर्मिक हितलाभ पर व्यय	24	1,824.05	1,711.67
बिजली एवं ईंधन		119.37	116.11
कल्याण पर व्यय	25	148.98	49.34
मरम्मत	26	93.58	86.21
संविदात्मक व्यय	27	1,638.48	1,253.20
वित्तीय लागत	28	14.89	4.97
मूल्य ह्रास/परिशोधन/हानि		269.18	240.52
प्रावधान	29	85.27	59.12
बट्टे खाते डालना	30	-	-
ओवरबर्डन निकासी का समायोजन		1410.33	1,435.65
अन्य व्यय	31	335.08	295.34
कुल व्यय		6,602.10	5,848.79
असामान्य मदें, अपवादात्मक मदें एवं कर पूर्व लाभ/हानि		5,430.90	6,244.42
पूर्व अवधि समायोजन (प्रभार/आय)	32	1.82	(7.40)
अपवादात्मक मदें			
असामान्य मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)		5,429.08	6,251.82
असामान्य मदें (प्रभार/आय)		-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)		5,429.08	6,251.82
घटाय : कर पर व्यय			
- चालू वर्ष		1837.38	1964.72
- आस्थगित कर		-32.60	25.32
- पूर्ववर्ती वर्ष		-	-
कर पश्चात लाभ/(हानि)		3,624.30	4,261.78
प्रति शेयर बेसिक और डायल्यूटेड अर्जन (रू में) (अंकित मूल्य रु 1000/- प्रति शेयर)		19,443.58	22,863.52
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	33		
लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	34		

उपरोक्त टिप्पणियाँ लाभ-हानि लेखा विवरण के अभिन्न अंश हैं

ह0/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह0/-
जे. पी. सिंह
निदेशक (टी)(पी व पी)

ह0/-
एस. कान्नन
मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/-
एस. के. पॉल
महाप्रबंधक (वित)

ह0/-
(ए.एन.सहाय)
अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

ह0/-

सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या 55113)

दिनांक: 26.05.2014
स्थान: नई दिल्ली

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 1

शेयर पूँजी

(₹ करोड में)

		31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
	अधिकृत		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 2958200 इक्विटी शेयर	295.82	295.82
(ii)	रुपये 1000 प्रत्येक के 10% संचयी परिशोध्य प्राथमिक 2041800 संचयी परिशोध्य प्राथमिक प्राथमिक शेयर (यथाशीघ्र परिशोधन शर्तों पर किया गया परिशोधन)	204.18	204.18
		500.00	**500.00**
	निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
(i)	प्रत्येक 1000 रुपये के 1864009 इक्विटी शेयर प्रत्येक नगद के रूप से प्रदत्त	186.40	186.40
		186.40	**186.40**

टिप्पणी: 1) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामित	1864009	100

2) वर्ष के दौरान शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 2

आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
आरक्षित :		
आरक्षित पूँजी		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
आरक्षित पूँजी परिशोधन		
गत तुलनपत्र के अनुसार	204.18	204.18
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	204.18	204.18
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	-	-
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	-	-
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	-	-
	-	-
सीएसआर आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	79.46	53.46
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	53.95	51.56
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	111.48	25.56
	21.93	79.46
वहनीय विकास आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	3.84	-
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	4.61	4.11
घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	0.11	0.27
	8.34	3.84
सामान्य आरक्षित		
गत तुलनपत्र के अनुसार	2401.38	1954.31
बढ़ाव: वर्ष के दौरान बढ़ाव	362.43	421.24
बढ़ाव/घटाव: वर्ष के दौरान समंजन	111.59	25.83
	2,875.40	2,401.38
लाभ हानि विवरण में अधिशेष		
गत तुलनपत्र के अनुसार	6063.86	5276.07
वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ/(हानि)	3624.30	4212.44
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि)	9688.16	9488.51
विनियोग		
विदेशी मुद्रा में लेनदेन हेतु आरक्षित	-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरण	362.43	421.24
सीएसआर आरक्षित को अंतरण	53.95	51.56
अंतरिम लाभांश	5,983.16	1,500.52
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	-	1,028.93
कारपोरेट लाभांश पर कर	1,016.84	418.29
वहनीय विकास आरक्षित में अंतरण	4.61	4.11
	2267.17	6063.86
विविध व्यय		
(बट्टे खाते नहीं डाले जाने की सीमा तक)		
प्रारंभिक व्यय	1.53	1.53
संचालित के पूर्व व्यय	-	-
कुल :	5375.49	8751.19

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 3

दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण		
- आईबीआरडी के लिए	-	46.09
- जेबीआईसी के लिए	-	42.31
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन, कनाडा	-	-
लीभेर फ्रांस एस.ए.,फ्रांस	9.14	8.20
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कुल	**9.14**	**96.60**
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	9.14	96.60

वर्गीकरण 2

1 निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
-	-	-

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 4

दीर्घावधि दायिताएं

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/3/2013 के अनुसार
स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि		
प्रारंभिक शेष	-	-
बढ़ाव:निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज	-	-
बढ़ाव: प्राप्त अंशदान	-	-
घटाव: प्रयुक्त राशि	-	-
	-	-
भुगतान योग्य व्यापार	-	-
प्रतिभूति जमा	27.86	16.02
कोयले पर सेस की वापसी	26.48	25.47
कुल	**54.34**	**41.49**

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 5

दीर्घावधि प्रावधान

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ		
- ग्रेच्युटी	-	-
- छुट्टी नकदीकरण	185.90	170.70
- कर्मचारियों को अन्य सुविधाएँ	193.27	167.71
विदेशी मुद्रा में लेनदेन के लिए (बाजार को चिन्हित)	-	-
ओबीआर समंजन लेखा	9,912.51	8,502.18
खदान बंद करने का व्यय	315.43	245.01
कुल	10,607.11	9,085.60
	10,607.11	9,085.60

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 6

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
बैंक से ऋण	-	-
मांग पर ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
सीआईएल एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों पर	-	-
आवधिक जमा की शपथ पर ओवरड्राफ्ट	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम	-	-
आस्थगित जमा	-	-
कुल :	-	-
वर्गीकरण 1		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वर्गीकरण 2
निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण की गारंटी

ऋण का विवरण	₹ करोड़ में	गारंटी की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 7

भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
आपूर्ति हेतु विविध लेनदार		
राजस्व के लिए	280.29	257.42
कुल	280.29	257.42

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 8

अन्य चालू दायित्वाएँ

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
सीआईएल द्वारा आईबीआरडी से आवधिक ऋण	-	9.90
सीआईएल द्वारा जेबीआईसी से आवधिक ऋण	-	11.58
लिभेर फ्रांस एसए, फ्रांस से आवधिक ऋण	0.61	0.52
कोल इंडिया लिमिटेड से ऋण	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड से अतिरिक्त निधि	-	-
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	-	-
	0.61	**22.00**
पूँजी के लिए विविध लेनदार (भंडार सहित)	550.45	382.62
व्यय के लिए		
वेतन, मजदूरी एवं भते	153.84	155.43
विद्युत एवं ईंधन	17.20	16.63
अन्य	79.08	58.49
	250.12	**230.55**
वैधानिक बकाये :		
विक्रय कर	0.49	2.80
विक्रय कर/वैट	2.50	3.42
भविष्य निधि एवं पेंशन निधि	7.33	6.35
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	52.58	71.98
कोयले पर रॉयल्टी एवं सेस	52.04	119.52
बालू रेत पर उत्पाद शुल्क	30.15	31.82
स्वच्छ ऊर्जा सेस	49.89	55.27
अन्य वैधानिक उगाही	0.11	1.47
	195.09	**292.63**
स्रोत पर आयकर में कटौती	5.94	6.97
प्रतिभूति जमा	63.87	61.41
बयाना राशि	15.44	12.44
ग्राहक/अन्य से अग्रिम एवं जमा	1,505.98	1296.17
उधार पर प्रोद्भत ब्याज एवं बकाया	-	-
उधार पर प्रोद्भत ब्याज लेकिन बकाया नहीं	-	-
सेस इक्वीलेजिशन लेखा	-	-
आईआईसीएम के साथ चालू लेखा	-	-
भुगतान न किया गया लाभांश	-	-
एक्सा ओनर लेखा	-	-
राष्ट्रीयकरण के पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
ग्रेच्युटी	7.27	36.36
अन्य देयताएं	52.59	45.64
कुल	**2647.36**	**2386.79**

2014-15 के दौरान लिभेर फ्रांस को ऋण का पुनर्भुगतान 74113.58 यूरो (रूपये 0.61 करोड़)

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियां

टिप्पणी - 9

अल्पावधि प्रावधान

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
कर्मचारियों के लिए सुविधाएं		
- ग्रेच्युटी	-	-
-छुट्टी नकदीकरण	18.73	18.09
- पीपीएलबी	67.11	53.55
- पीआरपी	232.19	183.16
प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	1,028.93
कार्पोरेट लाभांश के लिए	-	174.87
कोयले के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क के लिए	-	-
अन्य (संपत्ति कर) के लिए	0.32	0.23
कुल	318.35	1458.83

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 10 क

स्थिर परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि					निवल वाहक मूल्य	
विवरण	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	कुल मुल्यह्रास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि	31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भूमि															
(क) फ्री होल्ड	2.49	-	-	2.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.49	2.49
(ख) लीज होल्ड	1,261.51	588.31	(0.48)	1,849.34	316.68	65.18	-	381.86	-	-	-	-	381.86	1467.48	877.07
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं	476.61	13.13	-	489.74	159.02	9.43	0.79	169.24	0.34	-	-	0.34	169.58	320.16	317.25
यंत्र एवं संयंत्र	2,290.49	129.33	(36.20)	2,383.62	1,520.42	159.85	(39.90)	1,640.37	3.90	-	10.94	14.84	1,655.21	728.41	766.17
उपस्कर एवं फिटिंग/कार्यालय औजार एवं उपकरण/विद्युत फिटिंग/अग्निशमन यंत्र	64.67	5.42	(0.24)	69.85	44.58	5.32	(0.17)	49.73	0.01	-	-	0.01	49.74	20.11	19.82
रेलवे साइडिंग	163.26	0.63	(0.01)	163.88	75.62	7.11	-	82.73	0.10	-	-	0.10	82.83	81.05	87.54
वाहन	26.06	2.95	(0.89)	28.12	16.87	3.42	(0.91)	19.38	0.01	-	-	0.01	19.39	8.73	9.18
दूरसंचार	13.82	20.97	-	34.79	4.64	1.50	6.33	12.47	-	-	-	-	12.47	22.32	9.18
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया सहित विकास	139.71	50.40	-	190.11	67.72	3.54	4.65	75.91	0.37	-	-	0.37	76.28	113.83	71.62
कुल	4,438.62	811.14	(37.82)	5,211.94	2,205.55	255.35	(29.21)	2,431.69	4.73	-	10.94	15.67	2,447.36	2,764.58	2,160.32
गत वर्ष															
मूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ	4,102.33	408.67	(72.38)	4,438.62	2,033.52	234.45	(62.42)	2,205.55	4.75	-	(0.02)	4.73	2,210.28	2,160.32	1,994.39
अमूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ															
विकास	190.54	31.86	-	222.40	140.00	13.56	(5.14)	148.42	21.34	0.66	(10.94)	11.06	159.48	62.92	29.20
सॉफ्टवेयर	2.67	-	-	2.67	2.67	-	-	2.67	-	-	-	-	2.67	-	-
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	53.67	6.14	0.01	59.82	30.65	1.89	(0.31)	32.23	0.02	-	-	0.02	32.25	27.57	23.00
कुल	246.88	38.00	0.01	284.89	173.32	15.45	(5.45)	183.32	21.36	0.66	(10.94)	11.08	194.40	90.49	52.20
सकल जोड़	4,685.50	849.14	(37.81)	5,496.83	2,378.87	270.80	(34.66)	2,615.01	26.09	0.66	-	26.75	2,641.76	2,855.07	2,212.52
गत वर्ष															
अमूर्त स्थिर परिसंपत्तियाँ	244.89	3.36	(1.37)	246.88	170.23	9.19	(6.10)	173.32	21.00	0.36	-	21.36	194.68	52.20	53.66

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी -10 ख

पूँजीगत कार्य-प्रगति-पर

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत				प्रावधान				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि				कुल मूल्यह्रास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि	निवल बाहक मूल्य	
	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/ विक्रय/ अंतरण	31.03. 2014 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियाँ															
भवन/जलापूर्ति/सड़क एवं पुलिया	17.05	44.54	(9.75)	51.84	0.21	0.01	-	0.22	-	-	-	-	0.22	51.62	16.84
यंत्र एवं संयंत्र	244.62	185.63	(185.49)	244.76	10.67	0.95	(0.02)	11.60	-	-	-	-	11.60	233.16	233.95
रेलवे साइडिंग	35.83	3.26	(0.62)	38.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.47	35.83
खनन क्षेत्रों में सड़क एवं पुलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	1.65	-	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.65	-
कुल	297.50	235.08	(195.86)	336.72	10.88	0.96	(0.02)	11.82	-	-	-	-	11.82	324.90	286.62
गत वर्ष															
मूर्त परिसंपत्तियाँ	204.37	161.84	(68.71)	297.50	10.05	0.89	(0.06)	10.88	-	-	-	-	10.88	286.62	194.32
सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ	21.69	2.53	(2.54)	21.68	13.01	1.10	(1.10)	13.01	-	-	-	-	13.01	8.67	8.68
गत वर्ष															
सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ	20.56	3.93	(2.80)	21.69	12.34	2.20	(1.53)	13.01	-	-	-	-	13.01	8.68	8.22
सकल जोड़	319.19	237.61	(198.40)	358.4	23.89	2.06	(1.12)	24.83	-	-	-	-	24.83	333.57	295.30
गत वर्ष															
सकल जोड़	224.93	165.77	(71.51)	319.19	22.39	3.09	(1.59)	23.89	-	-	-	-	23.89	295.30	202.54

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी -10 ग

विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड में)

विवरण	लागत				प्रावधान				इंपेयरमेंट हानि/अन्य हानि				कुल मूल्यह्रास/इंपेयरमेंट हानि / अन्य हानि	निवल बहिक मूल्य	
	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/ अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय /अंतरण	31.03.2014 के अनुसार	01.04.2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान समंजन/विक्रय/अंतरण	31.03.2014 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	31.03.2013 के अनुसार
अमूर्त परिसंपत्तियाँ															
विकास	143.41	24.90	(21.69)	146.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.62	114.18
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग व्यय	130.71	2.61	(6.44)	126.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.88	104.07
कुल	274.12	27.51	(28.13)	273.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.50	218.25
गत वर्ष															
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	241.20	34.91	(1.99)	274.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.12	191.83

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 11

गैर-चालू निवेश-लागत पर उद्धत/अनुद्धत

	चालू वर्ष में शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य चालू वर्ष (₹)	31.03.2014 के अनुसार (₹ करोड में)	31.03.2013 को शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों की संख्या	31.03.2013 को प्रति शेयर/बॉंड/प्रतिभूतियों का अंकित	31.03.2013 के अनुसार (₹ करोड में)
व्यापार (अनुद्धत)						
8.5% कर मुक्त विशेष बांड(पूर्ण प्रदत्त) :						
(विविध देनदारों की सुरक्षा पर)						
प्रमुख राज्यवार वर्गीकरण						
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	113,860	1,000	11.38	227,720	1,000	22.77
मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	113,160	1,000	11.31	226,320	1,000	22.63
अन्य	-	-	-	-	-	-
गैर व्यापार (उद्धत)						
7.55 % सुरक्षित आईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉंड	20,000	100000	200.00	20,000	100000	200.00
8% आईआरएफसी कर-मुक्त बॉंड	1087537	1000	108.75	1087537	1000	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी क	4999	1000100	499.95	4999	1000100	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉं	1500000	1000	150.00	1500000	1000	150.00
कुल :			981.39			1,004.10
उद्धत निवेश का योग			958.70			958.70
अनुद्धत निवेश का योग			139.37			162.08
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			967.99			969.48

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 12
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
अग्रिम:		
पूँजी के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	336.47	339.96
- संदेहास्पद	0.61	0.71
	337.08	340.67
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.61	0.71
	336.47	339.96
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
प्रतिभूति जमा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
पी एंड टी, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि के लिए जमा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	37.22	38.61
- संदेहास्पद	-	-
	37.22	38.61
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	37.22	38.61
कर्मियों एवं अन्य को ऋण		
आवास निर्माण हेतु		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	2.55	3.04
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	2.55	3.04
मोटर कार एवं अन्य वाहनों के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.06	0.07
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	0.06	0.07
अन्य के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	-	-
	2.61	3.11
अनुषंगी कंपनियों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
कुल	376.30	381.68

टिप्पणी

	अंतिम शेष		समय बकाया की अधिकतम	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कंपनियों द्वारा देय (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 13

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
लंबी अवधि के लिए व्यापार प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
अन्य प्राप्तियाँ		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	0.16	0.16
	0.16	0.16
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	0.16	0.16
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी

	अंतिम शेष		बकाये की अधिकतम राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत कंपनियों द्वारा देय (कंपनियों के नाम सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशकगण रुचि लेते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-14

(₹ करोड में)

	शेयर/बॉंड/प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष	प्रति शेयर/बॉंड/प्रतिभूति का अंकित मूल्य चालू वर्ष	31.03.2014 के अनुसार	शेयर/बॉंड/प्रतिभूति की संख्या गत वर्ष	प्रति शेयर/बॉंड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य गत वर्ष	31.03.2013 के अनुसार
गैर-व्यापार(उद्धत)						
म्यूचुअल फंड में निवेश						
(केनारा रोबेको लिक्विड फंड)	29,835.903	1,005.50	3.00	89,507.708	1,005.50	9.00
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	2,761,026.663	1,003.25	277.00	89,708.448	1,003.25	9.00
यूटीआई मनी कैश फंड	3,658,851.080	1,019.45	373.00	89,696.342	1,003.39	9.00
एलआईसी एनओएमयूआरए एमएफ लिक्विड फंड	-	-	-	8,196,721.311	10.98	9.00
व्यापार(अनुद्धत)						
8.5% कर-मुक्त विशेष बॉंड (पूर्ण प्रदत्त) (विविध ऋणियों की प्रतिभूति पर)	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	113,860	1,000.00	11.39	113,860	1,000.00	11.39
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	113,160	1,000.00	11.32	113,160	1,000.00	11.32
कुल :			675.71			58.71
उद्धत निवेश का योग			653.00			36.00
अनुद्धत निवेश का योग			22.71			22.71
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य			661.84			41.45

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 15

वस्तुसूची

(महत्वपूर्ण लेखाकन नीति स. 6 क अनुसार मूल्यांकन) (₹ करोड में)

		31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
	कोयले का स्टॉक	418.53	414.44
	विकास के अधीन कोयला स्टॉक	-	45.94
	घटाव : क्षरण के लिए प्रावधान	-	-
क	कोयला स्टॉक (निवल)	418.53	460.38
	भंडार एवं पूर्जे का स्टॉक (लागत पर)	98.28	105.94
	मार्गस्थ भंडार	2.28	1.76
	घटाव : मंद गति/अप्रचलन इत्यादि हेतु प्रावधान	14.84	14.27
	परिसंपत्तियों की हानि	0.23	0.23
	घटाव : परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	0.23
ख	भंडार एवं पूर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)	85.72	93.43
	कर्मशाला संबंधी कार्य :		
	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	12.68	7.37
	घटाव : कर्मशाला कार्यों के लिए प्रावधान	-	-
ग	कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक	12.68	7.37
	प्रेस:		
घ	कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	-	-
ङ	केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक	0.68	0.65
च	पुर्वेक्षण एवं बोरिंग/विकासव्यय/विक्रय हेतु निर्दिष्ट कोयला	4.91	9.70
	कुल (क से च तक)	522.52	571.53

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणीयाँ

टिप्पणी - 15 का अनुलग्नक

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य लाख ₹ में)

वर्ष के अंत में किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान **तालिका : क**

	समग स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.12 को प्रारंभिक स्टॉक	180.53	46037.89	-	-	180.53	46037.89
(ख) प्रारंभिक स्टॉक का समंजन	-	-	-	-	-	-
2. वर्ष का उत्पादन	1,104.39	996,866.13	-	-	1104.39	996866.13
3. उप जोड़ (1+2)	1,284.92	042,904.02	-	-	1284.92	1042904.02
4. वर्ष का ऑफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1,143.39	998,966.86	-	-	1143.39	998966.86
(ख) वाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	0.05	132.30	-	-	0.05	132.30
कुल (क)	1,143.44	999,099.16	-	-	1143.44	999099.16
5. व्युत्पन्न स्टॉक	141.48	43,804.86	-	-	141.48	43804.86
6. मापित स्टॉक	140.18	41,456.01	-	-	140.18	14156.01
7. अंतर (5-6)	1.30	2,348.85	-	-	1.30	2348.85
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) अधिक के भीतर 5%	1.08	249.01	-	-	1.08	249.01
(ख) के भीतर कमी 5%	1.12	645.72	-	-	1.12	645.72
(ग) से अधिक 5%	-	-	-	-	-	-
(घ) से अधिक कमी 5%	1.26	1,952.14	-	-	1.26	1,952.14
9. लेखा में अंगीकत अंतिम स्टॉक (6-8क + 8ख)	140.22	41,852.72	-	-	140.22	41852.72

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश **तालिका : ख**

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/ अपरिष्कृत कोयला				अन्य उत्पाद		कूल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारभिक स्टोक (लेखा-परीक्षित)	-	-	180.53	46,037.89	-	-	-	-	-	-	180.53	46,037.89
घटा विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समंजित प्रारभिक (स्टोक)			-	-	-						-	-
उत्पादन	-	-	1,104.39	996,866.13	-	-	-	-	-	-	1,104.39	996,866.13
ऑफ टेक												
(क) बाहर प्रषण	-	-	1,143.39	998,966.86	-	-	-	-	-	-	1,143.39	998,966.86
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत			0.05	132.30	-						0.05	132.30
	-	-			-	-	-	-	-	-		
अंतिम स्टोंक	-	-	141.48	43,804.86	-	-	-	-	-	-	141.48	43,804.86
घटाव : कमी	-	-	1.26	1,952.14	-	-	-	-	-	-	1.26	1,952.14
अंतिम स्टोंक	-	-	140.22	41,852.72	-	-	-	-	-	-	140.22	41,852.72

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 16

व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	30.27	42.11
- संदेहास्पद	34.72	21.02
	64.99	63.13
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	34.72	21.02
	30.27	42.11
अन्य ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	268.12	388.80
- संदेहास्पद	-	-
	268.12	388.80
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	-	-
	268.12	388.80
कुल	298.39	430.91

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र की टिप्पणियां
टिप्पणी - 17

नगद एवं बैंक शेष

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
नगद एवं नगद समकक्ष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
- एसबीआई लाभांश (अप्रदत्त/बिना दावे का लाभांश लेखा)	-	-
-3 माह तक परिपक्वता सहित जमा लेखा में	3,386.00	3,985.30
- चालू लेखा में	226.56	261.62
- नगद जमा लेखा में	-	-
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष	-	-
भारत के बाहर के बैंकों के लेखा में	-	-
मार्गस्थ-प्रेषण	-	-
हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
हाथ में नगद	0.05	0.05
03 माह की परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि योजना के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा	-	-
अन्य बैंक शेष		
अनुसूचित बैंकों में शेष		
3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित जमा लेखा में	6,566.84	8,898.17
03 माह से अधिक परिपक्वता सहित शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि	-	-
3 माह की परिपक्वता सहित योजना	248.86	-
माइन क्लोजर प्लान स्कीम के तहत अनुसूचित बैंकों में जमा		
कुल	**10,428.31**	**13,145.14**
-	-	-

अतिरिक्त टिप्पणी:

1) उधारी/अन्य के लिए अतिरिक्त राशि(मार्जन मनी) या प्रतिभूति की सीमा तक बैंकों में शेष	185.86	185.24
2)12 माह से अधिक अवधि के लिए जमा समेत 03 माह से अधिक बैंक जमा	250.29	1.33

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 18

अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम (₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
अग्रिम		
(प्राप्त मूल्य के लिए नकद या माल के रूप में वसूली योग्य)		
आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को अग्रिम		
राजस्व के लिए		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	273.28	156.15
- संदेहास्पद	2.28	2.26
	275.56	158.41
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	2.28	2.26
	273.28	156.15
वैधानिक बकाये के लिए अग्रिम भुगतान		
विक्रय कर		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
अग्रिम आयकर/स्रोत पर आयकर की कटौती	3,210.71	2,925.92
घटाव : आयकर हेतु प्रावधान	1,892.54	1,987.64
	1,318.17	938.28
अन्य		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	39.70	42.98
- संदेहास्पद	-	-
	39.70	42.98
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	39.70	42.98
	1,357.67	981.26
कर्मियों के लिए अग्रिम		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	70.28	73.61
- संदेहास्पद	-	-
	70.28	73.61
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	70.28	73.61
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा	441.41	1,757.00
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों तथा एमसीएल की अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा	0.20	129.04
अनुषंगी कंपनियों के साथ ऋण लेखा		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- संदेहास्पद	-	-
	-	-
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
प्राप्त दावे		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-	-
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.51	0.51
- संदेहास्पद	-	-
	0.51	0.51
घटाव :संदेहास्पद दावे हेतु प्रावधान	-	-
	0.51	0.51
पूर्व प्रदत्त व्यय	13.02	17.59
	525.42	1,977.75
कुल	2,156.57	3,115.16

टिप्पणी

	अंतिम शेष		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
समान प्रबंधन के तहत की कंपनियों द्वारा देय				
- एमजेएसजे कोल लि.	3.74	1.32	3.74	14.91
-एमएनएच शक्ति लि.	5.16	2.51	5.16	2.51
- एमबीपीएल	10.81	8.05	10.81	8.05
पार्टियां द्वारा देय जिनमें कंपनी के निदेशक/निदेशकगण रूचि लेते हों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2 सीआईएल के साथ जमा 184.55 करोड़ (गतवर्ष 350.29 करोड़) जिस पर कोई ब्याज देय नहीं है

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड में)

	31 /03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
उपार्जित ब्याज		
-निवेश पर	42.43	34.18
- बैंकों में जमा पर	444.38	647.93
- अन्य पर	2.68	1.57
पूर्व मालिक का लेखा	-	-
अन्य अग्रिम	-	-
घटाव :डूबा एवं संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-
जमा		
सीमा शुल्क, पत्तन प्रभार इत्यादि के लिए जमा		
रॉयल्टी, सेस एवं विक्रय कर के लिए जमा		
रॉयल्टी, सेस एवं विक्रय कर के लिए जमा	156.66	146.64
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधा	-	-
	156.66	146.64
अन्य	-	-
घटाव : अन्य हेतु डूबा एवं संदेहास्पद हेतु प्रावधान	-	-
	-	-
पूर्व कोयला बोर्ड की ओर से कारोबार हेतु भारत सरकार से प्राप्य राशि	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	22.68	1.09
घटाव : डूबा एवं संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान	-	-
	22.68	1.09
कुल	668.83	831.41

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-20

संचालन से राजस्व

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
सकल विक्रय	13165.61	13190.42
घटाव: उत्पाद शुल्क	650.28	649.73
घटाव: अन्य उगाही		
रॉयल्टी	1290.85	1267.85
कोयले पर सेस	-	-
स्टोइंग उत्पाद शुल्क	114.38	111.96
	-	-
स्वच्छ ऊर्जा सेस	571.91	559.80
राज्य विक्रय कर/वैट	377.66	410.67
ओड़िशा प्रवेश कर	60.55	68.50
कुल उगाही	3,175.94	3,167.93
संचालन से राजस्व (निवल विक्रय)	9,989.67	10,022.49

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-21

अन्य आय

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
दीर्घावधि निवेश से आय		
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियाँ(8.5% करमुक्त विशेष बॉंड) (व्यापार) से	5.31	7.24
- अविनिमेय आईआरएफसी/आरईसी करमुक्त बॉंड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार)	70.75	38.15
चालू निवेश से आय		
म्यूचूअल फंड निवेश से लाभांश	43.40	23.63
ब्याज		
- सरकारी प्रतिभूतियाँ(8.5% करमुक्त विशेष बॉंड) (व्यापार) से	-	-
- 7.55% अविनिमेय आईआरएफसी/आरईसी करमुक्त बॉंड 2021 सीरिज(गैर-व्यापार) से	-	-
अन्य से आय		
ब्याज :		
बैंक जमा से	1190.35	1319.45
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	0.08	0.09
आयकर वापसी से	-	-
निधि की पार्किंग पर सीआईएल से	96.72	143.37
अन्य	3.70	1.86
शीर्ष प्रभार	-	-
बालू भराई एवं संरक्षणात्मक कार्य हेतु सब्सिडी	0.88	0.55
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	16.04	0.74
परिवहन एवं लदान लागत की वसूली	531.57	495.52
वैदेशिक मुद्रा विनियम पर लाभ	-	0.09
विनियम दर में अंतर	-	-
पट्टे पर प्रदत्त भाड़ा	4.05	6.15
राइट बैक की देयता	22.41	0.65
अनुषंगी कंपनियों से गारंटी शुल्क	-	-
अन्य-गैर संचालन आय	58.07	33.23
कुल	2,043.33	2,070.72

टिप्पणी:

परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ में मीनाक्षी -ख की भूगर्भीय रिपोर्ट की बिक्री पर और मीनाक्षी कोल ब्लॉक की डिपसाईड पर रूपये 15.56 करोड़ शामिल है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-22

खपत सामग्रियों की लागत

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
विस्फोटक	122.40	118.32
लकड़ी	0.21	0.54
पीओएल	324.73	252.30
एचईएमएम पुर्जे	111.86	107.56
अन्य खपत योग्य भंडार एवं पुर्जे	67.15	77.03
कुल	626.35	555.75

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-23

तैयार माल, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
कोयले का अंतिम स्टॉक	418.53	414.44
घटाव : कोयले का क्षरण	-	-
कुल (1)	418.53	414.44
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	460.38	518.67
घटाव : कोयले का क्षरण	-	6.61
कुल (2)	460.38	512.06
क) अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन (2-1)	41.85	97.62
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक	12.68	7.37
घटाव : प्रावधान	-	-
कुल	12.68	7.37
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक	7.37	-
घटाव : प्रावधान	-	-
कुल	7.37	-
ख) कर्मशाला के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	(5.31)	(7.37)
प्रेस समाप्ति कार्य	-	-
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
घटाव : प्रेस प्रारंभिक कार्य		
i) तैयार माल	-	-
ii) कार्य प्रगति पर	-	-
ग) तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले प्रेस कार्य के अंतिम स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
औषधियों के अंतिम स्टॉक (केन्द्रीय अस्पताल)	-	-
घटाव औषधियों का प्रारंभिक स्टॉक (केन्द्रीय अस्ताल)	-	-
घ) केन्द्रीय अस्पतालों में औषधियों के स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	-	-
स्टॉक की वस्तुसूची में कुल परिवर्तन(क+ख+ग+घ)	**36.54**	**90.25**

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-24

(₹ करोड में)

कर्मचारी हितलाभ व्यय

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस एवं हितलाभ	1319.84	1204.59
अनुग्रह राशि	73.95	62.35
पीआरपी	48.41	46.15
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	176.09	161.42
उपदान	23.39	22.63
छुट्टी नकदीकरण	52.51	43.72
स्वैच्छिक सेवानिवृति	0.79	1.93
कामगार क्षतिपूर्ति	(2.35)	0.58
कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	(2.81)	35.24
चिकित्सा खर्चे	32.23	30.84
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	28.18	18.68
खेल व मनोरंजन	4.17	0.79
कैंटीन व क्रैच	0.78	0.68
विद्युत - टाउनशिप	53.81	54.07
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार	2.66	2.61
अन्य कर्मचारी लाभ	12.40	25.39
कुल	1,824.05	1,711.67

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-25

(₹ करोड में)

कल्याण पर व्यय

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
सेवानिवृत कर्मियों पर चिकित्सा व्यय	17.24	2.22
सीएसआर व्यय	111.48	25.56
वहनीय विकास व्यय	0.11	0.27
पर्यावरणिक व्यय	13.37	13.94
वृक्षारोपण	0.59	0.78
अन्य व्यय	6.19	6.57
कुल	148.98	49.34

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी-26

व्यय

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
भवन	61.72	52.38
संयंत्र एवं यंत्र	29.16	30.31
अन्य	2.70	3.52
कुल	**93.58**	**86.21**

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ

टिप्पणी-27

संविदात्मक व्यय

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
परिवहन प्रभार :		
- बालू	-	0.32
- कोयला एवं कोक	904.12	747.81
- भंडार एवं अन्य आदि	0.04	0.01
वैगन लदाई	66.41	53.45
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	616.12	387.91
अन्य संविदात्मक कार्य	51.79	63.70
कुल	**1,638.48**	**1,253.20**

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-28

वित्तीय लागत

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
आस्थगित भुगतान	0.09	0.09
बैंक ओवरड्राफ्ट / नकद क्रेडिट	-	-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	1.16	1.96
सीआईएल निधि ऋण पर ब्याज	-	-
अनुषंगी कंपनियों को ब्याज	-	-
अन्य	12.06	1.26
कुल(क)	13.31	3.31
अन्य उधार लागत		
ऋण(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गारंटी फीस	1.57	1.65
अन्य व्यय / बैंक प्रभार	0.01	0.01
कुल(ख)	1.58	1.66
कुल (क+ख)	14.89	4.97

टिप्पणी: ब्याज व्यय अन्य में आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2010-11 (वित्तीय वर्ष 2009-10) हेतु का

ब्याज अर्थात धारा 143 (1) के अंतर्गत मंजूर रूपये 18.07 करोड़ और धारा 251/143(3) के अंतर्गत रूपये 7.36 करोड़ का अंतर।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-29

प्रावधान

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
(क) के लिए प्रावधान		
संदिग्ध	13.70	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	0.57	0.81
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	70.12	64.74
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	0.96	1.56
अन्य	-	-
कुल (क)	85.35	67.11
(ख) बट्टे खाते के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	-	7.58
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.08	0.39
विदेशी मुद्रा लेन-देन	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-
भूमि सुधार/खदान बंद करने का व्यय	-	-
स्थिर परिसंपत्तियों/पूँजी डब्लूआईपी का सर्वेआफ	-	-
अन्य/परिसंपत्तियों की हानि	-	0.02
कुल (ख)	0.08	7.99
कुल (क-ख)	85.27	59.12

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-30

बट्टे खाते डालना

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण की टिप्पणियाँ

टिप्पणी-31

अन्य व्यय

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
यात्रा व्यय		
- घरेलू	14.10	14.07
- विदेशी	0.02	0.06
प्रशिक्षण व्यय	9.10	8.27
दूरभाष एवं डाक खर्च	2.76	2.67
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	3.70	4.26
भाड़ा प्रभार	0.08	0.10
डेमरेज	6.18	5.54
दान /अभिदान	0.01	0.09
सुरक्षा व्यय	51.25	40.23
सीआईएल का सेवा प्रभार	55.22	53.95
भाड़ा प्रभार	27.74	23.72
सीएमपीडीआई व्यय	22.88	26.56
वैधिक व्यय	0.98	1.07
बैंक प्रभार	0.03	0.02
गेस्ट हाऊस व्यय	2.34	2.05
परामर्श प्रभार	1.08	0.49
अंडरलोडिंग प्रभार	10.41	10.99
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.54	0.06
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परिक्षा फीस	0.17	0.17
- कर संबंधी मामले	-	-
- कंपनी के वैधिक मामले	-	-
- प्रबंधन सेवा	-	-
- अन्य सेवाओं पर व्यय	0.11	0.04
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.17	0.13
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	2.00	1.84
पुनर्वास प्रभार	68.61	67.18
रायल्टी एवं सेस	0.18	0.19
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	(13.01)	(11.20)
किराया	2.51	0.15
दर एवं कर	20.37	13.61
बीमा	0.41	0.40
विनियम दर में अंतर से हानि	9.23	-
पट्टा किराया	-	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	1.95	2.37
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.10	1.58
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	10.26	4.15
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.03	0.04
संपत्ति कर	0.12	0.11
विविध व्यय	23.45	20.38
कुल	**335.08**	**295.34**

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि

टिप्पणी-32

पूर्वावधि समंजन

(₹ करोड में)

	31/03/2014 के अनुसार	31/03/2013 के अनुसार
(क) व्यय		
कोयले की बिक्री	2.73	3.54
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य व्यय	-	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	-	1.21
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य ह्रास	0.10	0.04
OBR Adjustment		
कुल (क)	2.83	4.79
(ख) आय		
कोयले की बिक्री	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
अन्य आय	-	12.19
भंडार एवं पुर्जों की खपत	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं हितलाभ	-	-
विद्युत एवं ईंधन	-	-
कल्याण पर व्यय	-	-
मरम्मत	-	-
संविदात्मक व्यय	-	-
अन्य व्यय	1.01	-
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार	-	-
मूल्य ह्रास	-	-
कुल (ख)	1.01	12.19
कुल (क-ख)	1.82	(7.40)

टिप्पणी- 33

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1.0. <u>लेखा प्रथा:</u>

वित्तीय विवरण लेखा की ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं लेखों के उपचय आधार और प्रचलित अवधारणाओं पर बनाए गए हैं, जो भारत में प्राय: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत, जब तक अन्यथा वर्णित न हो, अधिसूचित लेखाकंन मानकों के अनुरुप हैं।

2.0 <u>सरकार से सहायिकी/अनुदान:</u>

2.1 पूंजीगत लेखा पर सहायिकी/अनुदान को उन परिसम्पतियों की लागत से घटा दिया जाता है जिससे वे संबंधित रहते हैं । तुलन-पत्र की तारीख कोअव्ययित राशि को वर्तमान दायिताओं दर्शाया जाता है।

2.2 राजस्व लेखा पर सहायिकी/अनुदान अन्य आय शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा के नामे जमा किया जाता है एवं खर्च को संबंधित शीर्ष के नामे डाल दिया जाता है। वर्षान्त में यदि कोई राशि बची हुई हो तो उसे वर्तमान दायिताओं में दर्शाया जाता है।

3.0 <u>स्थायी परिसंपत्तियां:</u>

3.1 <u>भूमि:</u>

भूमि की लागत में अधिग्रहण, पुनर्वास हेतु नगद व्यय और संबंधित विस्थापितों के लिए पुन: स्थापन लागत हेतु उपगत खर्च शामिल है। भू-अधिग्रहण पर अन्य सभी खर्च जैसे नौकरी के बदले दी गयी क्षतिपूर्ति इत्यादि खर्च को राजस्व खर्च के तहत रखा जाता है।

3.2 <u>संयंत्र एवं यंत्र:</u>

परिसंपत्ति के उपयोग हेतु संस्थापन/परिनिर्माण के लिए उपगत खर्च एवं लागत तथा इन परिसंपत्तियों को वांछित रुप से चालू करने में आने वाली आवश्यक लागत को संयंत्र एवं यंत्र में शामिल किया जाता है।

3.3 <u>रेलवे साइडिंग:</u>

संचालन के लंबित रहते हुए, रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे प्राधिकारियों को किए गए भुगतान पूंजी हेतु अग्रिम के अंतर्गत टिप्पणी 12- "दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम" में दर्शाए गए हैं।

3.4 <u>विकास</u>:

जब तक परियोजना/खदान राजस्व लेखा में नहीं आ जाता तब तक परियोजना/खदान के आय के निवल खर्च को विकास में दर्ज किया जाता है और पूंजीगत चालू कार्य की श्रेणी में रखा जाता है। यदि परियोजना रिपोर्ट में परियोजना के उत्पादन को वाणिज्यिक तौर पर नियमित आधार पर तैयार होने और निर्माण की अवधि के दौरान इच्छित विकास गतिविधि वर्णित न हो तो विकासशील परियोजना एवं खदान को राजस्व के निम्नलिखित मानदंड के तहत रखा जाता है:

(क) उस वर्ष के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से जब परियोजना, स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन के निर्धारित लक्ष्य का 25 प्रतिशत वास्तविक उत्पादन प्रारंभ कर लेती है या

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष या

(ग) जिस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो,

-जो भी घटना पहले हो

4.0 <u>पूर्वेक्षण, बोरिंग तथा अन्य विकासमूलक खर्च</u>:

अन्वेषण की लागत एवं अन्य विकासमूलक खर्च जो एक "पंचवर्षीय योजना" के दौरान किया गया है, को पूंजीगत कार्य-प्रगति-पर के तहत लागातार दो "पंचवर्षीय योजनाओं" की अवधि तक परियोजनाओं के निर्माण हेतु रखा जाता है एवं इसके बाद केवल विक्रय के लिए चिन्हित या बाहरी एजेन्सियों को बेचे जाने हेतु प्रस्तावित ब्लॉकों को छोड़कर शेष को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिसे विक्रय को अन्तिम रुप दिये जाने तक माल सूची में रखा जाता है।

5.0 <u>निवेश</u>:

वर्तमान निवेश को लागत की निम्नता पर और तुलन-पत्र की तारीख के उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। म्यूच्युअल फंड में निवेश को चालू निवेश माना जाता है।

गैर-चालू निवेश का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। तथापि, दीर्धावधि निवेश के मूल्य में अस्थायी के ईतर कमी आने पर आगे ले जाने वाली राशि में कमी को मान्यता देने के लिए घटा दिया जाता है।

6.0 <u>वस्तु सूची</u>:

6.1 जहां कोयले/कोक के किताबी स्टॉक एवं मापे गये स्टॉक के बीच +/-5% तक की भिन्नता हो, वहां लेखा में मापे गए स्टॉक पर विचार किया गया है। यदि उक्त भिन्नता +/-5% से अधिक हो, तो मापे गए स्टॉक को स्वीकार किया जाता है। ऐसे स्टॉक का मूल्य निवल वसूली योग्य मूल्य या लागत, जो भी कम हो, के आधार पर किया गया है।

6.1.1 कोयले और फाईन कोक का निम्न लागत अथवा सफल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.1.2 गाद (कोकिंग/सेमी कोकिंग), वाशरियों की मध्यमता और उप-उत्पाद का एकल वसूलनीय मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

6.2 <u>भंडार और पुर्जो</u>:

6.2.1 भंडार के अंतिम स्टॉक और पुर्जो का केंद्रीय भंडार की लेखा-बही में दर्शित मूल्य के अनुसार और कोयला-खानों/यूनिटों में उपलब्ध भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन के अनुसार शेष का लेखों में विचार किया गया है।

6.2.2 केंद्रीय और भंडारों में भंडार और पुर्जो के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर किया गया है। प्रारंभिक प्रभारित कोयला खानों/उप-भंडारो/ड्रिलिंग कैंपों/खपत केंद्रों में उपलब्ध भंडारों और पुर्जों की वर्षांत वस्तु सूची का मूल्यांकन क्षेत्र भंडारों, लागत/अनुमानित लागत के जारी मूल्य पर किया गया है। कार्यशाला कार्य व प्रगति-पर-कार्य का मूल्य लागत पर लगाया गया है।

6.2.3 भंडारों और पुर्जों में खुले पुर्जे भी शामिल हैं।

6.2.4 अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और पुराने भंडारों के लिए 100 प्रतिशत की दर से और 5 वर्षों से गैर-चालित भंडारों व पुर्जों के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किए गए हैं।

6.3 स्टेशनरी (मुद्रण प्रेस में रखे के अलावा), ईंटें, बालू, औषधियों (केंद्रीय अस्पताल के अलावा), एयर क्राफ्ट पुर्जे और स्क्रैप के स्टॉक को वस्तु सूची में शामिल नहीं किया गया है।

7.0 मूल्यहास:

7.1 दूरसंचार उपकरणों और फोटोकापी मशीनों पर, उनके तकनीकी अनुमानित जीवन के आधार पर निम्नलिखित उच्च दर प्रचारित करने के अलावा परिसंपत्तियों के मूल्यहास की दर स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर दूर संचार उपकरणों और फोटोकापी मशीन, फैक्स मशीन, मोबाईल फोन, डिजिटल संबर्धित कार्डलेस टेलीफोन और कंप्यूटर (प्रिंटर और स्कैनर सहित) के अलावा कंपनी अधिनियम, 1956 (यथासंशोधित) की अनुसूची-XIV में निर्धारित दर के अनुसार की जाती है:-

दूरसंचार उपकरण पर	:-	15.83% और 10.55% प्रति वर्ष
फोटोकापी मशीन	:-	23.75% प्रति वर्ष
फैक्स मशीन	:-	31.67% प्रति वर्ष
मोबाईल फोन	:-	31.67% प्रति वर्ष
डिजिटल संवर्धित कॉर्डलेस टेलीफोन	:-	31.67% प्रति वर्ष
कंप्यूटर (प्रिंटर और स्कैनरसहित)	:-	31.67% प्रति वर्ष

पृथ्वी विज्ञान संग्रहालय और उच्च वोल्यूम सैंप्लर और श्वसन धूल पर उनके तकनीकी अनुमानित जीवन के आधार पर मूल्यहास क्रमश: 5.15% और 33.33% की दर से प्रभारित किया जाता है।

इसके आगे, कुछ उपकरणों/एचईएमएम पर मूल्यहास तकनीकी अनुमानित जीवन पर उच्च दर अर्थात 11.88% ; 13.57% और 15.83% यथालागू पर प्रभारित किया जाता है।

एसडीएल और एलएचडी (उपकरणों) पर मूल्यहास तकनीकी अनुमान पर क्रमश: 19% प्रतिवर्ष और 15.83% प्रतिवर्ष की दर पर प्रभारित किया जाता है।

वर्ष के दौरान जुड़ाव/निपटान की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास माह के जुड़ाव/निपटान के संदर्भ में यथानुपात प्रभारित किया जाता है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जिन पर 100% प्रतिवर्ष (एसएलएम आधार) मूल्यहास लगता है जिन पर उनके जुड़ाव के वर्ष में पूर्ण मूल्यहास किया जाता है। पूर्ण मूल्यहास लगने वाली परिस्थितियों में वर्ष के आगामी दो वर्षों बाद उन्हें परिसंपत्तियों से बाहर कर दिया जाएगा।

2 कोयलाधारक क्षेत्र (अधिग्रहण व विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि के मूल्य का परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है। पट्टाधारित भूमि के मूल्य का परिशोधन पट्टा अवधि अथवा परियोजना की शेष जीवन अवधि, जो भी पूर्व हो, पर किया जाएगा।

7.3 अपेक्षित, बोरिंग और विकास व्यय का परिशोधन खान के 20 वर्षों में राजस्व में आने के वर्ष से अथवा परियोजना के कार्यकारी जीवन, जो भी कम हो, से किया जाएगा।

8.0 **परिसंपत्ति की हानि:**

9.0 परिसंपत्ति की विकृतिजनित हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसम्पत्ति को लाने की लागत उससे प्राप्त होने वाली राशि से अधिक हो। इसे लाभ हानि लेखा के विवरण में रखा जाता है तथा इससे प्राप्त होने वाली राशि में से लाने का खर्च घटा दिया जाता है।

पूर्व वर्ष में मान्यता दी गई विकृतिजनित हानि के निराकरण को तब दर्ज किया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि परिसम्पत्ति के लिए मान्य विकृतिजनित हानि अब नहीं है या हानि में कमी हो रही है।

9.0 <u>विदेशी मुद्रा लेन-देन</u>

9.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन के शेष पर तुलन-पत्र की तारीख को लागू दरों पर परिवर्तित किया जाएगा और संबंधित लेखों को समरुप प्रभाव दिया जाता है। वर्ष में पूर्ण लेन-देनों का समायोजन वास्तविक आधार पर किया जाता है।

9.2 भावी तारीख पर निपटान किए गए क्रास मुद्रा स्वैप विकल्प संविदाओं द्वारा आवृत लेन-देन को अंतर्निहित विदेशी मुद्रा की तुलन-पत्र की तारीख को लागू दरों पर माना जाता है। इस प्रकार की संविदाओं से उत्पन्न प्रभाव को निपटान की तारीख से लेखों में लिया जाता है।

10.0 **सेवा-निवृत्ति सुविधाएं/कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं:**

(क) परिभाषित अंशदान योजना:

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति लाभ योजना के लिए उनकी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान दिया जाता है। भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का संचालन कोयला खदान भविष्य निधि प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं की नियमावली के तहत कंपनी को पे-रोल लागत के एक निश्चित प्रतिशत का अंशदान सीएमपीएफ को करना होता है।

(ख) परिभाषित लाभ योजना:

वर्षान्त की दायिताओं के तहत बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग कर ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी नगदीकरण प्रदान किया जाता है। उसके अलावे कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से फंडेड ग्रुप ग्रेच्यूटी (नगदी जमा) स्कीम के संबंध में एक ट्रस्ट की स्थापना की है। उपरोक्त निधि में अंशदान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ग) अन्य कर्मचारी हितलाभ:

इसके अलावे कर्मचारियों को कुछ अन्य हितलाभ संबंधित वर्षान्त दायिताओं जैसे एलटीए/एलटीसी, लाईफ कवर स्कीम ग्रुप, पर्सनल एक्सीडेंट इन्स्यूरेंश स्कीम, सेटलमेंट एलाउन्स, सेवानिवृत्त अधिकारी चिकित्सा हितलाभ और खदान दुर्घटना आदि द्वारा मृत कर्मचारियों के आश्रितों को बीमांकित आधार पर प्राजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड लागू कर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

11.0 **आय और व्यय को मान्यता:**

उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है और सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

11.1 विक्रय:

क) विक्रय के संबंध में राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब सम्पत्ति जोखिम के प्रति अच्छी हो और स्वामित्व का प्रतिफल क्रेता को हस्तांतरित किया जाता हो।

ख) कोयले की बिक्री सांविधिक देयों का निबल है और ग्राहक द्वारा स्वीकार्य कटौतियां कोयले की गुणवत्ता के अनुसार की जाती हैं।

ग) संग्रहण की उचित निश्चितता होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। दूसरी ओर प्रबंधन द्वारा अनिश्चितता का निर्धारण करने पर राजस्व की मान्यता स्थगित की जाती है।

11.2 लाभांश:

लाभांश आय को तभी मान्यता दी जाती है जब प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो।

12.0 उधारी लागत:

उधारी लागत सीधे अधिग्रहण को आरोपित की गई है या योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण को पूंजीकृत किया गया है। अन्य उधारी लागत को ली गयी अवधि में खर्च के रुप में मान्यता दी गयी है।

13.0 कराधान:

वर्तमान आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर दायिताओं और परिसम्पत्तियों को वास्तविक अधिनियमन कर की दर से मान्यता प्राप्त है बशर्ते कि समय के अंतर पर योग्य आय और लेखा के आय में किसी एक समय में उत्पन्न भिन्नता पर विवेकानुसार विचार किया गया हो, जो बाद में किसी एक या उससे अधिक अवधि में उलटाव (रिवर्सल्स) की क्षमता रखता हो।

14.0 प्रावधान:

गत गतिविधियों के परिणामस्वरुप यदि संस्था पर कोई वर्तमान बाध्यता है तो इसके लिए एक प्रावधान रखा गया है। संभवत: इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) होना चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके, इसके लिए भरोसा योग्य आंकलन बनाया जाए। प्रावधान में वर्तमान मूल्य पर कटौती नहीं होनी चाहिए जिसे तुलनपत्र की तिथि में बाध्यता को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम आंकलन के आधार पर किया जाना चाहिए।

15.0 आकस्मिक दायिताएं:

गत गतिविधियों से उत्पन्न आकस्मिक दायिता एक वर्तमान बाध्यता है जिसकी पुष्टि किसी घटना या भविष्य की अधिक घटित होने या न होने पर ही हो पाएगी, जो उद्योग के पूर्ण नियंत्रण में न हो या गत घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान बाध्यता हो। परंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया। संभवत: ऐसा न हो कि इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधन का बहाव (आउटफ्लो) चाहिए जो आर्थिक लाभ दे सके या जिसके लिए राशि का भरोसेमंद आंकलन न किया जा सके।

आकस्मिक दायिताओं को लेखा में नहीं लिया जाता है, इसे टिप्पणियों द्वारा दर्शाया जाता है।

16.0 अधिभार विस्थापन (ओ.बी.आर.) का व्यय:

एक मिलियन टन एवं उससे अधिक क्षमतावाली खुली खदान के औसत अनुपात (कोयला: ओबी) पर लगायी जाती है, जिसमें राजस्व खाते में खदानों को लिए जाने के पश्चात अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के लिए समायोजन भी शामिल रहता है। वर्ष के अंत में अग्रिम स्ट्रीपिंग एवं अनुपात के अंतर के निवल शेष को आवश्यकतानुसार आस्थगित राजस्व व्यय या चालू दायिताओं के रुप में दर्शाया जाता है। रिकार्ड के अनुसार अधिकार की रिपोर्ट की गई मात्रा का ओबीआर लेखांकन हेतु अनुपात की गणना में विचार किया जाता है जहां रिपोर्ट की गई मात्रा और मापी गई मात्रा निम्नवर्णित दो वैकल्पिक अनुयेय सीमाओं की निम्नता के भीतर है:

खदान की ओ.बी.आर. की वार्षिक मात्रा	बदलाव की अनुमेय सीमा	
	I	II
	%	मात्रा (मिलि0 क्यूबिक मीटर)
1 मिलियन क्यूबिक मीटर से कम	+/-5%	0.03
1 से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर के बीच	+/-3%	0.20
5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक	+/-2%	शून्य

किंतु उपरोक्त अनुयेय सीमा के अधिक भिन्नता होने पर मापित मात्रा पर विचार किया जाएगा

17.0 पूर्वावधि समंजन एवं पूर्व प्रदत व्यय :

पूर्व अवधि एवं पूर्व प्रदत व्यय से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक मामले में रूपये 0.10 करोड़ से अधिक नही है उसे वर्तमान वर्ष के आय/व्यय के रुप मे स्वीकार किया जाता है ।

टिप्पणी-34

लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियां

1.0. वित्तीय विवरणियां तैयार करने के आधार :

क) समेकन में प्रयुक्त एमसीएल और इसकी अनुषंगियों की वित्तीय विवरण मूल समूह की तारीख के अनुसार बनाई गई हैं।

ख) वित्तीय विवरण लेखे ऐतिहासिक लागत प्रथा एवं लेखा के उपचय आधार और प्रचलित अवधारणओं पर बनाए गए हैं। एमसीएल और इसकी अनुषंगियों के लेखे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन के अनुरूप हैं और भारत में प्राय: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर हैं।

2.0. समेकन के सिद्धांत:

2.1 समेकित वित्तीय विवरण महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों-मेसर्स एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड और महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड से संबंधित हैं। एमसीएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण का लेखांकन परिसंपत्तियों, दायताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही मूल्य को एक साथ जोड़कर, अतृप्त लाभ अथवा हानि में परिणत अंतर-समूह लेन-देनों को पूर्णतया हटाने के बाद इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक-21 के अनुसार 'समेकित वित्तीय विवरण' संयुक्त लाईन बाई लाईन है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और इन समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां सूचनात्मक प्रकटन के प्रयोजन और कंपनियों की समेकित स्थिति को बेहतर समझने के मार्गदर्शक के रूप में हैं। प्रयोजन को मान्यता देते हुए, समूह ने केवल उन नीतियों और व्यैक्तिक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का प्रकटन किया है जो ओड़िशा राज्य में खदानों के संबंध में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों और दायताओं को महानदी कोलफील्ड्स द्वारा लेने पर आवश्यक प्रकटन को उचित रूप से दर्शाते हैं।

3.0. लंबी अवधि उधार (टिप्पणी-3 एवं टिप्पणी-8):

बैंक	बकाया 01.04.2013	वर्ष के दौरान पुनःभुगतान	बकाया 31.03.2014	बकाया 01.04. 2013	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बदलाव हेतु अंतर	बकाया 31.03. 2014
आईबीआरडी	.अमरीकी डालर में($)	अमरीकी डालरमें($)	अमरीकी डालर में($)	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
	10217768.95	10217768.95	0.00	55.99	63.24	7.25	0.00
जेबीआईसी	जापानी येन में(¥)	जापानी येन में(¥)	जापानी येन में(¥)				
	921647821.00	921647821.00	0.00	53.89	58.29	4.40	0.00
कुल				109.88	121.53	11.65	0.00

3.1 कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सीएसआरपी) को वित्त प्रदान करने के लिए भारत सरकार की गारंटी पर कोल इंडिया लिमिटेड ने विश्व बैंक से अप्रतिभूत ऋण एमसीएल एवं कोल इंडिया के बीच हुए समझौते के आधार पर लिया था। दिनांक 31.3.2014 को ऋण (परिशोधन के पश्चात) शून्य करोड़ (गतवर्ष 31.3.2013 को 109.88 करोड़) है। बकायों का विवरण नीचे दिया गया है। इसमें वर्ष 2014-15 में आईबीआरडी को शून्य करोड़ (गतवर्ष 9.90 करोड़) तथा जेबीआईसी को शून्य करोड़ (गतवर्ष 11.58 करोड़) की देय राशि शामिल है।

3.2 इस ऋण की व्यवस्था बैंक्यू नेशनल डी पेरिस एवं नेटेक्सिस बैंक्यू से क्रेडिट समझौता के आधार लीब्हेर, फ्रांस से पर 4 हाइड्रोलिक शांवेल की खरीद के लिए की गई। ऋण बकाया 31.03.2014 को (पुर्नभुगतान के बाद निवल) 9.75 करोड़ (31.03.2013 को 8.72 करोड़) है। शेष का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

बैंक	बकाया 1.4. 2013	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बकाया 31.03.2014	बकाया 01.04. 2013	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	ट्रांसलेशन डिफेरेंश	बकाया 31.03.2014
लेभीयर	€.यूरो	€.यूरो	€.यूरो	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
	1253192.28	74113.58	1179078.70	8.72	0.61	1.64	9.75
कुल	1253192.28	74113.58	1179078.70	8.72	0.61	1.64	9.75

इसमें वर्ष 2014-15 के दौरान 0.61 करोड़ (गतवर्ष 0.52 करोड़) का पुनर्भुगतान राशि शामिल है।

4.0. स्थायी परिसंपत्तियाँ-टिप्पणी-10:

4.1 कंपनी द्वारा कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन एवं कोयला एवं कोयला खदान बचाव संगठन से विभिन्न परिसंपत्तियाँ एवं दायितायें ली गईं, जिनका मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है। उनकी मात्रा एवं मूल्य को अंतिम रुप दिए जाने के बाद यदि कोई समंजन हो तो किया जाएगा।

4.2 पट्टेवाली भूमि में कोल वियरिंग क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 और भू-अधिग्रहण अधिनियम 1894, ओड़िशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहीत भूमि शामिल है। पट्टेवाली जमीन का अधिग्रहण कोयला धारण क्षेत्र (सीबीए) (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत किया गया एवं प्राप्त स्वीकृति/अनुमोदन के अनुसार जमीन के मालिकाना हक के स्थानान्तर के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर पूँजीकृत किया गया। भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ओड़िशा सरकार भूमि बन्दोवस्त अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहीत भूमि को राज्य प्राधिकारियों के दखल प्रमाणपत्र के आधार पर पूँजीकृत किया गया।

4.3 अधिकांश मामलों में भू-संपत्ति का कंपनी के पक्ष हस्तांतरण दस्तावेज का निष्पान लंबित है।

4.4 विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स्थायी परिसंपत्तियों की वहन लागत एवं आस्थगित जमा में मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण 4.06 करोड़ (31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए कमी 0.13 करोड़) की सीमा तक कम हुई जो लेखांकन नीति की टिप्पणी-33 के पैरा 9.1 के अनुसार है।

4.5 संयंत्र एवं मशीनों के मद के मामलों में जो संयंत्र में स्थापना के लिए लम्बित हैं तथा भंडार में तीन वर्षों से अधिक समय से पड़ी है, चौथे वर्ष से मूल्यह्रास के बराबर का प्रावधान रखा गया है साथ ही जहां आवश्यक हो बट्टे खाते में डालने की औपचारिक कार्रवाई की जा रही है। यदि संयंत्र एवं मशीनों की कोई मद भविष्य में उपयोग के लिए रखी गई है अर्थात बाद के लिए प्रावधान रखा गया है, प्रथम वर्ष के प्रयोग के लिए रखा गया मूल्यह्रास ही उस वर्ष का मूल्य ह्रास है जिसमें उस मद के लिए किये गये प्रावधान शामिल होने के साथ-साथ मूल्यह्रास तथा उक्त प्रावधान के बीच लेखांकन का समंजन भी हो। 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान इस लेखा हेतु ₹0.95 करोड़ का प्रावधान रखा गया और कुल संचयी प्रावधान 11.60 करोड़ हुआ। (टिप्पणी-10 ख)।

5.0 गैर-चालू/चालू निवेश: (टिप्पणी-11 एवं टिप्पणी 14) :

5.1 वर्ष 2003-04 में राज्य विद्युत बोर्डों से हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत ग्रुप ने ₹ 344.32 करोड़ के नाम मात्र मूल्य का 8.5 प्रतिशत कर मुक्त पावरबॉड (अनुद्भूत लंबी अवधि के निवेश) प्राप्त किए है। यह 30.09.2001 को तीन राज्य विद्युत बोर्डों (एमएसईबी, टीएनईबी और डब्लूवीपीडीसीएल) से पुराने बकाये बाबत प्राप्त किया गया है।

विमोचन नहीं गये बॉंडों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

बॉंडों का विवरण	01.04.2013 को प्रारंभिक बकाया	वर्ष के दौरान विमोचित	31.03.2014 को शेष बकाया
एमएसईबी	34.16	11.39	22.77
डब्लूवीपीडीसीएल	33.95	11.32	22.63
कुल	**68.11**	**22.71**	**45.40**

सभी बांडों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की गई है।

22.71 करोड़ के बॉंड 2014-15 में विमोचित होने बाकी हैं और इसे वर्तमान निवेश (टिप्पणी-14) में दिखाया गया है और शेष राशि 22.69 करोड़ को गैर चालू निवेश (टिप्पणी-11) में दर्शाया गया है।

5.2 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान ब्याज के रुप में 5.31 करोड़ (31 मार्च, 2013 को समाप्त गत वर्ष में रुपये 7.24 करोड़) (टिप्पणी-21) की आय प्राप्त हुई है।

5.3 भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) से प्राप्त 8.5 प्रतिशत करमुक्त पावर बॉंड के आंशिक व्यापार की अनुमति प्रदान की है।

6.0. वस्तु सूची: (टिप्पणी-15):

6.1 भंडार एवं पुर्जे:

6.1.1 वर्ष के दौरान भंडार/पुर्जों की प्रत्यक्ष जांच के दौरान पाई गई कमी/अधिकता को लेखों में समायोजन किया गया है। 31.3.2014 को कुल संचयी प्रावधान 0.88 करोड़ (31.3.2013 को 0.86 करोड़) हुआ है।

6.1.2 भंडार खाता का मूल्य खानों से मिलान को लंबित रखते हुए कमी/अधिकता का प्रभाव यदि कुछ हो तो वह वर्ष के लेखा में कुछ क्षेत्रों में असंमजित है।

6.1.3 भंडार एवं पुर्जे के मामले में अप्रयुक्त/मरम्मत के अयोग्य मदों (वस्तुओं) और वे मद जो पांच वर्षों अधिक समय से स्थिर हैं, लेखांकन नीति की टिप्पणी-33 के पैरा 6.24 के अनुसार क्रमश 100% एवं 50% का प्रावधान रखा गया है। दिनांक 31.03.2014 के अनुसार संचयी प्रावधान ₹13.96 करोड़ (31.3.2013 को ₹13.41 करोड़) हुआ है। तथापि, हमने इस वर्ष तीन क्षेत्रों अर्थात ईब वैली, लखनपुर और जगन्नाथ के संबंध में 10 वर्षों से अधिक असंचालित मदों के लिए 100% का आवश्यक प्रावधान किया है. इन क्षेत्रों में ऐसे असंचालित भंडारों का तकनीकी मूल्यांकन प्रगति में है।

6.1.4 ग्रुप की लेखांकन नीति (टिप्पणी-33 के पैरा 6.2.2 में यथा वर्णित) के अनुसार भंडार एवं पुर्जों का मूल्य निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया गया है। इससे उपगत लागत की निवल वसूली योग्य मूल्य के साथ तुलना निवल वसूली योग्य मूल्य को निश्चित करने में कठिनाई के चलते न तो की गई न ही लेखा में समंजित की गई है।

6.1.5 ग्रुप के कुछ क्षेत्रों में कार्य-अक्षम/अप्रचलित भंडार सामग्रियों की पहचान की व्यवस्था की जानी है।

6.2 कोयले का स्टॉक (टिप्पणी-15):

6.2.1 आन्तरिक सर्वे आंकलन दल ने कोयले के भण्डार की प्रत्यक्ष जांच की है। कुछ क्षेत्रों में इसे बाहरी दलों द्वारा भी जांच की गई है। कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जांच में पुस्तकीय स्टॉक (खदान/कोलियरीवार) से +/- 5% की कमी/अधिकता को लेखांकन नीति (टिप्पणी-33 के पैरा 6.1) के अनुसार छोड़ दिया जाता है। तालचेर क्षेत्र का बही मूल्य 150874.60 टन है जबकि मापित स्टॉक 74196.40 टन है। ओरियंट क्षेत्र की खदान संख्या 3 और एचबीएम का बही स्टॉक 14506.32 ाएवं 175285.71 टन जबकि उपरोक्त खदान का मापा गया स्टॉक क्रमशः 2132.80 टन और 137795.97 टन है। उन मामलों में, अंतर +/- 5% से अधिक होने के कारण लेखों में मापित स्टॉक पर ही विचार किया गया है और टिप्पणी-15 के परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

7.0 नगद एवं नगद समतुल्य (टिप्पणी-17):

नगद एवं बैंक जमा में निम्नलिखित शामिल हैं:

7.1 ₹66.74 करोड़ एवं ₹111.31 करोड़ का फिक्स्ड डिपोजिट भारतीय स्टेट बैंक के पास धारणाधिकार के तहत भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने हेतु आश्वासन पत्र जारी करने के लिए जमा किया गया है यह ब्लॉक के आबंटन की शर्तों को अनुषंगी कंपनी क्रमश: मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड और मेसर्स एमएनएच शक्ति लिमिटेड की तरफ से पूरा करने के लिए किया गया है।

7.2 ₹1.43 करोड़ की विशेष मियादी जमा जिसमें ₹ 0.84 करोड़ अर्जित ब्याज शामिल है को माननीय जिला न्यायालय, सुंदरगढ़ के द्वारा एक अधिकारी द्वारा नगद की अनियमितता के मामले में वसूला गया, जो न्यायालय के ग्रहणाधिकार में है तथा मामले को अन्तिम रुप देना लंबित है।

7.3 वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर ठेका में मूल्य की भिन्नता के लिए न्यायालय के आदेश के तहत 6.14 करोड़ की वसूली की गयी जिसका स्थायी जमा किया गया है।

7.4 मेसर्स आईआरसी लोजीस्टिक्स लिमिटेड बैंक गारंटी (बीजी) के नकदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत किए गये स्थायी जमा ₹0.21 करोड़ शामिल है ।

7.5 स्थायी जमा में ओआईटीडीएस के संबंध में दूर संचार विभाग, भारत सरकार से कैप्टिव मोबाईल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस हेतु लाईसेंस प्राप्त करने के लिए बीजी जारी करने के लिए प्रावधानित 0.03 करोड़ शामिल है।

7.6 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और कोयला नियंत्रक के साथ करार करने के पश्चात खदान बंद करने के लिए रुपए 248.86 की राशि 3 माह से अधिक की परिपक्वता सहित अनुसूचित बैंकों के एस्क्रो एकाउंट में जमा की गई है।

7.7 चालू खाता के शेष में करेंट लिंक्ड टर्म डिपोजिट शामिल है जिसे अस्थायी रुप से चालू खाता में स्थानांतरित किया गया है।

8.0 ऋण एवं अग्रिम चालू/गैर-चालू, अन्य परिसंपत्तियाँ:

8.1 ऋण एवं अग्रिम के शेष की पुष्टि सभी मामलों में प्राप्त नहीं हुई है।

8.2 ₹86.23 करोड़ (31.03.2013 को रुपए 86.39 करोड़) का जमा राज्य सरकार के पास भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत जमा किया गया है जो इसमें पूंजी के लिए अग्रिम 'टिप्पणी-12' में शामिल है तथा राज्य प्राधिकारी द्वारा कंपनी को कब्जा दिए जाने पर इसे कंपनी द्वारा पूँजीकृत किया जाएगा।

9.0 अन्य लंबी अवधि दायिताएं टिप्पणी-4:

9.1 कोयल के सेस के तहत ओड़िशा सरकार से मूलधन के रुप में ₹ 8.40 करोड़ (भुगतान का निवल) और ब्याज के रुप में 9.47 करोड़ (भुगतान का निवल) प्राप्त हुआ। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.7.2001 के निर्णय पर दिए गए निर्देश के तहत हुआ। यह राशि उपभोक्ताओं को वापस दी जानी है। चालू वर्ष में कंपनी ने ₹ 1.01 करोड़ (गतवर्ष 1.01 करोड़) अप्रदत्त सेस दायिता की मूल राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना के आधार पर प्रावधान किया है। इस तरह कुल दायिता 31.3.2014 को ₹ 26.48 करोड़ (31.03.2013 को ₹ 25.47 करोड़) हुई। कंपनी उपभोक्ताओं/पार्टियों की पहचान नहीं कर पायी है जिन्हें यह राशि वापस दी जानी है। उपभोक्ताओं/पार्टियों को वापसी की पद्धति का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है।

10. लाभ हानि लेखा का विवरण:

10.1 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.95 करोड़ (31.3.2013 को समाप्त गत वर्ष के लिए ₹ 0.89 करोड़) का प्रावधान भंडार में अण्डर इरेक्शन/स्थापना के लिए संयंत्र एवं मशीन मदों पर लागू मूल्यह्रास उनके खरीद/अधिग्रहण के चौथे वर्ष से, जो भी लागू हो, लिया गया है।

10.2 कंपनी ने 25 मार्च,2013 को हुई अपनी 296 वीं बैठक में सीआईएल के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार सीआईएल और अनुषंगियों के, क्रीड़ा, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकलापों के आयोजन और निष्पादन हेतु कोल इंडिया स्पोर्ट्स प्रोमोशन एसोसिएशन (सीआईएसपीए) के कोर्पस के ले रुपए 2.76 करोड़ की देयता का प्रावधान किया है।

10.3 ओबीआर समंजन का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष	गतवर्ष
कोयले पर प्रभारित व्यय	3466.09	3328.23
घटाव: उपगत व्यय	2055.76	1792.58
	1410.33	1435.65

10.4 फोटो कापी मशीन, फैक्स मशीन, मोबाईल फोन, डिजिटल संवर्धित कार्डलैस टेलीफोन, कंप्यूटर (प्रिंटर और स्कैनर सहित) के मूल्यह्रास की दल में परिवर्तन के कारण वर्ष का लाभ रुपए 2.40 करोड़ तक घट गया है।

11.0 आकस्मिक दायिताएं:

11.1 आकस्मिक दायिताओं का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

विवरण	**31.03.2014 को** (राशि ₹ करोड़ में)	**31.03.2013 को** (राशि ₹ करोड़ में)
ग्रुप के विरुद्ध मुकदमा	142.76	158.18
अन्य दावे	1656.94	1484.26
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	210.12	142.24
आय कर	1139.30	729.49
विक्रय कर	124.05	47.56
पथ कर	47.05	36.14
लेटर ऑफ कम्फर्ट/क्रेडिट	270.29	271.74
कुल	**3590.51**	**2869.61**

11.2 निजी पार्टियों तथा अन्य से अधिग्रहीत भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की वृद्धि के चलते कुछ दावे जिनके मामले में राशि सुनिश्चित नहीं है, न्यायालय में लंबित है।

11.3 संविदा की आंकलित राशि को पूँजीगत लेखा में निष्पादित नहीं किए गए जिस पर कार्य निष्पादन एवं मशीन तथा उपकरणों की खरीद के लिए अनुपलब्ध (शुद्ध अग्रिम) ₹ 476.99 करोड़ (31.3.2013 को ₹ 496.16 करोड़) रहा।

11.4 संविदा की आंकलित राशि जिसे राजस्व लेखा/अन्य वादाओं पर लगाया जाना है और इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है, वह ₹ 3589.16 करोड़ (31.3.2013 को ₹ 4255.70 करोड़) है।

11.5 कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत कुछ जमीन के मामलों की दायिताएं अभिनिश्चित और स्वीकृत नहीं की गई है अत: इसे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

11.6 रॉयल्टी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्टोविंग उत्पाद शुल्क में परिवर्तन का मामला चूंकि न्यालयाधीन है, ग्राहकों से इसकी वसूली के बारे में आगामी कार्रवाई न्यायालय के निर्णय और केस के परिणाम के पश्चात की जाएगी। केस के लंबित होते हुए आकास्मिक देयता रुपए 210.12 करोड़ प्रतीत होती है।

11.7 क्षेत्रीय यातायात प्राधिकारियों के साथ डम्परों की सूची का मेल-मिलाप और उनके विरुद्ध एमसीएल द्वारा दायर किए गए पुराने न्यायालय मामलों की समीक्षा लंबित होते हुए रुपए 47.05 करोड़ की आकस्मिक देयता की समीक्षा और मेल-मिलाप का कार्य प्रगति में है।

12.0 चालू परिसम्पत्ति पर प्रभार (टिप्पणी-15 एवं टिप्पणी-16):

हाइपोथिकेशन की ज्वाइंट डीड दिनांक 16.12.2003 और कंपनी बोर्ड के संकल्प दिनांक 23.08.2011 के अनुसार सीआईएल कन्सेर्टियम बैंकों से कार्यरत पूँजी सुविधा प्राप्त करने हेतु बुक डेब्ट एवं वस्तुसूची के लिए ₹ 165.00 करोड़ का प्रभार बनाया गया है।

13.0 सेवा निवृत्ति हितलाभ :

13.1 **दिनांक 31.03.2014 को बीमांकित दायिता/प्रावधान का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	01.04.2013 को प्रारंभिक बीमांकित दायिता/ प्रावधान	वर्ष के लिए वृद्धियुक्त दायिता/ प्रावधान	एमसीएल ग्रुप फंड को वर्ष के अंत तक किए गए जमा/भुगतान	31.03.2014 को अंतिम बीमांकित प्रावधान/दायिता
ग्रेच्युटी	22.84	23.41	62.63	-16.38
अर्जित छुट्टी	151.15	14.07		165.22
अर्द्ध वेतन छुट्टी	36.39	3.02		39.41
जीवन रक्षा योजना(लाईफ कवर स्कीम)	6.03	-1.00		5.03
व्यवस्थापन भत्ता (अधिकारी)	0.23	0.03		0.26
व्यवस्थापन भत्ता (कर्मचारी)	15.13	-0.45		14.68
सकल निजी दुर्घटना	0.13	-0.02		0.11
छुट्टी यात्रा छूट (एलटीसी)	29.80	-0.82		28.98
चिकित्सा सुविधा	41.09	13.68		54.77
खदान दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति	15.06	-2.39		12.67
कुल	**317.85**	**49.53**	**62.63**	**304.75**

13.2 ₹ 176.09 करोड़ के भविष्य निधि एवं अन्य निधियों (टिप्पणी-24) अंशदान में एनसीडीसी के पूर्व कर्मचारी को प्रदत्त रुपए 7.54 करोड़ शामिल है जिसे कर्मचारी हितलाभ व्यय,टिप्पणी 24, के अंतर्गत नगद आधार पर राजस्व में प्रभारित किया गया है।

13.3 कंपनी के कर्मचारियों के पेंशन का प्रबंधन कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारी (एक स्वतंत्र निकाय) द्वारा किया जाता है।

14.0 धारक कंपनी से संबंधित कारोबार:

14.1 टिप्पणी संख्या 31 के अनुसार सीआईएल का सेवा प्रभार ₹ 62.04 करोड़ (गतवर्ष दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष में ₹ 60.62 करोड़) में सेवा कर शामिल है जिसे होल्डिंग कंपनी द्वारा विभिन्न सेवाओं जैसे खरीद, विदेशी संविदा, विपणन एवं कार्पोरेट सेवाओं के लिए प्रभार स्वरुप 01.07.1998 को हुए समझौते के आधार पर उगाही जाती है जैसा कि होल्डिंग कंपनी ने सूचना दी है।

14.2 प्रशिक्षण खर्च (टिप्पणी-31 अन्य खर्च) पर धारक कंपनी द्वारा भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान आईआईसीएम प्रभार बाबत वसूली गई राशि ₹ 5.52 करोड़ (गतवर्ष 31.03.2013 को ₹ 5.39 करोड़) शामिल है।

14.3 दिनांक 12.2.2004 को आयोजित सीआईएल बोर्ड की 214वीं बैठक में लिए गए संकल्प के अनुसार सीआईएल द्वारा गठित पुनर्वास निधि में कोयले के प्रेषण पर कंपनी की ओर से ₹ 68.61 करोड़ (31.03.2013 को समाप्त गतवर्ष ₹ 67.18 करोड़) का प्रभार दिया गया।

15. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव:

15.1 विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण के मूल्य में उतार-चढ़ा के पश्चात उक्त ऋण बाबत समूह के रुपये की दायिता में ₹ 13.29 करोड़ (31.03.2013 को ₹ 0.22 करोड़ की कमी) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि को स्थायी परिसंपत्तियों के वहन लागत के तौर पर ₹ 4.06 करोड़ तक (गतवर्ष 31.03.2013 को ₹ 0.13 करोड़ की कमी) को समंजित किया गया एवं शेष ₹ 9.23 करोड़ (31.03.2013 को ₹ 0.09 करोड़ लाभ को विदेशी मुद्रा विनिमय -टिप्पणी-21) में "विनिमय दर में उतार चढ़ाव के हानि के रुप में टिप्पणी -31 में दर्शाया गया है।

16. लेखांकन मानकों का अनुपालन:

16.1 **एएस-12 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन:** समूह ने स्टोइंग एवं बचाव अनुदान से आय के रुप में ₹ 0.88 करोड़ (31.03.2013 को समाप्त गतवर्ष ₹ 0.55 करोड़) की मान्यता दी है और दीर्घ अवधि अग्रिम पूँजी (टिप्पणी-12) से सीसीडीए की ₹ 51.25 करोड़ की अनुदान की कटौति की है।

16.2 **एएस-15 कर्मचारियों के लाभ के लिए लेखांकन:** समूह ने आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक-15 के अनुसार 31.03.2014 को कर्मचारियों के लाभ की दायिताओं को निर्धारित किया है। निम्नलिखित घोषणाएं एएस-15 (संशोधित) के अनुसार ग्रेच्युटी के संबंध में निधि योजना के तहत की गई है।

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में बदलाव को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
वर्ष के आरम्भ में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में बदलाव	630.91
अधिग्रहण समायोजन	0.00
ब्याज लागत	50.75
गत सेवा लागत	0.00
वर्तमान सेवा लागत	34.26
कटौती लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
प्रदत्त लाभ	67.61
बाध्यता पर बीमांकित लाभ/हानि	-5.60
वर्ष के अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	642.71

योजना परिसम्पति के उचित मूल्य में बदलाव को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
वर्ष के आरम्भ में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	608.07
अधिग्रहण समंजन	0.00
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित वापसी	51.68
अंशदान	62.63
प्रदत्त लाभ	67.61
योजना परिसंपत्ति पर बीमांकित लाभ/हानि	4.32
वर्ष के अन्त में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	659.09

निधि की स्थिति दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य	642.71
वर्ष के अंत में योजना का उचित मूल्य	659.09
निधि की स्थिति	16.38
वर्ष के अन्त में मान्यता रहित बीमांकित लाभ/हानि	0.00
तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध परिसम्पत्ति (दायिताएं)	16.38

लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
वर्तमान सेवा लागत	34.26
पूर्व सेवा लागत	0.00
ब्याज लागत	50.76
योजना परिसम्पत्ति पर संभाव्य वापसी	51.68
कटौती लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	-9.92
लाभ/हानि में मान्यता प्राप्त व्यय	23.41

बीमांकित पूर्वानुमान को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08)
सेवा निवृत्ति उम्र	60
समय पूर्व सेवा निवृत्त एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर उम्र 6 29 वर्ष से 45 वर्ष के बीच 3 29 वर्ष से कम उम्र 1
छूट दर	8.50 %
मुद्रास्फीति दर	6.25%
परिसम्पत्ति क वापसी	8.50 %
शेष कार्य जीवन	13 वर्ष
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	22.84
उपरोक्तानुसार व्यय	23.41
अंशदान	62.63
अन्तिम शुद्ध दायिताएं	-16.38
वर्ष के अन्त में अन्तिम निधि/प्रावधान	642.71

निम्नलिखित घोषणाएं एएस 15 (संशोधित) के तहत छुट्टी नगदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल)/(निधि रहित योजना) के संबंध में की गई है।

वर्तमान मूल्य की बाध्यताओं में बदलाव दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
वर्ष के प्रारंभ में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	187.54
अधिग्रहण समंजन	0.00
ब्याज लागत	15.50
पूर्व सेवा लागत	0.00
वर्तमान सेवा लागत	48.97
कटौति लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
प्रदत्त हितलाभ	10.43
बाध्यताओं पर बीमांकित लाभ/हानि	-36.95
वर्ष के अन्त में बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य	204.63

लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹.करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
चालू सेवा लागत	48.97
पूर्व सेवा लागत	0.00
ब्याज लागत	15.50
योजना परिसम्पत्ति पर संभावित वापसी	0.00
कटौति लागत	0.00
व्यवस्थापन लागत	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकित लाभ/हानि	-36.95
लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	27.52

बीमांकित संभावनाओं को दर्शानेवाली सारणी:-

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
मृत्यु संख्या तालिका	आईएएलएम (2006-08)
समय पूर्व सेवा निवृत्ति उम्र	60
पूर्व सेवा निवृत एवं अक्षमता	प्रति हजार/प्रति वर्ष 10 45 वर्ष से ऊपर 6 29 वर्ष से 45 वर्ष बीच 3 29 वर्ष से कम1
छूट दर	8.50%

मुद्रास्फीति दर	6.25%
परिसम्पत्ति की वापसी	उपलब्ध नहीं
शेष कार्य जीवन	13
प्रयोग में लाया गया फार्मुला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त दायिताओं का संचलन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 के अनुसार
प्रारंभिक शुद्ध दायिताएं	0.00
उपरोक्तानुसार व्यय	27.52
अंशदान	0.00
अन्तिम शुद्ध दायिताएं	27.52
वर्ष के अंत में अन्तिम निधि/प्रावधान	204.63

एएस 15 (संशोधित 2005) के परिशिष्ट-ख की टिप्पणीः-

चूंकि योजना निधि रहित है अतः लाभ/हानि लेखा पर प्रभार निम्न पूर्वानुमानों पर आधारित है:-

1. गत लेखांकन तिथि के अनुसार पूर्व बाध्यताएं का प्रावधान किया गया है।
2. उपरोक्त प्रावधान के डेबिट को एक्जिट लाभ प्रदान किया गया।
3. वर्तमान बाध्यताएँ चालू लेखांकन तिथि के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

16.3 **एएस-16: उधारी लागतः** ऐसी कोई उपयुक्त परिसंपत्ति नहीं, जिसके लिए कंपनी को ब्याज चुकाना पड़ा हो, अतः किसी उधारी लागत को पूँजीकृत नहीं किया गया।

16.4 **एएस-17- खंड रिपोर्टिंग:** कंपनी मुख्यत केवल एक खंडीय व्यापार कोयले के उत्पादन एवं विक्रय में लगी है। एएस-17 के तहत इसका अन्य कोई पहचान योग्य प्राथमिक खंड नहीं है जिसे चिन्हित किया जा सके।

16.5 **एएस-18- संबंधित पक्ष का उल्लेख:** राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को मिल रही छूट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं से संबंध एवं लेन-देन का उल्लेख एएस-18 के तहत आवश्यक नहीं है।

16.6 **एएस-20: प्रति शेयर आमदनी:** प्रति शेयर आधारभूत आमदनी की गणना वर्ष के कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के बाकी समतुल्य शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली जाती है। डाईल्यूटेड ईपीएस की गणना करने के लिए वर्ष के कर पश्चात शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान बकाया भारित औसत शेयरों की संख्या को सभी डाईल्यूटेड पोटेंशियल इक्वीटी शेयरों के प्रभाव हेतु समंजित किया जाता है।

ईपीएस की गणना नीचे प्रस्तुत है:

विवरण	31.03.2014 का समाप्त चालू वर्ष	31.03.2013 को समाप्त गतवर्ष के अन्त में
कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)	3624.30	4212.44
सामान्य शेयर धारियों के प्रति आरोप्य लाभांश (₹ करोड़ में)	3624.30	4212.44
बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए सामान्य शेयरों की संख्या (संख्या)	1864009	1864009
सामान्य शेयरों का नाम मात्र मूल्य(₹)	1000	1000
प्रति सामान्य शेयर पर बेसिक एवं डाइल्यूटेड आमदनी(₹)	19443.58	22598.82

16.7 **एएस-21 अनुषंगी कंपनियों में निवेश:**

प्रबंधन ने समेकित वित्तीय विवरणियां लेखांकन मानक-21-आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणी की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की हैं। अल्पसंख्य ब्याज का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अनुषंगी कंपनियों के नाम	पता	मूल कंपनी का धारण	निगमीकरण की तिथि	समेकित लेखों के अनुसार 31-03-2014 को अल्पसंख्य ब्याज (करोड़ में)
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर	70%	16.07.2008	25.53
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	मकान न. 42, प्रथम तल, आनन्द नगर, हकीमपारा, अंगुल	60%	13.08.2008	38.07
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	प्लाट न- जी-3, मानचेश्वर रेलवे कालोनी, भुबनेश्वर	100%	02.12.2011	-
कुल				**63.40**

सभी अनुषंगी कंपनियों विकास स्थिति में हैं।

16.8 **एएस-27: संयुक्त उद्यम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग:**

समूह और ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम करार के द्वारा 08 जनवरी, 2013 को नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निर्गमन किया गया था। 31.03.2014 तक निर्गमन के लिए विविध खर्चों हेतु ₹ 0.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.02 करोड़) खर्च किए हैं और उन्हें प्राप्य दावों में शामिल किया है (टिप्पणी-18)। संयुक्त उद्यम कंपनी में 31.03.2014 तक कोई निवेश नहीं है।

16.9 **एएस-28: परिसंपत्तियों की हानि:**

कोयला उद्योग में स्थायी परिसंपत्तियों को मुख्य शीर्ष जैसे- भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, एक्सप्लोरेशन, बोरिंग एवं विकास के तहत वर्गीकृत किया जाता है। भूमि एवं भवन के मामले में मूल्यांकन सार्वभौमिक रुप से उर्द्धवमुखी है। यदि भवन में कोई टूट-फूट न हो, तो इसके लिए किसी प्रावधान की आवश्यता नहीं है। इसी तरह संयत्र एवं मशीनरी के मामले में आरबीआई सूचकांक के अनुसार इसका मूल्य निम्नमुखी नहीं है, अंत: यदि परिसंपत्ति उपयुक्त न हो या इसमें कोई खराबी न हो तो उसे हानि के तहत दर्शाया नहीं जाएगा लेकिन घाटा देनेवाली भूमिगत खदानों में ऐकान्तिक प्रयोग के लिए निर्दिष्ट पुरानी मशीनों की हानि पर विचार किया गया है। कोयला उद्योग में लगातार घाटे में चलने एवं निकट भविष्य में उनके उद्धार की संभावना नहीं होनेवाली खदानों में पूर्वेक्षण, बेधन एवं विकास पर हुए खर्च को प्रथम दृष्टया हानि माना जा सकता है।

वर्ष के दौरान अन्य स्थिर परिसम्पत्तियों (जिनका कोई वैकल्पिक प्रयोग मूल्य नहीं) के लिए ₹ 0.66 करोड़ (31.03.2013 को समाप्त गत वर्ष के लिए ₹ 0.36 करोड़) का प्रावधान रखा गया है। इस तरह 31.03.2014 को हानि के लिए कुल संचयी प्रावधान ₹ 26.75 करोड़ (31.03.2013 को ₹ 26.09 करोड़) हुआ।

16.10 **लेखांकन मानक-29:**

16.10.1 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या 55011-01-2009 सीपीएएम दिनांक 27.08.2009 और दिनांक 07.01.2013 के अनुसार कंपनी ने वर्ष क दौरान सभी कार्यरत् खदानों के संबंध में केंद्रीय खदान आयोजना और डिजाईन संस्थान लिमिटेड द्वारा तैयार की गई खान बंद करने की योजना के आधार पर खदान बन्द करने के व्यय हेतु प्रावधान किया है।

16.10.2 खदान बंद करने के व्यय के प्रावधान (टिप्पणी-5) में वर्तमान दायिताओं एवं प्रावधान का ₹ 5.39 करोड़ शामिल है जो देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कार्यस्थल की सुदृढ़ता हेतु निर्धारित है। यह प्रावधान ₹ 9.44 करोड़ की एक विस्तृत योजना के तहत वेतन व एवं मजदूरी के अलावा वर्तमान वर्ष के अन्य खर्च शून्य करोड़ को समंजित करने के पश्चात (विभागीय मजदूरी एवं वेतन के ₹ 18.21 करोड़ को छोड़कर) रखा गया है। चूँकि देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कार्यस्थल का सुदृढ़ीकरण, देउलबेरा कोलियरी के विभागीय कर्मचारियों द्वारा बालू भर कर किया जा रहा है, वेतन एवं मजदूरी बाबत ₹ 18.21 करोड़ को इस योजना का भाग होने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है।

16.10.3 एएस-29 के तहत प्रावधान में गतिशीलता का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष 1.4.2013 के अनुसार	चालू वर्ष के दौरान प्रावधान/योग	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समंजन	31.03.2014 के अनुसार अंतिम शेष
1	भूमि-सुधार हेतु प्रावधान	0.79	-	-	0.79
2	ओबीआर समंजन	8502.18	1410.33	-	9912.51
3	कराधान हेतु प्रावधान (संपति कर समेत)	1987.75	1837.50	(1932.59)	1892.66
4.	लाभांश हेतु प्रावधान	1028.93	-	(1028.93)	-
5.	खदान बन्द करने की योजना	244.22	70.42	-	314.64
6.	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	21.02	13.70	-	34.72
7.	ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	2.97	-	(0.08)	2.89
8	पूंजीगत चालू कार्य के लिए प्रावधान	10.88	0.96	(0.02)	11.82
9	भंडार एवं पूंर्जों के लिए प्रावधान	14.27	0.57	-	14.84
10	परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	0.23	-	-	0.23

17.0 आमदनी पर कर का लेखांकन:

17.1 चालू वर्ष के लिए आयकर प्रावधान के तहत 1837.38 करोड़ (गतवर्ष 31.03.2013 को ₹ 1964.72 करोड़) रखा गया है। इसके अलावा चालू वर्ष के संपत्ति कर के लिए ₹ 0.12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

17.2 लेखा मानक-22 की आवश्यकताओं के अनुसार 31.03.2014 को शुद्ध आस्थगित कर दायितांए ₹ 28.08 करोड़ (31.03.2013 की दायितांए ₹ 60.68 करोड़) है। आस्थगित कर दायिता/परिसंपत्तियों में समय के अंतरजनित कर का प्रभाव नीचे दिया गया है:

	दिनांक 31.03.2014 अनुसार (करोड़ में) (दायिता)	31.03.2013 अनुसार (₹ करोड़ में) (दायिता)
आस्थगित कर दायिता:		
आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार लिखित मूल्य से अधिक निवल ब्लॉक	-14.84	20.64
आस्थगित कर परिसंपत्ति:		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	8.14	3.49
कर्मचारियों के अन्य हितलाभ के लिए प्रावधान		
छुट्टी नगदीकरण हेतु प्रावधान	56.41	51.02
उपदान (ग्रेच्युटी) हेतु प्रावधान	1.87	11.79
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.91	0.94
आयकर अधिनियम की धारा 43-ख के तहत गैर-अनुमत	16.11	15.35
भूमि की पुर्नः प्राप्ति	23.83	-
अन्य प्रावधान/विविध मद	-150.09	-122.63
उप जोड़	-42.62	-40.04
कुल	28.08	60.68
निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (-)देयताएं (+)	28.08	60.68

18.0 सामान्य:

18.1 विविध देनदार, विविध अग्रिम एवं जमा आदि के बकाये की पुष्टि सभी मामलों में प्राप्त नहीं की गई है।

18.2 अत्यधिक लघु (माइक्रो), लघ एवं मध्यम इन्टरप्राइजेज विकास अधिनियम, 2006 के तहत कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं की है अत: वर्षान्त में भुगतान नहीं की गई राशि तथा इस पर दिए गये/देय ब्याज के संबंध में उपरोक्त अधिनियम के तहत आवश्यक कोई सूचना नहीं दी जा सकी है।

18.3 पिछले वर्ष/वर्षो के ऑकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ अधिक तुलनीय बनाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार पनु: व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

19.0 अन्य:

क. निदेशकों का पारिश्रमिक: (₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
वेतन	1.11	1.08
भविष्य निधि	0.12	0.10
अनुलब्धियां	0.02	0.02
निदेशक की सिटिंग फीस	0.07	0.16
कुल	**1.32**	**1.36**

टिप्पणी:

I अनुलब्धियों में कंपनी के नियमानुसार वसूल किये जानेवाले आवास किराय/बिजली का मूल्य/प्रभार तथा कंपनी के अस्पताल/औषधालय में उपलब्ध नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का मूल्य शामिल नहीं किया गया है।

II लोक उद्यम ब्यूरो , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ओएम संख्या 2(18)/पीसी-64 दिनांक 20.11.1964 के अनुसार सामय समय परी संशोधित प्रावधानों के तहत अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं पूर्णकालिक निदेशकों के पास यह विकल्प है कि वे कार्यालयीन कार्य के अलावा स्टाफ कार को 750 कि.मी. प्रति माह की सीमा तक व्यवहार हेतु रियायत दर पर भुगतान कर सकते हैं।

ख. आयात (₹ करोड़ में)

आयातित सामग्री का सीआईएफ का सीआईएफ मूल्य	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) कम्पोनेंट एवं पुर्जे	2.89	2.96
(iii) पूँजीगत वस्तुएं	8.76	1.28

ग. विदेशी मुद्रा में व्यय:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष
(i) यात्रा	0.02	0.03
(ii) वचनबद्धता प्रभार	शून्य	शून्य
(iii) ब्याज	1.25	2.05
(iv) अन्य	शून्य	शून्य

घ. खपत किए गए आयातित/देशी कच्चा माल, भंडार एवं पुर्जों एवं कोम्पोनेंट का मूल्य:

विवरण	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रतिशत	31.03.2013 को समाप्त चालू वर्ष के लिए मूल्य (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
आयातित	शून्य	शून्य	0.10	0.02
देशज	626.35	100	555.65	99.98
कुल	626.35	100	555.75	100.00

20.0. शीर्ष कार्यालय और नियंत्रक कंपनी को प्रभारित ब्याज प्रभार:

20.1. नियंत्रक कंपनी द्वारा लगाए गए शीर्ष कार्यालय प्रभार का कोयला उत्पादन के आधार पर राजस्व खदानों पर आबंटन किया गया है।

20.2. विशिष्ट परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए नियंत्रक कंपनी द्वारा ऋणों पर ब्याज का लेखांकन करार की शर्तों और उनके तदनुरूपी ज्ञापन की शर्तों के अनुसार किया गया है।

21.0. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-VI में बदलाव (1.4.2011 से)

दिनांक 30.03.2011 को राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा तुलनपत्र के फार्मेट को संशोधित कर लाभ-हानि लेखा के विवरण के फार्मेट को लागू कर दिया गया है।

संशोधित अनुसूची-VI के फार्मेट को इस लेखा को तैयार करने में लागू कर दिया गया है। संशोधित फार्मेट के साथ-साथ दिशा-निर्देश का पालन करते हुए तुलनपत्र में निम्नलिखित पृथक्कीरण किया गया है।

चालू परिसंपत्तियाँ:

किसी परिसंपति को चालू परिसंपति तब माना गया है जब वह निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करती है:-

इसको उपयोग किया जा सके, या बेचा जा सके या कंपनी के सामान्य कार्य व्यवहार में खपत किया जा सके।

यह प्रथमत: व्यापार के उद्देश्य में रखा जा सके।

रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के अंदर इसका उपयोग किया जा सके।

अगर इसका बदलना प्रतिबंधित रहे तो यह नगद या नगद के समतुल्य होना चाहिए या निपटाने के योग्य, रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम 12 माह के अंदर किसी दायिता को रहना चाहिए।

गैर-चालू परिसंपत्तियाँ:

चालू परिसंपत्तियों के अलावे सभी परिसंपत्तियाँ गैर-चालू संपत्तियां हैं।

चालू दायिताएं:

उन दायितओं को चालू दायिताओं के रुप में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न में से किसी एक शर्त के पूरा करती है:-

यह कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में व्यवस्थित हो सके।

यह प्रथमत: व्यापार के उद्देश्य में आ सके।

यह रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के अंदर व्यवस्थित की जा सके।

कंपनी के पास कोई शर्तविहीन अधिकार नहीं है कि वह दायिता की व्यवस्था को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीने से अधिक स्थगित कर सके/दायिता की शर्तें काउन्टर पार्टी के विचार इक्वीटी इंस्ट्रूमेंट जारी करने से व्यवस्थापना के परिणामस्वरुप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न कर सके।

गैर-चालू दायिताएं:

चालू दायिताओं के अलावे सभी दायिताएं गैर-चालू दायिताएं हैं।

कोई सामान्य प्रचालन चक्र न होने के कारण इसे 12 महीने की अवधि में कर ली गई है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
ए.के.सिंह	एस.कन्नन	(एस.के.पाल)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	महाप्रबंधक (वित्त)
हस्ता/-		हस्ता/-
जे.पी. सिंह		(ए.एन.सहाय)
निदेशक (तक./योजना एवं परियोजना)		अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएट्स
अधिकृत लेखाकार

हस्ता/-
सीए एम.पी.महापात्रा
भागीदार
(सदस्य सं.-55113)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26.05.2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)
क	प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	5,429.08	6,202.48
	समायोजन:		
	मूल्यह्रास एवं हानि	236.80	173.79
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	9.23	(0.09)
	ओबीआर समायोजन	1,410.33	1,435.65
	ब्याज/लाभांश(प्राप्त)	(1,406.53)	(1,531.84)
	ब्याज/वित्तीय प्रभार(प्रदत्त)	14.89	4.97
	लेनदार/वस्तुसूची/अन्य सीए/ऋण एवं अग्रिम इत्यादि प्रावधान	189.63	194.66
	समंजन:		
	व्यापार प्राप्तियों में बदलाव	118.82	(200.74)
	लंबी अवधि/गैर चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	5.48	(93.08)
	अल्प अवधि/चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	185.45	(470.40)
	व्यापार देय/चालू दायिताओं/लंबी अवधि दायिताओं में बदलाव	317.68	21.66
	संचालन से नगद	6,559.30	5,822.09
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(3,408.98)	(2,622.64)
	Deferred Tax Liabilities		
	असामान्य मदों से पूर्व नगद प्रवाह	3,150.32	3,199.45
	संचालन गतिविधियों से निवल प्रवाह	3,150.32	3,199.45
ख	निवेश की गतिविधियों से नगद प्रवाह:		
	स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय	(849.92)	(458.94)
	सीआईएल के साथ अल्प अवधि जमा	1,315.59	(153.54)
	कंपनियों का अधिग्रहण	-	-
	नये निवेश का क्रय (चालू/गैर चालू)	(594.29)	(678.25)
	प्राप्त ब्याज	1,363.13	1,508.21
	म्यूच्युअल फंड से प्राप्त लाभांश (गैर-व्यापार)	43.40	23.63
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	1,277.91	241.11
ग	वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
	सीआईएल के जरिए विश्व बैंक ऋण	(109.88)	(22.05)
	आस्थगित जमा ऋण	1.03	(0.31)
	विनियम दर में उतार-चढ़ाव	(9.23)	0.09
	सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
	प्रायमिक शेयर पूँजी का परिशोधन	-	-
	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(14.89)	(4.97)
	प्रदत्त लाभांश	(7,012.09)	(2,720.51)
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	(7,145.06)	(2,747.75)
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि	(2,716.83)	692.81
	अवधि के अन्त में नगद एवं नगद समतुल्य	13,145.14	12,390.19
		10,428.31	13,083.00

उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है

गतवर्ष के आंकड़ों को चालू अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पुन: वर्गीकृत किया गया है।

ह()/-
कंपनी सचिव

ह()/-
जे. पी. सिंह
निदेशक (टी)(पी ए पी)

ह()/-
एस. कान्नन

कृते निदेशक मंडल की ओर से
ह()/-
महाप्रबंधक (वित्त)

ह()/-
ए. एन. सहाय
अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते पाम्स एंड एसोशिएटस
सनदी लेखाकार
ह()/-
(सीए एम पी महापात्रा)
भागीदार
(सदस्य संख्या 55113)

दिनांक: 26.05.2014
स्थान: नई दिल्ली